राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड १] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का २४ वां दिवस [संख्या १९

सोमवार
दिनांक २१ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म.पू. ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, खादी ग्रामोद्योग, शिक्षा, राजस्व, पंचायत, पुनर्वास, विकास, आबकारी, चिकित्सा, समाज कल्याण-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

श्री रावतराम : यह प्रश्न मैं पूछ लूं, अध्यक्ष महोदय ।

चूरू जिले से असिस्टेंट कमिश्नर का कार्यालय तोड़ने से बचत

३८४. श्री मोहरसिंह (चूरू) [श्री रावतराम (सादूलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि चूरू जिले से असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी एवं कर के कार्यालय को तोड़ने से आमदनी में कमी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यालय को पुनः चूरू में स्थापित करने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि चूरू से असिस्टेंट कमिश्नर का कार्यालय तोड़ने से जनता को २००-२५० मील दूर बीकानेर जाना पड़ता है ?

(३) इस पद के तोड़ने से सरकार को अनुमानतः कितनी बचत हुई ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) :

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं, वाणिज्य कर के लिए चूरू में सहायक वाणिज्य कर-अधिकारी का कार्यालय है, आबकारी के लिए चूरू में केवल ७ सी. एल. लाइसेंसीज हैं जिन्हें बीकानेर जाना पड़ता है या उन्हें डिस्ट्रिक्ट एक्साइज, ऑफिसर से उनके दौरे पर चूरू मिलना होता है ।

(३) अनुमानतः ४०-४५ हजार रुपये की आर्थिक मितव्ययता हुई है ।

प्रश्न संख्या ३८५

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण खाबोदिया ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री हुरलाल मीणा ।

मल्टी परपज हायर सैकन्डरी स्कूल, प्रतापगढ़ में पीने के पानी की व्यवस्था

३८६. श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा

Page No.2

(श्री हरलाल मीणा)
करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ मल्टीपर्पज हायर सैकन्ड्री स्कूल के छात्रों को कुएं का गंदा पानी पिलाया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(२) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल के आस-पास कोई दूसरा कुआं नहीं है? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में आज तक क्या उचित कदम उठाया है व भविष्य में उठाया जायगा?

(३) क्या स्कूल के पास ही वाटर वर्क्स के पानी के नल लगे हुए हैं? यदि हां, तो नल का स्वच्छ पानी स्कूल में देने में क्या रुकावट आ रही है?

शिक्षा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (१) मल्टी पर्पज हायर सैकन्डरी स्कूल, प्रतापगढ़ में पानी का नल लगा हुआ है परन्तु उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने के कारण स्कूल के पास के कुएं से पानी लिया जाता है किन्तु पानी गन्दा नहीं है।

(२) स्कूल के क्षेत्र में भी एक दूसरा कुआं है किन्तु वर्षों से कुएं को काम में न लेने के कारण पानी पीने के योग्य नहीं बताया जाता। पानी की कमी के बारे में अभियन्ता, जल विभाग, प्रतापगढ़ से सम्पर्क स्थापित किया गया है?

(३) पानी का नल पहले ही से स्कूल में लगा हुआ है।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि इस कुएं के पानी से नहाया जाता और कपड़े धोये जाते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी नहीं। जो दूसरा कुआं स्कूल में है उसमें से जो पानी लिया जाता है वह अच्छा है, गन्दा नहीं है।

श्री हरलाल मीणा : उसी एक कुएं से ही पानी लिया जाता है, स्कूल के पास में वही एक कुआं है और आस-पास में दूसरा कोई कुआं नहीं है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : स्कूल के अन्दर ही कुआं है जिसमें से पानी लिया जाता है। उसमें नहाने और साबुन लगाने का प्रश्न नहीं है।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि उस कुएं के पानी से नहाने और कपड़े धोने की मनाई है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि कुएं का पानी गन्दा है?

श्री हरलाल मीणा : यह शिकायत तो मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं वहां जाकर देखकर आया हूं, मैं आपको शिकायत कर रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं मालूम कर लूंगा और ऐसी कोई बात हुई तो उसकी समुचित व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

किसानों के कुएं

३८७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.3

(श्री जुझारसिंह)

(१) पंचायत समिति चेचट व सांगोद में कितने किसानों के निजी कुएं सरकारी दर्ज किए जा चुके हैं ?

(२) सरकार की कुओं सम्बन्धी नई नीति के फलस्वरूप इन कुओं पर कितना कितना मुआवजा लेकर इन्हें फिर से कृषकों के निजी खातों में दर्ज कर लिया जावेगा ?

(३) क्या सरकार ऐसे कुओं पर जो निजी होते हुए सरकारी दर्ज कर दिए गये हैं वास्तव में सरकारी कुओं की अपेक्षा रियायती दर से मुआवजा लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस अनुपात में ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सेटलमेंट विभाग द्वारा वक्त सेटलमेंट पंचायत समिति, चेचट में ४९३ कुएं व पंचायत समिति, सांगोद में ५६, किसानों के निजी कुएं सरकारी दर्ज किये जा चुके हैं।

(२) सरकार की कुओं सम्बन्धी नई नीति के फलस्वरूप कृषकों द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६५ तक तहसीलदार को जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हो चुके हैं, २५) रु० प्रति कुआं सनद फीस लेकर ऐसे कुओं को कृषकों के निजी खाते में दर्ज कर दिया जावेगा। तहसीलदारों को दरखास्तें न पेश होने पर भी, चालू मामलों में या स्वयं के विवेक से भी ऐसे मामलों को वैध करने के अधिकार दे दिए गए हैं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : आपने अभी यह बताया कि चेचट के चार सौ के लगभग कुओं को जो सरकारी दर्ज हो चुके हैं, चेचट में उनका प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कुल कितने कुएं हैं जो सरकारी दर्ज हो चुके हैं और जिनको किसानों को देने का प्रश्न विचाराधीन है, इन चार सौ के अलावा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शायद आप मेरी बात को समझे नहीं। मैंने यह कहा कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वक्त सेटलमेन्ट पंचायत समिति, चेचट में ४९३ कुएं व सांगोद पंचायत समिति में ५६ किसानों के निजी कुएं सरकारी दर्ज कर दिये गए। मतलब यह है कि यह कुएं थे तो किसानों के ही, लेकिन सेटलमेन्ट के वक्त के किसानों के दर्ज नहीं किए जाकर सरकारी दर्ज हो गए और सरकारी दर्ज होने की वजह से इनका नाम सरकारी कुएं हो गया। ऐसी समस्या कोटा डिवीजन और टोंक डिस्ट्रिक्ट में कई जगह थी। इसी वजह से कुछ तो इस समस्या को हल करने के लिए और कुछ अन्य प्रकार की समस्यायें थीं उनको हल करने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया और निर्णय करके ऐसा सर्कूलर जारी कर दिया जिसके तहत २५) रुपये सनद फीस के लेकर ऐसे कुएं कृषकों के निजी खाते में दर्ज कर दिए जावेंगे।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह की समस्या है। एक तो यह है कि किसानों की जमीन पर कोई सरकार ने कुआं नहीं बनाया, किसान ने अपने खर्च से बनाया और वह पहली सेटलमेन्ट में उसी के नाम था लेकिन किसी कारण से दूसरे सेटलमेन्ट में यह सरकारी कुआं दर्ज हो गया और दूसरी समस्या यह है कि कुएं तो किसान ने

Page No.4

(श्री जुझारसिंह)
ही बनाए, लेकिन ओरिजिनली वे सरकारी दर्ज हो गये। तो ऐसे कुओं के लिए जो कि किसानों के हैं और सरकार की गलती से ही वे सरकारी दर्ज हो गए तो फिर २५) रु० फी कुंए के हिसाब से फीस लेकर उनको किसानों के नाम तब्दील करने की बजाय यों ही क्यों नहीं तब्दील किया जाता है? इसमें किसानों का क्या कसूर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, सेटलमेन्ट में जब कोई भी इन्द्राज किसी के नाम पर हो जाय या गलत इन्द्राज हो जाय या इन्द्राज होने से रह जाय तो उसके बाद जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है उसको उसे दुरुस्त कराने के लिए अपील या उजरदारी करने का हक है। यह एक ऐसा मामला है कि जिसमें एक सेटलमेन्ट में और कई मामलों में दो सेटलमेन्ट में ये कुंए सरकारी दर्ज हो गए, यद्यपि इन कुओं को बनवाने की लागत सरकार की नहीं लगी थी। लेकिन किसानों ने वक्त पर इसकी उजरदारी या अपील नहीं की और ऐसा नहीं करने की वजह से यह सरकारी दर्ज रह गए। ये सारे मामले बन गए, लेकिन सरकार ने यह अनुभव किया कि चूंकि सरकार का इस पर पैसा नहीं लगा है फिर भी सरकारी दर्ज हो गए हैं और इन पर अपील भी नहीं की है तो भी किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए यह सोचा गया है कि उनसे २५) रु० सनद फीस लेकर उनके नाम ट्रान्सफर कर दिए जायें। जब ये कुंए सेटलमेन्ट में सरकारी दर्ज हो गए तो भी किसानों की तरफ से कोई अपील नहीं हुई, कोई उजरदारी दायर नहीं हुई, बल्कि कोटा डिवीजन में तो कहीं कहीं पर उन्हीं कुओं से पिलाई पर दो आना रुपया पिलाई चार्ज लेने लगे तो उनकी तरफ से ऐतराज आए और तब उनको मालूम पड़ा कि उनके कुंए सरकारी दर्ज हो गए हैं। इसलिए यह ठीक समझा गया कि किसानों से २५) रु० सनद फीस लेकर उनके नाम सही इन्द्राज कर दिए जावें। किसानों को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। कानून की दृष्टि में उनके सारे हक, चाहे गलत तरीके से हों चाहे सही तरीके से हों, खत्म हो गए हैं, फिर सरकार ने उनकी सुविधा के लिए इसको रिव्यू करना उचित समझा है और इस रिवाइविंग के लिए ही २५) रु० की नोमिनल फीस ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष : इनमें से कितने मामले ऐसे हैं जो रेगुलराइज हो गये होंगे अब तक?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस पर्टीक्यूलर एरिया के?

(विराम)

यह प्रश्न कुछ समय पहले ही सामने आया और यह सर्कूलर भी अभी १९६५ में ही लागू हुआ है। इसके बाद इस प्रश्न के आने पर खास तौर से मैंने कोटा कलेक्टर को आदेश दे दिए हैं कि चाहे दरख्वास्तें हों या न हों, जो भी इस तरह के मामले हैं उन सारे मामलों को निपटाने का अधिकार दे दिया है जिसे वह स्वयं के विवेक से या उजरदारी पेश होने पर निपटा दें। मैं समझता हूं कि तीन महीने में सारी कार्यवाही मुकम्मिल हो जायगी। इस तरह के आदेश मैंने पहले ही दे दिए हैं कि इनको जल्द से जल्द निपटा दें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या इस से जो किसानों के कुंएं नीलाम करने की

Page No.5

(श्री राधाकृष्ण गोयल)
कार्यवाही चल रही है वह कार्यवाही अब स्थगित हो जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अर्ज किया ना कि इसके ऑर्डर्स इश्यू हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि कुछ कुओं को नीलाम करने के आदेश हो गए हैं तो इससे वह कार्यवाही भी रुक जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सर्कूलर से, इस तरह के जितने भी कुएं हैं, वे नीलाम नहीं किए जायेंगे। फिर भी माननीय सदस्य को ऐसी कोई सूचना हो कि इस किस्म के कुए नीलाम किए जा रहे हैं तो बतायें, मैं अवश्य उस पर उचित आदेश दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जेठमल।

जंजीला पंचायत का चार्ज

३८८. श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जंजीला पंचायत, पंचायत समिति, परबतसर के भूतपूर्व सरपंच ने पंचायत का चार्ज और पंचायत की रकम तथा उसका हिसाब एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वर्तमान सरपंच को अब तक नहीं दिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस सम्बन्धी स्थिति की जानकारी सम्बन्धित अधिकारियों को दे दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत की रकम वर्तमान सरपंच को नहीं मिलने के कारण पंचायत के आवश्यक सभी निर्माण कार्य रुक गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां, पूरा चार्ज नहीं दिया है। कार्यवाही सब-डिवीजनल ऑफिसर, परबतसर के यहां प्रारम्भ है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): इतने लम्बे समय तक चार्ज नहीं दिया तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार को यह अधिकार है, दफा १५–ए पंचायत एक्ट के तहत कि अगर, सरपंच चार्ज नहीं दे तो उसका चालान और उसके खिलाफ इस्तगासा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट सजा भी देता है।

श्री भैरोंसिंह : मतलब यह है कि सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट जब तक फैसला नहीं दे पुराने सरपंच के पास ही चार्ज बना रहता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काम तो नया सरपंच चुनाव होते ही करना प्रारम्भ कर देता है, लेकिन पुराने चार्ज में जो कागजात वगैरह होते हैं उनको सम्भालना बाकी रहता है।

Page No.6

श्री जेठमल बरवड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि पुराने सरपंच ने चार्ज नहीं दिया इसकी वजह से उस पंचायत का सारा विकास का काम रुक गया। क्योंकि जब तक पहले का फण्ड खर्च नहीं किया जाता पंचायत समिति पंचायत को एड नहीं देती है। परबतसर पंचायत समिति में पांच पंचायतें हैं जिनमें पुराने सरपंचों ने चार्ज नहीं दिया है, इससे उनके काम में बड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो रुपया पुराने सरपंचों से लेना बाकी है उनके मामले पी. डी. आर. के तहत दे दिए गए हैं, उनके वारन्ट जारी कर दिये गए हैं और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के सामने इस्तगासे पेश किए गए हैं वे इस्तगासे भी जेर-कार्यवाही हैं और वारंट तामील कर दिए गए हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या स्पष्ट है कि जो सरपंच साल भर तक चार्ज नहीं देता है उसके विरुद्ध एस० डी० एम० के यहां चालान किया जाना ही चाहिए?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें किसी को छोड़ने की नीति नहीं है, बल्कि इस मामले के अन्दर तुरन्त इस्तगासा पेश कर दिया एस० डी० एम० के यहां। अगर एस० डी० एम० के यहां इस्तगासे के फैसले में देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं हो सकती है, क्योंकि यह प्योरली जुडिशियल मामला है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ऐसे केसेज की क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि साल भर से अधिक का समय हो गया और चार्ज नहीं दिया गया और चालान पेश नहीं किये गये?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अगर उनके ध्यान में लाये जायेंगे तो कार्यवाही की जायगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूर।

श्री भैरोंसिंह : एस० डी० एम० के यहां चालान पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार की है और उसने फौरन कर दिया। ५-१-६५ को इस पंचायत के चुनाव हुए और जब सरपंच ने चार्ज नहीं दिया ६-२-६५ को और उसकी कम्प्लेन्ट हुई २०-२-६५ को तहसीलदार के यहां और उन्होंने आवश्यक कार्यवाही करके ९-३-६५ को इस्तगासा पेश कर दिया।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ९-३-६५ को कितने दिन हो गये? एक साल भर हो गया है। एस० डी० ओ० भी गवर्नमेंट का नौकर है। एक-एक साल तक वह ऐसे केसेज को क्यों लिये बैठा रहा?

श्री अध्यक्ष : इस्तगासे का क्या मतलब है?

श्री दामोदरलाल व्यास : कम्प्लेन्ट लॉज करने से है। सेक्शन १५-ए ऑफ दी पंचायत एक्ट में दिया हुआ है :

(श्री दामोदरलाल व्यास)

"Section 15-A of the Panchayat Act provides that if a person fails to hand over charge is liable to punishment of imprisonment exceeding one year or with a fine not exceeding one thousand rupees or both."

श्री भैरोंसिंह : तहसीलदार इन मामलों को प्रोसीक्यूट करेगा, इस तरह का प्रावधान रूल्स में है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काम्पीटेन्ट ऑथोरिटी उसको प्रेस्क्राइब कर रखा है। वह तहसीलदार होता है तो वह उसको नोटिस देता है और चार्ज नहीं देता है तो काम्प्लेन्ट कर देता है। कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी गवर्नमेंट ने उसको प्रेस्क्राइब कर रखा है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : तहसीलदार अगर कम्प्लेन्ट न करे और सरपंच कम्प्लेन्ट करता है तो वह कम्प्लेन्ट चलेगी या नहीं चलेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब काम्पीटेन्ट ऑथोरिटी का प्रोवीजन है तो।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह जिस जंजीला पंचायत का मामला है उसको साल भर हो गया है तो उसके पास जो २२००) रु० हैं उसका क्या किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that action under P.D.R. has been taken.

श्री मोतीलाल चौधरी : पी० डी० आर० के नये आदेश यह हैं कि उसका अटेचमेंट पहले कर देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Proceedings under P.D.R. are also judicial proceedings. We cannot guide.

श्री भैरोंसिंह : जिस आदमी को प्रेस्क्राइब किया है उसने टाइम के अन्दर प्रोसीक्यूशन कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैंने आपको तारीख बता दी है ?

श्री भैरोंसिंह : प्रेस्क्राइब्ड टाइम क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, इमीजियेटली ऐसा है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : There is no time limit.

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, पर ज्यों ही कम्प्लेन्ट आई कि चार्ज नहीं दिया तो मैंने बतलाया....

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन वह नहीं है, मेरा क्वेश्चन यह है कि टाइम प्रेस्क्राइब नहीं कर रखा है, मैं इस क्वेश्चन के बारे में नहीं कहता, लेकिन कई केसेज ऐसे हैं कि जिनके अन्दर टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है इसलिये तहसीलदार ने आज तक प्रोसीक्यूशन नहीं किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोसीक्यूशन नहीं किया है तो वह मेरे नोटिस में लायें, मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप रूल्स में टाइम प्रेस्क्राइब करने की व्यवस्था कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा एक भी केस मेरे नोटिस में लायें तो जरूर एक्शन लूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : तहसीलदार कितने नोटिस में लाये हैं और बाकी पंचायतों के कितने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई होंगे, बहुत से। उसके लिए नोटिस की जरूरत है मुझे।

I cannot remember the entire Panchayat Samitis of Rajasthan. आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें तो उसका पता दे सकता हूं। इस क्वेश्चन का ताल्लुक दूसरी पंचायतों से नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : रूल्स जो बने हुए हैं उनमें टाइम प्रेस्क्राइब हो जाय कि तहसीलदार इतने टाइम में कर दे।

श्री अध्यक्ष : मियाद गुमा देंगे टाइम प्रेसक्राइब करके।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो इसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसका टाइम प्रेसक्राइब कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : केवल एडमिनिस्ट्रेटिव आॅर्डर्स हो जायें कि इतने दिनों में चालान हो जाय।

श्री अध्यक्ष : साथ में एक सर्क्यूलर भेज दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका सर्क्यूलर जारी भी कर दूंगा और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं एक्सपिडाइट कराने के लिए कि इसमें देरी न हो चार्ज देने के बारे में कम्प्लेन्ट वगैरह करने मे, तो वह मैं करूंगा।

श्री मोतीलाल चौधरी : मंत्री महोदय ने वेग रिप्लाई दिया है। इसकी जानकारी मंत्री महोदय को होनी चाहिए कि विकास के लिए पंचायतों को कितने रुपये मिले हैं। उसमें से इस तरह से लाखों रुपये सरपंचों के पास पड़े हुए हैं और काम में नहीं आ रहे हैं। तो उनको जानकारी रखना चाहिए कि कितने सरपंचों ने चार्ज नहीं दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास सब जानकारी है। माननीय सदस्य सवाल पूछें तो जवाब आ जायेगा आपके पास।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

चन्दन के कच्चे माल तथा उससे बनी वस्तुओं पर सेल्स टैक्स

३८९. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत** (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि छः प्रतिशत सेल्स टैक्स चन्दन के कच्चे माल पर और छः प्रतिशत सेल्स टैक्स हाथ से बनी हुई वस्तुओं पर सरकार वसूल करती है ?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि राजस्थान के इस उद्योग की प्रतियोगिता मैसूर राज्य से है जहां चन्दन आधे मूल्य पर कारीगरों को दिया जाता है और सेल्स टैक्स केवल २ प्रतिशत है ?

(३) क्या सरकार की जानकारी में है कि मैसूर से चन्दन राजस्थान में आता है और सरकार के इस सेल्स टैक्स के लगने के बाद मैसूर के मुकाबले में राजस्थान की बनी वस्तुओं की कीमत मैसूर के बने माल के मुकाबले में ढाई गुनी अधिक पड़ती है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस

Page No.9

श्री अमृतलाल यादव : लिया भी है, दो-चार को लिया भी है, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : आपने कोशिश की है। यह कोशिश तो आप हमेशा करते रहते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कोशिश करके भी आपने कुछ नहीं किया है, केवल बुरा किया है।

श्री अमृतलाल यादव : आप तो केवल बातें ही करेंगे। लेकिन जो लोग काम करते हैं वह कुछ करके बताते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, अब तक जो जवाब मिले हैं उसमें कोई कैटेगोरीकल कोई बात हाउस के सामने नही आई है जो हाउस इन्फोर्मेशन चाहता है वह नहीं मिली है। माननीय सदस्य का यह प्रश्न है, हम यह जानना चाहते हैं कि कितने परिवार आये और उनमें से एक-एक परिवार को क्या हैल्प दी, क्या क्या उनके सैटलमेंट की व्यवस्था की ? अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप टाइम मांगलें और बाद में जानकारी दे दें।

श्री अमृतलाल यादव : मैं फिर सुना दूं जो मैंने बताया है।

श्री भैरोंसिंह : सुनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अस्पष्ट है, क्या सुनायेंगे आप !

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह बता दें कि सरकारी कर्मचारी कितने आये हैं और उनमें से ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि पुनर्वास के लिए कितने व्यक्तियों को जमीन देकर, और दूसरे धन्धे देकर उनका पुनर्वास करना चाहते हैं, इसके लिए कोई योजना बनाई है विस्तृत ?

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, हमेशा पुनर्वास व्यवस्था में एक तो तुरन्त अस्थाई व्यवस्था करनी होती है। उसके बाद में उनको स्थाई करना होता है। हमारी योजना का एक फेज तो पूरा हो गया है और दूसरा फेज शुरु होगा। उसमें ज्यादातर कृषक हैं....

श्री अध्यक्ष : ज्यादातर की बात न करें। प्रश्न यह है कि धन्धे पर पचास, तीस, चालीस कितने व्यक्तियों को, किनको लगा दिया गया है। जबाब इस तरह का होना चाहिए।

श्री मोतीलाल चौधरी : वही हम चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

लूणकरणसर तहसील के ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था

३१२. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

लूणकरणसर तहसील के कितने गांवों में खारी पानी है तथा कितने गांव ऐसे हैं जहां कि पीने के लिये न तो कोई कुंआ है तथा न ही कुंड की व्यवस्था है ? ऐसे गांवों में पेय जल की व्यवस्था हेतु सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(श्री भैरोंसिंह)
बाबरी ले जायं, जैसे कि उनकी कोई प्रदर्शनी चल रही हो।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, मेरी समझ में नहीं आता, जो लोग कोई काम करके रोजी कमाना चाहते हैं उसमें माननीय सदस्य को क्या एतराज हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : कोई काम नहीं कर रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : जो लोग कोई काम करके रोटी खाना चाहते हैं उसमें माननीय सदस्य को क्यों एतराज हो सकता है, जब कि उनको कोई एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह मैं नहीं कह रहा हूं आपके आंकड़े कह रहे हैं कि इतने हजार आदमी आये और उनमें से इतने लोग काम करते हैं और इतने लोग काम ....

कृषि-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सब काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसमें क्या एतराज है ?

श्री भैरोंसिंह : नाथूरामजी, आपका जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह न तो सुनने देंगे और न ही कुछ बोलने देंगे और बीच-बीच में बोलेंगे, आखिर यह तमाशा क्या बना रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने तमाशा बना रखा है।

श्री भैरोंसिंह : यह बीच-बीच में बोलते रहें। मैं अर्ज करता हूं, यह इनकी आदत पड़ गई है। अगर हिम्मत हो तो खड़े होकर जवाब दो। यह क्या बैठे हुए ही घुसफुस-घुसफुस करते हैं। यह घुसफुस-घुसफुस हाउस में नहीं चलेगी।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने निवेदन किया कि जिन परिवारों ने काम चाहा उनको काम दिया गया है, जिन परिवारों ने वहां कैम्प में रहना चाहा उनको कैम्प में रखा गया है और कैम्प में रह कर जिन लोगों ने काम करना चाहा उनको काम दिया गया है। जो बूढ़े हैं, अशक्त हैं, जो काम पर नहीं गये हैं उनको कैश-डोल दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है। तो दोनों तरह से उनको रिलीफ इमीजियेटली, क्या दिया जा सकता है वह देने के बारे में कार्यवाही की गई है। और अब अषाढ़ के पहले, जैसा मैंने निवेदन किया है, जो लोग खेती करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट ने पचास से ७५ बीघा जमीन देने की बात तय की है। इसके अलावा पशु-पालन के तौर पर क्या हो सकता है—वह करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो धन्धे हो सकते हैं वह देने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ लोग हैं, जो इस हिसाब से चल रहे हैं कि उनको काम दिलाया जाय, उनको काम दिलवाने की कोशिश की है। इसमें क्या एतराज है माननीय सदस्य को ?

श्री भैरोंसिंह : इनमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या किया ? जो पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारी थे उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट किया है ?

श्री अमृतलाल यादव : जो सरकारी कर्मचारी थे, जो एजूकेशन डिपार्टमेंट के थे उनको एजूकेशन डिपार्टमेंट में लेने के लिए कोशिश की है।

श्री भैरोंसिंह : कोशिश की है लेकिन लिया है या नहीं ?

Page No.11

(श्री ग्रमृतलाल यादव)
को बुलाकर उनको काम देने के लिए बात की गई ग्रौर कईयों को काम दिया गया।

श्री भैरोंसिह : मेरा प्रश्न दूसरा है। ग्रापके जो केम्प्स है उनमें जो लोग नहीं रहते हैं उनको भी सहायता देते है क्या ?

श्री ग्रमृतलाल यादव : ऐसे लोग जैसलमेर में हैं जो ग्रपने नजदीकी रिश्तेदारों के पास रहते हैं, उनको कहा कि यदि कैम्प में रहना चाहें, रिश्तेदारों के पास नहीं रहना चाहें तो उनको मैं कैम्प्स में रखने को तैयार हैं ग्रौर स्थायी योजना में इनकोरपोरेट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमें काम चाहिए।

श्री भैरोंसिह : उनके मवेशियों के लिए चारा ग्रादि के लिए सरकार की तरफ से क्या नकद में सहायता दी गई ?

श्री ग्रमृतलाल यादव : जितना चाहते थे ग्रौर मांगा, वह दिया गया।

श्री भैरोंसिह : चाहने का सवाल नहीं है, गवर्नमेन्ट ने सहायता दी या नहीं ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा) : साढ़े चौबीस हजार के करीब दी गई परफैमेली के हिसाब से सहायता दी गई।

श्री भैरोंसिह : ग्रापके मंत्रीजी यह कहते हैं कि जैसलमेर मे जो लोग कैम्पों में नहीं रहते उनको सहायता नहीं दी गई ग्रौर ग्राप कहते हैं २४०००) दिये गये।

श्री ग्रमृतलाल यादव : जो सहायता मांगी, दी गई। ज्यादातर लोग स्वाभिमानी थे वे चाहते हैं कि हमें केश सहायता न दें ग्रपने परिवारों के साथ रहते हैं पर हमको काम चाहिए। इसलिए वे किसी कैम्प में नहीं रहे उनको काम दिया गया ग्रस्थाई तौर पर, जो परिवार कमजोर थे, ऐसे थोड़े से परिवार हैं जिन्होंने केश में सहायता मांगी वह उनको दी गई, पर ज्यादातर लोगों ने कैश सहायता नहीं मांगी, काम मांगा।

श्री भैरोंसिह : ग्राप जैसा कहते हैं कि ऐसे लोग जो स्वाभिमानी थे वह इस तरह की सहायता नहीं चाहते थे। क्या ग्राप ग्रपेक्षा करते हैं कि जो स्वाभिमानी थे ग्रौर जो पाकिस्तान से मालदार ग्रादमी ग्राये थे वह हिन्दुस्तान में ग्राकर सड़क कूटेंगे ग्रौर उससे ग्रपना पेट भरेंगे ?

श्री ग्रमृतलाल यादव : काम करने में क्या बात हो गई ?

श्री भैरोंसिह : ग्राप कह रहे है कि बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। मैंने देखा कि कई मालदार ग्रादमी, सम्पन्न ग्रादमी ग्राये हैं, उनके रोजगार की ग्राप व्यवस्था कर रहे हैं कि वह सड़क कूटेंगे। ग्राज ग्रावश्यकता इस बात की थी कि उनको रीहेबिलिटेट किया जाय, उनके मवेशियों के लिए व्यवस्था की जाती उनको लोन दिया जाता, खेत देकर कुग्रां बनाने के लिए, खेती के लिए ऋण दिया जाता। वह तो नहीं किया, ग्राप कहते हैं कि सड़क कूटें। ग्रौर ग्रगर सड़क नहीं कूटें तो ६५ रुपया माहवार सरकार से लेते जायं। ग्राप उनके लिए कोई ठीक तरह से व्यवस्था न करें ग्रौर कभी उनको इस कैम्प में रखें ग्रौर कभी दूसरे कैम्प मे ले जायं, कभी गागाला में उनको ले जायं, कभी कपराऊ में ले जांय ग्रौर फिर कपराऊ से

Page No.12

श्री अमृतलाल यादव : मैं अर्ज कर रहा था कि वह योजना बन रही है। योजना आते ही भारत सरकार से बात करके निर्णय लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि विस्थापितों को पुर्नस्थापित करने के लिए आपने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है?

श्री अमृतलाल यादव : बजट में प्रावधान करने का सवाल नहीं है,। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनके लिए पैसा आता है।

श्री भैरोंसिंह : ६६—६७ के बजट में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए एक नये पैसे का प्रावधान भी नहीं किया है?

श्री अमृतलाल यादव : इस सम्बन्ध में सारी योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्वीकार होकर वहां से सहायता मिलती है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया, से कितने रुपयों के लिए मांग की है?

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : तीन-तीन महीनों से हजारों आदमी पड़े हैं अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा नहीं गया कि इनके लिए क्या क्या करना है?

श्री अमृतलाल यादव : हजारों आदमी पड़े नहीं हैं बल्कि अस्थाई रूप से लगे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : परमानेन्ट बेसिस पर उनको बसाने के लिए क्या आपने लिखा है कि इतने रुपयों की आवश्यकता है?

श्री अमृतलाल यादव : यह सहायता भी भारत सरकार से ही आई है। उनको लिख चुके हैं और प्रान्तों की भी योजना है, सभी की योजना को एक साथ चाहते हैं। हमारी योजना पूरी होने के बाद उनके साथ यथासमय विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनको ६५) रु० माहवार प्रति परिवार देते हैं वह माहवारी नहीं गया है?

श्री अमृतलाल यादव : नहीं, यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : दिसम्बर का वेतन आज तक नहीं चुकाया गया है।

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं जनवरी का वेतन उनको दे दिया गया, लेकिन दिसम्बर का नहीं दिया गया।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य कहते हैं तो जांच करवाली जायगी, लेकिन नियमित तौर से देने का आदेश है, इनको कलेक्टर भी देखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो लोग कैम्पों में न रहकर अपने परिवार वालों के पास पड़े हैं क्या उनको भी सहायता दी जाती है?

श्री अमृतलाल यादव : जो सहायता मांगी वह दी गई। मुख्य मंत्रीजी का दौरा हुआ था तब उन्होंने कहा कि हम इस तरह से पैसा लेना नहीं चाहते, हमको तो काम चाहिए, काम दीजिये। पास में ही अकाल में सड़क का काम चल रहा था वहां के इन्जिनीयर

Page No.13

श्री उम्मेदसिंह : सरकार के पास कोई नीति है क्या कि इनको स्थायीरूप से बसाया जाय ?

श्री अमृतलाल यादव : सभी प्रयत्न विस्थापितों को बसाने के लिए किये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनको स्थायी रूप से बसाया जाय इसके लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री अमृतलाल यादव : इनको स्थायी रूप से बसाने के लिए जो कृषक हैं उनको जमीन दी जाय ५० से ७५ बीघा प्रति परिवार और उसके लिए इम्पलीमेंट्स और साधन हो सकते हैं उनको जुटाने की कोशिश की जाय, साथ ही साथ उद्योग-धंधे, जैसे ऊन की कताई, आकड़े की रस्सी बनती है, उनमें इनको लगाया जाय, और भी कोई धन्धे वे कर सकते हों किसी किस्म का, इन सबके लिए योजना विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इनके रिहेबिलिटेशन के लिए एस्टिमेट कर लिया गया, कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, कितने धंधों की आवश्यकता होगी ?

श्री अमृतलाल यादव : यह चल रहा है, करीब करीब हो चुका है। फाइनल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कशन करना है।

श्री भैरोंसिंह : यह कब से चल रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव : जब से ये आये हैं। अस्थाई तौर से इनको कैम्पों में रख दिया गया है और स्पेशल ऑफिसर लगा कर देख रहे हैं कि किस परिवार को किस प्रकार के धंधे में लगा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अब तक एस्टीमेट क्यों नहीं कर लिया गया, इसमें आठ महीने कैसे लग गये ?

श्री अमृतलाल यादव : जैसा कि मैंने अर्ज किया करीब करीब पूरा हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : करीब करीब से क्या मतलब है ? इसमें ८ महीने लग गये अब तक एस्टीमेट नहीं करवा पाये कि इनको किस प्रकार का रोजगार देना है ?

श्री अमृतलाल यादव : करवाया है, करवा रहे हैं, रोजगार देना है।

श्री उम्मेदसिंह : उनकी हालत खराब हो रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाय।

श्री अमृतलाल यादव : उनकी हालत खराब होने का सवाल नहीं है। जितने लोग हैं वे कैम्पों में हैं। जो लोग सड़क पर काम कर सकते हैं उनको सड़क के काम हैं, कुछ को रस्सी बनाने के काम में और किसी को ऊन की कताई के काम में अस्थाई तौर से लगा रखा है। गवर्नमेंट चाहती है कि स्थाई तौर से उनको बसाया जाय। उनके लिए भारत सरकार से सहायता मिलती है। उनसे बात करके अधिक से अधिक उनको सहायता मिल सके, अषाढ़ से पहले ही उनको जमीन आदि मिल सके, इसका प्रयत्न करेंगे।

श्री उम्मेदसिंह : भारत सरकार से अब तक आप की क्या बात हुई है उनके बारे में ?

शरणार्थियों को सहायता

३६१. (१) श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) :
(२) श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :
(३) श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाकिस्तान के भारत पर आक्रमण के फलस्वरूप राजस्थान के किस किस जिले में कितने कितने शरणार्थी आए ?

(२) राज्य सरकार द्वारा उनको किस किस जिले में कहां कहां बसाया गया है ?

(३) राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा इनको बसाने के लिए प्रति परिवार कितनी सहायता दी गई है ? क्या जनता द्वारा भी कोई सहायता दी गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(४) क्या इनकी सहायता के लिये कोई योजना या कार्य शुरू किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां और क्या क्या ? तथा इनसे इनको प्रति व्यक्ति कितनी आय होगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) पाकिस्तान के भारत पर आक्रमण के फलस्वरूप राजस्थान के बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में शरणार्थी आये जिनकी संख्या निम्न प्रकार है:—

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से।

श्री अमृतलाल यादव :

जिला नाम	विस्थापित	निष्क्रांत
बाड़मेर	४०८३	४३७६
जैसलमेर	५६	२१२७
योग	४१३९	६५०६

(२) राज्य सरकार द्वारा अभी इन लोगों को अस्थायी रूप से निम्न ग्रामों में कैम्पों में बसाया गया है—

जिला बाड़मेर	जिला जैसलमेर
१. देदूसर	इस जिले में आने वाले व्यक्ति अपने संबन्धियों के साथ ठहरे हुए हैं।
२. बुध	
३. बाखरी	
४. कापराऊ	
५. गंगाला	

(३) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक परिवार को जिनके कुनबे में ५ सदस्य हों, ६५) रु० प्रति माह के हिसाब से नकद की सहायता दी गई है। जनता द्वारा भी कम्बल, रजाइयों, पहिनने के कपड़े व बर्तन इत्यादि की सहायता दी गई है।

(४) विस्थापितों की सहायता के लिए ६०७ व्यक्तियों को बाड़मेर जिले में हरसानी-वालेबा सड़क निर्माण का कार्य जो योजनाबद्ध चल रहा है उस पर मजदूरी पर लगाया गया है। जैसलमेर जिले में चार सड़कों के निर्माण के कार्य चल रहे हैं। उन सड़कों पर ५७ परिवार काम कर रहे हैं।

योजनाबद्ध कार्य पर काम करने वाले को २) रु० प्रति दिन मिलते हैं और अकाल के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों पर पुरुषों को १) १२ पैसा, स्त्री को ८५ पैसे और बालक को ७५ पैसे दिये जाते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
टैक्स लिया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां के उद्योग को नुकसान ज्यादा हुआ। वह सामान जयपुर शहर में ज्यादा बिक सकता है। आप इसका जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा: इसका जवाब यह है कि हमारे राज्य का बिक्री कर राज्य के भीतर ६ परसेन्ट का है, लेकिन यह ६ परसेन्ट हमारे राज्य में एक पोइंट पर है जबकि मैसूर राज्य में २ परसेन्ट मल्टीपल पोइंट पर है, यानी एक डीलर से दूसरे डीलर को जायेगा तो २ परसेन्ट लगेगा, मैन्युफेक्चरर से डीलर को जायेगा तो २ परसेंन्ट लगेगा तो उसकी तुलना हमारे यहां से नहीं की जा सकती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : पांच साल पहले क्या टैक्स था और ६ परसेंन्ट कब लगाया था ?

श्री परसराम मदेरणा : यह आपका दूसरा अलग प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : दूसरा प्रश्न नहीं है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ हिसाब करेंगे तो कब बढ़ाया है आपने ? क्यों बढ़ाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह नीति का प्रश्न है। जब हाउस एप्रूवल देता है तो बढ़ाते हैं। ६ परसेन्ट जब दूसरी चीजों पर बढ़ा है तो इस पर भी बढ़ा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसके साथ साथ बढ़ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स कम आता है इन्डाइरेक्टली और जो इन्डाइरेक्टली आमदनी होती थी वह और गिरी। इसके बारे में इस सवाल को मैं कई बार असेम्बली में उठा चुकी हूं और यही जवाब मिलता है और आप आंकड़े पूरे नहीं बता पाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : चन्दन का व्यापार कितना बढ़ा है या घटा है, इसके आंकड़े मैं नहीं दे सकता हूं लेकिन यह बता सकता हूं कि सेल्स टैक्स की रैवेन्यू बढ़ी है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : हस्त-उद्योग पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से कितना उद्योग गिरा है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो हस्त-उद्योग एक्जम्पटेड है उन पर टैक्स नहीं लगता है। इसलिए हस्त-उद्योग के सभी आर्टिकल्स टैक्सेबल कोमोडिटी नहीं हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपने सब पर लगाया है हाथी दांत, गलीचा, पीतल की चीजों पर लगाया है किसी को नहीं छोड़ा है जिस पर नहीं लगाया हो।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का यह कहना वाजिब है, नीति के आधार पर वाजिब होना चाहिये इन्डस्ट्री खतम हो ऐसा नहीं होना चाहिए।

प्रश्न संख्या ३९०

श्री अध्यक्ष: श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३९१

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
सेल्स टैक्स को तुरन्त समाप्त करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी नहीं। रजिस्टर्ड व्यापारी अगर चन्दन की वस्तु इस राज्य में बनाकर राज्य के भीतर अथवा अन्तः राज्य व्यापार में बेचता है तो वह ऐसी वस्तुओं के बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में चन्दन, बिक्रीकर एक्ट की धारा ५ (सी) के अन्तर्गत, एक प्रतिशत टैक्स देकर खरीद सकता है। चन्दन की बनी हुई वस्तुओं पर राज्य के भीतर बिक्री कर की दर ६ प्रतिशत है और अन्तः राज्य व्यापार में दूसरे राज्य के रजिस्टर्ड व्यापारी को बेचे जाने पर २ प्रतिशत है।

(२) प्रतियोगिता अथवा मैसूर राज्य में कारीगरों को चन्दन आधे मूल्य पर बेचे जाने के विषय में जानकारी नहीं है। मैसूर राज्य में बने हुए माल पर बिक्री कर की दर २ प्रतिशत मल्टीपल पोइंट है।

(३) मैसूर और राजस्थान में चन्दन की बनी हुई वस्तुओं की तुलनात्मक कीमतों के बारे में जानकारी नही है।

(४) जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह रजिस्टर्ड कारीगर कितने होंगे अपने यहां, क्या आप यह बता सकेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूची मेरे पास में नहीं है और न आपने पूछा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप कहते हैं कि १२ परसेन्ट सेल्स टैक्स तो यहां का और २ परसेन्ट मैसूर का, तो इस तरह से यहां पर १४ परसेन्ट सेल्स टैक्स पड़ता है तो कम्पीटिशन करने में उनको कितनी दिक्कत है और कितना व्यापारियों का नुकसान होता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह १४ परसेन्ट तो आपका केल्क्यूलेशन है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप सेल्स टैक्स की रेट को देखिए कि ६ परसेन्ट तो कच्चे माल पर। उसका जब सामान बनाकर बेचा जाता है तो उस पर फिर आप ६ परसेन्ट सेल्स टैक्स लेते हैं और २ पर्सेन्ट उनको मैसूर वालों को देना पड़ता है, तो इस तरह के कुल मिलाकर १४ परसेन्ट अपने यहां के कलाकार को देने पड़ते हैं जब कि मैसूर में वहां की गवर्नमेंट कलाकार को आधी किमत में लकड़ी देती है जो कि भारत सरकार से कोटे में मिलती है, तो हमारी सरकार भी क्यों नहीं उसका कोटा लेती है ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी रजिस्टर्ड मैन्यूफैक्चरर रजिस्टर्ड डीलर को बेचेगा तो उस पर कन्सेशन १ परसेन्ट का सेल्स टैक्स लगेगा। वह ६ परसेन्ट नहीं है। दूसरी बात, जहां तक राज्य के बाहर जायेगा तो इन्टर स्टेट सैल्स टैक्स भारत सरकार का लेगी। वह तो मैसूर से बाहर जायेगा तो उसको भी देना पड़ेगा। राजस्थान के रजिस्टर्ड डीलर उस स्टेट में बेचता है तो वह लिया जायेगा। वह तो सेन्ट्रल टैक्स है उसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता है डिफेन्स का।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मंत्री महोदय इस बात को मन्जूर कर रहे हैं कि राज्य में बेचा जायेगा तो ६ परसेन्ट सैल्स

विकास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): १३६ गांवों में खारा पानी है और २५ गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी के लिए कोई सार्वजनिक कुंआ या कुण्ड नहीं है। लोग निजी कुण्डों का पानी इस्तेमाल करते हैं। अगले वित्तीय वर्ष में स्थानीय विकास कार्यों के अन्तर्गत करीब ५०,०००) रु० देना संभव होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में एक योजना भी भेजी है।

श्री भीमसेन : माननीय अध्यक्षजी, योजना तो सरकार ने बना रखी है वह कागजों में ही रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसका जवाब दे दिया है।

श्री भीमसेन : योजना से काम नहीं चलता है। आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है जिसके तहत आप कुण्ड और बावड़ी के लिए पैसा दे सकें, तो लोगों को राहत मिल सकती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगली साल के वास्ते पचास हजार रुपया देने का प्रावधान रखा है। इसके अलावा भारत सरकार को जल प्रदाय योजना बना कर भेज दी गई है। आशा है अगले साल काम शुरू हो जायगा।

श्री भीमसेन : कब भेजी है? और आपकी योजना से कितने गांवों को पानी मिलेगा और कितना खर्च होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : खर्चा छः करोड़ रुपये का है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह !

श्री भीमसेन : कितने गांवों को राहत मिलेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास : गांवों की तादाद नहीं। छः करोड़ की योजना है इससे संतोष होना चाहिए। छः करोड़ से भी संतोष नहीं होता है?

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह !

सुनेल टप्पा से आये अध्यापकों का फिक्सेशन

३९३. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) सुनेल टप्पा जब मध्य भारत से राजस्थान में मिला उस समय कितने अध्यापक सुनेल टप्पा के साथ राजस्थान की सेवा में आए?

(२) उस समय उपरोक्त अध्यापकों को क्या वेतन मिल रहा था और उनकी क्या ग्रेड थी?

(३) शिक्षा विभाग ने उन अध्यापकों का फिक्सेशन कब और किस ग्रेड में किया?

(४) क्या यह सही है कि मध्य भारत से राजस्थान में आए हुए अध्यापकों का जो राजस्थान शिक्षा विभाग ने फिक्सेशन किया है, उनके लिये लाभप्रद नहीं है?

(५) यदि हां, तो राज्य सरकार उन अध्यापकों की ग्रेड के लिए क्या विचार करती है?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) सुनेल टप्पा के राजस्थान में १-११-५६ को

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

विलीनिकरण के समय ५७ अध्यापक राजस्थान में आये।

(२) उस समय इन अध्यापकों को जिस ग्रेड में जो वेतन मिल रहा था उसकी सूची संलग्न है।

(३) इन अध्यापकों का फिक्सेशन दिनांक १-६-६१ से संशोधित वेतन शृंखला नियम १६६१ के अन्तर्गत किया गया।

(४) यह कहना सत्य नहीं है। मध्य भारत में इन शिक्षकों का ग्रेड ७०-६५ व ४०-५० का था जब कि राजस्थान में उसी योग्यता वाले अध्यापकों का ग्रेड ५०-८० व ४०-५० का था। अतः उन अध्यापकों का ग्रेड पहले से ही राजस्थान के अध्यापकों के ग्रेड से ऊंचा व समान था। और उनके लिये राजस्थान की मैट्रिक व मिडल ग्रेड से क्रमशः लाभदायक या बराबर था। १-६-६१ से पहले तक जब तक कि राजस्थान को तृतीय वेतन शृंखला ७५-१६० लागू नहीं हुई अधिकांश अध्यापक अपने पुराने ग्रेड में ही रहे जो इनके लिये हितकर था और १-६-६१ से ऐसे अध्यापकों को तृतीय वेतन शृंखला में फिक्स कर दिया गया।

(५) प्रश्न के भाग ४ में स्पष्ट है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रश्न संख्या ३६४

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६५

श्रीमती सुमित्रा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६६

श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री ललितमोहन।

उदयपुर जिले के बोर्डर के निकट के ग्रामों में शराब की दुकानें

३६७. श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-मु.) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि दूसरी स्टेट के बोर्डर के १० माइल के क्षेत्र में शराब की दुकान लगाना निषिद्ध है ?

(२) क्या उदयपुर जिले के बोर्डर के ग्राम कोटड़ा, नयावास, गुरा महाद में कोई शराब की दुकानें हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, आबकारी (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री ललितमोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 'जी नहीं', जी नहीं' कर रहे हैं। इसमें सत्यता बिल्कुल नहीं है। मैं वहां रहता हूं कोटड़ा बिल्कुल बोर्डर के पास है, वहां वेग्रर हाउस है। और कोटडा से आधा फर्लांग दूर दुकान है, वहां सरे-आम शराब बिकती है। वहां के एम. एल. ए. लोग वहां लिखते है--क्या है। इसके अलावा जो वेग्रर हाउस का इन्सपेक्टर है--गोबिन्द-

(श्री ललितमोहन)
सिंह हांडा. उसके पास जीप है, वह अपनी जीप में बोतल भर कर बोर्डर के उस पार ले जाता है और वहां बेचता है। मैंने बातचीत की तो वह कहता है कि क्या करें, पुलिस वाले और सब अधिकारी मांगते हैं तो मैं ले जाता हूं। वहां के एम. एल. ए. कहते हैं,–मूं करे छे। हमारा स्वास्थ्य बरबाद कर रहे हैं। मेरा कहना है कि वहां पर जो दूकान है उसको आपको बन्द कर देना चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): राजस्थान की है ?

श्री ललितमोहन : राजस्थान में है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, १९६? में राज्य सरकार ने फैसला किया था कि जो ड्राई स्टेट्स है उनके बोर्डर की दस मील की बैल्ट तक राज्य सरकार दूकान नहीं खोलेगी। दस मील तक गुजरात से मिलने वाला एरिया है उसमें दस मील तक दूकान नहीं है; आप कोटड़ा के लिए कह रहे है, वह कोटड़ा दस मील से बाहर है। और अगर अन्दर, है, जैसा कि माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं, तो मैं इसकी जानकारी करूंगा और वहां यदि दूकान होगी तो वह बन्द होगी। वहां पहले पच्चीस दुकानें थी, बोर्डर पर थी, उनको हटा लिया था। हमारी जो दूसरी स्टेट्स से बोर्डर मिलती है वहां पर तो तीन मील की बैल्ट है और ड्राई स्टेट्स के लिए हमने दस मील की बैल्ट रखी है।

श्री ललितमोहन : मैं जो कह रहा हूं वह ठीक है, इसके अलावा यदि आप लिखित में चाहते हैं तो मैं लिखित में देने को तैयार हूं।

श्री परसराम मदेरणा : लिखित में देने का प्रश्न नहीं है। आपने जो जानकारी दी है उस पर मैं जानकारी करके, यदि दस मील के अन्दर आती है, तो एक्शन लेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी : इसके अलावा इसमें सीरियस बात यह है कि एक राज्य का कर्मचारी गुजरात की सीमा के अन्दर जाकर शराब की बिक्री की व्यवस्था करता है। यह बड़े ऐतराज की बात है। जैसा कि माननीय सदस्य ने समाचार दिया है कि सरकारी जीप में, प्राइवेट जीप में अधिकारी स्वयं शराब ले जाकर बेचता है, वह गुजरात के बोर्डर में जाता है और शराब बिकवाता है, तो यह खतरनाक बात है, इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए।

श्री ललितमोहन : बिल्कुल सही बात है। उसके पास प्राइवेट जीप है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य अधिकारी को शराब बेचने का हक नहीं है। अगर वह ड्राई एरिया में जाता है, दस मील के एरिया में जाता है और ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वह लेंगे।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : कोटड़ा बम्बई प्रान्त के एक मील के फासले पर भी नहीं है। बीच में सिर्फ एक नदी है।

श्री मोतीलाल चौधरी : गवर्नमेंट के खुद के ऑर्डर जब ऐसे हैं कि १० मील में दूकानें नहीं खोली जावेंगी तो सरकारी विभाग का कोई भी अधिकारी अगर उस कानून को तोड़ता है या उसी विभाग का अधिकारी उस कानून को तोड़ता है तो

(श्री मोतीलाल चौधरी)
उसके खिलाफ तो सरकार को एक्शन लेना चाहिये। जैसा कि आपके आॅर्डर में है।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : हो सकता है कि शराब की बोतल के नाम से वे शर्बत की बोतलें ले जा रहे हों। यह आप कैसे कह सकते हैं कि शराब की बोतलें ले जा रहे थे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ऐसे आदमी तो आपके चूरू जिले में ही हैं जो शराब पीते हैं और उसको शर्बत बताते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या इन लोगों के कहने का अभी तक आपको विश्वास नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आपको कहा कि इसकी जांच करके मैं आपको इत्तिला दे दूंगा कि आया कोई राज्य का कर्मचारी था जिसने ऐसा कार्य किया। मगर मैं माननीय सदस्य से सहयोग की प्रार्थना करूंगा कि वह भी सहयोग दें क्योंकि इसमें प्रूफ होने की जरूरत है इसलिये प्रूव करने में मदद दें।

श्री मोतीलाल चौधरी : आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे उसको इन्फोरमेशन हाउस को देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपको सूचना देते हैं कि एक्शन उसके खिलाफ लेंगे।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : इल्लिसिट डिस्टिलेशन राजस्थान में होता है उसके कितने केसेज वहां होते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले १६ केसेज कोटड़ा में और ६५ में ३६ हैं। राजस्थान सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि ऐसी जगह पर इल्लिसिट डिस्टिलेशन न हो और होता है तो उस पर पूरी निगरानी रखती है और एक्शन लेती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हैल्थ इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति

३६८. श्री हरिराम धारू (सिवाना-सु०) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह नहीं है कि पचास हजार की आबादी पर एक हैल्थ इन्सपेक्टर नियुक्त किया जाता है ?

(२) जयपुर शहर की आबादी कितनी है और इस समय यहां पर कितने हैल्थ इन्सपेक्टर्स कार्य कर रहे हैं ?

(३) क्या सरकार इनकी संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इसका आन्सर कहीं इधर-उधर हो गया है। इसको नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : जो इससे सम्बन्धित हैं उनसे कह दें कि इसका उत्तर अगले सप्ताह दे दें। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३६६

श्री उम्मेदसिंह।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४००

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

भूमिहीन काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रार्थना-पत्रों की अवधि।

४०१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान फिक्सेशन ऑफ सिलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स रूल्स कब लागू किये गये थे?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रूल्स के लागू होने के ६ महीनों के भीतर काश्तकारों को धारा ३० के अन्तर्गत सम्बन्धित एस० डी० ओ० के यहां पर प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है?

(३) क्या यह सही है कि उक्त छः माह की अवधि में सरकार ने छः माह की वृद्धि और कर दी है? अगर हां, तो सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या राज्य सरकार उक्त नियमों के अन्तर्गत भूमिहीन काश्तकारों द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्रों की अवधि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में भी विचार कर रही है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) यह नियम दिनांक १५-१२-६३ से लागू हुये।

(२) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९६५ की धारा ३० (ई) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी निश्चित तारीख, जो इस धारा की उप-धारा (१) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाय, से ६ माह के अन्दर अन्दर या भूमि प्राप्त करने के ३ माह के अन्दर, जैसी भी स्थिति हो, अपना प्रतिवेदन क्षेत्रीय एस. डी. ओ. के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उस भूमि को तहसीलदार को सुपुर्द कर देना होता है।

(३) धारा ३० (ई) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार ने सर्व प्रथम १५-१२-६३ की तिथि निश्चित की, परन्तु चूंकि इस सम्बन्ध में बहुतसी रिट याचिकाएं उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालयों में प्रस्तुत की गई, राज्य सरकार ने उन याचिकाओं के स्वीकार हो जाने पर पुनः १-४-६५ इस प्रयोजनार्थ निश्चित की। तत्पश्चात् भारत-पाक संघर्ष के कारण उक्त तिथि को भी बदलनी पड़ी और अब यह तिथि १-४-६६ निश्चित की गई है। राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ६ (१) राज/ख/६४ दिनांक ११-२-६६ जिसके द्वारा उक्त तिथि की घोषणा—पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(४) राजस्थान टीनेन्सी (भूमि की अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) सरकारी नियम, १९६३ के नियम ३ के अन्तर्गत सरकार द्वारा समस्त तहसीलदारों को इसके लिये पुनः लिखा जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भीमसेन: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भूमिहीनों के रजिस्ट्रेशन के लिये २ महीनों

(श्री भीमसेन)
की अवधि रखी है उसको बढ़ाने का विचार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया न कि तहसीलदारों को लिख दिया है कि १-४-६६ के विदिन टू मन्थ्स और रजिस्ट्रेशन की ऐप्लीकेशन्स लेंगे।

श्री भीमसेन : टीनेन्ट्स की संख्या काफी है और दो महीनों की अवधि कम है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी तक जो है उस हिसाब से कम इसलिये नहीं है कि पहले भी उनका पंजीयन हो चुका है। यह तो एक फोर्मेलिटी की बात है, क्योंकि अवधि में री-एक्सटेन्शन किया, इसलिये उतना का उतना एक्सटेन्शन इसमें भी किया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि १९५९ के बाद, सीलिंग का कानून लागू होने के बाद, अब तक जो भूमि के ट्रांसफर्स हुए हैं उनके बारे में सरकार ने अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें कोई पॉलिसी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जो कानून है और कानून के तहत नियम बने हुए हैं उनके अन्तर्गत जैसी स्थिति जिस मामले में होगी उस हिसाब से उसका निर्णय होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार नियमों में कुछ रिलेक्सेशन करने का विचार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिलेक्सेशन करने का सवाल नहीं है। नियमों के इन्टरप्रेटेशन का सवाल है और उसके बाद एप्लीकेशन का सवाल है। एप्लीकेशन में कॉम्पीटेंट ऑफिसर्स डिसीजन देंगे और कोई अगर एग्रीव्ड होगा तो अपील में जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान में लगभग ५ करोड़ के इस तरह के रेजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यदि सब के इस प्रकार से केसेज खुलेंगे तो किसान को, खरीदने वाले को और बेचने वाले को, बहुत दिक्कत होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी सरकार को जानकारी नहीं है कि ५ करोड़ रुपये के ट्रांसफर्स रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन सम्भव है कि नियमों के बनने के पहले कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हों उनको गवर्नमेंट रिकॉनाइज नहीं करेगी। इन प्रोवीजन्स के बाद भी कई लोगों ने ऐसी ट्रांजेक्शन्स की हैं, वे कितने केसेज हैं और कितना रुपया इन्वोल्वड है उसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन कानून के विपरीत कोई काम करता है तो उसको कैसे डील किया जाये, इसके लिये नियमों में प्रोवीजन है।

श्री भैरोंसिंह : नियमों में तो है लेकिन प्रोब्लम यह है कि ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। सवाल यह रहता है कि आप रिकॉग्नीशन देते हैं या नहीं। अगर आप नहीं देते हैं तो करप्शन कम होगया, ऐसा नहीं कहा जा सकता और यदि आप कहते हैं कि रिकॉग्नीशन देंगे तो करप्शन होगा। लेकिन पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगा, किसान मुकदमे-बाजी में फंस जायेंगे। तो गवर्नमेंट को प्रेक्टीकल साइड देखकर तय करना चाहिये। दिक्कत तो यह है कि आपने कानून को १९५९ में बना दिया और १९६६ तक सात वर्ष निकाल दिये और लोगों ने अपनी

(श्री भैरोंसिंह)

इकोनोमिक कंडीशन गिरती देखकर या किन्हीं आवश्यक कारणों की वजह से लैंड बेच दिया। अब ट्रांजेक्शन हो गये, रजिस्ट्रेशन हो गया, खतूनी बनगई। तो इसके बारे में एक फर्म पॉलिसी बनाकर गवर्नमेंट को चलना चाहिये। जिन्होंने ईमानदारी से कोई ट्रांजिक्शन नहीं किया और गवर्नमेंट को लैंड सरेंडर करेंगे, वे तो मारे गये और जिन्होंने बेईमानी की वे फायदे में रहे। तो सरकार को एक फर्म पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिये कि क्या करने वाले हैं ?

(१२.०० मध्याह्न)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषकों को तकलीफ का सवाल है, वहां पर लैंडलैस टीनेन्ट को प्रोटेक्शन देनी चाहिये। वह हमने नियमों में प्रावधान किया है। इसलिये लैंडलैस टीनेन्ट को किसी तरह की दिक्कत आने का प्रश्न पैदा नहीं होता। यद्यपि यह सारी बात इससे ताल्लुक नहीं रखती है, जो कि मौजूदा सवाल है उसमें, लेकिन इसमें पॉलिसी का क्या सवाल है, हमारी जो नीति है वही तो कानून में रखी है। रहा उन नियमों के इन्टरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन का सवाल....

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि लैंडलैस टीनेन्ट को परेशानी नहीं होगी, उसको तो परेशानी होगी....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी पूरी बात सुन लीजिये, उसे परेशानी नहीं होगी। यही नहीं नियमों में ऐसा प्रावधान है कि यदि कोई लैंडलैस टीनेन्ट को लैंड का ट्रान्जेक्शन हुआ है तो लैंडलैस टीनेन्ट्स को लैंड अलॉट करते समय, उन्हीं को वह भूमि अलॉट होनी है जो उनके कब्जे में है। इसलिए लैंडलैस टीनेन्ट को कोई हैरानी नहीं होगी। हैरानी होगी उन लोगों को जिनके पास हजारों बीघा जमीन थी, उन्होंने सीलिंग से बचने के लिये कानून को जानते हुए गरीबों को बेच दी और रुपया ले लिया। वह लैंडलैस टीनेन्ट वह रुपया लैंड लॉर्ड से वसूल कर सकेगा। किसानों के पास जमीन रहेगी। हम जो उसमें कीमत लेंगे वह लैंड रेवेन्यू की दो–चार गुना होगी। हम जो कम्पेन्सेशन लैंड होल्डर को देंगे, उसमें से किसान से वसूल की जाने वाली जमीन की कीमत काट लेंगे। किसानों को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लैंड होल्डर्स ने अगर ज्यादा रकम ले ली है तो वह किसान उससे लेगा। तकलीफ होगी उनको जो सीलिंग से ज्यादा भूमि रखते हैं और उससे लाभ उठाने की गरज से किसानों को बेचते हैं। तो उनको तो यह नुकसान होगा, I can't help it.

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि किसान को नुकसान नहीं होगा, मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से किसानों को ही नुकसान होगा। एक किसान ने फर्ज कीजिये १० हजार रुपये की जमीन खरीदी। जिसने जमीन फरोख्त की है उसके तो १०० रुपये मुआवजे के मिलने वाले थे वे आप काट लेंगे और लैंडलैस टीनेन्ट ने जिसने की जमीन पर्चेज की है, उससे यह १०० रुपया वसूल नहीं करेंगे। जिसने बेची है उसको कोई नुकसान नहीं मर तो वह गया जिसने पर्चेज की है। आपने तो कह दिया कि सिविल सूट करे, तो वह बेचारा १० हजार रुपये के लिये १०-२० वर्ष तक फिरता फिरे ?

Page No.24

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो कम्पेन्सेशन मिलता है लैंड होल्डर को, उसके कम्पेन्सेशन में से, जो जमीन की कीमत हम उस लैंड लेस टीनेन्ट से लेने वाले हैं, काट लेंगे। जमीन तो किसान की फ्री हो गई, उसे एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। १० हजार में भी उसने ली थी तो जमीन तो उसकी ज्यों की त्यों ही रह गई। हमारे कानून से उसे एक एडीशनल हक मिला है कि जमीन उसके पास बरकरार रहे और लैंड होल्डर ने अगर ज्यादा पैसा लिया है तो वह उससे लेना चाहे तो ले, तो इसमें किसान को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लैंड होल्डर को नुकसान होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : लेंडलेस टीनेन्ट को ही नुकसान हुआ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हालांकि यह प्रश्न और बात का है, इससे सम्बन्धित नहीं है फिर भी सप्लीमेंटरी पूछ लिया इसलिये इसका जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष : राजस्व विभाग की मांग के समय इस पर बहस कर सकते हैं।

श्री कुम्भारसिंह (चेचट) : क्या मन्त्री महोदय कि जानकारी में है कि जो लोग सीलिंग की पर्व्यू में नही आते हैं, ऐसे लोगों को भी तहसीलदार द्वारा नोटिस दिए गए हैं, इसलिए उन लोगों को फार्म भरने का सैकड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, क्या ऐसी जानकारी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने अलग से प्रश्न पूछा है, मैं जानकारी कर रहा हूं। आप राजस्व के सम्बन्ध मे बहस कर चुके हैं, मेरे से ज्यादा आपको मालूम है। मैं यहां नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस प्रकार के आंकड़े तैयार किए हैं कि कितनी सरप्लस भूमि सीलिंग से सरकार को सरेंडर होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १-४-६६ से लागू कर रहे हैं तो विदिन ६ मन्थ्स डिक्लेरेशन आवेंगे और हमारे अहलकार कोशिश कर रहे है रेकार्ड के हिसाब से, अभी सब जगह के आंकड़े मुकम्मिल नहीं हुए हैं, मेरे पास सारे आंकड़े नहीं हैं, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कितनी जमीन सरप्लस के रूप में सरकार को सरेंडर होगी ?

श्री भैरोंसिंह : ५२ में सरकार ने इस तरह की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जो आंकड़े दिए हैं उनमें और लेटेस्ट जो आंकड़े बनाये हैं उनमें बहुत अन्तर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह ५२ की बात थी, यह ६६ की बात है। उसके बाद तो कई नये अलॉटमेन्ट हुए है, कई मेल हुई हैं, जागीर रिजम्प्शन का कानून, टीनेन्सी एक्ट, दुनिया भर के कानून बाद में आये हैं इसलिये उन फीगर्स को आगे की चीज के लिए मानना एक गलती ही नहीं बड़ा खतरनाक होगा।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : १-४-६५ को डिक्लेरेशन हुआ और जिन लोगों ने उसके अन्तर्गत घोषणा-पत्र भर दिये थे तो क्या १-४-६६ को होने वाली घोषणा के अन्तर्गत नये डिक्लेरेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

टी. बी. अस्पताल, मदार में अनुसूचित जाति के मरीजों के सुरक्षित बैड्स

४०२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में टी. बी. के अस्पताल कहां कहां हैं और उनमें कितने कितने बैड्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) किस किस अस्पताल में कितने कितने बैड्स अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिये सुरक्षित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या यह सच है कि अजमेर के पास मदार टी. बी. अस्पताल में पहले ५ बैड्स अनुसूचित जाति के लिये व २ बैड्स अनुसूचित जन-जाति के लिये सुरक्षित थे, पर दो साल से तोड़ दिये गये हैं जिससे इन जातियों के गरीब मरीजों को काफी परेशानी रहती है ? यदि हां, तो क्यों तोड़े गये ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) राज्य में टी० बी० के अस्पतालों की जिलेवार सूची व उनमें रोगी शय्याओं की सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(२) इस प्रकार कोई बैड्स किसी जाति विशेष के लिये सुरक्षित नहीं हैं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया: मैंने अजमेर के मदार अस्पताल के लिये पूछा है कि वहां दो साल पहले ५ बैड्स अनुसूचित जाति के मरीजों के लिये और २ बैड्स अनुसूचित जन-जाति के मरीजों के लिये रिजर्व्ड थे । इस प्रकार की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मदार टी० बी० सेनिटोरियम में ७७ बैड्स राज्य सरकार की ओर से रिजर्व्ड थे, ये दो साल पहले से ही चालू थे । ३२ राजस्थान सरकार द्वारा लोकल मरीजों के लिये रिजर्व्ड हैं, १४० रुपया प्रति बैड् राजस्थान सरकार खर्चा देती है । ४५ बैड्स रिफ्यूजीज के लिये रिजर्व्ड थे जिसका खर्चा भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा १५० रुपया प्रति बैड् के हिसाब से छः महिनों की किश्त में देती है । लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के लिये सरकार से कोई रिजर्वेशन नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने दो साल पहले की बात पूछी है । दो साल पहले यह व्यवस्था वहां थी, दो साल से बन्द कर दी गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसकी जानकारी करके माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

श्री दयाचन्द सोनी (बारां-सु.): इस प्रश्न के भाग ३ में यह बात साफ तौर से पूछी गई है, यह जानकारी नहीं, तो फिर क्या जानकारी की ?

Page No.26

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं खुद इस सेनिटोरियम में गया था। वहां के चिकित्सक उन्होंने स्वयं मुझे बताया कि पहले इस प्रकार की व्यवस्था यहां थी, मैं एक शिड्यूल्ड कास्ट के मरीज को लेकर वहां गया था। चिकित्सक ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को बड़ी सुविधा मिलती थी, अब यह व्यवस्था बन्द कर दी गई है। मैंने एक इसी मंशा से यह प्रश्न पूछा था, इस प्रश्न के पूछने की मेरी मंशा इस जवाब से बिल्कुल पूरी नहीं होती।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं खुद यह महसूस करता हूं कि यह जवाब आना चाहिये था। मैं इसकी जानकारी कर के आपको जवाब दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की ओर से जो बैड्स रिजर्व्ड हैं उनके लिए एडमिशन राज्य सरकार की सेंक्शन से होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पी. एम. ओ. डी. एम. एच. ओ. हैं इनकी कमेटी है, उनको एडवाइज से एडमिशन होता होगा, निश्चित तो मैं इस समय नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : आप जांच करवा लीजिए आपके विभाग में परमिशन के लिए केसेज एक एक दो-दो साल तक डिस्पोज़ ऑफ नहीं होते हैं। गवर्नमेन्ट सीट्स में गवर्नमेन्ट परमिशन नहीं देती तब तक एडमिशन नहीं होता है। अजमेर के एक रोगी ने अपनी मृत्यु से एक साल पहले एप्लीकेशन दी, दो साल बाद उसके मर जाने पर गवर्नमेन्ट की परमिशन आई कि वह एडमिशन ले सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : एडमिशन के लिए एक कमेटी बनी हुई है जिसमें पी. एम. ओ., डी. एम. एच. ओ. है, पब्लिक के लोग भी हैं जो एडमिशन के लिए केसेज को रिकमण्ड करती है और उस कमेटी की रिकमण्डेशन पर वहां एडमिट किया जाता है। अब किसी खास केस के अन्दर देरी हो सकती है, कमेटी ने डिजर्विंग केस नहीं माना हो ऐसे केसेज हो सकते हैं, अस्पताल में भर्ती के लायक नहीं हो या केस ऐसे स्टेज पर हो जिससे अस्पताल में जाने से कोई फायदा नहीं हो। वह टैक्नीकल आदमियों की कमेटी है। आपने जो केस सुनाया उसके लिए क्या कह सकता हूं, वह कहां का है; I don't know. If the Hon. Member gives me information, I will find out. इसके लिए कुछ इन्तजाम किया जायगा और आपसे सुझाव लेकर.......

श्री भैरोंसिंह : मेरा सुझाव तो यह है कि जो एप्लीकेशन्स दें उनको एक दम अनुमति मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास आने की क्या आवश्यकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसे मदार सेनेटोरियम है वहां पी० एम० ओ० की अध्यक्षता में एक कमेटी है। ५ जगह हैं तो २५ आदमी होते हैं, तो डिसाइड करना पड़ता है कि कौनसा डिजर्विंग केस है। टी० बी० का तो बाहर रह कर भी ट्रीटमेंट हो सकता है, आजकल इतना एड्वान्सड ट्रीटमेंट है टी० बी० का अब बैड्स रिजर्व हैं ५०, तो

Page No.27

(श्री दामोदरलाल व्यास)
दरख्वास्तें आती हैं २००, वहां तो सिलेक्शन करना ही पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : सारी व्यवस्था पर आप पुनर्विचार करें ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : माननीय सदस्य ने जो शिकायत बताई है वह बिल्कुल सही है । वहां ६-६ महीने तक कागज के पीछे घूमने के बाद भी उसका डिस्पोजल नहीं हो पाता है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : टोंक जिले में दस हजार से भी अधिक टी० बी० के मरीज हैं और जैसा कि मंत्री महोदय ने सूची सदन की मेज पर रखी है वहां केवल २० बैड्स की व्यवस्था है । राज्य सरकार ने जो उत्तर दिया है उसके फिगर्स में से बताता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : टोंक जिले के अन्दर यदि दस हजार टी० बी० मरीज हैं तो टोंक जिले के लोगों को सदन में नहीं आना चाहिए, वे सबको मारेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

पुस्तकों की छपाई के लिए प्राप्त कागज

४०३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विदेशों से राज्य सरकार को टैक्सट बुक छापने के लिए बड़ी मात्रा में गिफ्ट के रूप में कागज प्राप्त हुआ है ?

(२) यदि हां, तो किन मुल्कों से व कितनी मात्रा में कागज मिला ? उन मुल्कों के कागज को उपयोग में लाने की शर्तें क्या हैं ?

(३) अब सरकार उस कागज का उपयोग कैसे कर रही है ? क्या उस कागज पर छपी टैक्सट बुक्स विद्यार्थियों को निःशुल्क दी जायेगी ?

(४) यदि हां, तो किस प्रकार के विद्यार्थियों को ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :
(१) जी हां ।

(२) विदेशों से प्राप्त होने वाले कागज का विवरण व शर्तें निम्न प्रकार से हैं:—

आस्ट्रेलिया से—(क) २०९ टन प्रिंटिंग पेपर ।

(ख) ५ टन कवर पेपर ।

स्वीडन से — (क) १२११ टन प्रिन्टिंग पेपर ।

(ख) ९४ टन कवर पेपर ।

शर्तें :—निर्धन व जरूरतमन्द विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्राप्त कागज के मूल्य के बराबर दिया जाना ।

(२) उपरोक्त कागज की दर बाजार भाव के अनुसार निकाली जावे ।

(३) कागज पर लगने वाला किराया-भाड़ा आदि खर्च राज्य सरकार को वहन करने होंगे । कागज का उपयोग राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के छापने में किया जाता है । निःशुल्क वितरण १९६५-६६ से प्रारंभ किया गया और करीब ६ लाख रुपये नेट

Page No.28

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
मूल्य की पुस्तकें वितरण के हेतु दी जा चुकी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में भी यही क्रम जारी रखने की योजना है। पुस्तकें वितरण के लिए शिक्षा निरीक्षकों को भेजी जाती है।

(४) शिक्षा विभाग निम्न श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों को पुस्तकें निःशुल्क देता है:—

(क) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के ऐसे बालक जिनके माता-पिता आयकर नहीं देते हैं। परन्तु प्राथमिकता उन्हें दी जाती है जो सबसे कम आय वाले ग्रुप में होते हैं तथा जिन्हें अपने बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता की आवश्यकता होती है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र की समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक कन्या शालाओं की बालिकाओं के लिये।

(ग) शहरी क्षेत्र की गरीब एवं जरूरतमन्द छात्राओं को जो कक्षा ८ तक पढ़ती हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: ये किताबें कौन-कौन से जिलों में भेजी गई हैं? कुछ जिले छांटे गए या सब जिलों में बराबर भेजी गई हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: निरीक्षक भेजते हैं और सभी जिलों में भेजते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: अब तक कितने विद्यार्थियों को फायदा पहुंचा है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: आपने वह प्रश्न तो नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष: कितने रुपए वितरित किए गए हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: ६ लाख।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): यह जो विदेशों से कागज के रूप में सहायता मिली उनमें कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बेच दिया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मेरे पास कोई जानकारी नहीं। अगर माननीय सदस्य मुझे बता दें तो मैं खुशी से कार्यवाही करूंगा।

श्री जेठमल बरवड (परवतसर): नागौर जिले के अन्दर डेगाना में बिकी हुई लोगों ने किताबें देखी हैं और नागौर के बाजार में देखी गई हैं। जिला परिषद् की मीटिंग के अन्दर आपका डिप्टी डाइरेक्टर आया था, हमने उससे शिकायत की थी, लेकिन वह किताबें बच्चों से वापस मांगलीं। उसके बाद में किताबों का क्या हुआ, वह आपका विभाग जाने।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: आप अलग सवाल पूछते तो मैं आपको जानकारी देता फिर भी डेगाना के बारे में मैं जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष: जिला परिषद् में अगर इस प्रकार की शिकायत हुई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तो आप पूरी तरह से पता लगाएं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मैं बता दूंगा।

श्री मोतीलाल चौधरी: वे किताबें सही रूप से बंटी या नहीं, यह सूचना सरकार को मिल गई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ये किताबें इन्स्पेक्टोरेट्स के मारफत बांटी जाती हैं। हमारे पास ६ लाख रुपयों की किताबें बांटने की सूचना है।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या चैक है आपके पास कि सही रूप से बंट गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बड़े-बड़े इन्स्पेक्टर्स हैं; इतनी तनख्वाह वाले लोग होते हैं, वही चैक्स हैं, इन पर विश्वास करके चलते हैं। अगर वे खराब हैं तो·······

श्री जेठमल बरबड़ : हमने डिप्टी डाइरेक्टर, जोधपुर, काला साहब के सामने शिकायत की थी उसके बाद में भी एक्शन नहीं लिया गया·······

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने निवेदन किया है कि जानकारी हासिल करके कार्यवाही करूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि करीब १६ लाख रुपए का कागज आया था, आपने केवल ६ लाख की पुस्तकें दी हैं, जारी इस साल क्यों नहीं दी गई, और कागज आना बन्द हो गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : २८ लाख का कागज आया हुआ है, अभी स्टॉक्स में मौजूद है, लेकिन किताबें जितनी छप चुकी हैं उतनी वितरित की गई हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अगर पूरा छाप देते तो और कागज मिल जाता ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : छपाई की दिक्कत आ रही है। हमारे पास खुद का प्रेस नहीं है, प्राइवेट प्रेसेज को देते हैं, वे समय पर नहीं देते हैं··

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब मुफ्त में मिल रहा है तो छपवा क्यों नहीं रहे हैं ? छपाई का उचित प्रबन्ध क्यों नहीं कर पाए हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसी स्थिति है, मैंने निवेदन किया कि अपना खुद का प्रेस नहीं है। मैं यह सोच रहा हूं कि राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के लिए अपना प्रेस स्थापित करें तभी कम्प्लीट कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या सरकार को यह कागज मिलने के बाद सरकार ने कोई और कागज मोल लिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी नहीं, कोई मोल नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

सवाई-माधोपुर के छात्रावास पर व्यय

४०४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज—कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजकीय अनुसूचित जन-जाति छात्रावास, सवाई माधोपुर कब से खोला गया है तथा इसमें कितने लड़के हैं ?

(२) इस छात्रावास पर सरकार का कुल कितना वार्षिक खर्चा होता है ? व्यवस्था, भोजन खर्च, मकान किराया व कर्मचारियों के वेतन आदि पर अलग-अलग व्यय की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) क्या यह सही है कि इस छात्रावास के जो व्यवस्थापक नवम्बर, १९६४ में कार्य कर रहे थे उनके खिलाफ शिकायतें समाज–कल्याण अधिकारी, भरतपुर व सरकार से की गई हैं और छात्रों में भी असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है ?

समाज–कल्याण मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) राजकीय अनुसूचित जन-जाति छात्रावास, सवाई माधोपुर जुलाई, १९६१ से प्रारम्भ किया गया था, इसमें इस वक्त ४० छात्र हैं ।

(२) इस छात्रावास पर जो वर्ष में खर्चा होता है उसका विवरण निम्नानुसार है:—

भोजन-कपड़े आदि पर	१५८४०) प्रतिवर्ष
मकान किराया	६००) प्रतिवर्ष
कर्मचारियों पर खर्चा	३,८००) प्रतिवर्ष

(३) श्री सूरजमल की शिकायतों पर समाज–कल्याण अधिकारी, भरतपुर, द्वारा जांच की गई जो निराधार पाई गई । इसमें दोषी श्री सूरजमल छात्र ही पाया गया जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिए जा रहे हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : छात्र को किस सिलसिले में दोषी पाया ? क्या दोष मालूम हुआ छात्र का ?

श्री अमृतलाल यादव : छात्रों ने जो शिकायतें की थीं उसकी जांच की गई, तो वे निराधार पाई गई; उसके बाद छात्र के विरुद्ध जांच हुई तो पता चला कि अनुशासन में नहीं रहता है, शिकायतें करता रहता है, पढ़ता नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसी सन्दर्भ में, माननीय अध्यक्ष, मैं एक और प्रश्न पूछ लूं । एक छात्र ने ही शिकायत नहीं की है । मेरे पास कॉपी मौजूद है । ४० छात्रों ने शिकायत की है और उनके दस्तखत हैं । आपके पास भी उसकी कॉपी है ।

श्री अमृतलाल यादव : आपके पास सूचना होगी । ४० छात्र कुल उसमें हैं । आपको ४० ने शिकायत की होगी । हमारे पास तो एक छात्र ने शिकायत की और उस की शिकायत यह थी कि व्यवस्थापकजी छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं । किताबें नहीं देते हैं, भोजन ठीक समय पर नहीं मिलता है । उस पर वहां के अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया । उन्होंने जो जांच की उसका यह नतीजा था कि व्यवस्थापकजी के विरुद्ध छात्रों ने जो शिकायत की वह निराधार है । यह विद्यार्थी शिकायतें करता रहता है । पढ़ता नहीं है । दूसरों से लड़ता रहता है और शिकायतें कराता रहता है । उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है । चूंकि यह साल पढ़ाई का है और परीक्षा के नजदीक है इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं पड़े यह सोचा गया है । छात्र जिसने शिकायत की वह ही दोषी पाया गया है । उसका व्यवहार अच्छा नहीं है और अनुशासन में नहीं रहता है ।

श्री अजगलाल (हिन्डौन-सु.) : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बात है । मैंने भी देखा है, मैं भी वहां पर गया हूं ।

Page No.31

(श्री श्रवणलाल)

छात्रों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह अशोभनीय है। उनको समय पर कितावें नही मिलतीं, भोजन उनको समय पर नहीं मिलता। यदि व्यवस्थापकजी के खिलाफ शिकायतें करते है तो उनको निकालने की कोशिश की जाती है।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष और जानकारी कर लेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं वहां गया हूं। जो खाना वगैराह मिलता है, स्पेशल डाइट वगैरा, मेरे पास उसका चार्ट है। आप उसको अपनी लिस्ट से मिलावें ताकि आपको मालूम हो कि गवर्नमेंट की ओर से आपको कोई गलत जवाब तो नही दिया गया है। वहां की व्यवस्था खराब है। सन् ६४ से यह प्रश्न पूछ रहा हूँ व्यवस्थापकजी का ६६ तक यह हाल है।

एक माननीय सदस्य : वहां व्यवस्थापकजी कितने दिनों से है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के पास चार्ट है उससे और जानकारी करलें। आप (श्री सालोदिया) वह चार्ट मंत्री महोदय को दे दें।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, ४१५ नम्बर का मेरा क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : वह पूछना पड़ेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : ४१५ तो लिस्ट में आज है ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : प्रश्न संख्या ३६५

अध्यापकों तथा ग्राम सेवकों के स्थानान्तरण पर वेतन की अदायगी

३६५. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं): क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला परिषदों द्वारा एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में अध्यापकों तथा ग्राम सेवकों का स्थानान्तरण किये जाने पर दूसरी पंचायत समिति जब उन्हें सेवा में नहीं लेती है तथा उन अध्यापकों व ग्राम सेवकों को एक पंचायत समिति रिलीव कर देती है तथा दूसरी द्वारा नहीं लिये जाने पर उस समय का वेतन नही मिलता तथा उन कर्मचारियों को परेशानी भी भुगतनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या ऐसी हालत में सरकार ऐसा नियम बनाने का विचार करती है कि ऐसे स्थानान्तरण दोनों पंचायत समितियों की सलाह से किये जावें ?

(२) यदि ऐसा कोई नियम है तो पंचायत समितियां उसका पालन क्यों नहीं करती ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थानान्तरण दोनों पंचायत समितियों के परामर्श से ही करने का नियम है।

(२) आम तौर पर पालन किया जा रहा है।

श्रीमती सुमित्रा : जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आपने ऐसे केसेज में क्या किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियमों के मुताबिक दोनों पंचायत समितियों के कन्सलटेशन के बाद ही जिला एस्टेबिलशमेन्ट कमेटी उसका ट्रान्सफर कर सकती है। उस नियम का पालन करना चाहिए और करते रहे हैं; एक जगह से रिलीव हुआ और दूसरी जगह चार्ज नहीं दिया गया तो कलेक्टर आपस में बातचीत करके एडजस्ट कर लें।

श्रीमती सुमित्रा : नियम के पालन की बात नहीं पूछती हूं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि बिना स्वीकृति के कर दिया। ६-७ महीने हो गये अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता, न उनकी कोई सुनता है। ऐसी हालत में क्या करते हैं आप ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम के विरुद्ध नहीं करना चाहिये। मेरे ध्यान में कोई केस लावेंगे तो मैं तुरन्त एक्शन लूंगा। दोनों पंचायत समितियों से कन्सलटेशन होने पर ही ट्रान्सफर करना चाहिये, नहीं तो नहीं करना चाहिये। अध्यापकों को वेतन मिलने में कठिनाई हो रही है तो इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जिला स्तर पर स्थानान्तरण की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : जिला एस्टेबिलशमेंट कमेटी।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) : एक जिले से दूसरे जिले में और एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में कन्सलटेशन हो जाने और ट्रान्सफर होने के बाद कितना समय लगता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : समय निर्धारित नहीं है। जिला परिषद्, पंचायत समिति उसको इम्प्लीमेन्ट करती है।

श्री श्रवणलाल : दोनों की कन्सेन्ट हो जाने पर कोई प्रावधान है कि दो महीने, तीन महीने, चार महीने में ट्रान्सफर हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम कोई फिक्स नहीं है।

श्री श्रवणलाल : यह शिकायत रहती है हमेशा कि दोनों पंचायत समितियां भेज देती हैं और एक जिले से दूसरे जिले में ट्रान्सफर होता है तो सर्टीफाई करवा कर भेज देती है, यहां आते हैं तो सालों केसेज़ पड़े रहते हैं। मनमानी करते हैं। मैंने पहले भी यह चार्ज लगाया था। मेरे पास ट्रू कॉपी है। मानधातासिंहजी पहले चेयरमैन थे। इतना भ्रष्टाचार है कि बिना दिये-लिये तो काम कभी निकलता ही नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री महोदय यह बतावें कि दोनों की स्वीकृति हो जाने पर भी ट्रान्सफर नहीं होते हैं, ऐसे कितने केसेज आपके यहां पेन्डिंग हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग प्रश्न है। यदि पूछेंगे तो जानकारी हासिल करूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे जिलों से सर्टीफाई होजाने पर इजाजत दे देते हैं, रूल्स के अन्तर्गत ट्रान्सफर मानते हैं। लेकिन चूंकि

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
एमर्जेन्सी है इसलिये ट्रान्सफर नहीं करते हैं तो काफी केसेज पेन्डिंग पड़े हुए हैं। सिलेक्शन कमीशन के पास काफी पड़े हुए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है एमर्जेन्सी में ट्रान्सफर रोके गये हों। आम तौर पर दोनों जिला परिषद् इजाजत दे देती हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिये। केसेज पेन्डिंग होंगे तो इन्स्ट्रक्शन्स दी जावेंगी कि जिस्पोज ऑफ करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या चेयरमेन, जिला परिषद् और पंचायत समितियों की इजाजत होने पर भी सिलेक्शन कमीशन की स्वीकृति आवश्यक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल।

श्री राधाकृष्ण गोयल : फिर उनके ट्रान्सफर को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता कैसे पड़ी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग प्रश्न है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या उनका संतोषजनक काम नहीं मानते ? उनमें आपका विश्वास नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सवाल में यह एराइज नहीं होता है। अलग से कर लीजिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : नीति का प्रश्न है। ऑटोनॉमस बॉडी है। संतोषप्रद काम है, तो फिर आप उनको काम क्यों नहीं करने देते हैं ? उसमें हस्तक्षेप मंत्री महोदय की तरफ से होता है, फिर कहते हैं कि यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
सरंजाम कार्यालय, जयपुर

१८५. श्री जयनारायण लोढ़ीया (निवाई) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जयपुर में गणगोरी बाजार स्थित मिस्त्री खाना में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित सरंजाम कार्यालय चलाया जाता है ? यदि हां, तो कब से व किस मकान में चलाया जाता है उसका कितना सालाना किराया दिया जाता है तथा यह मकान किस का है ?

(२) क्या यह सही है कि इस कारखाने में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा काम किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह खादी की भावना के विपरीत नहीं है ?

उत्तर

(१) हां, बोर्ड द्वारा जनवरी, ५९ से यह सरंजाम कार्यालय चलाया जा रहा है। मकान सरकारी है—इसलिये बोर्ड से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है।

(२) इस वर्कशॉप में चिराई की मशीन व खराद की छोटी मशीनों का उपयोग होता है, जो लकड़ी के गोले चीरने व खराद करने के काम में आती हैं। य

(श्री खादी ग्रामोद्योग मंत्री)
खादी तथा ग्रामोद्योग की भावना के विपरीत नहीं है। इन मशीनों के उपयोग की मान्यता खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा दी गई है।

डी० सी० एम० कन्सर्न को रिहायसी क्वार्टर्स के लिए भूमि का अलॉटमेंट

३९०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि डी. सी. एम. कन्सर्न को कोटा में चम्बल रेस्ट हाउस के पास रिहायसी क्वार्टर्स के लिए भूमि एलॉट की गई है?

(२) अगर हां, तो कब, कितनी व किस मूल्य पर?

(३) उक्त भूमि पर किस कार्य के लिए निर्माण करवाया जावेगा व निर्माण करवाया जाना आवश्यक है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) उक्त अविकसित भूमि-खण्ड ६.४५ एकड़ मण्डी कमेटी के निर्णय दिनांक १०-८-१९६४ से १०) रु० प्रति वर्ग गज की दर से ९९ वर्ष की पट्टेदारी पर दी गई है। और इसके अलावा ११४३४.५० वार्षिक अर्बन एसेसमेन्ट के और देने होंगे।

(३) उक्त भूमि खण्ड पर डी.सी.एम. के residential colony बनाने का निर्माण २ मे कराया जाना आवश्यक है।

ग्राम ढूंढिया को वल्लभनगर तहसील के अन्तर्गत लिया जाना

३९४. श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि मावली तहसील का ढूंढिया ग्राम मावली से बहुत अधिक दूर है और वल्लभनगर से नजदीक है?

(२) यदि हां, तो क्या यह सम्भव है कि ढूंढिया ग्राम को वल्लभनगर तहसील में ले लिया जाय?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

आमेर तहसील का प्रधान कार्यालय

३९६. श्री भानुप्रसाद कराडिया (चौमूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आमेर तहसील कार्यालय का प्रधान कार्यालय आमेर खास में होने के कारण वह तहसील के एक कोने में पड़ गया है और इस कारण इस कार्यालय तक पहुंचने में लोगों को काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यालय को चौमूं में रखने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

Page No.35

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां। यह कार्यालय कुछ एक एक तरफ पड़ जाता है।

(२) अभी तो चौमूं में मुख्य-कार्यालय रखने का विचार नहीं है।

बीकानेर शहर में चेचक का प्रकोप तथा उसकी जांच रिपोर्ट

३९९. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में १९६४–६५ में जोरदार चेचक का प्रकोप हुआ था ?

(२) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत वहां पर पूर्णरूपेण टीके लगवा दिए गये थे ?

(३) क्या यह भी सही है कि उसके उपरान्त भी उक्त शहर में भारी संख्या में मौतें हुईं ? अगर हां, तो कितनी ?

(४) क्या कारण थे जिससे इस भयंकर बीमारी की रोकथाम नहीं हो सकी ? उक्त कारणों को मालूम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये या जांच करवाई ?

(५) अगर सरकार द्वारा कोई जांच करवाई गई तो क्या रिपोर्ट थी ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ?

(६) अगर जांच नहीं कराई, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत बीकानेर में कार्य चल रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, अभी भी चल रहा है।

(३) जी हां। दैनिक रिपोर्ट के आधार पर ४१४ मृत्यु होना पाया जाता है।

(४) इसकी जांच करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट आ गई है।

(५) रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है इसलिए अभी रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेजों में स्थान

४००. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर, बीकानेर, उदयपुर मेडिकल कॉलेजों में गतवर्ष कितनी सीटें थी और कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ?

(२) इस वर्ष इन तीनों कालेजों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ?

(३) अजमेर व जोधपुर में जो नये मेडिकल कॉलेज खोले गये है उनमें कितनी सीटें निर्धारित की गई थी और इस वर्ष

Page No.36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कितने कितने विद्यार्थियों को वहां प्रवेश दिया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन पांचों मेडिकल कॉलेजों में कुल ७५० छात्रों को प्रवेश देना तय किया था ? यदि हां, तो इस वर्ष यह संख्या घटाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१)

मेडीकल कॉलेज	सीटों की संख्या	प्रवेश छात्रों की संख्या
जयपुर	२१५	२१६
बीकानेर	२००	२००
उदयपुर	१५०	१४९
	५६५	५६५

(२)

मेडिकल कॉलेज	संख्या
जयपुर	१८८
बीकानेर	१५५
उदयपुर	१५१
	४९४

(३)

मेडिकल कॉलेज	सीटों की संख्या	प्रवेश छात्रों की संख्या
अजमेर	७५	७५
जोधपुर	७५	७५

(४) राज्य सरकार ने पहले राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों में ७५० छात्रों को प्रवेश देने का ख्याल किया था किन्तु बाद में कुल ६३५ छात्रों को प्रवेश देना निश्चय किया क्योंकि मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया के कथने तथा मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की इतनी बड़ी संख्या को शिक्षा देने के पूर्ण साधन न होने के कारण ऐसा सम्भव नहीं था ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बड़गांव ब्लाक में पंचायत के अधूरे भवन

७८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि गिरवा क्षेत्र और तहसील गोगुन्दा में मजाव ग्राम पंचायत का पंचायत भवन करीबन १० वर्षों से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) बड़गांव ब्लॉक में कहां कहां पंचायत भवन अधूरे पड़े हैं और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) मजावली व कालीवास में जन सहयोग उपलब्ध न होने के कारण पंचायत भवन अधूरे पड़े हुए हैं ।

मिडल स्कूल, ग्राम नगर

७९. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) ग्राम नगर, जिला टोंक के मिडल स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं ?

(२) वहां इस समय कितने अध्यापक हैं और कितने अध्यापकों की कमी है ?

(३) क्या यह सही है कि अध्यापकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में नुकसान हो रहा है ?

Page No.37

(श्री दिग्विजयसिंह)

(४) क्या यह सही है कि स्कूल का जो चपरासी है वह अन्धा है ? यदि हां, तो कब से ?

(५) क्या सरकार इन कमियों को दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) ग्राम नगर, जिला टोंक के मिडल स्कूल में ३१५ विद्यार्थी हैं।

(२) इस समय माध्यमिक शाला, नगर, जिला टोंक में ९ अध्यापक हैं। शाला में कुल ८ सेक्शन हैं; विभागीय नियमानुसार शाला में अध्यापकों की कमी नहीं है ?

(३) शाला में अध्यापकों की कमी नहीं है।

(४) स्कूल का चपरासी अन्धा नहीं है बल्कि वह शोर्ट साइटेड है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

८०. श्री उदयलाल बोंबिया (लसाडिया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वल्लभनगर तहसील के तहसीलदार श्री भंवरलाल देपुरा, जिला कांग्रेस उदयपुर के अध्यक्ष श्री हीरालाल देपुरा के सगे भाई है ?

(२) क्या उक्त तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनियमितताओं के कारणों को लेकर कई शिकायतें जिलाधीश उदयपुर एवं चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं सेक्रेटेरियेट, जयपुर में प्रस्तुत हुई हैं ?

(३) क्या शिकायतों की जांच होकर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत हो गई है ? यदि हां, तो किस ऑफिसर द्वारा किन किन मुकामों पर कितने कितने व्यक्तियों से दरयाफ्त की गई है ?

(४) क्या दिसम्बर १९६३ व जनवरी, १९६४ माह में उक्त तहसीलदार का तबादला होकर वापस मुल्तवी किया गया ? यदि हां, तो किन किन कारणों से ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। प्रश्न कर्ता ने इस तरह की शिकायतें की थी।

(३) राज्य सरकार को शिकायतों की जांच होकर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है।

(४) जी नहीं।

तहसील अटरू में भूमि का अलॉटमेंट

८१. श्री दयाचन्द सोम (बारां-सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील अटरू, जिला कोटा में सन् १९६२ से १९६५ तक कितनी जमीन एलॉट हुई है ?

(२) एलॉट की गई जमीन में से अनुसूचित जाति के कितने लोगों को कितनी जमीन अलॉट की गई है ?

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

(१) सन् ६२ से ६५ तक तहसील अटरू जिला कोटा में १४०६ एकड़ भूमि भूमि हीनों को अलॉट हुई है।

(२) अनुसूचित जाति के १८८ लोगों को ४५१ एकड़ भूमि अलॉट हुई है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान

८२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या खादी तथा ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान को सालाना कितना रुपया राजस्थान सरकार से व कितना रुपया खादी कमीशन भारत सरकार से अनुदान के रूप में दिया जाता है तथा कितना रुपया कर्ज के रूप में दिया गया है? गत तीन सालों के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं और कार्यकारिणी के सदस्य कौन २ हैं और इन का चुनाव होता है या इन्हें नामजद किया जाता है? सदस्यों की सूची मय पद के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से किसी ऐसे व्यक्ति को बोर्ड में नामजद करने की आवश्यकता महसूस करती है जो पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सके? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को सन् ६२-६३ से सन् ६४-६५ तक जो धन-राशियां प्राप्त हुई हैं उसकी तालिका संलग्न है।

(२) श्री अमृतलाल यादव, मंत्री, खादी ग्रामोद्योग, समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं।

वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य निम्न प्रकार हैं—

१.	श्री गोकुल भाई भट्ट-उपाध्यक्ष	(अध्यक्ष स.)
२.	श्री रामेश्वरजी अग्रवाल	सदस्य
३.	श्री बं० सा० देशपांडे	सदस्य
४.	श्री रामकिशनजी	सदस्य
५.	श्री देवनारायण व्यास	सदस्य

बोर्ड की कार्यकारिणी का गठन अधिनियम की धारा ८ (१) व (२) के अंतर्गत किया जाता है।

बोर्ड के सदस्यों की सूची संलग्न है।

(३) सरकार ने अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के रूप में मा० रामचन्द्रजी को बोर्ड का सदस्य नामजद कर रखा है। इसलिए आगामी प्रश्नों का उत्तर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२.२९ म. प.)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

हिण्डोन में जल व्यवस्था सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था हिण्डौन में पानी की व्यवस्था के लिए। तीन दिन हो गये दिये हुए।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि जो चीज उठाना चाहें उसके लिए पहले मुझे संकेत कर दें।

श्री श्रवणलाल : मैं कुछ लेट आया था। कल करूंगा।

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनाएं

श्री दामोदरलाल व्यास (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी अधिनियम, १९५० की धारा ७१ (३) के अन्तर्गत वित्त (राजस्व एवं अर्थ कार्य) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(१) अधिसूचना संख्या एफ. १ (५७) एफ. डी.। एक्स। ६५ दिनांक ११ जून, १९६५।

(२) अधिसूचना संख्या एफ. १ (५७) एफ. डी.। एक्स. ६५ दिनांक २२ सितम्बर, १९६५।

(३) अधिसूचना संख्या एफ. १ (८६) एफ. डी.। एक्स।६५ दिनांक २३ सितम्बर, १९६५।

(४) अधिसूचना संख्या एफ. १ (८६) एफ. डी.। एक्स।६५ दिनांक २३ सितम्बर, १९६५।

(५) अधिसूचना संख्या एफ. १ (५७) एफ. डी.। एक्स।६५ दिनांक ६ जनवरी, १९६६।

(६) अधिसूचना संख्या एफ. १ (१२४) एफ. डी.। ई. एक्स।६५ दिनांक ८ फरवरी, १९६६।

(७) अधिसूचना संख्या एफ. १ (५७) एफ. डी.। एक्स। ६५ दिनांक १९ फरवरी १९६६।

(८) अधिसूचना संख्या एफ. १ (८६) एफ. डी.। एक्स। ६५ दिनांक २१ फरवरी, १९६६।

(९) अधिसूचना संख्या एफ. १ (८६) एफ. डी.। ई. टी.। ६५ दिनांक २५ फरवरी, १९६६।

(१०) अधिसूचना संख्या एफ. १ (८६) एफ. डी.। एक्स। ६५ दिनांक १ मार्च, १९६६।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो अधिसूचनायें इस समय सदन की मेज पर रखी गई हैं उनमें से कुछ सितम्बर की भी हैं। मेरा निवेदन यह है जब सितम्बर में सदन की बैठक हो रही थी उन सूचनाओं को उस समय क्यों नहीं रखा गया?

श्री अध्यक्ष : इसमें जून की हैं।

श्री भैरोंसिह : ये जून और सितम्बर की अधिसूचनायें सितम्बर के सत्र में क्यों नहीं रखी गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष-महोदय, मुझे खेद है कि ये सूचनायें समय

Page No.40

(श्री दामोदरलाल व्यास)
पर सदन के सामने नहीं रखी जा सकीं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने खेद प्रकट कर दिया यह तो ठीक किया, लेकिन इन अधिसूचनाओं को आपके ध्यान में लाने वाले जो अधिकारी हैं वे समय पर आपके नोटिस में नहीं लाये । यह मैं मानता हूं कि आपके नोटिस में आजाने पर आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं होती । इस तरह से खेद प्रकाश का काम तो करीब करीब सभी मिनिस्टर कर चुके हैं, आप भी नये आये हैं आपने भी खेद प्रकट कर दिया, लेकिन जिन अधिकारियों के कारण यह विलम्ब होता है आयन्दा वे विलम्ब न करें उसके लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों काम करूंगा । आपके सन्तोष के लिये तो मैंने खेद प्रगट कर ही दिया, दूसरा जिन अधिकारियों की गलती से ऐसा हुआ उनका जवाब-तलब करूंगा ।

(१२. ३२ म. प.)

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक-दुर्भिक्ष ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप मंत्री अकाल सहायता): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,२१,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

मांग संख्या १८—कृषि

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,८२,२१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री राधाकृष्ण गोयल ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

मांग संख्या २८

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :—

१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिले में दुर्भिक्ष सहायता कार्यों के लिये और अधिक धन दिलाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

२. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कमकर दिया जाय (टोंक तहसील के कई अकाल घोषित ग्रामों में पीने के जल की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक तहसील के मालपुरा-राणोली मार्ग पर शिथिलता से काम होने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिले के टोकराबास पंचायत के गांवों में समय पर दुर्भिक्ष सहायता नहीं पहुंचाई जाने से भूख से नागरिकों के मरने के बारे में चर्चा के लिये।)

५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता कार्य के अव्यवस्थित होने के कारण राज्य व्यापी दुर्व्यवस्था और पशु धन के लॉस पर चर्चा के लिये)।

६. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में राजनैतिक पक्षपात के आधार पर राहत कार्य करने से असंतोष पर चर्चा के लिये)।

७. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष के प्रकोप से जनता को राहत पहुंचाने हेतु पूर्ववर्ती सतर्कता के प्रति उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

८. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में जनता को भू-राजस्व की छूट देने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

९. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्यों में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

(१०) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन पर कृषक को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार और कर्मचारियों द्वारा शोषण करने पर चर्चा के लिये)।

(११) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन को मण्डियों तक पहुँचाने में सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान न करने पर चर्चा के लिये)।

(१२) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि फार्म में उपयोगी यंत्रों एवं आवश्यक साधनों की उपलब्धि में कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(१३) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषकों की कठिनाईयों की ओर ध्यान न दिये जाने से इनमें व्याप्त असंतोष का कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर चर्चा के लिये)।

(१४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि पर राज्य की दूषित भू-सुधार प्रणाली के फलस्वरूप कृषकों पर कुप्रभाव पड़ने पर चर्चा के लिये)।

(१५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की अभिवृद्धि के लिए उर्वरकों और कीटाणुनाशक साधनों की व्यवस्था की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

(१६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में सघन खेती के कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(१७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन कार्यक्रम पर अधिक खर्च और कम परिणाम पर चर्चा के लिये)।

(१८) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों तथा पंचायत समितियों द्वारा अन्न उत्पादन कार्यों में अकर्मण्यता तथा ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(१९) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नल कूपों के विकास की असफलता पर चर्चा के लिये)।

२०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि की अधिकतम उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

२१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि के विकास को प्राथमिकता नहीं देने से उत्पन्न भयानक खाद्यान्न संकट पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा) :

२२. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४—दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिरोही जिले में कम बारिश उत्पन्न चारे और अनाज की Scarcity से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

(२३) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर उन्नत बीज व खाद नहीं मिलने व उससे उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

(२४) मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४—दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में सन् १९६३-६४ में अकाल राहत कार्यों में पेय जल व चारे की व्यवस्था में जिलास्तर पर की गई अनियमितताओं एवं अकाल राहत कार्यों पर अव्यवस्थित धन के बंटवारे से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

२५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में कुओं में पानी की कमी होने से विभाग द्वारा Experimental Boring किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

२६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में कृषि विभाग द्वारा बांटे गये

(श्री तेजाराम गहलोत)
बीज की वसूली न की जाने व उसके घोटालों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

२७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में सघन कृषि कार्यों में दी गई जीपों व गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

२८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पालि जिले में पंचायत समितियों द्वारा खरीद किए गये ज्वार के बीज वर्ष १६६५ के भावों व उसकी औचित्यता पर चर्चा के लिए)।

२६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले मे कृषि विभाग द्वारा खरीद किए गए कृषि औजारों में किए गये घोटाले पर चर्चा के लिए)।

३०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषि कार्यों हेतु दिए गए ऋण के उपयोग व दुरुपयोग पर नियंत्रण न रखने मे उत्पन्न हालत पर चर्चा के लिए)।

३१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में ज्वार बीज की खरीद में घोटाले की शिकायत पर कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए)।

३२. मांग संख्या १८, मुख्य, शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में सघन कृषि कार्यों के लिए गैर तकनीकी (Non Technical) व्यक्तियों को Farm Incharge के पद नियुक्त करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए)।

३३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पाली जिले में सघन कृषि कार्यों से काटी गई लकड़ी को पाली लाकर दुरुपयोग करने एवं Accounts न देने पर चर्चा के लिऐ)।

मांग संख्या २८

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) :

३४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४—दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले में दुर्भिक्ष सहायता की कमियों पर चर्चा के लिए)।

३५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४—दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान मे दुर्भिक्ष क्षेत्र के किसान, पशुपालक एवं पशुधन की रक्षा हेतु स्थायी कार्यक्रम बनाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

३६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने मे साधन एवं शिक्षा बढ़ाने पर चर्चा के लिए)।

३७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन वृद्धि में लिए किसानों को

(श्री मोतीलाल चौधरी)
विद्युत् उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

३८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु खाद का कारखाना एवं कृषि यंत्र उत्पादन का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र या सहकारिता के माध्यम से करने पर चर्चा के लिए)।

३९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन वृद्धि करने हेतु उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के प्रबन्ध पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

४०. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील गढ़ी में भयंकर अकाल की स्थिति होने पर भी आवश्यक सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

४१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में रिलीफ कार्यों के अधीन अनाज वितरण में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

४२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में कृषि के लिए उचित साधन उपलब्ध न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री विजयपाल कटोरा (डूंगरपुर-सु०):–

४३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में दुर्भिक्ष पड़ने, राहत कार्यों की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

४४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर में वातरक बान्ध से समय पर काश्तकारों को पानी न मिलने पर गेहूं की खेती सूख जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):—

४५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अकाल-ग्रस्त क्षेत्र आसीन्द में काम के अभाव में बेकारी तथा औजारों के स्टॉक के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

४६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग से कृषकों के लिये ऋण की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

४७. मांग संख्या, २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रुपया

Page No.45

(श्री भीमसेन)
कम कर दिया जाय (सन् १९६३-६४, ६४-६५ के दौरान जोगनाथ तलाई पर लगे मजदूरों के पांच हजार बकाया को चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) :

४८. मांग संख्या, २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) कम कर दिया जाय (चाकसू व सांगानेर तहसील में अकाल स्थिति होते हुए भी अभी तक राहत कार्य शुरू न होने पर चर्चा के लिये)।

४९. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, सांगानेर में ग्राम जगतपुरा से ग्राम जयपुरा तक सड़क का निर्माण हेतु धन-राशि प्रदान कराने के लिये, इस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १८

५०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को अच्छा गेहूं के बीज का समय पर उपलब्ध न होने पर तहसील सांगानेर व चाकसू की फसलों के खराब हो जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री चौसरसिंह आवेल (बैंगू) :

५१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़, टोंक जिला में दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों में चारे व अनाज का इन्तजाम नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

५२. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत मन्डेसरा व राजपुरा के एरिये के अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही है इस पर चर्चा के लिये)।

५३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बैंगू तहसील में कुओं को गहरा कराने तथा पीने के पानी की व्यवस्था कराने बाबत, चर्चा के लिये)।

५४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक-६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त जनता को खाद्यान्नों की कमी के कारण कष्ट हो रहा है, उसे राहत पहुंचाने बाबत चर्चा के लिये)।

५५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बैंगू तहसील में जानवरों के लिये चारे व पानी का इन्तजाम करने हेतु, चर्चा के लिये)।

५६. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बैंगू तहसील के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में उचित राहत न देने पर चर्चा के लिये।)

५७. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४--दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बैंगू तहसील के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में मजदूरों को सड़क के काम के लिये

Page No.46

(श्री चौसरसिंह बावेल)
मजदूरी पूरी नहीं देने से काम बंद पड़ा है इस पर चर्चा के लिये)।

५८. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४—दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में जहां २ घास की कमी है वहां इस साल के लिये बन्द जंगलों से रोक हटाने बाबत, चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

५९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि कार्यों के लिये बिजली उपलब्ध कराने में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

६०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि फार्मों से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)।

६१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में कृषिकों को विभाग द्वारा ऋण देने में भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

६२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में खाद की सहायता पूरे तौर पर नहीं मिली, इस पर चर्चा के लिये)।

६३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में पम्पिंग सेट बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

६४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बेंगू तहसील में कृषि कार्यों के लिये दिये गये ऋण का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री जुझारसिंह (चेचट): ६५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४— दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, रामगंज मण्डी में दुर्भिक्ष की स्थिति होते हुए भी सहायता कार्य नहीं चालू करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

६६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिला में कृषि प्रोग्राम की अव्यवहारिकता पर चर्चा के लिये)।

६७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ज्वार की सघन खेती (पंचायत समिति सांगोद, चेचट) की असफलता पर चर्चा के लिये)।

६८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१ कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिला में भू-संरक्षण कार्य पर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): ६९. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४—दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकाल सहायतार्थ केन्द्र से प्राप्त सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

मांग संख्या १८

७०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सम्बन्धी संपरिक्षायें अन्वेषण की असफलता पर चर्चा के लिये)।

७१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विपणन की योजनाओं से उत्पन्न स्थिति को काबू करने पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) :

७२. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में अकाल कार्यों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा राहत कार्य में ढिलाई करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

७३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति परबतसर मकराने में कृषि के कुएं खुदवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) :

७४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की कमी तथा बीज वितरण व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) :

७५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले के जिन गावों में लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है उन गांवों का लगान माफ करने हेतु, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (सादूलपुर) :

७६. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने तथा अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

७७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिन गांवों को बिजली उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में नये कुएं बनाने के लिए अधिकाधिक लोन देने के संबंध पर चर्चा के लिये)।

७८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को नये औजार-बीज, खाद तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर चर्चा के लिये)।

Page No.48

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) :

७९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पैदावार को बढ़ाने के लिये कुओं में बिजली के पम्पिंग सैटों को समय पर लगाने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

८०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय किसानों को खाद तथा बीज समय पर न देने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

८१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निर्धन व्यक्तियों को दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के क्रय में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

८२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गेहूं उत्पादन योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) :

८३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु. कम दिया जाय (दुर्भिक्ष क्षेत्रों में सहायता कार्य आरम्भ न करने पर चर्चा के लिए)।

८४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष पीड़ित गांवों में पीने के पानी की कमी तथा उसके प्रबन्ध न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

८७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में अकाल सहायता कार्य आरम्भ नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

८६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि फार्मों से होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए)।

८८. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कपास व तिलहन की खेती की ओर विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

८७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि उपज मंडियों की स्थापना न होने पर चर्चा के लिए)।

८६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में कपास व मूंगफली की खेती को अधिक प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

(श्री गोविन्दसिंह)

९०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में बगीचों के लिए अधिक धन-राशि का प्रावधान कराने पर चर्चा के लिए)।

९१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में कृषि उत्पादन साधनों की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

९२. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राज्य में विपद् दुर्भिक्ष स्थिति में सरकार द्वारा जनता को समुचित सहायता प्रदान करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

९३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कृषि की उन्नति हेतु समुचित साधन उपलब्ध न कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-मु०):-

९४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सिकराय तहसील में बन्जर भूमि को बुलडोजर से समतल कर इसे कृषि योग्य बनाने पर चर्चा के लिये)।

९५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सीकराय तहसील में उन्नत खेती पर बल नहीं दिया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री दुर्गालाल बाहद्दार (हवामहल, जयपुर):

९६. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों में सहायता बांटने में सरकार ने पक्षपात किया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

९७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय। (कृषि उपकरणों में वैज्ञानिक उपकरण किसानों तक पहुँचाने में राज्य सरकार विफल रही है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २८

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) :

९८. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४- दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के अनुदान का सही व्यय न होने पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या १८

९९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि कार्य की असन्तोषजनक प्रगति पर चर्चा के लिए)।

Page No.50

मांग संख्या २८

श्री मोहनराज (बाली) :

१००. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम दिया जाय (पाली जिले की बाली तहसील के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में फैले अकाल के कारण अनाज, चारा व काम न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

१०१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों के कुएं गहरे करवाने पर चर्चा के लिए)।

१०२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि में तीव्र गति से प्रगति करने हेतु अधिक बिजली उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१०३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि योग्य भूमि को बेकार पड़ा रखने से होने वाली हानि पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २८

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) :

१०४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र को निर्धारित सहायता प्राप्त नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

१०५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम स्तर पर उत्पादन की योजना निर्माण किए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २८

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) :

१०६. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष क्षेत्रों में सरकार द्वारा सहायता न देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

१०७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज को बढ़ाने के लिये खाद उपलब्ध करने में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २८

श्री गणपतिलाल वर्मा (मान्डलगढ़) :

१०८. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माण्डलगढ़ तहसील के अकाल क्षेत्र के ग्रामों में अब तक उचित राहत न देने बाबत, चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

१०९. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार की दुर्भिक्ष के समय जनता को समुचित राहत प्रदान करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

Page No.51

(श्री जयनारायण खालोदिया)

मांग संख्या १८

११०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्य के लिए खाद-बीज आदि समय पर न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २८

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा):

१११. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गिरवा क्षेत्र में अकाल कार्यों को राहत पहुंचाने के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

११२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सहायतार्थ अनुदान, अंशदान के दुरुपयोग पर उत्पादन में गिरावट पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २८

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन):

११३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

११४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कृषि फार्मों पर धन के दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिए)।

११५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग बूंदी के द्वारा हजारों मन गल्ला बीजों के लिए दिये जाने के बाद वसूल नहीं करने पर राज्य को नुकसान पहुंचाने, इस पर चर्चा के लिये)।

११६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (फसलों को बीमारी से बचाने में असमर्थता पर चर्चा के लिए)।

११७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुओं को गहरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

११८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की अव्यवस्था से कृषि उन्नति में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २८

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़):

११९. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता कार्यों में विभाग द्वारा की जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

१२०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में कृषि उन्नति हेतु विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

Page No.52

मांग संख्या २८

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-मु.) :

१२१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील खैरवाड़ा में सहायता कार्यों को चालू करवाने पर चर्चा के लिए)।

१२२. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में सहायता कार्य शीघ्र शुरू करवाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

१२३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा व खैरवाड़ा के काश्तकारों को कृषि बढ़ाने के लिए उचित सुविधा नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २८

डा० पोहूमल ईसरदास (अजमेर पश्चिम) :

१२४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को सामयिक सहायता देने में विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

श्री जयकृष्ण शर्मा : (थानागाजी) :

१२५. मांग संख्या २८ मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के कार्यों को योजनाबद्ध करने की कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

१२६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन के कार्यों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल(जौहरी बाजार, जयपुर):

१२७. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहायता कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किये जाने तथा समय पर मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

१२८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहायतार्थ अनुदान, अंशदान के दुरुपयोग पर कृषि उत्पादन में गिरावट पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :

१२६. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहायता कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किये जाने तथा समय पर मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

१३०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया

Page No.53

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

जाय (सहायतार्थ अनुदान अंशदान के दुरुपयोग पर उत्पादन में गिरावट पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़):

१३१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्र में निर्धारित सहायता की राशि नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

१३२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम स्तर पर कृषि उत्पादन योजना की तरफ ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम):

१३३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य देरी से प्रारम्भ किया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

१३४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि योजना के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली):

१३५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में हर साल अकाल को रोकने के लिए योजना न बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

१३६. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि योग्य भूमि जो बेकार पड़ी है उसे कृषि के लिये काम में लाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):

१३७. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर एवं फलौदी तहसील में दुर्भिक्ष सहायता के कार्यों को समय पर नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१३८. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्रों में निरन्तर दुर्भिक्ष रोकने के लिये स्थाई योजना के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

१३९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि उन्नति के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान करने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) :

१४०. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यानों के लिए उचित सहायता समय पर नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १८

१४१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि शिक्षा के नाम पर फिजुल खर्चा करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

१४२. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता जो दी जा रही है उसकी रेट बहुत कम है इस पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) :

१४३. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पीने का पानी तथा चारे की कमी पर सही सूचना नहीं देने के बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) :

१४४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा उत्पादन में योजनाओं की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

१४५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निरंतर अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों को अभाव से मुक्ति दिलाने के स्थायी हल निकालने के लिये योजनायें बनाने पर चर्चा के लिये)।

१४६. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (त० लूणकरणसर के अभाव-ग्रस्त न घोषित किये गये गांवों के निवासियों को अभावग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१४७. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४ दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नापासर त०, बीकानेर एवं राजासर केलां आदि गांवों के निवासियों के कोई अकाल-सहायता कार्य चालू करने में विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

१४८. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (त० लूणकरणसर के कतिपय गांवों (जो अभावग्रस्त नहीं घोषित किये जा सके) सहजरासर, धीरेरा, जैतपुर आदि के निवासियों को सस्ता अनाज न दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री भीमसेन)

१४९. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गांव सेरेरां-हेमेरा बड़ावास के लोगों को काम पर लगाये रखने हेतु मौजूदा सड़क बमलूहेमेरा को पुनरासर त० डूंगरगढ़, जिला चूरू तक बनाने की स्वीकृति पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :

१५०. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में पीने के पानी के तालाबों के लिये एक बड़ी राशि का प्रावधान रखने पर चर्चा के लिये)।

१५१. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर व जायल तहसीलों में राहत कार्य खोलने बाबत चर्चा के लिये)।

१५२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर सब-डिवीजन में अकाल राहत कार्यों में खाटू, तरनाऊ सड़क, चऊ-फोरडा सड़क खीवसर देऊ जो पिछले अकाल में शुरू की गई थी उन्हें इस अकाल वर्ष में पूर्ण करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) :

१५३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीज तथा खाद के लिये ऋण आदि के वितरण में समय पर सहयोग न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) :

१५४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समय पर बीज न मिलने तथा फसलों को कीड़ों से हानि होने पर भी विभाग की ओर से ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.):

१५५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किसान को समय पर खाद, बीज और सुधरे हुए औजार न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

१५६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उत्पादकों के साथ तकनीकी सहयोग की कमी से कृषकों की आर्थिक उन्नति नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

१५७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा प्राप्त सहायता के दुरुपयोग पर कृषि विभाग द्वारा ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

१५८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जाय (चम्बल भूमि अन्वेषण केन्द्र की प्रगति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

१५९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (किसान की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

१६०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति अन्ता क्षेत्र में गन्ने की योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

१६१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में गन्ने के बीज के वितरण में किये गये घोटाले पर चर्चा के लिए)।

१६२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी फार्मों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री मालमसिंह (भीनमाल) :

१६३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (खरबूजों व तरबूजों के सुधार की ओर विभाग द्वारा उचित ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री अमरसिंह (दूदू) :

१६४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सरकार किसान की हालत कृषि उन्नति द्वारा सुधारने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जयलाल (डग) :

१६५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति में बरती गई शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) :

१६६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के लोगों को कृषि के लिये विभाग द्वारा विशेष सुविधायें उपलब्ध न करने पर चर्चा के लिए)।

१६७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के परिवारों को कृषि कार्य के लिए अन्य सहायता न मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु.) :

१६८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में कृषि के लिए कुएं अधिक खुदवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर):

१६९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि की पैदावार बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मजलिस खां (कामां) :

१७०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये पर्याप्त मात्रा में समय पर खाद-बीज वितरण की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगासिंह परिहार (हिण्डौली) :

१७१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन के प्रति विभाग की उदासीनता तथा साधनों की कमी पर चर्चा के लिए)।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) :

१७२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अधिक खेती की पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से किसानों को सस्ते ब्याज पर खेती की आवश्यकतानुसार ऋण अल्पकालीन व दीर्घकालीन समय के लिए दिए जाने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए)।

१७३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के जिन जिलों में कुओं द्वारा अधिकतर खेती होती है, एवं कुओं की संख्या का आधार मानकर कृषि विभाग द्वारा प्राथमिकता बिजली देने में निर्धारित करवाई जाकर अविलम्ब कुओं को बिजली दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१७४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रगतिशील किसानों को आधुनिक खेती करने के तरीकों की जानकारी व प्रशिक्षण के लिए विदेशों में सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर हर साल भेजने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१७५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला स्तर व प्रान्तीय स्तर पर प्रगतिशील किसानों को आधुनिक खेती की पद्धति के बारे में कृषि फार्म खोले जाकर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१७६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (खेती के सिंचाई साधनों को बढ़ावा देने के लिये पाताल-तोड़ कूप सरकारी स्तर पर अधिक से अधिक बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१७७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अधिक अन्न उत्पादन के प्रोग्राम को

(श्री हरिकिशन)
सफल बनाने के लिये किसानों को रसायनिक खाद बिना कीमत पर दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) : १७८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खासौली बीज उत्पादन फार्म की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

१७९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में उत्तम बीज उपलब्ध कराने में कृषि विभाग असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

१८०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में कृषि हेतु वैज्ञानिक सलाहकार उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

१८१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में मेड़बन्दी के लिये आवश्यक धन-राशि उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

१८२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में कृषि विभाग भू-संरक्षण के लिये आवश्यक कदम उठाने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

१८३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विकास के लिए चूरू जिले में योजना बनाने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २८

१८४. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रतनगढ़ तहसील में अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य चालू न करने पर चर्चा के लिये)।

१८५. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजगढ़ तहसील चूरू जिले के उत्तरी हिस्से में राहत कार्य चालू करने में सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

१८६. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में राहत कार्यों के शिविरों पर खाद्यान्न के अभाव पर चर्चा के लिए)।

१८७. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरदारशहर के उत्तरी व पूर्वी हिस्से में सरकार अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य चालू करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

१८८. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में अकाल-ग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सार्वजनिक सांडों के लिए चारे

(श्री मोहरसिंह)

का इन्तजाम करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

१८९. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के infirm लोगो को सहायता न मिलने पर चर्चा के लिए) ।

१९०. मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सुजानगढ़, बीदासर दूधवाखारा तथा अन्य अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के गांवों में पेय जल की कमी पर चर्चा के लिए)]

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा हुआ है । गांवों में जाकर देखा जाय तो चारों तरफ सूखा ही सूखा नजर आ रहा है । उत्पादन की क्षमता लोगों की निरन्तर नष्ट होती जा रही है । आज गांवों के पशुओं को चराने के लिए चारा तक नहीं है । सरकार की ओर से जो चारा और घास का प्रबन्ध किया गया है उसको पाने के लिए लोग तरस रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस अकाल में राहत कार्य अपने हाथ में लिए हैं लेकिन दुःख है कि जिस तेजी से और जिस सुव्यवस्थित रीति से ये कार्य होने चाहिए उसमें सरकार पूर्णतया असफल रही है ।

मैं टोंक जिले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं; टोंक जिले में देवली तहसील टोंक तहसील और मालपुरा तहसील, निवाई तहसील, अलीगढ़ तहसील में पूर्ण रूप से सूखा है । देवली तहसील में गत दो-तीन सालों से सूखा है; वहां बिल्कुल भी फसल नहीं हुई । सरकार ने भी इन क्षेत्रों को अकाल-ग्रस्त घोषित किया है लेकिन वहां पर राहत कार्य चालू करने की सुव्यवस्था नहीं की गई है । मीटिंग्ज करते हैं उसमें तय करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता । वहां जो बातें तय की जाती हैं उसके लिए जब काम नहीं होता तो अकाल से जो समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं उनका समाधान नहीं हो पाता ।

टोंक पंचायत में अकाल दो-तीन वर्ष से लगातार पड़ता चला जा रहा है । वहां के निवासियों की हालत इतनी खराब है कि उनको खाने के लिए अन्न मुयस्सर नहीं हो रहा है । सरकार द्वारा कुछ अन्न भिजवाया गया था लेकिन वह इतनी थोड़ी मात्रा में था कि बहुत जल्दी समाप्त हो गया । इस अन्न के संकट के कारण ऐसी भी स्थिति हो गई है कि कुछ व्यक्तियों की भूख के कारण मृत्यु हो गई है । सरकार चाहे तो मैं सिलसिलेवार उनके नाम गिना सकता हूं, जो नाम ऐसे हैं जिनको पंचायतों ने तस्दीक कर दिया है कि इनकी भूख के कारण मृत्यु हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, एक दुःख की बात यह है कि राहत-कार्य के नाम से जो घोषणायें सरकार की तरफ से की जा रही हैं वे केवल घोषणा मात्र हैं; वहां उन आदमियों के लिए रोजगार की व्यवस्था बिल्कुल नहीं की गई है । इन पंचायतों में डूंगरवास पंचायत क्षेत्र में १२२ गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित किया गया है, लेकिन एक भी गांव में राहत कार्य नहीं खोले गये हैं, एक पैसे का भी काम इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा नहीं चलाया गया । ये योजनायें जो राहत कार्य के लिए बनायी

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जाती है केवल नाम मात्र की और निरर्थक है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं; इस क्षेत्र की जनसंख्या १५ हजार के करीब है जिनमें ३ हजार की जनसंख्या डूंगरावास की है; वहां की जनता के लिए अब तक सरकार द्वारा एक पैसे का भी कार्य नहीं किया गया। इसके साथ ही आवां पंचायत क्षेत्र में भी कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। राजकोट और सीतापुरा की पंचायत समिति में कोई नया कार्य आरम्भ नहीं किया गया। सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जो जिलाधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर अपने आपको सन्तुष्ट न करें; खुद जाकर वहां पर देखें कि योजनायें किस प्रकार चल रही हैं। योजनायें इस प्रकार की बन तो जाती हैं, अकाल ग्रसित जो क्षेत्र घोषित होते है—आवां, डूंगरावास, राजकोट पंचायत घाणा में आप काम शुरू कर रहे हैं, दूनी से नगर तक जो लोग भूखे मर रहे हैं वे वहां से १ रु० २ आने के लिए अपने परिवार को लेकर पांच—छः मील जाकर नई झोपड़ियां खाली करेंगे, यह भी उनके लिये असंभव है। आपको इस प्रकार की व्यवस्था बिठानी चाहिए ताकि लोगों को उनके स्थान के नजदीक ही काम मिल जाय। आपके जो भी कार्यक्रम हों वे वास्तविक होने चाहिए। आज लोगों की मृत्यु आरम्भ हो गई, भयंकर स्थिति हो गई है। उस क्षेत्र की पांच पंचायतों के सरपंच-पंच यहां आये हुए हैं, वे अपना यही रोना लेकर आये हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

मैं और विशेष क्षेत्र के बारे में निवेदन नहीं करता, टोंक में पीपलू से एक सड़क नामला तक बनायी जा रही है। वहां हम देखते हैं कि पचास गज तक मिट्टी डालकर कार्य को समाप्त कर दिया गया है। आगे कार्य बढ़ाने के लिए सरकारी मशीनरी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। केवल भाषण देने से और धोखा देने से काम नहीं चलेगा। आप लोग इन कामों की ओर ध्यान दीजिये, जो कुछ आप कहते है, जिसका आप विश्वास दिलाते हैं उन कामों को पूरा करने की चेष्टा कीजिए। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पानी पीने तक के लिये व्यवस्था नहीं है। पानी के लिये दो—दो मील दूर जाना पड़ता है; कहीं कहीं चार—चार मील से पानी लाना पड़ता है। सरकार की ओर से ३०० रुपया कुओं की मरम्मत के लिये दिया, यह रुपया अपर्याप्त है। स्थानीय व्यवस्था से यदि इसमें ६०० रुपया और मिला भी दिया जाय तो भी कुओं को गहरा करने के लिये यह रुपया अपर्याप्त है। इससे पानी मिलना कठिन है। कई स्थानों पर तो यह भी सहायता नहीं दी गई है। जहां कुओं में मीठा पानी है उस गांव वाले दूसरे गांव वालों को पानी भी नहीं लेने देते। इस बात की सूचना स्थानीय अधिकारियों को दे दी गई है, वे भी अपने आपको पानी की व्यवस्था करने में असमर्थ पाते हैं। राज्य सरकार ही इस संबन्ध में व्यवस्था बिठा सकती है। आप को अपने वादों के अनुसार भी इन चीजों में प्रायोरिटी देनी चाहिये। आपने अपने इलेक्शन मेनीफेस्टो द्वारा जनता में यह घोषणा की थी हम तीसरी योजना में प्रत्येक को मीठे पानी की सुविधा देंगे। आपका यह केवल इलेक्शन स्टन्ट ही न रह जाय। इस घोषणा में हमारा भी सहयोग है, जिस प्रकार की सहायता आप हमसे चाहेंगे हम देने के लिये तैयार हैं; आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग और पैसों की मदद भी

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

हम करने के लिये तैयार हैं। आपके द्वारा दिये हुए वचनों को आप पूरा करने में दूसरों का सहयोग चाहेंगे, वह सहयोग आपको मिलेगा। आप अपने वादों को पूरा न करें फिर आपका सरकार में बैठे रहने से कोई लाभ नहीं होगा।

तो अध्यक्ष महोदय, इसके आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि चारे की व्यवस्था अलबत्ता थोड़ी—बहुत कुछ जगहों पर की गई। पर पशुओं के मरने की शिकायत इतनी अधिक बढ़ रही है कि अगर आंकड़े आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे।

जो मरे हुए पशुओं की हड्डी का ठेका गत वर्ष पांच हजार और छः हजार की बोली तक हुआ था वह इस साल चालीस और पचास हजार से तो प्रारम्भ हुई है। हर तहसील में केवल इस कारण कि हड्डी का उत्पादन इस साल विशेष हुआ है।

यह सरकार की अकर्मण्यता और अव्यवस्था का एक दुःखदायी नमूना है कि पशुओं की मृत्यु संख्या इस तरह से बढ़ रही है।

जब सरकार स्वीकार करती है कि राज्य में बहुत भारी अकाल है और उस पर राहत कार्य करने का वादा भी सरकार करती है, पर कार्य रूप में कुछ भी अमल नहीं कर पाती। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की अकर्मण्यता अच्छी सरकार के लिये शोभा नहीं देती। इसलिये इन बातों की ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि योजनाओं को व्यावहारिक बनावें जिससे जनता को राहत पहुंचे और जो योजनाएं बनें उनका वास्तव में पालन किया जाय। केवल कागजों में बन जावें और अधिकारियों की, नौकरों की रिपोर्ट आ जावे और उसे पूरा हुआ मान लिया जावे, तो इससे जनता को राहत नहीं मिलेगी। जो जनता दुःख पा रही है, भूख से मर रही है, पशु आंखों के सामने मरे जा रहे हैं, बच्चों को अन्नाभाव से तड़पते देख रहे हैं, इस तरह की स्थिति को बर्दाश्त करते जाना किसी भी जनतान्त्रिक सरकार के लिये अच्छी चीज नहीं है।

सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। समयाभाव से आंकड़े मैं सदन में पेश करना उपयुक्त नहीं समझता। उप-मन्त्राणीजी और मन्त्रीजी अगर चाहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा कि कितने आदमियों की मेरे इलाके में भूख से मृत्यु हुई है और कितने हजार पशुओं की एक-एक पंचायत क्षेत्र में मृत्यु हुई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कितने आदमियों की मृत्यु हुई है भूख से ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : ६ आदमियों की मृत्यु की तो सरपंच ने तस्दीक करादी है।

श्री भैरोंसिंह : तब तो रखने चाहिये कागज सदन में, मामला बहुत सीरियस है यह।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जांच करके आपको अवगत कराऊंगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जांच ही कराकर निश्चिन्त न रह जावें; जो हो गया सो तो हो गया, पर आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये पूरा-पूरा प्रयत्न आप करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) आंकड़े तो रखवादये यहां पर।

Page No.62

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैंने मौखिक तो बता दिये, मैं सदन की मेज पर भी रख दूंगा, आप विश्वास रखिये। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जांच के अतिरिक्त आप उसके निवारण की व्यवस्था बिठाइये। जिन पांच पंचायतों के लिये कहा गया है, पुनः जोर से निवेदन करना चाहता हूं कि राहत का काम कतई वहां आरम्भ नहीं हुआ है। इसके सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा भी मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और जानकारी दी थी कि दो आदमी मर चुके हैं, दो आदमियों के सम्बन्ध में जानकारी और मिली है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : किसकी जानकारी दी थी आपने ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : आदमियों की भूख से मृत्यु होने के बारे में और राहत कार्य चालू नहीं करने के बारे में, उसकी नकल सम्बन्धित मन्त्री या विभाग के पास होगी। ऐसा लगता है सरकार ने टोंक कलेक्टर को पूछा है। एस. डी. ओ. इस के बाद मौके पर भी गये थे सरपंच ने उनको सारा किस्सा बताया था और कहा था कि मरने वालों के घरवालों को आप पूछ लीजिये—वहां जाकर एस.डी.ओ. ने तस्दीक भी कर ली थी। एस.डी.ओ. डांट-डपट भी करने लगे, कहने लगे बूढ़ा होगा या बीमार होगा, मर गया होगा। उमर क्या थी उनकी। तो उनको बता दिया गया था कि एक की उम्र तो चालीस साल निकली और दूसरे की २४ साल की। यह भी कहा कि खाने-पीने का प्रबन्ध नहीं होने से मर गया होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर खरीदने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी अन्न को, तो यह सरकार का काम है वह उनको रोजी देती। मजदूरी नहीं मिलती और अर्थाभाव से अन्न खरीद नहीं सकते और इस कारण अगर मरता है कोई इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार पर है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं पूछना चाहती हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के इस साल रखने की बात कर रहे हैं या गये साल ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसी सेशन में, दस-बारह रोज पहले ही तो दिया था। जब दो आदमी मर चुके तो जनता ने अपनी तरफ से चन्दा इकट्ठा करके दूसरे कुछ आदमी जो इसी तरह से मौत के मुंह में जा रहे थे उनके लिये व्यवस्था की है। क्योंकि आपकी तरफ से तो कुछ नहीं किया जा रहा है, न राहत कार्य आरम्भ हो रहे हैं, न इस तरह की मदद हो रही है, उल्टे एस.डी.ओ. लोगों को डांट-डपट करते हैं। एक पैसे का भी आपकी ओर से काम शुरू नहीं हुआ है। सड़कों का काम अच्छी तरह से आरम्भ हो सकता है; जो प्रावधान में भी है। पर कार्य शुरु नहीं कराया है। पता नहीं इसमें सरकार की अकर्मण्यता है या उसकी वहां की जनता के प्रति नाराजगी है कि मर गये सो तो मर गये, पर इस बात की शिकायत सदन में क्यों की। अधिकारियों को तो वहां इस बात की शिकायत है। कलेक्टर जिला स्तर के कार्यों को भी प्रारम्भ नहीं करा रहा है। अधिकारी-वर्ग कहता है कि शिकायत चूंकि कर दी है सदन में इसलिये जो काम शुरू करने वाले हैं इस साल के वे भी रोक दिये जावेंगे। तो इस तरह का रवैया अगर सरकारी अधिकारियों का है, तो हमें दुःख है कि ऐसे राज्य शासन कैसे चलेगा ? हमें कहने का अधिकार है। क्या आप उसे भी

(श्री राधाकृष्ण गोयल)
छीनना चाहते हैं ? सदन में कहने का काम जनता ने नहीं किया, फिर इसकी सजा जनता को क्यों दी जारही है ?

आप अगर स्वयं वहां चलें मन्त्री महोदय तो तीन बातें महसूस करेंगे । पहली बात कि विगत तीन सालों से एक पैसे का भी राहत कार्य वहां आरम्भ नहीं हुआ है । तीन साल से वहां दुर्भिक्ष है, और इन दोनों कारणों से नो आदमी भूख से तड़प कर मर चुके हैं । इन तीन बातों को खुद मन्त्री महोदय वहां चल कर अनुभव कर सकते हैं । अगर आप चाहें तो इसकी जांच में, मैं और वहां के सरपंच आपको सहयोग दे सकते हैं । आप अगर चलेंगे तो ठीक रहेगा, वहां की सरकारी मशीनरी ठीक से काम करने लगेगी । आशा है आप आगे के लिये पूरी तरह से राहत कार्य प्रारम्भ करेंगे, क्रोध करके, आवेश करके उसे टालने की चेष्टा नहीं करेंगे । सरकारी अधिकारियों को आप यह कहने का मौका न दीजिये कि आपने विधान सभा में चूंकि यह प्रश्न उठाया है तो वे कार्य भी जो जल्दी होने चाहिये, नहीं होने देंगे । अब जिन अधिकारियों ने भी यह बात कही हो कलेक्टर और एस. डी. ओ. के सम्बन्ध आप जांच करके कुछ व्यवस्था सम्बन्धी कार्यवाही आपको करनी चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक मिनट में समाप्त करता हूं, अध्यक्ष महोदय । तो टोंकरावास में एक स्थान ऐसा था जिसके सम्बन्ध में बांध बनाने की स्कीम चल रही है । बीस हजार रुपये में यह इतना अच्छा बांध बन सकता है की जिससे कई सौ एकड़ की सिंचाई हो सकती है । इसे स्थानीय अधिकारी-वर्ग भी अच्छी तरह से मान रहा है । दो पहाड़ियां नजदीक आगई हैं, उन दोनों का बीच में से रास्ता रोक देने से बान्ध बन जाता है । पर इस सिलसिले में एक प्रश्न यह पूछा गया कि इससे टोड़ा का बान्ध का जो कैचमेन्ट एरिया है उस पर तो असर नहीं पड़ेगा ? सवा साल हो गया, अभी उसका उत्तर नहीं आया है, पर उत्तर आखिर में यही आवेगा कि उनको कोई हानि नहीं है । क्योंकि यह बांध जिधर से पानी को रोक कर बनेगा उसका बहाव टोडा की तरफ नहीं है, पर हमारी सरकार की लालफीताशाही का क्या कहना है कि सवा साल से भी वह इसका उत्तर नहीं प्राप्त कर रही है ?

तो इस सम्बन्ध मे मेरा पुनः निवेदन है कि जांच कराई जावे और इस सम्बन्धी कागजों को जल्दी मंगवा कर निर्णय लिये जावें ताकी पंचायतों के दस-बारह हजार आदमी काम करने के लिये उत्सुक हैं; वे भूखों मर रहे है, उनको राहत-कार्य देना जरूरी है ।

टोंकरावास से सड़क भी बनने वाली है जिला स्तर पर यह तय भी होगई है । इसको भी आरम्भ कराया जावे और विश्वास दिलाया जावे कि ये तीन-चार आइटम अवश्य शुरू हो जावेंगे, तीन-चार दिनों में ही ।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरे भी इस पर दो कटौती के प्रस्ताव हैं, नंबर २८ और १८ । अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता का विषय है कि जो अधिकारियों की उदासीनता के कारण सिरोही जिला अकाल क्षेत्र–घोषित नहीं किया गया ।

जब मुझे यह पता लगा कि जिले से रिपोर्ट ठीक नहीं गई है तो गत जनवरी

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

मास में मैंने जिले की तमाम पंचायतों का दौरा किया। तो मुझे प्रतीत हुआ कि जो रिपोर्ट अधिकारियों ने भेजी है, वह वहां की हालतों से विपरीत है।

अकाल की दृष्टि से सिरोही को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूर्वी जिले में और दूसरा पश्चिमी जिले में। पश्चिमी भाग के अन्दर सिरोही, शिवगंज और रेवदर तहसील आती हैं; ये तीनों तहसीलें, अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल अकालग्रस्त हैं और यहां बारिश भी बहुत कम हुई है और जहां जहां मैं गया, मैंने पाया कि फसल १० आने से १२ आना नष्ट हो गई है चौमासे की और कुओं के अन्दर भी पानी बिल्कुल नीचे आगया था और तालाबों में भी पानी बहुत कम था। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय पूर्वी जिले में आबूरोड और पिंडवाड़ा तहसीलें हैं और यह तहसील ऐसी हैं कि जिनका वही हाल है। लेकिन वहां कुछ कम है। वहां ५० परसेन्ट फसल नष्ट हो गई है और वहां भूला और पश्चिमी बनास बांध में पानी बहुत कम रह गया है और २५ परसेन्ट ही जमीन उनाले में बोई गई है। चारा भी बहुत कम है और अनाज भी बहुत मंहगा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय मैंने खुदने चना बोया उस समय चने का इतना तेज भाव था कि ८० रुपया क्विन्टल लेकर मैंने बोया और मक्का, जो कि वहां का खास अनाज है, वह एक रुपये सेर बिका है। यह वहां की हालत थी; तो मेरा निवेदन है कि अकाल सहायता मंत्री इसकी फिर से जांच करायें और मेरे दौरा करने के बाद मैंने कमिश्नर, अकाल सहायता, खाद्य सहायता मंत्री को और सिरोही के कलेक्टर को लिखा, लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहां की जनता परेशान है, अनाज के भाव बढ़ गये हैं; चारा बहुत कम है और वहां के लोग मुसीबत में हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसकी बाबत जांच कराई जाये और सिरोही, शिवगंज, रेवदर तहसील, जहां कि सम्पूर्ण अकाल है, वहां पर राहत कार्य शुरू किये जायं और लोगों के लिए अनाज और चारे की व्यवस्था कराई जाये।

यही हालत पिंडवाड़ा और आबूरोड तहसील की है। वहां भी चारे की कमी हो गई है। जिस बीड में १ हजार गाड़ी घास होता था वहां आज केवल ४०० गाड़ी ही घास है। वहां भी राहत कार्य कराये जायें। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जो प्लान के अन्दर वर्क्स लिए गए हैं वह भी, अध्यक्ष महोदय, आज तक शुरू नहीं किये गये हैं वह भी कार्य शुरू कर दिये जायें। इससे दो फायदे होंगे; एक तो प्लान का काम भी हो जायेगा और अकाल पिड़ितों को राहत भी मिल जायगी। इसमें भी पिंडवाड़ा से गोगुन्दा रोड है, पहले प्लान से चला आ रहा है। इसी तरह से बनास नदी के पुल का काम शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह से रेवदर से जसवंतपुरा की सड़क है जो कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में थी और जिसके लिए अलॉटमेन्ट सेंक्शन हो गई थी वह काम भी पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह से जावल से हरजी वाया मंडादर सड़क है उसका भी काम शुरू नहीं हुआ है....

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, अकाल सहायता) : माननीय अध्यक्षजी, यह सदस्य महोदय जो वर्णन कर रहे हैं वह अकाल एरिया घोषित नहीं है इसलिए जो रास्ता सोचा जा रहा है उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : मेरा मतलब यह है कि वहां अकाल है। वहां पर काम नहीं करायें, फिर भी राहत के कार्य शुरू होने चाहिए और वहां पर लोगों को अनाज और चारा मिले, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, खेती के अन्दर भी हम देखते हैं कि हमें उन्नत बीज और दवाइयां मिलनी चाहिए। लेकिन यह समय पर लोगों को नहीं मिलती। पंचायत समितियों के अन्दर जाते हैं वह पहले से लिस्ट ले लेते हैं काश्तकारों से कि कितना अनाज चाहिए, कितनी दवाइयां और खाद चाहिए, लेकिन वह वक्त के ऊपर बीज नहीं मिलते हैं, दवाइयां नहीं मिलती हैं और खाद नहीं मिलती हैं। इस तरह से यह होता है कि किसान पीछे रह जाता है। मेरा खुद का अनुभव है। मुझे चने के लिए कहा गया कि आपको चने का बीज देंगे और जब मैं गया तो मुझे एक बोरी चना बताया गया और वह भी सड़ा हुआ। ऐसी स्थिति है। अब चने के अन्दर जो कीड़ा लग जाता है उनके लिए २ फोर ३ की दवाई होती है, वह भी मुझे नहीं मिली और वह फसल नष्ट हो गई। तो मेरा निवेदन है कि किसानों को कम से कम बीज, दवाइयां और खाद समय पर मिल जाये, जिससे कि उनको परेशानी नहीं हो, यही मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजराम गहलोत।

श्री तेजराम गहलोत (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अकाल और कृषि के ऊपर ३ कटौती के प्रस्ताव हैं। पहले मैं कृषि वाला कटौती प्रस्ताव लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि पाली जिले की हालत है वहां पर न तो बंधों से सिंचाई के साधन हैं और न ही बंध के सिंचाई के साधन भविष्य में होने की गुंजाइश है। जहां तक कुओं का सवाल है उनका लेवल वर्ष दर वर्ष नीचे जा रहा है और जितने भी कुएं खेती के लिए हैं उनसे काश्तकार अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी खेती नहीं कर सकता है। जहां तक कुओं में ब्लास्ट करने का सवाल है काश्तकार उसके लिए पैसा जमा कराते हैं, मशीनें आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुओं में पानी का भरोसा नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां तक एक्सपेरीमेन्टल बोरिंग का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि पाली जिले में पूरे जिले को आप इस एक्सपेरीमेन्टल बोरिंग के लिए सिलेक्ट करें व हर गांव के अन्दर या तहसील के अन्दर एक एक कुआं सरकार की तरफ से एक्सपेरीमेंट के तौर पर बोर होना चाहिए और उसके सफल हो जाने के बाद काश्तकार उसके खर्च को वहन करें और जितना भी बोरिंग का खर्चा आये वह बाद में सरकार उनसे ले ले। क्योंकि काश्तकारों की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने खर्चे से बोरिंग करा सकें और बोरिंग सफल होने मे वह उसका खर्चा वहन कर सकेगा, ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पाली जिले में उसकी बढोत्तरी के लिये इस ऐक्सपेरीमेंटल स्कीम को वहां लागू करिये, ताकि वहां के किसान की पानी की समस्या का समाधान हो सके। अगर इसकी ओर सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले ४-५ वर्षों में वहां के काश्तकारों की इकोनोमिक हालत बिगड़ने की

(श्री तेजाराम गहलोत)

सम्भावना है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि समय रहते ही सरकार इसकी ओर कदम उठायेगी तो आने वाले समय में इसका कुछ मकसद हल हो सकेगा।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सरकार द्वारा काश्तकारों को उन्नत बीज के लिये यहां से पैसा मिलता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार द्वारा भेजे गये पैसे का किस तरह से पंचायत समितियों में दुरुपयोग होता है और उन्नत बीज के नाम से किसानों को न तो वह प्राप्त ही होता है और इससे पैदावार का भी नुकसान होता है। इस तरह से बीज बांटने की दो साल पहले कृषि मन्त्रीजी को शिकायत की थी, लेकिन यह मुझे अर्ज करते हुऐ दुख होता है कि दो साल हो गये हैं, बावजूद मेरी हर कोशिश के उस शिकायत का न तो कोई नतीजा निकल सका है और न ही वह पूर्ण हो सकी है। यहां तक कि यहां के जोइन्ट डाइरेक्टर श्री आई० एस० शर्मा जो कि इतने उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने भी उस जांच के अन्दर पक्ष करने की कोशिश की और फिर उसके लिए मंत्री महोदय को कहा और डेवलपमेंट कमिश्नर को कहा कि उन्होंने किस तरह की जांच रिपोर्ट दी है वह मुझे बताई जाये ताकि मैं सरकार को तसल्ली कर सकूं कि इन्होंने सही रिपोर्ट दी है या गलत। पर फिर दुबारा जांच कराई गई और उस जांच का कोई फाइनल नतीजा नहीं हुआ है। इसलिए मैं कृषि मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस तरह की शिकायतें होती हैं उनके ऊपर तुरन्त ही कार्यवाही करायें।

इसके अलावा मेरा निवेदन यह है कि पाली जिले में लाखों रुपया बीज के लिए सरकार ने बांटा। ५० से लेकर ६२ तक २६ लाख रुपये के बीज का प्रावधान किया गया, लेकिन मुझे यह निवेदन करते हुए दुख होता है कि उस २६ लाख में से ११-१२ लाख तो वापिस ले लिया, लेकिन बाकी का बीज किस को दिया; पाली जिला अधिकारी उसका अकाउन्ट इस सरकार को नहीं बता सकते हैं और न ही सरकार यह बता सकी है कौन जिम्मेदार है और न इसके लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है। इसलिए मैं फिर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि जो पाली जिले में बीज का घोटाला है उसकी तुरन्त जांच कराई जाये और जिस अधिकारी की गलती से अकाउन्ट नहीं रखे गए उसको भी उचित सजा दिलाई जाये।

(१.०० म० प०)

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, पाली जिला सघन कृषि क्षेत्र के नीचे आया और सघन कृषि क्षेत्र के नीचे आने की वजह से सरकार के द्वारा काश्तकारों को उन्नत बीज और औजारों की सुविधा दी गई। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार तो अपनी तरफ से हर कोशिश करके इस बात का प्रयत्न करती है कि काश्तकारों की हालत सुधरे। लेकिन जहां तक अधिकारियों का सवाल है, ऐसे मामलों में भी कि जहां देश के उत्पादन का सवाल है उसमें भी बिना अपनी चाल लगाए नहीं रहते। उन्नत बीज और औजारों के बारे में भी जिस तरह के घोटाले हुए हैं वे विचारणीय हैं। जितने औजार खरीदे गए हैं उनमें से २५ प्रतिशत

(श्री तेजाराम गहलोत)

औजार काश्तकारों के द्वारा काम में नहीं लाए गए हैं और दूसरी तरफ कृषि अधिकारियों ने सरकार को बताया है कि उन्होंने औजार बेच दिए हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि उन्होंने औजार बेचे नहीं हैं बल्कि हर पंचायत के अन्दर डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पर पंचायतों को दे दिए हैं और वे पंचायतों में बेकार पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो औजार बनवाए गए हैं तो उसमें भी कोई स्पेसिफिक सैम्पल बना कर टेन्डर भरने वालों को नहीं दिए गए है, इसकी वजह से जो औजार बने हैं वे इतने खराब बनाए गए हैं कि कोई भी काश्तकार उनको लेता ही नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि इस चीज की जांच करावें कि जो औजार बनाए गए हैं वे औजार वास्तव मे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाये गये या नहीं और अगर नहीं बने हैं तो इसका क्या कारण है ?

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक पाली जिले का सवाल है वहां पर कृषि विभाग के द्वारा जो सघन कृषि कार्य चलते हैं उन कार्य में सरकार से अनुदान और ऋण की राशि मिलती है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता है। इसके लिए वहां के जिला स्तर के कृषि अधिकारी जिम्मेदार हैं, वे दोषी हैं। मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि पाली जिले में हेमावास का फार्म है, उस फार्म को सैंकड़ों रुपया लकड़ी काटने के लिए दिया गया है, लेकिन उस लकड़ी का क्या उपयोग हुआ, यह कोई नहीं जानता। वह लकड़ी लाकर बाजार में बेची गई है लेकिन उसका अकाउन्ट फोर नहीं हुआ।

जहां तक जीपों का और दूसरी गाड़ियों का सवाल है, इनका भी बड़ा भारी दुरुपयोग होता है और बिना मतलब के ही, बिना काम के ही, सरकारी गाड़ियां आए दिन चलती रहती हैं; कभी सिरोही जाती है और कभी कहीं जाती हैं। अगर गाड़ी खेती के काम में, प्लान प्रोग्राम बना कर किसी टेक्नीकल आदमी के साथ भेजी जाती है तो उसका कृषि के लिए उचित उपयोग हो सकता है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सन् ६३-६४ में पाली जिले में जो अकाल पड़ा था तो उस अकाल के समय में सरकार की ओर से काफी मदद दी गई थी, लेकिन जितना भी पैसा दिया गया उसका जिला स्तर पर सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ और जितना भी पैसा खर्च किया गया है वह जिला अधिकारियों के द्वारा पानी और घास पर खर्च किया गया और उसमें भी हजारों रुपये के घोटाले हुए। गत सत्र के अन्दर मैंने प्रश्न भी उठाया था कि जहां तक पानी और चारे की सप्लाई का सवाल है इसमें केवल पानी के अन्दर ही ६८,०००) का नुकसान हुआ है और जो इसके ऑडिट हुए हैं उसमें भी इसका हवाला है और मंत्री महोदय ने उत्तर में यह बताया था कि मैं इस चीज की पूरी जानकारी करके कार्यवाही करूंगा, लेकिन आज एक साल होने को आया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक इसमें जांच नहीं हुई है और इस तरह के गैर-कानूनी कार्य किए गए हैं; सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है और अधिकारियों ने नाजायज फायदा उठाया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि घास और पानी की सप्लाई में जो घोटाले हुए हैं उनकी आप जांच करावें और जिन

(श्री तेजाराम गहलोत)
अधिकारियों ने नाजायज फायदे उठाए हैं कम से कम उनसे वापस वसूली तो करावें और जो पैसा फेमिन से जिला स्तर पर बताया जाता है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जिला अधिकारियों को चाहिए कि पॉपुलेशन के अनुपात में उस पैसे का बंटवारा करेंगे तो उचित होगा। बस मैं यही निवेदन करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री जावन्दसिंह।

श्री जावन्दसिंह (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, खेतीबाड़ी द विच जो बात चल रही है उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। काश्तकार बहुत दिन हल चला कर जब खेत को तैयार कर लेता है, अगर वेरानी इलाका हो तो बरसात होने पर काश्त होती है और जो नहरी इलाका है उसमें नहर का पानी मिले तो ही काश्त हो सकती है। करीब २७०० क्यूसैक्स गंग केनाल में पानी आता है और पिछले सालों में २७०० के बजाय कई दफा ४०० क्यूसैक्स पानी ही चला है। इतना कम पानी चलने से ना गल्ला ही हो सकता है और ट्यूब वैल लगाने की बात गवर्नमेन्ट की बहुत दिनों से चल रही थी। क्योंकि पंजाब में ट्यूब वैल लगाकर पानी नहर में डाला जाएगा। उस बात का अब पता ही नहीं चलता है कि वह स्कीम कहां गई और किधर गई? यह क्या कारण है, इसको क्यों दबाया गया है? अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ तो इलाका उजड़ रहा है, एक तरफ गवर्नमेन्ट उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। इससे और कौन सा बढ़ कर काम है जिसको कि पहले करना चाहिए? गवर्नमेन्ट का ऐसा भी सुझाव था कि पंजाब वाले लोग हमको इसमें कुछ इमदाद दें क्योंकि उनकी सेम हट जायेगी। उनसे इमदाद लेना चाहते थे। सेम तो ऐसा कारण हुआ कि बरसात न होने से सेम तो खुद-ब-खुद ही हट गई पंजाब वालों की। वे लोग आपको क्यों इमदाद देवें; हमारा खुद का फर्ज है कि हमारी गवर्नमेन्ट खर्चा करके खुद ट्यूब वैल लगावे। और यह ट्यूब वैल वालों का काम बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए। जो लोग खुद ट्यूब वैल लाकर लगाना चाहते हैं उनको १।३ तो खुद को खर्चा करना चाहिए, १।३ लोन दिया जावे और १।३ सरकार की तरफ से इमदाद दी जावे, तो वह लोग जमींदार खुद ट्यूब वैल लाकर काश्त करवा सकें तो इसके लिए वे बड़ी खुशी से तैयार हैं अगर ऐसा सरकार करे तो। अगर सरकार ऐसा करे तो बहुत से ट्यूब वैल लग जायेंगे और खेती के लिए बड़ी भारी इमदाद हो जावेगी।

दूसरी बात, बीज वक्त पर नहीं मिलता है। बीज उस वक्त मिलता है जब कि काश्त का टाइम निकल जाता है और काश्त करने के दो महीने बाद बीज मिलता है। ऐसा ही खाद का है। हमारे इलाके में करीब पांच-पांच रुपया एक एक बोरी पर ब्लैक चल रहा है खाद के ऊपर। हमारी गवर्नमेन्ट ने कभी किसी अधिकारी से नहीं पूछा कि खाद का और बीज का ऐसा गलत तरीके से वितरण क्यों हो रहा है? अगर कहीं किसी ने ट्यूब वैल लगा भी लिए, खुद खर्चा करके तो उसको बिजली नहीं दी जाती है। बिजली दूसरे कामों के लिए तो दी जाती है और ट्यूब वैल के लिए नहीं दी

(श्री जावन्दसिंह)

जाती है। बिजली के लिए तो बहुत ही गड़बड़ चल रही है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जिसका अन्दाजा ही कोई नहीं है। हमारे पॉवर मंत्री कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि कितना घोटाला हो रहा है इस बिजली वाले मामले में। जिसको भी बिजली लेनी हो गलत ढंग से ले सकता है, सही ढंग से उसको नहीं मिल सकती है। भ्रष्टाचार के जरिए मिल सकती है उसको बिजली।

जो तकावी भी दी जाती है वह भी काश्त का वक्त निकल जाने के बाद दी जाती है। वक्त पर कभी भी तकावी नहीं दी जाती है। जिन लोगों को दी जाती है वे तकावी के हकदार नहीं हैं। जो गरीब हैं वे तो ऐसे ही रह जाते हैं और गलत तरीके के नालीदार को वितरण हो जाती है।

चन्दन में जो ट्यूब वैल लाए गए हैं उनमें काश्त नहीं हो रही है। उसका कारण यह है कि सरकार समितियों को सही तरीके से इमदाद नहीं देती है और उस रुपये का भी गलत तरीके से उपयोग हो जाता है। और जो हमारे नेता लोग हैं वे ही बीच में खा जाते हैं।

गन्ने पर और रुई पर जो टैक्स लाया गया है इससे ऐसा मालूम होता है कि सरकार की नीति जमींदारों को खत्म करने की है, कि जमींदार कभी भी खुशहाल न हो सकें और सदा ये दबा रहें इन कारणों से और मुझे ऐसा मालूम होता है कि वह ऊपर वाले किस बात से डर कर इन जमींदारों को परेशान कर रहे हैं। पता नहीं क्या डर है इनको जमींदारों से ? जो यह टैक्स बढ़ाया गया है इस टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। यह जमींदारों पर नहीं रहना चाहिए, इस टैक्स को लेने से जमींदार की हालत पहले से भी बहुत खराब हो जावेगी। मेरी बहुत ही पुरजोर शब्दों में अपील है कि इस टैक्स को न बढ़ाया जाय।

गजसिंहपुरा मण्डी में शूगर मिल के लिए वहां के किसानों ने लाखों रुपये इकट्ठे किए थे और गवर्नमेन्ट उसको नहीं ला सकी। अगर बदकिस्मती से जमींदार गन्ना पैदा कर भी ले तो वह कहां ले जावे। हर कोशिश जमींदार को परेशान करना चाहते हैं। ना ही तो वह शूगर मिल लाया है और ना ही जमींदार को वह रकम वापस दी है।

जो हमारा हरिके पतन से पानी आता है वहां हमारा कोई इन्तजाम भी नहीं है। करीब १८ साल ऐसे ही हो चुके हैं। इसका इन्तजाम करना बहुत जरूरी है। अगर इसका इन्तजाम न किया तो जमींदार लोग बिल्कुल खत्म हो जावेंगे।

अब मैं पानी के बाबत कुछ कहना चाहता हूं। करीब एक साल पहले ए. सी. साहब और एक्स-ई-एन साहब से बात हुई थी कि अभी गर्मी के मौसम में पानी क्यों कम ला रहे हो तो उन्होंने मुझे बताया जो नहर का ऊपर वाला हिस्सा है वह टूटा हुआ है इसलिए पानी पूरा नहीं दे सकते। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब पानी पूरा मिल सकता था तो हमारी गवर्नमेन्ट उस वक्त भी पूरा पानी नहीं ले पाई। और एक गंगासागर बांध है उसके बारे में हमारे नहरी अफसरों ने मीटिंग की तो उसमें फैसला किया कि बजाय खरीफ के इस बांध का पानी रबी में लगाया जाय।

(श्री जावन्द सिंह)

इन अफसरों के ध्यान में यह बात नहीं आई कि यह पानी उस वक्त तक कहां रहेगा। जब रबी की फसल आई तो वह पानी सूख गया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अफसरों को यह भी ध्यान नहीं कि जिस वक्त पानी मिले उस वक्त लेना चाहिए और फसल के लिए काश्तकारों को देना चाहिए।

इस वक्त जो गंगानगर में एक्स–ई–एन साहब हैं उनके साथ मेरी बातचीत हुई कि जो रबी फसल का अभियाना है वह इस साल माफ कर देना चाहिए। जो जिला गेहूं की फसल को चार या पांच पानी लगाते थे और चार-पांच पानी से तैयार होती थी इस साल एक पानी भी नहीं लगा है। वह कोर ही पड़ी है। उस रबी फसल का मामला माफ करना चाहिए। तो एक्स–ई–एन साहब ने मुझे बताया कि भाई अगर दाणे नहीं होंगे तो उसकी तूड़ी तो होगी। वह काश्तकार तूड़ी का रुपया बांट लेगा। हमारे ऐसे २ नहरी अफसर लगे हुए हैं जिनको इस बात का ध्यान नहीं कि अगर दाणे न हों तो तूड़ी कहां से हो जायगी। और इस साल काश्तकारों का रबी फसल का मामला माफ होना चाहिए और मेरी राय यह भी है कि हमारे कृषि मंत्री एक दफा जाकर मौके पर दौरा करके देखें तो उनको पता चल जाय कि जमींदार की हालत बहुत खराब है और मामला माफ होना बहुत जरूरी है। अगर मामला माफ न किया तो जमींदार के पास मामला देने के लिए रुपये भी नहीं है और हमारी गवर्नमेन्ट उनको जेलों में दे सकती है। और मैं फिर अपील करता हूं कि मामला माफ होना चाहिए यह रबी फसल का।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : अध्यक्षजी, आज कृषि के वास्ते कुओं की जरूरत है। वहां पर हमारे यहां कुओं में पानी की बहुत कमी है और कुओं के मायने में जो बोरिंग मशीन है तो उसके वहां पंचायत समिति ने कई दफा दरख्वास्त दे दी, लेकिन आज तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। पंचायत समिति ने गवर्नमेन्ट को लिखा तो भी बोरिंग मशीन का प्रबन्ध नहीं हुआ। काश्तकारों के कुओं में पानी बहुत कम है। कमी के कारण फसल बहुत कम पैदा होगी।

वहां पर अकाल घोषित कर दिया गवर्नमेन्ट ने। गजट पास होकर चला गया था, लेकिन उन ७२ गांवों में कोई सुभीता चारे और घास का नहीं हुआ। आज तक गांवों के काश्तकारों के मवेशी मर रहे हैं और अन्न के बिना काश्तकार बहुत तड़प रहे हैं। इस वजह से आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज दौसा के मायने में भी समस्या का हल करना चाहिए, क्योंकि अगर समस्या का हल नहीं करेंगे तो काश्तकारों का कैसे गुजर हो सकता है।

पानी की कमी के कारण जमीन बेकार पड़ी है। पहले रामगढ़ का बन्धा पूरा भरता था तो उस पानी से १५ हजार एकड़ जमीन में पिलाई होती थी, वह बन्द हो गया। मेजा

नोटः—श्री जावन्दसिंह ने अपना भाषण पंजाबी भाषा में दिया था। सदैव के अनुसार उनसे हिन्दी का भाषण प्राप्त किया जाकर मुद्रित करवाया जा रहा है।

(श्री मूलचन्द चौधरी)
बान्ध का एस्टीमेट हो गया और हजारों रुपये गवर्नमेन्ट के लग गये, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। चान्दना बान्ध के लिए १ लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से पास हो गया लेकिन आज तक चान्दना के बांध का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। इस वजह से दौसा क्षेत्र में अकाल घोषित हुआ। इस पर भी वहां दौसा के काश्तकारों को अन्न नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गवर्नमेन्ट थोड़ा-बहुत ध्यान देकर वहां के लिए चारे और अन्न का प्रबन्ध करें। छोटे-छोटे तलाईयों के बान्ध हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जावेगा, क्योंकि यह सुभीता नहीं होगी तो उस क्षेत्र में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत कमी है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, अकाल के सम्बन्ध में मेरा एक कटमोशन है ६ नम्बर का और दूसरा है ७ नम्बर का।

नागौर जिले में, जिसके सम्बन्ध में मेरा एक कटमोशन है वहां पर अकाल की सहायता की बहुत कमी है। माननीय अध्यक्ष, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज महीना मार्च की २१ तारीख हो गई है और अभी तक नागौर जिले में कोई अकाल सहायता का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ अकाल मंत्री और उप-मन्त्री को बार बार निवेदन करने के पश्चात भी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सदस्य की तरफ से क्या एफर्ट्स किए गए हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी : सुनलें। आप चिन्ता मत करिए। आपका भी आ जायगा।

बार बार निवेदन करने के पश्चात् भी, मैं यह नहीं कह सकता कि राज्य सरकार की तरफ से कमी है, लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी-गण हैं अकाल विभाग के और जिला स्तर के, यह मेरा एक साल का अनुभव नहीं, लेकिन पिछले १० साल का अनुभव है और पिछले पांच साल का रहा है नागौर जिले का और माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये हुए हैं और जो अभी बोल रहे थे, उनको भी अनुभव हुआ होगा कि पिछले साल अच्छा काम हुआ उसके पहले काम नहीं हुआ था, लेकिन जहां तक नागौर जिले की बात है मैं कहूं कि पहले तो अकाल के गांवों की सूचना पूरे रूप से सरकार की ओर से सबसे आखिर में उस जिले में हुई। मन्त्रियों से निवेदन करते रहे, चिट्ठियां देते रहे, मिलते रहे और मेरे ख्याल से २ बार अकाल के इलाके में उप-मंत्राणीजी और जो मंत्री है अकाल के वे गये थे। उसके बाद भी सबसे आखिर में जा कर नागौर जिले के अकालग्रस्त गांवों की घोषणा हुई। घोषणा होने के बाद आपको जानकर अचम्भा होगा, माननीय अध्यक्ष, कि अकालग्रस्त गांवों की सहायता के सम्बन्ध में जो भी रुपया भेजा मेरे ख्याल से एक पैसा भी वहां पर खर्च नहीं हुआ। और ३१ मार्च के पहले वह लौटाना चाहिए और वह लौटा भी दिया गया होगा। क्यों लौटाया गया था ? उसको वहां खर्च नहीं करने का क्या उद्देश्य है ? क्या वहां पर काम की जरूरत नहीं है ? इसके बारे में इतना ही कहूं तो काफी होगा कि काम करने का अधिकारियों की यानि अकाल विभाग के, अकाल विभाग ही कहूं तो ठीक रहेगा, अधिकारियों की कोई देख रेख नहीं है कि काम शुरू कराने के लिए जल्दी ही कार्यवाही की जाय। अकाल

(श्री मोतीलाल चौधरी)
विभाग के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर या किसी भी अधिकारी ने उस जिले के अन्दर जाकर जिलाधीश से बात की हो, वहां जाकर देखभाल की हो। बार बार कहने के पश्चात्, यहां असेम्बली में आने के पश्चात् ३-४ दफा मैं उनसे मिला, जिलाधीश को बुलाया गया, उसके पास सेन्क्शन चली गई उसके बाद भी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ नवम्बर महीने में बहुत से वर्क्स शुरू कराने के लिए और बजट लेप्स हो गया। आज तक, इस तारीख तक कोई रिलीफ शुरू नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष, उसके साथ साथ दो एक बातें यह भी कहूं कि अकाल के गांवों की घोषणा होती है, आमतौर से नागौर जिले की ही नहीं है मुझे खास तौर से नागौर जिले का अनुभव है इसलिए उसके बारे में कहूंगा, परन्तु आम तौर से यह रहा है पिछले तीन-चार सालों के अन्दर किन गांवों को अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए और जो सिस्टेमेटिक दृष्टिकोण के सक्यूलर्स गवर्नमेंट के हैं उनको न माना जाता है और उसकी बात को नहीं मानकर अपनी तरफ से करते हैं तो गवर्नमेन्ट की तरफ से एक्शन नहीं होता है। शिकायत लिखित रूप से की जाती हैं, रेकार्डस दिखाये जाते हैं, बुला कर मौके पर दिखाया जाता है मंत्रीजी को फिर भी कुछ नहीं होता है। मैं तो अपने जिले की कहूं और दूसरे जिलों में भी यही होता होगा। जो स्टेंडिंग ऑर्डर्स और रूल्स बने हुए हैं, कम से कम मेरे जिले में तो पिछले तीन साल से अधिकारी उन रूल्स को नहीं मानते हैं। या तो उसको ढिलाई समझें सरकार की या अधिकारियों की लापरवाही, या वे जानबूझ कर करते हैं या कोई षड्यन्त्र है, क्या उनकी कोई इच्छा है इसके पीछे? लेकिन इस साल भी यही हालत है कि मार्च के महीने तक अकाल के गांवों में रिलीफ वर्क शुरू नहीं करेंगे और उसके बाद में जो रूल्स बने हुए हैं फेमिन कोड के मुताबिक फेमिन कमेटी होने के बाद उसकी मीटिंग होनी चाहिए तो आपको जानकर अचम्भा होगा कि फरवरी की १७ तारीख को पहली मीटिंग हुई, उससे पहले कोई मीटिंग नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग हुई। हाउस के जितने मेम्बर्स हैं उनमें से सिर्फ मुझे और गंगासिंहजी को इत्तला मिली, बाकी को इत्तला नहीं मिली। हमने दूसरे मेम्बर्स से शिकायत की कि वे मीटिंग में क्यों नहीं आये तो उन्होंने कहा कि हमको इत्तला ही नहीं मिली। ऐसी हालत है मीटिंग बुलाने की। उस मीटिंग में जो भी निर्णय किये गये उनकी सेंक्शन भी काफी लेट गई और सेंक्शन जाने के बाद भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ तो आप सोच सकते हैं कि उन गांवों में रहने वालों के साथ आपका कैसा व्यवहार है। उनका समय कितनी मुश्किल से निकलता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

मैं निवेदन करूंगा कि विभाग की उप-मंत्राणीजी से कि आप केवल जिले अधिकारियों के ऊपर ही निर्भर न रहें और एक्स्ट्रा स्टाफ लगावें। सं. २००९ में अकाल पड़ा था उस समय कुछ काम हुआ था। उसके बाद बीकानेर जिले में पिछली साल कुछ काम हुआ था जिसको राहत का काम कह सकते हैं, बीकानेर से आने वाले साथी ने महसूस किया होगा कि कितना काम हुआ क्योंकि वे अभी कह रहे थे कि कागजों का

Page No.73

(श्री मोतीलाल चौधरी)

पीछा नहीं किया होगा। आपने तो पीछा किया होगा उसके बाद भी आपके वहां कितना काम हुआ, यह आप जानते होंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत उप-मंत्राणी से निवेदन करूंगा कि आप बातचीत करके शीघ्रातिशीघ्र काम शुरू करावें, सिर्फ शुरू ही न करें अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं उसी जिले से आते है आपके पास भी शिकायतें आती हैं। आम तौर से जिन गांवों में तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है उनमें तुरन्त वर्क क्यों नहीं शुरू हुआ ? जिन गांवों में लगातार तीन साल से अकाल है उनमें भी रिलीफ वर्क नहीं किया जाय तो कौनसा नाम दिया जायगा, उसका कोई माप दंड या मेजरमेंट नहीं है या अकाल विभाग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हमदर्दी हो उन लोगों के साथ जिनके यहां लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है। हो सकता है अकाल विभाग के अधिकारियों के पास अधिक काम होगा या उनको अधिक काम दिया गया होगा, जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल रहा होगा या अकाल विभाग स्वयं ऐसी मजाक कर रहा है अकाल ग्रसित लोगों के साथ ? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से गांव खाली हो गये हैं और वहां के लोग कोटा डिवीजन में झालावाड़, कोटा, बूंदी तक पहुंच गये हैं अपने मवेशियों को लेकर। और जिनके पास पशु-धन नहीं था या जिनको यह आशा थी कि यहां भी रिलीफ शुरू होगा वे यहां रह गये। उनको यह आशा नहीं थी कि इतना भयंकर अकाल होने के बाद भी काम शुरू नहीं किया जायगा। इतने बड़े अकाल के बाद भी काम शुरू नहीं किया जाय तो मैं कौनसे शब्द कहूं सरकार के लिए ? कटु शब्द कहना तो उचित नहीं होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम बार-बार ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। कहना हमारा काम है, एक बार नहीं तो दो बार, तीन बार; बीस बार कह चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा और वह यह है कि कुछ गांव ऐसे हैं जो लगातार तीन साल से अकाल ग्रसित हैं। वहां के प्रधान और एम. एल. एज. ने बार बार संबंधित अधिकारियों को कहा कि इन गांवों में अकाल है। ऐसा भी हुआ कि कलेक्टर दौरे पर इन गांवों में गये और उन्होंने खुद ने कहा कि उन गांवों में आठ आना पैदावार है लेकिन तहसीलदारों ने ध्यान नहीं दिया। उन गांवों के बहुत से आदमी भी बाहर चले गये लेकिन उन गांवों को अकालग्रसित डिक्लेयर नहीं किया, यह तो एक साइड है, लेकिन जिन गांवों को अकाल ग्रसित डिक्लेयर किया गया उनके यहां भी रिलीफ वर्क शुरू नहीं हुआ, मीटिंग्ज रिलीफ वर्क सेंक्शन करने के लिए नहीं बुलाई। इसको देखते हुए हम इनएफिशियेन्सी का नमूना बतावें या क्या बतावें, कोई मेरे पास ऐसा शब्द नहीं है जिसको काम में ला सकूं। अगर यह अधिकारियों की कमजोरी है या जिलाधीश की कमजोरी है तो आप यह नहीं कह सकते कि जिलाधीश काम नहीं करते हैं। जिलाधीश सरकार ने बनाये हैं, वे आपके अधिकारी हैं आप उनसे काम लीजिये। जनता हमको नहीं छोड़ने वाली है और हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। जिला अधिकारी काम नहीं करते हैं तो हम क्या करें, यह कोई जवाब नहीं है। जनतंत्र में सरकार की जोइंट रेस्पोन्सिबिलिटी है और

(श्री मोतीलाल चौधरी)

जिस तरह से जनता के साथ व्यवहार करना चाहिये उसी तरीके से उन अधिकारियों से काम लेना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि नागौर जिले में ४०० गांवों में अकाल है, और गांवों में भी इसी तरह से अकाल है।

इसी तरह से आम तौर से पिछले १२ साल से जब भी अकाल पड़ता है उसके बारे में हम विचार करते है और बजट के समय भी इसके बारे में हम विचार-विमर्श करते हैं। जिन इलाकों में अकाल ने परमानेन्ट घर कर रखा है जैसे डिस्ट्रिक्ट चूरू, बीकानेर, गंगानगर जिलेका कुछ हिस्सा, नागौर, सीकर, झुन्झुनू, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, वहां पर तो आप कह सकते हैं कि एक साल नहीं जब से राजस्थान ने जन्म लिया है तब से हर साल कही न कहीं अकाल पड़ता ही है। एक साल में ५ गांव बच गये तो दूसरे साल १० गांव आ गये, तीसरे साल २० गांव आ गये इन जिलों के किसी न किसी हिस्से में अकाल पड़ता ही है यह निश्चित बात है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऐसा प्रावधान किया गया था कि कोई ऐसा एक्शन लें जिससे इन इलाकों में रहने वाले किसानों को, पशु-पालकों को, पशुधन को और आम तौर से जो भूमिहीन, पशुहीन मजदूर हैं, जो आम तौर से अकाल के शिकार होते हैं और उनको रोजी के लिए बाहर भागना पड़ता है, दिल्ली, कोटा, मालवा और बाहर दूसरी जगह अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है जिप्सीज की तरह रहना पड़ता है। उनके लिए कुछ परमानेन्ट व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनको खाने की कमी के कारण और रोजगार की कमी के कारण बाहर जाना नहीं पड़े।

आज सवेरे जिस समय जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और बाड़मेर के माननीय सदस्य रिफ्यूजीज के बारे में बातचीत कर रहे थे कि उनको परमानेन्ट बसाने के लिए अब तक कुछ नहीं हुआ, उस समय मैं भी यह सोच रहा था कि राजस्थान के जो परमानेन्ट रहने वाले लोग हैं और जिनको अकाल के कारण रिफ्यूजी बनकर बाहर जाना पड़ता है क्या वे शरणार्थी नहीं हैं? ये लोग अपने पशुधन को लेकर मालवा जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं क्या उनके लिए कुछ नही किया जा सकता? सन् ५५ से लेकर ६० तक पशुधन की संख्या हमारे यहां कितनी गिरी है। जो पशु इस अर्से में मरे है उनके आंकड़े एनिमल हस्बेन्डरी विभाग वाले देते हैं। उनसे जब प्रश्न किये गये तो उन्होंने जवाब दिया कि अकाल के कारण पशु मरे हैं। हजारों नहीं लाखों की तादाद में पशु मरे हैं। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर के जो पशु मरे हैं उनकी कीमत १ करोड़ से भी ऊपर जाती है। बाड़मेर, बालोतरा, तिलवाड़ा पचपदरा, नागौर, परबतसर, मेड़ता इन जगहों में जितनी बिक्री पशुओं की होती है उसका ट्रान्जेक्शन ३० करोड़ रुपये के आस पास होता है। उस पर काश्तकारों की जिन्दगी निर्भर करती है, उन पर सारे राजस्थान का प्रोडक्शन निर्भर करता है। केवल राजस्थान का ही नहीं आगरा, मेरठ आदि जिलों की खेती इन पशुओं पर निर्भर करती है। यदि उनको अकाल से मरने से बचाने के लिए राज्य सरकार परमानेन्ट उपाय आज नही करेगी तो कब करेगी? इस के बारे में राजस्थान सरकार ने दो दफा कमेटी बनाई दी। अब फिर राजस्व मंत्रीजी ने एक कमेटी बनाई है। उसकी पहली बैठक

(श्री मोतीलाल चौधरी)

१९ तारीख को होने वाली थी लेकिन तार आ गया, आगे सरकायेंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि अकाल मे ज्यादा इमरजेन्सी आज कौनसी हो सकती है। यह काश्तकारों और पशुओं की जिन्दगी का सवाल है। भेड़ बकरी, गाय, भैंस, ऊंट इन सब पर आज राजस्थान के लोग निर्भर हैं। भेड़ और पशुपालन वालो के विकास के आंकड़े यहां सुनाये जाते हैं। प्रथम योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना के अन्त तक हमारे यहां ८० लाख भेड़ें हो गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन भेड़ों की हालत क्या है यह कोई नही देखता। यह ठीक है कि टैक्स लगाते समय सरकार यह देखती होगी कि इन पर टैक्स कैसे लगावें लेकिन किसी प्रान्त में इन भेड़ो और पशुओं को अकाल के समय खिलाने के लिए चारा नही, पानी की व्यवस्था नही उस प्रान्त के लोगों को अपनी भेड़, बकरी और पशुओं को लेकर झुण्ड के झुण्ड बाहर जाते हैं। इस बार नागौर जालौर की तरफ से जो लोग गुजरात गये उनकी इतनी भयंकर दशा हुई कि उनको वहां पर जगह नहीं मिली। भाग कर आना पड़ा। भीलवाड़ा की तरफ से जो लोग जा रहे थे उनके साथ बातचीत करने के लिए और देखने के लिए मैं गया कि क्या स्थिति है। उनको वहां जाकर वापस लौटना पड़ा और कोटा आना पड़ा। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उससे काश्तकारों को तो तकलीफ होती ही है, साथ ही नेशनल इन्कम की दृष्टि से और नेशनल इकोनोमी की दृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसान होता है—इस पर अकाल विभाग अच्छी तरह से विचार नहीं कर पाया है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी अकाल विभाग पर नहीं डाली जा सकती है, साथ ही, मैं समझता हूं, हसबेन्ड्री विभाग पर भी जोर डालना चाहिए।

आप यदि पांच नहर ले आयें, या बीस नहर ले आयें तो उससे आप दो लाख, तीन लाख लोगों को पानी सप्लाई कर पाते हैं। आप गंग नहर से और राजस्थान कैनाल से जिस क्षेत्र में पानी दे देंगे, उसमें उस पानी से खेती बढ़ जायगी। लेकिन खेती बढ़ाने के लिए पशुधन भी जरूरी है। पशुधन अगर नहीं मिलेगा तो खेती को भी नुकसान होगा।

आज नागौर जिले के बहुत से बैल गये और वे मर गये, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिला-तो फिर आपकी इकोनामी कैसे ठीक रहेगी। कुछ लोग हमदर्दी के साथ में यह बोल सकते हैं कि हम ट्रैक्टर से खेती कर लेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप ट्रैक्टर की दृष्टि से सोचते हैं लेकिन बैल खेती के लिए बहुत जरूरी है। यदि जो बैल हैं वह मर जायं, और जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें पानी नहीं दें और पशुधन को नुकसान हो तो यह कोई इकोनोमी की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको रिलीफ देना है, तो वैसे आज आप अकाल ग्रस्त क्षेत्र मे रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कोई ऐसा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर बनायें, कम से कम आप तीन जिलों में पशुधन को बचाने के लिए पानी की व्यवस्था करें और चारे की व्यवस्था करें। अभी आप पानी की व्यवस्था

(श्री मोतीलाल चौधरी)
को और चारे की व्यवस्था को करने के लिए कोई प्रावधान नहीं करते हैं। अगर यह व्यवस्था कर दें कि अकालग्रस्त क्षेत्र में पानी कहीं न कहीं से मिल जाय और चारा भी कहीं न कहीं से मिल जाय, तो मेरे ख्याल में आप आने वाले समय में अकाल को कम कर देंगे और आपका खर्चा होना भी बन्द हो जायगा क्योंकि फिर पशुधन वहां से बाहर नहीं जायगा। इन शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो दुर्भिक्ष मंत्री हैं, और जो राजस्व मंत्री हैं–वह किसानों के एक प्रमुख नेता हैं। उनके पास यह विभाग आने के बाद में अकालग्रस्त इलाकों के लोगों को रिलीफ मिला है। लेकिन उनको कोई पर्मानेन्ट रिलीफ मिले–ऐसी व्यवस्था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की जाय और इसके लिए एक परमानेन्ट स्ट्रक्चर बनाया जाय। मेरा सुझाव है कि हर एक गांव में कम से कम एक ट्यूब वेल खोदा जाय पशुओं को बचाने के लिए और किसानों को बचाने के लिए, ताकि जब अकाल पड़े तो उनको उन पशुओं को लेकर बाहर नहीं जाना पड़े। मेरा निवेदन है कि खास तौर पर लोग इसलिए ही पशु-धन को लेकर बाहर जाते हैं क्योंकि अकाल के समय में उनको पानी नहीं मिलता है। पानी के लिए उनको कोटा तक पहुँचना पड़ता है। इसके अलावा इसलिए भी जाते हैं कि पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता है। यदि आप यह दो काम कर सकें हर जगह पर तो निश्चित रूप से आप राजस्थान के पशुधन को बचा सकेंगे।

इसके साथ मैं एक आखिरी बात और निवेदन करना चाहता हूं। आज हम साइन्टीफिक युग में रह रहे हैं और इस साइन्टीफिक युग में डाक्टरों ने यह माना है कि यदि एक बैल सौ माइल चले तो सौ माइल चलने से उसका काफी डेटीरियोरेशन होता है, इसके साथ ही यदि एक किसान सौ माइल पैदल चलता है तो उसकी जो जैनेटिकल शक्ति है वह इतनी गिरती है कि तीन पीढ़ी तक वह चली जाती है। आज साइन्टीफिक युग है, आज वैज्ञानिक युग है उसमें आज की विलेज–सेन्टर खोलने की बात करें, इतना खर्चा हसबेन्ड्री के अन्दर बढ़ायें, डाक्टरों की तनख्वाह बढ़ाने की बात करें लेकिन यदि आप पशु-धन को नहीं बचाते हैं और पशु-धन के साथ में खिलवाड़ करते हैं तो इससे राज्य सरकार को ही नुकसान होगा। इससे आने वाले समय में पशुधन की शक्ति में गिरावट होगी। मेरा निवेदन है कि इस स्थिति से बचने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर डिस्ट्रिक्ट को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है लेकिन कुछ गांव रह गये हैं जिनको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है। इस प्रकार कुछ गांवों को स्पेसिफिकली अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित न करके वहां के ऑफिसर लोगों ने और कलेक्टर ने गलती की है, वहां के लोगों ने कोई गलती नहीं की है जब ऑफीसर ने गलती की है और वहां के प्रधान और एम. एल. ए. ने अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कराने की कार्यवाही नहीं की तो उन्होंने गलती की है। लेकिन उन गांव के लोगों ने कोई गलती नहीं की। इसलिए उन अधिकारियों के बारे में इन्क्वायरी होनी चाहिए और अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित होने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

एक बात और हुई है और वह यह है कि पिछले वर्ष एक रुपये में छः आना, आठ आना जहां अकाल था वहां पर अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था और छः आना, आठ आना अकाल होने पर ही वहां पर नोटिस निकाला। इस वर्ष भी छः आना, आठ आना अकाल है तो काश्तकारों ने समझा कि लास्ट ईयर इस स्थिति में अकाल घोषित हो गया था तो इस वर्ष भी मान लिया जायेगा। इस वर्ष भी बीकानेर और नागौर, जिनके यहां पिछले वर्ष अकाल-ग्रस्त क्षेत्र मान लिया था, लोगों ने यह समझा कि जब आठ आना, छः आना अकाल होने पर अकाल-ग्रस्त क्षेत्र मान चुके है, इसलिए अब क्यों लिखा पढ़ी करें? इस दृष्टिकोण से जो सेक्शन ३५ के अन्तर्गत उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, जो शिकायत करनी चाहिए—तो क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी और जानकारी देने के लिए पूर्ण व्यवस्था नहीं थी इसलिए वह ऐसा नहीं कर सके। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी ऑल इण्डिया रेडियो से दुर्भिक्ष विभाग की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है कि क्या-क्या रूल्स फोलो करने चाहिए अकाल-ग्रस्त क्षेत्र डिक्लेयर कराने के लिए, नोटिस हो तो यह नियम पालन करने चाहिए। सरक्यूलर तो जरूर है लेकिन वह सब राज्य कर्मचारियों की फाइल तक ही सीमित हैं। और वह भी कितने रखते हैं कितने नहीं इनकी जानकारी माननीय मंत्री जी को भी है हमें भी है कि किस तरह उनके अर्थ लगाते हैं, किस तरह उनका इन्टरप्रिटेशन करते हैं, किस तरह गलती करते हैं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिन गांवों में अकाल डिक्लेयर नहीं किया है, वहां पर वीघोड़ी वसूल करने के लिए नोटिस जा रहे हैं, डिग्री जा रही है, उनसे काश्तकारों को बचाने के लिए कार्यवाही करें और छः आना, आठ आना अकाल की दृष्टि से उन गांवों को भी अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में लेने की व्यवस्था करें, जिनको राज्य के कर्मचारियों ने अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में नहीं लिया है। आप ने जो रिलीफ वर्क्स शुरू किये हैं वह तो ठीक हैं, लेकिन जिन इलाकों में शुरू नहीं किये हैं वहां छानबीन करके उसके लिए सरकार उचित कदम उठावे यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में हर साल दुष्काल पड़ता है। पिछले वर्ष भी बांसवाड़ा जिले में दुष्काल पड़ा था लेकिन तब काफी संतोषजनक कार्य हुए थे। इस साल भी वहां पर दुष्काल पड़ रहा है लेकिन राहत कार्य अभी अच्छी तरह से शुरू नहीं हुए हैं। कुछ थोड़ा-बहुत पैसा दिया गया है और दूर-दूर काम भी शुरू हुए हैं। ऐसे आदेश भी दिये हैं कि बांसवाड़ा में अनाज के सेन्टर चालू हों और रिलीफ वर्क्स भी लोगों के लिए चालू कर दिये जांय। मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा में कभी दुष्काल नहीं पड़ता था लेकिन आजादी के बाद यह सरकार बनी तो जंगलों के ठेके पर देने से वहां दुष्काल पड़ना शुरू हुआ।

मैं आपको निवेदन करूं कि बांसवाड़ा में आस पास काफी घने जंगल थे जिनके कारण वहां कभी दुष्काल नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पानी अधिक बरस जाता था। लेकिन सरकार ने उन जंगलों का ठेका देकर उन

(श्री नाथूराम)

जंगलों को कटवा दिये, बड़े बड़े पूंजीपतियों को ठेके देकर जंगल कटवा दिये, इस कारण वहां हर साल दुष्काल पड़ता है। गये साल वहां के हजारों लोगों को गुजरात की शरण लेनी पड़ी थी और जब यहां पर रिलीफ वर्क्स चालू हो गये तब वे वापिस आये। इस साल अकाल सारे डिस्ट्रिक्ट में है। तमाम गांव अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो चुके हैं। हमने इसके लिए रिलीफ मंत्रीजी को निवेदन किया था, और जब उप-मंत्री महोदय का वहां पधारना हुआ तो सारे प्रपोजल उनके सामने रखे थे। और बाद में जब तहसील कमेटी और जिला कमेटी से प्रपोजल गवर्नमेंट ने मांगे तो गढी तहसील की तहसील कमेटी में मैं स्वयं मौजूद था। वहां के कई मेम्बरों ने मिलकर प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भेजे और उसके बाद जब जिला कमेटी की मीटिंग हुई तो वहां भी मैं उपस्थित था। जनवरी से जून तक फलां-फलां काम करने हैं, इसके प्रपोजल तैयार करके भेजे। जो अभी तक जयपुर में वापिस कलैक्टर के पास नही गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह मार्च का महीना चल रहा है, और वहां के लोगों को मजदूरी नहीं मिलने से, जो वहां पर आदिवासी लोग हैं जिनके पास जीवन-निर्वाह के लिए और कोई मजदूरी या धन्धा नहीं है, वह हजारों की तादाद में गुजरात चले गये हैं, और जिन मनुष्यों के पास में मवेशी हैं वे अपने मवेशी छोड़कर चले गये हैं और इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। आठ रोज पहले रिलीफ मंत्री से हमने निवेदन किया तो आपने नोट कर लिया और कहा कि कलेक्टर से बात करके काम आरम्भ करा दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह नोट तो कागज में रह जाते हैं। और जो वहां से प्रपोजल आते हैं वे वापस नहीं जाते हैं। कलेक्टर से आपकी टेलीफोन पर बातचीत हो जाती है तो थोड़ा बहुत पैसा भेज देते हैं। मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा में साढ़े तीन लाख आदिवासी हैं, और यही हालत डूंगरपुर की है। दोनों जिलों के बोर्डर पर दूसरे प्रान्त हैं, एक पर गुजरात का बोर्डर है और दूसरे पर मध्य प्रदेश का बोर्डर है। वहां पर मिलें चलती हैं। इसलिए दुष्काल के समय में उन मिलों में हजारों लोग मजदूरी करने चले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन आदिवासियों के छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके पशु भी होते हैं उनको छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है। बागीडोरा, गढ़ी तहसील में ऐसी स्थिति है। कई जगह गढ़ी तहसील में पीने का पानी नहीं है। जब लोग बाहर चले जाते हैं तो मवेशियों की स्थिति खराब होती है, क्योंकि उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सरकार का फर्ज है कि वह इस ओर देखे। हमारा जो कर्त्तव्य है वह हम अदा करते हैं। सरकार की तरफ से भी बराबर नोट कर लिया जाता है, हमने उप-मंत्राणी महोदय से भी निवेदन किया, उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के लिए इतनी स्वीकृति भेज दी, मगर वह मंजूरी कलेक्टर के पास पहुंचती होगी तो कलेक्टर के दफ्तर में ही पड़ी रह जाती होगी। जब मैं कलेक्टर साहब से मिला और उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि प्लान वर्क्स चल रहे हैं। एक सड़क ४, ५ मील चलती है। मगर वहां के सुपरवाईजर कहते हैं कि हमारे पास औजार नहीं हैं और हमारे पास ज्यादा आदमियों को रखने के लिये आदेश भी नही हैं। इस प्रकार जब आदिवासी लोग जाते हैं तो सरकारी

(श्री नाथूराम)

कर्मचारी उनको जवाब देते हैं। इसलिये मैंने जो पहले हाउस में बताया वह ठीक था। इसके लिये कलेक्टर के पास गये तो उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी गेतियें हैं मगर वे भी वहां पर पहुँची नहीं। उन ग्रादिवासियों को कहा जाता है कि ग्रौजार लाग्रो। उसके ग्रलावा तीन-तीन महीने टैस्ट वर्क शुरू हुग्रा परन्तु उनको पैसे नहीं मिले हैं। उनको कहा जाता है कि १० बाई १० बाई २ फुट गहरा गड्ढा खोदो। तो ४) रु० देते हैं। उनके पास ग्रौज़ार नहीं होते ग्रौर जो ग्रौज़ार उनको दिये जाते हैं उनसे यह गड्ढा दो दिन में भी पूरा नहीं होता इससे ग्राधे यानी १० बाई १० बाई २ के २) रु० देते हैं। इसके ग्रलावा उनको २०० गज दूरी से मिट्टी लाकर सड़क पर डालनी पड़ती है। एक ग्रादमी, एक ग्रौरत ग्रौर बच्चे का यानी तीन व्यक्तियों का नाम मिट्टी ढोने वालों में लिखा जाता है मगर उनको ठीक ग्रौजार नहीं देते हैं इसलिये जो मिट्टी उनको खोदनी होती है वह दो रोज में भी नहीं खोदी जाती है। इसके ग्रलावा कई जगह पर दो-दो, तीन-तीन महीने से मजदूरों को पैसा नहीं चुकाया गया। कभी-कभी कुछ पैसा चुकाया गया। मगर फिर भी समय पर उनको पैसा नहीं दिया गया ग्रौर ग्रभी भी पूरा नहीं चुकाया गया है। इसी प्रकार इरिगेशन में ग्राप देखेंगे तो ग्रापको मालूम होगा कि जो वर्क चल रहे हैं उनमें ४ महीने से रुपया नहीं चुकाया गया है। पी. डब्ल्यू. डी. जो खड्डे खुदवाती है, उसमें एक रुपया दो ग्राने, १४ ग्राने ग्रौर १२ ग्राने दिये जाते हैं पर वह पैसा भी उनको वक्त पर नहीं दिया जाता जिससे वे ग्रपनी रोटी ठीक तरह से खा सकें।

इसके ग्रलावा मेरा यह निवेदन है कि बांसवाड़ा में ग्रकाल है। वहां पर हजारों मजदूरों की स्थिति ऐसी है, इस पर भी मेरा प्रस्ताव है। मैं रिलीफ के बारे में ग्रौर ग्रर्ज कर दूं। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो चारा वन विभाग से काटा गया वो तो ग्रकाल के समय मवेशियों के लिये मिलना चाहिये था। मगर वो चारा भी गरीब किसानों के पास नहीं पहुंचा। ग्रगर वो पहुंचता तो उससे थोड़ा बहुत तो वहां के गरीब लोगों को मवेशियों को खिलाने के लिये रिलीफ पहुँचता। ग्राज वहां पर १००), १५०) रुपये लोग फी गाड़ी देने को तैयार हैं मगर फिर भी लोगों को चारा नहीं मिलता है। एक बैल गाड़ी के लोग १५०) रुपये चारे के देते हैं मगर फिर भी उनको चारा नहीं मिलता है। वहां के मवेशी मरने काबिल हो चुके हैं ग्रौर बहुत कुछ मर रहे हैं। गई साल हमारी सरकार से जब निवेदन किया तो इसके लिये संतोषजनक व्यवस्था की, मगर गये साल भी ग्रकाल रहा ग्रौर इस साल भी भंयकर ग्रकाल। तो इसलिये मवेशी भूखे मरते हैं। इसलिये सरकार को इसके लिये कुछ व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिए।

चारे के ग्रलावा वहां पर पीने के लिये पानी की भी बहुत कमी है। पानी पीने को नहीं मिलता है। वहां पर पानी के कुए बहुत गहरे चले गये हैं। रात को जो लोग दो बजे या चार बजे जा कर पानी भर लेते हैं उनको पानी मिल जाता है। माही नदी इतनी गहरी चली गई है कि लोगों को दो दो, चार चार मील से पानी लाना पड़ता है। कुग्रों में पानी का लेवल ५० : ६० : ७० फीट नीचे चला गया है। इसके ग्रलावा दो तीन फीट मिट्टी खोदो तो नीचे पत्थर ग्रा जाता है ग्रौर इस कारण से पानी नहीं ग्राता। वहां पर

(श्री नाथूराम)
मशीनें चलती नहीं और इस कारण पानी नहीं निकलता। मैंने दो-तीन रोज पहले गढ़ी पंचायत समिति में मशीन के लिये कोशिश की थी मगर समय पर मशीन नहीं मिली। इसलिये मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां पर रिलीफ की व्यवस्था बिल्कुल असंतोषजनक है और वहां पर मशीनों की व्यवस्था करनी चाहिये। वहां पर गरीब आदिवासी लोग तकावी मांगते हैं वो भी उनको नहीं मिलती। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप उनको तकाबी कुओं के महरा करने के लिये देंगे तो वह गरीब आदमी पानी पी कर अपना गुजर कर सकेगा। उनकी सैंकड़ों अर्जियें पंचायत समिति गढ़ी में पड़ी हैं। कमिश्नर डूंगरपुर से अचानक बांसवाड़ा दौरे पर गये और यहां से बता दिया कि उन्होंने दौरा किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मेरे एक सप्ताह पहले निवेदन किये हुए शब्दों को पुनः नहीं दोहराता कि उनको पानी की बहुत तकलीफ है। अगर आप उस तकलीफ को नहीं मिटा सकते तो आप उनको तकावी तो दीजिये। आपको समय पर ऋण काश्तकार भरेंगे। जब सुकाल होगा उस समय ये काश्तकार आपकी तकावी चुका देंगे और यह तकावी के रुपये कहीं नहीं डूबेंगे। गढ़ी तहसील में भयंकर दुर्भिक्ष है। लोगों को रिलीफ दिया जाय और तकावी मिलनी चाहिये ताकि वे कुओं को गहरे करके अपने मवेशियों को बचा सकें। इसी तरह से सारे जिले की यही हालत है।

अनाज के बारे में खाद्य मिनिस्टर महोदय से निवेदन किया। मैंने १५ तारीख को कलेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि १५ दुकानें खोलेंगे और कमीशन बेसिस पर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले साल सारी दुकानें सरकार की तरफ से थीं। वहां बेचने वाले को ७५) माहवार मिलते थे और दुकान का किराया सरकार देती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर किसी के एक मन के पैसे बकाया नहीं रहे। इस साल वह व्यवस्था गवर्नमेंट ने हटा दी है। कमीशन बेसिस पर हर न्याय पंचायत में एक दुकान खोली है। आप देखेंगे कि कहीं एक पंचायत समिति में ५, ६ और ७ पंचायतें हैं और वे दूर-दूर हैं। दुकानों पर नाज उपलब्ध करने के लिये २०-२० मील की दूरी से आने की व्यवस्था इस प्रकार आपने की है। मगर आज आप देखेंगे कि आज वहां पर रुपया देकर अनाज लेने वाला नहीं है, क्योंकि पहले पहल माल के लिये ४ हजार रुपया की ट्रक चाहिये और व्यापारियों के पास भी वहां पर पैसा नहीं है। वहां पर व्यापारी भी छोटे-छोटे हैं और उनकी हालत गिरी हुई है। समितियों की तरफ से भी निवेदन किया गया है। मगर सरकार ने उनकी भी आवाज नहीं सुनी। अध्यक्ष महोदय, समितियों के पास भी इतना रुपया नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और मैंने उनसे कई बार निवेदन किया है कि आप कमीशन बेसिस हटा कर सरकारी बेसिस पर दुकानें खोलने की व्यवस्था करें ताकि गरीब लोगों को पैसा देते हुये अन्न तो मिल सके। मैं आपको क्या बताऊं, कहा यह जाता है कि होली पर काम के लिए नहीं

(श्री नाथूराम)

लेने आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां गया था। मैं यह कहूंगा कि लोग जिनके पास पैसे थे पैसा देते हुए भी उनको मक्का का अनाज नहीं मिला। वैसे वर्षा के वक्त में घास इकट्ठा किया था उसको इकट्ठा करके उसमें से मिट्टी को उड़ा कर, धो कर और सुखाकर ५० परसेन्ट चारे का नाज इकट्ठा किया हुआ थोड़ा थोड़ा लेकर राबड़ी के समान उबाल कर खाते हैं। वहां पर दुकानों का इन्तजाम नहीं जहां से उनको नाज मिल सके। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि वहां पर कौनसा ऐसा व्यक्ति है जो चार, पांच हजार रुपया लगा कर कमिशन बेसिस पर दुकान खोल सके। वहां पर भयंकर अकाल की स्थिति है। इसलिये आपको उनको बचाने के लिए प्रबन्ध करना चाहिये। आदिवासियों की क्या वहां तो सवर्ण लोगों की भी यही हालत है। आप कहते हैं कि हम गरीबों को १०), १५) रु० मदद देते हैं। थोड़ी बहुत रकम आप देते हैं मगर वह भी उन गरीबों में बांटी नहीं जाती है। यह कलेक्टर साहब की तरफ से व्यवस्था की बिल्कुल ढिलाई है। वहां पर सरकारी कार्य करने वालों की तरफ से भी ढिलाई है। आप कमिश्नर को आदेश जारी करें मगर उन आदेशों की सुनवाई नहीं होती।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर पानी की तकलीफ है, अनाज की तकलीफ है, इसलिए सरकारी दुकानों का जिस तरह से पिछले समय प्रबन्ध किया था उसी प्रकार किया जाना चाहिए और कमीशन बेसिस को हटा दिया जाना चाहिए।

एक न्याय पंचायत पर दुकान खोलने से उन लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है क्योंकि आदिवासी बिखरे हुए रहते हैं दूर-दूर झोंपड़ियों में रहते हैं, कुछ झोंपड़ी यहां हैं तो दूसरी झोंपड़ियां उससे आधा या एक मील की दूरी पर है, दिन भर अपना काम करते रहने के बाद वे लोग शाम को आते हैं तब तक दुकान बन्द हो जाती है और उन लोगों को अनाज नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि कमीशन बेसिस हटाकर सरकारी दुकानें जगह-जगह खोलनी चाहिये। बस यही मेरा निवेदन है। यह व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाय।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री विजयपाल कटारा।

श्री विजयपाल कटारा : (डूंगरपुर-सु.) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने राजस्थान का जनजीवन दैवी प्रकोप से दुखित हो गया है, दैवी प्रकोप से राजस्थान के अन्दर जनता बड़ी भयभीत हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि इस दैवी प्रकोप से बचाने के लिये जो हमारी देवीजी बैठी हैं, उनसे मैं आशा करता हूं कि····

एक माननीय सदस्य : देवीजी नहीं देवाजी बैठे हुए हैं।

श्री विजयपाल कटारा : मैं आशा करता हूं कि ये जनता को इस दैवी प्रकोप से बचाने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगी। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर लगातार तीन सालों से अकालग्रस्त होते आ रहे हैं। अकाल

Page No.82

(श्री विजयपाल कटारा)

की वजह से वहां की जनता के अन्दर आज घास की बड़ी भारी समस्या है, पानी की बड़ी भारी समस्या है और अनाज की बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। उस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार ही कटिबद्ध हो सकती है कि इस पीड़ित जनता की रोजी और रोटी का प्रबन्ध करे। लेकिन मेरे पूर्व वक्ताओं ने अकाल की समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हम अकाल के कारण अनाज और पानी की समस्या से बड़े भयभीत हैं। मेरे पहले पूर्व वक्ताओं ने यह बताया है कि राजस्थान के अन्दर ६ व्यक्ति भूख से मर गये। मैं नहीं कह सकता कि यह किस प्रकार का लोक-कल्याणकारी राज्य है जिसके अन्दर इस प्रकार की घटनाएं घटें और वह कांग्रेस सरकार पैर के ऊपर पैर रख कर ऊँघती रहे और जनता का कोई ध्यान नहीं रखे। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन इस सरकार से करना चाहूंगा कि ऐसी निकम्मी सरकार जिसके राज्य के अन्दर भूख से जनता मर रही है और मर चुकी है, ऐसी सरकार को तुरन्त अपना स्तिफा देकर जनता से अलग हो जाना चाहिये। लेकिन यह हाथी की तरह अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहती है। अगर कोई सरकार जनता की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर सकती तो उस सरकार को अपने आप स्तिफा दे देना चाहिये। जब सेंटर का कोई मंत्री अपना कार्य ठीक तरह से नहीं चला सकता था किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो ऐसी हालत में स्तिफा दे देता है इसी तरह से यह सरकार जो फिलहाल चल रही है इस सरकार ने काफी अपना लाभ उठा लिया है और उठा रही है। जनता को गुमराह करके लोगों की रोटी-रोजी का सवाल है, भूख का सवाल है, घास का सवाल है, पानी का सवाल है इन सवालों को आज पूरा नहीं कर सकती है और न ही यह इन सवालों को पूरा कर सकने वाली है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो लोग भूख प्यास से मर रहे हैं इनकी व्यवस्था करें, इनकी भूख को फौरन शान्त करें नहीं तो आपकी सरकार टिकना मुश्किल है।

आज के मानव में बड़ा भय पैदा हो गया है कि हमको जिंदा रहना है, हम जिंदा रह सकेंगे कि नहीं। जो आज के हालात हैं उसमें उसको भय हो गया है। जो वस्तु पहले दो आने में मिलती थी, जो वस्तु पहले चार आने में मिलती थी वही वस्तु आज डेढ़ रुपया और सवा रुपया में बिकती है। आज हर साल अकाल पड़ गये, मंहगवाई बढ़ गई तो यह सरकार गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का मंहगाई भत्ता बढ़ा देती है, थोड़ा रुपया बढ़ा देती है पर यह मंहगाई को कम नहीं कर सकती। इस मंहगाई को सरकार जब तक कम नहीं करेगी तब तक जो यह पैसे बढ़ाती है उस पैसा बढ़ाने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है··

(१.५५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो यह सरकार कानों में तेल डाल कर सोई हुई है उसे जाग जाना चाहिये।

मैं अकाल के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर में अकाल के सिलसिले में जो काम शुरू होने चाहिये वह शुरू नहीं हुए हैं। हालांकि कुछ काम जाब के लिये, टेस्ट के लिये शुरू हुए थे। हावा साहब का दौरा हुआ था तो वहां काम शुरू कराये थे।

(श्री विजयपाल कटारा)

वे सारे काम आज बन्द पड़े हुए हैं और आज जनता के बीच में किसी मिनिस्टर को पहुंचना हो, किसी अधिकारी को जाना हो और लोगों से गलमाल डलानी हो तो काम शुरू हो जाते हैं। एक आदमी को एक रुपया, औरत को १४ आने और लड़के को १० आने मिलते हैं तो इससे वह स्वयं क्या खायेंगे और अपने बच्चों को क्या खिलायेंगे ? इसलिये मेरा निवेदन है कि अकाल के समय कम से कम दो रुपया मिलना चाहिये। आज जो रेट है वह बहुत कम है, इस रेट को बढ़ाना चाहिये। आज आप और हम चिल्ला रहे हैं कि मजदूरों को पूरी भरपेट मजदूरी मिलनी चाहिये, मजदूरों को जब तक भरपेट मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी, समस्याएं सुलझेंगी नहीं।

घास के लिये अर्ज करूंगा कि डूंगरपुर में घास की सब से बड़ी समस्या आने वाली है। गत सितम्बर में मैंने कहा था कि डूंगरपुर में जून, जुलाई के महीने में, अप्रेल में सब से पहले पानी की और घास की समस्या पैदा होगी। आज वहां पशु मर रहे हैं, अगर देश में पशु ही खत्म हो गये तो खाद के रूप में हमें जो पशुओं से गोबर मिलता है जिससे कि हमारी अनाज की पैदावार होती है, वह गोबर कम हो जायगा, इसी कमी के कारण हमारी कृषि की पैदावार घट जायगी और इस तरह हमारी आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जायगी। इसलिए आज पशु-धन को बचाना सरकार का सबसे पहला कर्त्तव्य है जब सरकार पशुओं को, गायों को कटते हुए नहीं बचा सकी, अब यह भूख प्यास से मर रहे हैं। घास और पानी की समय पर वहां पर व्यवस्था करेंगे तभी वहां के लोगों को शांति मिलेगी। वहां जो दूर-दूर के एरिया हैं उनमें घास पहुँचाने की हमारे सामने सब से बड़ी समस्या है, बीस-बीस, तीस-तीस माइल तक घास लेजाना लोगों के लिए बड़ा महंगा पड़ेगा मैं इस सरकार को सुझाव दूंगा कि चार चार, या पांच-पांच पंचायतों के बीच में एक घास का डिपो कायम किया जाना चाहिए ताकि पंचायत तक, विलेज तक घास पहुँचाने का खर्चा खुद सरकार वहन करे नहीं तो किसान तीस माइल दूर तक से वे लोग अपने यहां घास लायेंगे तो घास की बनिस्पत आने जाने का और गाड़ी का किराया और ज्यादा लग जायगा इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सरकार घास की व्यवस्था करना चाहती है, सरकार कहती है कि गुजरात से हम घास खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश से घास खरीद रहे हैं; यही तरीका आपका गलत है आपको घास के लिए सब से पहले तैयार रहना जरूरी है।

(२ म.प.)

डूंगरपुर के अन्दर जो गांव अकाल-ग्रस्त घोषित हो चुके हैं लगातार तीन साल से, इन गांवों के अन्दर सरकार को चाहिए कि लगान जो नियमानुसार बैठता है वह माफ करना चाहिए। आज भी कहीं-कहीं काश्तकार को कोसा जा रहा है। जो इलाका लगातार तीन साल से अकाल पीड़ित हो रहा है, वहां अभी भी लगान वसूल होने की कोशिश कर रहे हैं। तीन साल से लगातार जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता आ रहा है उन गांवों की लगान आप को माफ करनी चाहिए। अगर

(श्री विजयपाल कटारा)

माफ नहीं कर सकते हैं तो हर साल थोड़ी थोड़ी वसूल करली जाय नहीं तो चुनाव के समय आप एक टेम्पो बनायेंगे कि हम लगान माफ करते हैं और आप वोट दो। तो उस वक्त यह समस्या आयेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार का जो लगान रहता है वह धीरे-धीरे वसूल करना चाहिए

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

या माफ करना चाहिए।

अब मैं खेती पर आ रहा हूं। हमारे सामने खेती का बहुत बड़ा जिक्र चल रहा है इस पर आज मेरा भी कट मोशन है। हम लोग 'जय किसान' का नारा लगा कर काश्तकार को जो मदद देना चाहते हैं, वह नारा एक महान् व्यक्ति का है, लेकिन इस नारे को यह सरकार पूरा नहीं कर सकती। यह काश्तकार के नाम गुमराह करने वाला नारा है। जिन काश्तकारों को समय पर मदद मिलनी चाहिए थी, समय पर बीज देने चाहिए थे, समय पर बैल देने चाहिए थे, समय पर हल उपलब्ध कराने चाहिए थे, वह आज हम उनको नहीं दे सके जिसकी वजह से आप के सामने खाद्य-समस्या सबसे जटिल उत्पन्न हो गई है। आप चाहते थे कि हम अधिक से अधिक अन्न पैदा करें उसके बनिस्बत जनता भूखी मर रही है।

भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई है बिजली देने के लिए। उस स्कीम के अनुसार सागवाड़ा में खिबलवाड़ा तक जो बिजली जा रही है। उसके लिए भारत सरकार ने कहा है कि सबसे पहले काश्तकारों को बिजली दी जानी चाहिए, लेकिन न मालूम वहां के कांग्रेसी नेता सिर्फ वोट के लिए अपने गांव के अन्दर बिजली लगवाते हैं अपने घरों के अन्दर बिजली का फिटिंग कराते हैं, उसका बड़ा दुःख है। मैं यह नहीं कहता कि बिजली घरों में नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन काश्तकारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने कलेक्टर से भी निवेदन किया कि जहां पानी है वहां बिजली का फिटिंग किया जाय ताकि बिजली ले कर लोग अनाज पैदा कर सकें और फसल पैदा कर सकें। लेकिन वहां पर बिजली न देकर गांवों में जहां एक हजार या दो हजार की बस्ती है, उसके अन्दर एक या दो सौ वोटों के मिलने की आशा में बिजली ले जा रहे हैं यह सरकार की नीति के विपरीत है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जहां पानी है वहां बिजली देनी चाहिये नहीं तो दिक्कत होगी।

आप बांध बना रहे हैं पर हमारे यहां पानी होते हुए भी काश्तकारों का बीज और जमीन सूख गई, और हम चाहते थे कि अधिक से अधिक गेहूं पैदा करें लेकिन दुःख की बात है कि वहां पर काश्तकारों ने गेहूं बोया पर पानी न मिलने से गेहूं सूख गया। तो यह जो पानी की अव्यवस्था है, नहरों में लीकेज के द्वारा पानी चला जाय और काश्तकारों को न मिले और फसल सूख जाय, इसको सरकार दूर करे और किसान को मुआवजा दे और कम से कम हिम्मत तो दे कि फसल तो सूख गयी पर इसके बजाय हम यह कर रहे हैं। इसके अलावा किसान को हम एक नारा दे कर चल रहे हैं कि देश में अनाज अधिक से अधिक बढ़ाओ। तो अगर आपने काश्तकारों को समय पर मदद न की तो एक समय आयगा जबकि आपको और हम को भूखों मरना पड़ेगा। तो अनाज पर ध्यान दे कर सरकार को बढ़ना होगा नहीं तो भविष्य में जा कर बहुत मुश्किल होगी।

श्री उपाध्यक्ष : गिरधारीलाल व्यास !

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रामींद) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल-समस्या के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने अकाल समस्या पर ध्यान देकर राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाई है वह तो एक प्रशंसनीय बात है। पिछले दो-तीन सालों में जिन-जिन कामों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने स्वीकृति दी और जिन जिन क्षेत्रों में, खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां हर दूसरे-तीसरे साल अकाल आता है, उन क्षेत्रों में जिस प्रकार मदद पहुंचाई और राहत कार्य किया पी. डब्ल्यू. डी. और इरिगेशन द्वारा, और अनाज और घास की समस्या पर जिस तरीके से विशेष ध्यान दिया, उसको राजस्थान की जनता जगह-जगह सराहती है। लेकिन यह हमारा फर्ज है कि जब कभी भी इस प्रकार की कैलेमिटीज आयें, राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्दर तो सरकार का कर्तव्य है कि हर नागरिक को हर साधन जुटाकर सहायता करे यह सरकार का कर्तव्य है, खास तौर से समाजवादी सरकार का जो नारा लगाती है कि हम समाजवाद में विश्वास करते हैं, कि हर नागरिक को रोजी-रोटी और कपड़ा मुहैय्या करेंगे। यह सरकार का प्रथम कर्तव्य है। और अगर इसको सरकार फॉलो नहीं कर पाती तो जिस भावना और जिस उद्देश्य को लेकर हम बढ़ रहे हैं वह पूरा नहीं होगा।

आज हमारे सारे प्रदेश में और देश के अन्दर सभी प्रदेशों में यह भीषण समस्या अकाल की आई हुई है और जिस भीषणता के रूप में यह राजस्थान में आई है उससे समस्या और भी गम्भीर हो जाती है, इसलिए राज्य सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। अभी तक राज्य सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के जो प्रयत्न किये हैं उससे यह नहीं कहा जा सकता कि आज आधी से ज्यादा जनसंख्या जो दुर्भिक्ष से पीड़ित है उसको राहत पहुँचा पाई है।

जहां तक मेरे जिले का सवाल है, ६०४ गांव अकाल में पाये हुए हैं और मुश्किल से ६ या ७ लाख रुपये आपके यहां से स्वीकृत हुए हैं। लेकिन उनसे भी अगर ठीक तरह कार्य करते और रुपया व्यवस्थित रूप से खर्च होते तो लोगों को राहत मिलती। पर जिस प्रकार आपने स्वीकृति दी है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं पर औजार नहीं है, तो आपके सारे प्रयत्न लोगों के पास नहीं पहुँचे हैं।

मेरी तहसील का जहां तक सवाल है मेरा निवेदन है कि १९५ गांवों में से १२५ गांव तो खरीफ की फसल से अकाल में थे और करीब-करीब ७० हजार जन-संख्या अकाल से पीड़ित है, उसमें अगर आप कम से कम इतनी राहत देते जैसा कि फेमिन कोड में प्रोवीजन है कि २५ प्रतिशत लोगों को राहत प्रदान की जायेगी, तो भी १५ हजार लोगों को राहत मिलनी चाहिए। मगर जो राहत प्रदान की गई है और जिन लोगों को काम दिया गया है वे मुश्किल से २ हजार होंगे जब कि २५ प्रतिशत के हिसाब से १५ हजार लोगों को राहत कार्यों में काम मिलना चाहिए लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई जो हमारे सामने आ रही है और अधिकारियों के सामने आ रही है वह है स्टाफ का अपॉइंटमेन्ट न होना न ओवरसियर्स हैं, न असिस्टेंट इन्जीनियर्स हैं और न ही कोई इनका टेम्परेरी अरेंजमेन्ट किया जा रहा है।

Page No.86

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : श्रान ए पोइंट ग्रॉफ ग्रार्डर, सर, सदन में कोरम पूरा नहीं है ।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात् गण-पूर्ति)

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस हिसाब से ग्रौर तुलना से लोगों को काम मिलना चाहिए वह ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है ग्रौर काम जो स्वीकृत किये गये हैं वे ऐसे काम स्वीकृत किये गये हैं कि जिन पर दो दो तीन तीन साल तक काम हुए हैं ग्रौर जिन पर केवल दस-पन्द्रह दिन काम चल कर ही जो पूरे हो गये हैं । पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा किसी दूसरे काम को हाथ में न लेने के कारण जितने भी काम करने वाले थे, वे बेकार हो गये हैं ग्रौर बेकार बैठे हुए है । सरकार को, कलेक्टर साहब को, सबको निवेदन किया कि दूसरे काम खोलें । लेकिन दस मील का एक ऐसा ग्रड़ंगा लगा रखा है कि दस मील में काम हो रहा है तो दूसरी जगह दूसरा काम नहो खोला जा सकता चाहे वह काम हो या न हो । ये कठिनाइयां सामने ग्रा रही हैं ग्रौर लोगों को काम नहीं मिल रहा है । फेमिन कोड में ऐसा प्रावधान कहीं पर नहीं है कि दस मील में काम हो रहा हो, तो दूसरा काम दस मील में स्वीकृत नहीं कर सकते । इसमें पांच सात पंचायतें ग्राती हैं ग्रौर दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार लोग पीड़ित हैं । जब तक दो तीन हजार लोगों को काम न मिल सके तब तक यह कानून लागू नहीं हो सकता ग्रौर सब लोगों को काम नही मिल सकता, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की पाबन्दी लगा करके ग्राप ग्रपने काम को ठीक प्रकार से नहीं चला सकेंगे ग्रौर सब लोगों को कष्ट उठाना पड़ेगा । ग्राज यह सबसे बड़ी समस्या है । इस पाबन्दी को हटाकर जहां पर काम कलेक्टर ग्रौर फेमिन कमेटी के द्वारा स्वीकृत किये गये थे उनको स्वीकृत नहीं करेंगे तो जो व्यवस्था ग्राप बैठाना चाहते है वह नहीं बैठ सकेगी ।

उन लोगो के लिए ग्रौजारों का भी प्रबन्ध नहीं किया । पैसा यों का यों पड़ा हुग्रा है । एक पैसे का ग्रौजार भी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ग्रौर दूसरों ने नही खरीदा जिस कारण मजदूर ग्राते हैं उनको एक ग्रौजार भी सप्लाई नही किया गया ।

पेमेन्ट के लिए पिछले साल भी निवेदन किया कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती हैं इसका कारण पी. डब्ल्यू. डी. विभाग है । न तो चौकड़ी समय पर नापते हैं मेरी चौकड़ी दूसरे के नाम ग्रौर दूसरी की तीसरे के नाम लिख दी जाती है । जिनको पैसा मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता । जो काम नहीं करते हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के कृपा पात्र हैं उनके पास पर्ची जाकर उनको पेमेन्ट हो जाता है । इसको रोकने के लिये प्रबन्ध करना चाहिये । इस साल प्रबन्ध जरूर हुग्रा । एक एजेन्सी के द्वारा वाउचर्स बनेंगे ग्रौर पेमेन्ट दूसरी एजेन्सी नायब तहसीलदार द्वारा होगा । इससे काफी गड़बड़ी में कमी ग्रावेगी । पेमेन्ट पन्द्रह बीस दिन जो भी ग्राप समय नियत करें उस समय में बराबर हो जाना चाहिये क्योंकि जो ग्रकाल से पीड़ित है उनको महीने, दो महीने, तीन महीने पेमेन्ट न हो तो जो ग्रादमी पेट भरने के लिये ग्राता है उसकी वह समस्या हल नहीं होती है ग्रौर लोगों में गलत ग्रसर फैलता है । इन बातों

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

का प्रबन्ध खास तौर से करना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बड़ी समस्या है जो मैं निवेदन करना चाहता हूं । आज अनाज और घास मुख्य समस्या है, उसी के लिये लोग काम पर आते हैं । जानवरों और बाल-बच्चों का भरण पोषण हो उसी के लिये लोग काम पर आते हैं । वह समस्या हल नहीं होती है तो अकाल से राहत का कोई मतलब हल नहीं होता है । जहां तक अनाज का सम्बन्ध है, सरकार ने प्रयत्न किया है । जगह जगह दुकानें खोली हैं । जहां तक घास का सम्बन्ध है, न तो डिपो खोले हैं और न ही कोई प्रबन्ध किया है । गावों में दस रुपया मण में भी घास उपलब्ध नहीं होता । इसको हल करने के लिये सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जटिल समस्या है, इस ओर ध्यान देकर, घास के लिये डिपो कायम करके घास वितरण का प्रबन्ध किया जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी तहसील के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने सड़कों के काम दिये आसींद से करेड़ा, दौलतगढ़ से भगवानपुरा, रायपुर से बतरपुरा, ये ऐसी सड़कें हैं जिन पर महीना भर का भी काम नहीं था । वह काम समाप्त हो चुका है । दूसरी सड़कें हैं देवगढ़ से दौलतगढ़, आसींद से मरवाड़ा । इनको जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाय, इसके लिये कलेक्टर ने भी सिफारिश कर दी है । तालाब जो फूटे हुए हैं उन पर भी काम नहीं हुआ है । जैसे मोटरास तालाब है । दो सो तीन सौ आदमियों का काम था, काम समाप्त हो गया । गुजारा से बदनोर सड़क है, बदनोर से भागासाड़ा इन दोनों को भी हाथ में लिया जाय, ताकि वहां की अकाल पीड़ित जनता को काम मिले ।

तालाब टूटे-फूटे हैं उनके बन जाने से काफी प्रोडक्शन बढ़ेगा । इनको दुरुस्त कराने से लोगों को काम मिलेगा और अकाल में राहत मिलेगी । पांच-सात तालाब के लिये मैं निवेदन कर दूं । करनगढ़, जयसिंहपुरा, दांतालाऊ, शिवसागर, लाछोड़ा और नेवरिया का तालाब । लाछोडा के तालाब के लिये सिंचाई मंत्री महोदय ने कहा था कि इसको स्वीकार कर लेंगे और काम शुरू कर देंगे । आज कृषि और सिंचाई की मांगें हैं । इसको राहत कार्य में ले लिया जाय तो लोगों को राहत मिलेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एग्रीकल्चर डिमान्ड पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर उसी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा जिस तरीके से उद्योग के लिये ध्यान दिया जाता है । उद्योग की तरक्की करना चाहते हैं तो उसमें सरकारी और दूसरों का इन्वेस्टमेंट करके इन्डस्ट्री को खड़ी करना चाहते हैं । उसी प्रकार एग्रीकल्चर को भी एक इन्डस्ट्री मान कर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा । वर्ना बातों से या थोड़ा स्टाफ रख देने से ए. ई. ओ., ग्राम सेवक रख देने से, इनकी पल्टन खड़ी कर देने से प्रोडक्शन बढ़ जायगा यह नामुमकिन बात है । आपको यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसको भी एक उद्योग की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा । मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि एग्रीकल्चर तब ही बढ़ सकता है जबकि तमाम बैंक्स का

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

राष्ट्रीयकरण करके उसकी रकम इसमें इन्वेस्ट की जाय। कच्चा माल होगा तभी इन्डस्ट्री बढ़ेगी। हमारी अन्न की समस्या भी हल होगी, कुओं को खोदने के लिये पूरा पैसा मिलेगा। आज चार सौ पांच सौ रुपया देते हैं उससे किसान कर्जदार भी हो जाता है और कुआ भी नहीं खुद पाता। पांच सात हजार रुपया बिना कुआ नहीं खुदता है। सरकार की ओर से बैल खरीदने के लिये और कुओं के खोदने के लिये जो भूरसी दक्षिणा के तौर पर रकम देकर काम कराया जाता है उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। जो डेवलपमेन्ट कृषि का करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। यह तभी संभव है जबकि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेन्ट इसमें करके व्यवस्थित तरीके से यह करें।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में मेरे इलाके की जो समस्यायें हैं वे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हर साल किसी न किसी इलाके में अकाल पड़ता रहता है। इस अकाल के समय में राजस्थान के किसानों के बच्चे जो कालेजों और हायर सेकेन्डरी स्कूलों में पढ़ने हैं ऐसे बच्चों के लिये सरकार को इस कठिन समय में सहायता देने की आवश्यकता है। वैसे तो किसानों के बच्चे मुश्किल से ही कालेजों और हाई स्कूलों तक पढ़ने पहुंच पाते है। जो होनहार बच्चे होते है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी वे किसी न किसी प्रकार आगे पढ़ाने के लिये अपने बच्चों को भेजते हैं। अकाल के दौरान ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। अभी बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी ने लगातार इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. मैं समझता हूं इस बारे में सरकार को कदम उठाने चाहिये।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर हर साल अकाल पड़ता रहता है इसके लिये सरकार से हम यह मांग करते आये हैं कि बीकानेर जिले के लिये राजस्थान केनाल की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लागू की जाय ताकि इस जिले को अकाल की समस्या से छुटकारा मिल सके। यह बड़ी खुशी की बात है कि इसके लिये राजस्थान सरकार ने योजना बनाई है, इसके लिये एस्टीमेट्स बना लिये हैं और इस योजना को स्वीकृति भी दे दी है यह इस इलाके के लोगों के लिये खुशी की बात है कि इतने बड़े काम के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी। अब हम यह चाहते हैं कि राजस्थान सरकार इस योजना को प्लानिंग कमीशन से मंजूरी लेकर के इस योजना पर शीघ्र से शीघ्र काम शुरू करे ताकि जो इलाका अकाल से हर साल पीड़ित रहता है उससे राहत मिल सके।

जिस प्रकार की योजना बीकानेर जिले के लिये राज्य सरकार ने बनायी है उसी प्रकार हमारे राजस्थान में जहां हमेशा अकाल पड़ते रहते हैं उन इलाकों के लिये भी सरकार को खास तौर से अकाल से मुक्ति दिलाने के लिये, उसका स्थायी हल निकालने के लिये सरकार द्वारा योजना बनाना आवश्यक है। इसके लिये मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि जिस प्रकार की योजना बीकानेर जिले के लिये बनायी है उसी

Page No.89

(श्री भीमसेन)

प्रकार की योजना ऐसे इलाकों के लिये, जो हर साल अकाल से ग्रस्त रहते हैं उनको भी अकाल से मुक्ति दिलाने के लिये योजनायें बनायी जानी चाहिये।

इसके अलावा मेरे इलाके में कुछ समस्यायें हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसे गांव हैं बीकानेर और लूणकरणसर तहसील में जहां टेक्निकल कारणों से वे गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं किये जा सके। ऐसे गांवों के लिये सस्ते अनाज की व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरे क्षेत्र में कहीं भी अनाज पैदा नहीं हुआ है लेकिन मामूली फसल की वजह से उसको अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। शहरी क्षेत्र में सरकार सस्ते अनाज की दुकानें खोलती है उसी तरह से जिन गांवों में अनाज पैदा नहीं हुआ उन गांवों के लिये भी सरकार को अनाज की व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके साथ साथ कुछ बड़े गांव ऐसे भी हैं जिनके अन्दर अकाल राहत के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी है। वैसे जिला राहत कमेटी की ओर से सरकार के पास प्रस्ताव भी आ चुके है, राजासर, केलां, जैतपुरा ये गांव ऐसे हैं जहां दो-तीन हजार की आबादी है यहां कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन इलाकों के लोगों के लिये अकाल राहत कार्य खोले जायें।

इसके अलावा मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान कोटवाड़ा के एग्रीकल्चर वर्कशोप की ओर दिलाना चाहता हूं। इस वर्कशोप में उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग ऐसे हैं जो निजी उपयोग के लिये इस वर्कशोप को काम में लेते हैं। वहां का सामान चिट्स द्वारा बाहर पहुंचा देते हैं बाद में उन चिट्ठियों को फाड़ देते हैं। ऐसा वहां का जो चार्जमैन है जिसने बाहर अपना वर्कशोप खोल रखा है वहां वह मोटर रिपेयर्स वेल्डिंग आदि का काम करता है। उसके लिये सारा का सारा सामान यहां के वर्कशोप से बाहर आता है। उसी से वे काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुटबन्दी और दलबन्दी की भावना से काम करते हैं। जो लोग सुपरवाइजर या चार्जमैन हैं उन में काम करने वाले जो छोटे लोग है उन्होंने यूनियन बना रखी है, जो कम्यूनिस्ट यूनियन है। उनके साथ नहीं आते हैं उनकी नुक्ता-चीनी करते हैं। उनकी गैर-हाजरी लगा देते हैं और और तरह से उनको परेशान करते हैं। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि आप इस बारे में कुछ कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और गुजरात स्टेट के लिये एग्रो-इकोनोमिक सेन्टर आनन्द में काम कर रहा है। उसकी राजस्थान सरकार को जानकारी नहीं है। यह उपयोगी संस्था प्लानिंग कमीशन की ओर से काम कर रहा है। एग्रो-इकोनोमिक रिसर्च सेंटर जो है वह राजस्थान और गुजरात के लिये उपयोगी काम कर रहा है। इसकी जो रिपोर्ट होती है वह रिपोर्ट सरकार द्वारा दी जानी चाहिये ताकि इसके बारे में सदस्यों को जानकारी हो सके।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे सड़कों के टुकड़े हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। कोट मलवा की सड़क पर कुछ हजार

(श्री भीमसेन)

किसान काम कर रहे हैं उस सड़क का काम खत्म होने वाला है अतः गांव सेरेरा, हेमेरा, बड़ावास यह सड़क पूरी होने वाली है। अतः इसके आगे बमलूहेमेरा को पुनरासर तहसील डूंगरगढ़ जिला चूरू तक बनाया जाय तो दो हजार लोगों को काम मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे काम जो हमारे इलाके में हो रहे हैं डिफेन्स रोड्स है उसके दस मील एरिया में काम कराना नहीं चाहते। अगर यहां काम करा लेते हैं तो आपका यह मानना है कि डिफेन्स रोड्स के लिये काम करने के लिये लोग नहीं आयेंगे। इन रोड्स पर जो आदमी काम करने के लिये लेते हैं वे सिलेक्टेड आदमियों को लेते हैं। इसलिये जहां अकाल है वे सब लोग तो वहां आ नहीं पाते इसलिये उनको राहत नहीं मिलती। अतः दस मील एरिया की जो बात रखी है आप उसकी जगह पांच मील के एरिया को शामिल करें ताकि काम मिल सके।

पिछले अकाल के दौरान जुगता तलाई पर काम करने वालों की मजदूरी के रुपये पांच हजार बकाया पड़े हुए हैं। वहां के अधिकारियों की गलत रिपोर्ट के आधार पर वहां के मजदूरों के पांच हजार रुपये हैं पिछले दो सालों से सरकार उनका पेमेन्ट नहीं कर पायी है। मस्टर रोल्स जो बने हुए हैं उन पर किसी अधिकारी के दस्तखत नहीं हैं इस बिना पर मैं निवेदन करना चाहता हूं मस्टर रोल्स पर तहसीलदार के काउन्टर सिगनेचर हैं। अतः जो पांच हजार रुपये हैं इनके बिल्स के पेमेन्ट कराने की व्यवस्था करें। यह जो बात कही गई है कि मस्टर रोल्स का वेरीफिकेशन नहीं हुआ है यह गलत है। मस्टर रोल्स तहसीलदार द्वारा सर्टिफाई होकर के लिये जाते हैं अतः सरकार उनके पेमेन्ट की व्यवस्था करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में फेमीन की डिमान्ड पर बहस चल रही है। इस बारे में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। उनके अन्दर मैंने यह कहा कि जयपुर जिले के अन्दर जो फेमीन डिक्लेअर हुआ, उसको डिक्लेअर हुए करीब तीन महीने हो गये जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया उन गांवों में राहत कार्य शुरू नहीं हुआ। मैं उप मंत्राणी महोदया से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं चाकसू तहसील करीब-करीब सारी फेमीन के अन्दर आगई है, इनमें तीस-पैंतीस गांव ऐसे हैं जिनमें अकाल नहीं है लेकिन राहत कार्य सरकार की तरफ से चालू नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत के अन्दर वहां का गरीब किसान मजदूर परेशान है शहर नजदीक नहीं है; जो मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर सके। वहां के लोगों की इतनी हालत खराब हो गई है कि लोगों को खाने के लिये अनाज नहीं मिल रहा है। सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं पांच जगह खोली हैं जिससे कुछ राहत मिली है लेकिन उनके लिये कोई राहत कार्य खोलते तो वहां के लोग मजदूरी पर लग जाते और उनको पेट भर खाने को अनाज मिलता। जिलाधीश महोदय ने मीटिंग बुलाई थी उन्होंने पंचायत समिति से प्रोपोजल्स भी मांगे थे जो भेज दिये गये, अब तो सरकार के पास वे पहुंच भी गये होंगे इसलिये नम्र निवेदन है कि प्रोपोजल्स जो जिलाधीश की तरफ से पहुंच गये हैं वहां राहत कार्य जल्दी से जल्दी शुरू कराये जावें।

(श्री नाथूलाल करौल)

इसी प्रकार दूसरा एरिया है सांगानेर तहसील। सांगानेर पंचायत समिति क्षेत्र में दो अकाल पड़ चुके हैं। लास्ट ईयर १२ फरवरी को इस तरह से लोगों का गल्ला नष्ट हुआ। अनाज का दाना और भासला भी नहीं रहा। इधर खरीफ की फसल में कोई अनाज पैदा नहीं हुआ। इन्हीं गांवों में राहत कार्य आज दिन तक भी शुरू नहीं हुआ।

गोनेर दांतली के बीच काम शुरू हुआ, सड़क का। मेरा निवेदन है कि जातपुरा से कुन्दनपुरा तक एक सड़क का निर्माण होना चाहिए। रेगरों की कोलोनी बसाई है तो वहां तक के सड़क के एक टुकड़े को बनाने के लिए मेरी अर्ज है ताकि वे लोग शहर में आ सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। इस रेगर कोलोनी का शिलान्यास गवर्नर महोदय ने किया था जब वे यू० पी० के चीफ मिनिस्टर थे। कोलोनी की आबादी आज ५००-६०० की है। सड़क के अभाव में आज वे मजदूरी के लिए तड़फते रहते हैं। अगर यह जातपुरा से कुन्दनपुरा तक की सड़क चालू हो जाये तो वे रेगर और किसान जयपुर तक आ सकते हैं और अपनी मजदूरी कमा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे जल्दी शुरू कराया जाय।

दांतली से गोनेर तक सड़क का काम चल रहा है; वह बन्द न हो। मजदूर काफी मिलते हैं।

कृषि के लिए मेरा कटौती प्रस्ताव है। बीज मिला। अच्छा भी मिला, पर एक कठिनाई इसमें आई कि बीज कम था। चने के बीज की कोई कमी नहीं थी, पर गेहूं के बीज की कमी थी। इसकी वजह से कुछ लोग-बाग रह गये। बीज जो बांटा जावे वह समय पर बांटा जावे।

दूसरी अर्ज मेरी यह है कि बी० एल० डब्लू० जो आपने रख रखे हैं, वे बेकार हैं, उनका पैसा खर्च करना सरकार के धन का दुरुपयोग है। इसे तो बन्द कर दिया जाना चाहिए। ये आज न काश्तकार को कोई मदद करते हैं, न काश्तकारों को कोई कृषि सम्बन्धी जानकारी देते हैं। यह मेरा अनुभव है। चाकसू, सांगानेर, गोनेर आदि कई जगह का कई पंचायत समितियों का अनुभव है।

अब कृषि में उन्नति नहीं हुई, यह मैं नहीं कहता। कृषि में तरक्की हुई है, पर विभाग के जितने भी नीचे के वर्कर्स हैं उनको जरूर काम करना चाहिए। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने १।। करोड़ की जो रकम मन्जूर की है वह कम है।

मगोमरा, राजपुरा बेगूं तहसील के गांव हैं जो अकालग्रस्त घोषित हुए हैं। इसमें ५० हजार रुपया सड़कों के लिए रखा गया। पर मजदूरी उनको देते हैं १.१२,०.८७ पैसा इतने कम पैसों में कोई मजदूर आ सकते हैं? तो मेरी अर्ज है कि आप इस बारे में मुझे समझाने की कृपा करें कि आपका क्या नियम है। राणाप्रताप सागर पर मजदूरों को आप २।।) २।) और २) देते हैं तो यहां इतने कम पैसों में कैसे मजदूर आ सकते हैं। इसे आप मामूली बात न समझें बहुत बड़ा मामला है।

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

इसी तरह घास की कठिनाई है। साल दो साल बाद जंगल खोलने की बात आप करते हैं, पर मवेशी आज ही मर जावेंगे तो आपका साल दो साल बाद खोलना किस काम आयेगा। तो जहां जहां जंगलात में घास है दिलाने की कृपा करें। फिर अगर जंगल आपने नहीं खोले तो घास तो लोग वैसे ही ले जावेंगे; इसमें गरीब मारा जावेगा, चालाक फायदा उठा लेजावेंगे।

इसके अलावा आपने अनाज की दुकानें खोलीं, पर उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। पचास लाख जनता जो शहरों में रहती है, आपने उनके लिए तो सोचा है, १।। करोड़ जनता जो देहातों में रहती है उनके लिए कोई व्यवस्था अच्छी तरह से आपने नहीं की है।

कृषि के मामले में हम पिछड़ रहे हैं। योजनायें बनीं। बड़े-बड़े बान्ध आपने योजना में अधिक रखे। इसके स्थान पर अगर छोटे-छोटे तालाब कुओं, की मरम्मत या बनाने की बात हाथ में लेते तो अनाज की कमी की नौबत नहीं आती। अब इसके लिए आपको क्या दोष दें। आपका योजना का १५ लाख टन पैदा करने का लक्ष्य फेल हुआ है। ११ लाख की आप बात कर रहे हैं, पर वह भी आंकड़ों की बात है। वास्तव में उतना भी होगा कि नहीं, कौन कह सकता है।

किसानों को जंगलात की आज भी बड़ी परेशानी है। जो पीढ़ियों से लकड़ी लेते रहे हैं आज नहीं लेने देते। आपका राज होने के बाद तो ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिये थी, पर उल्टी कम हुई है। आप इस पर विचार करें यह मसला छोटा नहीं है।

पहले भी लाग-बेगार ली जाती थी, आज भी हमारी अपनी सरकार होते हुए भी किसान के साथ वैसा ही अत्याचार हो रहा है। खडला करके बिजौलिया में टैक्स लिया जाता है।

बहुत सी जमीन बिना काश्त पड़ी है। जंगलात वालों ने झगड़ा डाल रखा है। राणाप्रताप सागर के लोग थे श्रीपुरा गांव के पास से वे लोग जंगल में डटे रहे। पचास साठ घर थे। पुलिस और कलेक्टर सब पहुंचे सैकड़ों बीघा जमीन थी। निकालने की कोशिश बेकार गई उनकी। अन्त में जाकर बापी तो वह नहीं की गई, पर आश्वासन दिया है कि अच्छी बात है, वहीं रहो। तो आप भूमिहीनों को इस तरह फालतू पड़ी जमीन देने की कृपा करें।

ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनको कह कर सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। पर वास्तव में आपका कैसा राज है, इस पर विचार करना चाहिए। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के तीन प्रस्ताव हैं.........

(कुछ माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए) :

श्री उपाध्यक्ष : I have called the name.

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मसूदा क्षेत्र रह गया है। वहां जो अकाल पड़ा है उसके लिए किसी ने भी जिक्र नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में आप बोल लें।

Page No.93

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के ऊपर मेरे ३ कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं मुख्य तौर पर कोटा क्षेत्र में भूमि कटाव के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इस सदन में कई बार माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कोटा क्षेत्र में भूमि कटाव की ओर दिलाने की कोशिश की। भूमि कटाव की कई प्रकार की वहां समस्यायें हैं। जहां तक कृषि विभाग का संबंध है वह किसानों के खेतों पर भूमि कटाव का इन्तजाम करता है, लेकिन यह प्रोग्राम अपने आप में पूरा नहीं होता है। क्योंकि केवल किसानों के खेतों पर भूमि कटाव का इन्तजाम करने से भूमि कटाव बन्द नहीं होते हैं। जब तक मार्जिनल एरियाज और कैचमेंट एरियाज में किसी तरह से भूमि के कटाव का इन्तजाम नहीं किया जायगा तब तक केवल काश्तकारों के खेतों पर भूमि कटाव का इन्तजाम कराने से केवल पैसा ही खराब करना है क्योंकि कैचमेंट एरिया में जिस तरह से पानी बेरोक बहता है और जो कुछ इन्तजाम होता है काश्तकारों के खेतों पर उसी पानी की रोक से इसका इन्तजाम नहीं रुक पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भूमि कटाव का जो इन्तजाम है वह कृषि विभाग, फोरेस्ट डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट और जो दूसरे संबंधित विभाग हैं उन सब से मिल कर एक कन्सालिडेटेड प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है ताकि जिन जरियों से भूमि कटाव होता है उन सब का समुचित प्रबंध हो सके। मैंने अनुभव किया है कि अभी मेरे क्षेत्र में संगोद पंचायत समिति में कई जगह भूमि कटाव को रोकने के लिए भू-संरक्षण के काम किये गये हैं लेकिन क्योंकि इन्होंने कैचमेंट एरिया का कोई इन्तजाम नहीं किया पानी के जो मुख्य सोर्स हैं उनको वहां रोकने का इन्तजाम नहीं किया। इसलिए पानी बरसने पर कैचमेन्ट एरिया में अनकन्ट्रोल्ड बहता है और जो कृषि विभाग द्वारा काम होते हैं, इनके बनाये हुए बंध होते हैं उनको तोड़ता हुआ बहता है। मार्जिनल लेण्ड का इन्तजाम नहीं होने से यह काम अधूरा है। अभी इस समस्या की गंभीरता को महसूस करते हुए गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के सोइल कन्जर्वेशन डिपार्टमेन्ट ने करीब ११ करोड़ रुपये पिछली तृतीय पंच-वर्षीय योजना में चम्बल क्षेत्र और जो रिवरवैली इरोजन होते हैं उसके लिए स्वीकृत किए थे। उसमें जहां तक मेरी जानकारी है ३० लाख रुपया सोइल कन्जर्वेशन के लिए चम्बल में दिया था। लेकिन अभी तक इस तृतीय पंच-वर्षीय योजना में पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं हो सका। जहां तक मेरी जानकारी है अभी उस क्षेत्र में पूरी तरह से सर्वे भी नहीं हुआ है और यह प्रबंध फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के आपस के कोआर्डिनेशन नहीं होने की वजह से पूरी तरह चालू नहीं हो सका है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सब महकमे खास तौर से फोरेस्ट, रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट साथ बैठकर को-आर्डिनेट करके इनका प्रोग्राम जो भू-संरक्षण का है वह सब साथ मिलकर चलें तो यह प्रोग्राम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक कटौती प्रस्ताव कोटा क्षेत्र में कृषि योजनायें हैं उनकी अव्यवहारिकता पर दिया है। चम्बल कमाण्ड एरिया में और कोटा में जो दूसरे सिंचित एरियाज हैं उनके बारे में कृषि विभाग ने मन्जूर किया है कि वहां भूमि समतल नहीं है और उसके लेवलिंग करने का प्रोग्राम

(श्री जुझारसिंह)

अभी सरकार के विचाराधीन है। जिस तरह से पानी के भराव की जो समस्या है उसकी ओर भी सरकार ने जो अभी नोट सरकुलेट किया है उसमें जिक्र किया है। ये दोनों समस्यायें उस क्षेत्र की बहुत गम्भीर समस्यायें हैं और इनके बारे में भी सरकार ने यद्यपि यह सोचा है कि वह हैवी मशीनरी और ट्रैक्टर डिवीजन चम्बल कमाण्ड एरिया में लायेंगे और जमीन को किसी तरह से समतल करके लोगों को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस योजना के अनाउन्समेंन्ट करने के बावजूद भी न तो ट्रैक्टर डिवीजन वहां पर बनाया गया है और न हैवी मशीनरी ही इन्ट्रोड्यूस की गई है। जिससे जमीन लेवल नहीं होने की वजह से किसी जगह तो पानी भर जाता है और किसी जगह पानी पहुंच भी नहीं पाता है। इसी तरह से कृषि विभाग के नक्शे में हो सकता है कि कई लाख बीघा सिंचित जमीन उसमें बताई गई है लेकिन ऐसा नहीं होते हुए भी उस जगह पानी नहीं पहुंच पाया है और कोई जगह ज्यादा पहुंच गया है। इसलिए फसलों का बिगाड़ हुआ है। इसलिए जो आपने प्रपोजल दिये हैं फील्ड्स को लेवलिंग करने के, इसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसको जल्दी ही वहां करें और जो नये अलॉटमेंट एरिया में किये हैं उसमें तो इस अलॉटमेन्ट के कारण कृषि के काम में बहुत बाधा पहुंची है। मैं तो महसूस करता हूं कि कोटा की पुरानी रियासत में और मौजूदा कोटा में जो अलाटमेन्ट की पालिसी है वह बहुत गलत है। यदि आपको चम्बल सिंचित क्षेत्र में या दूसरी जो मार्जीनल लेण्ड है उनका अलाटमेन्ट करना है तो उसके पहले यह भी जरूरी है कि उन अलाटेड एरिया को जिसमें अलाट करते हैं जहां बहुत सी रेविन्स हैं, ब्रोकन लेण्ड है और जो अभी किसी तरह से खेती के काबिल नहीं है उसको यदि आपको अलाट करना है तो पहले उसको लेवल किया जाये और जो आपकी मशीनरी मंगाने का प्रोग्राम है ज्यों ज्यों एरिया को क्लीयर करके और लेवल करके दे सकें तो वह अधिक उचित होगा। बजाय इसके कि अनलेवल्ड या 'एज इट इज' करके दे रहे हैं। आपकी पालिसी से भूमि कटाव बढ़ता है और काश्तकारों के पास इतने साधन नहीं होते कि जो उनके पास १५-२० बीघा फी फेमिली जमीन है उसको अपने साधनों से लेवल कर लें और किसी तरह से उसको उपजाऊ बनायें।

आपका जो खाद का प्रोग्राम है, गेहूं के अलावा दूसरे अनाज हैं उनमें खाद का प्रोग्राम है वह भी बड़ा डिफेक्टिव है और जो आपने फिगर्स दी हैं उनके हिसाब से आपके जो टारगेट्स हैं ६४ में खाद के जो टारगेट्स रखे हैं जो सिंचित क्षेत्र में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत उपयोगी हैं उनके हिसाब से आपके टारगेट्स को आप पूरा नहीं कर पाये हैं। तो इस साल १ लाख टन नाइट्रोजन खाद का और करीब ३४ हजार टन सुपर-फोस्फेट का जो टारगेट था उसके मुकाबले में आप मुश्किल से ४ हजार के करीब सुपर फोस्फेट दे सकेंगे और ९७ हजार के करीब नाइट्रोजन का खाद दे सकेंगे। ये जो आपके टारगेट्स हैं, ये पिछली साल में भी करीब ५० परसेन्ट ही बनते हैं और सुपर-फोस्फेट तो ११३ ही होता है। तो इसके मुकाबिले में यदि आपके पास

(श्री कुम्भारसिंह)
केमिकल फर्टीलाइजर की कमी है तो आपके प्रोग्राम में ग्रीन मेन्योर या दूसरे के लिए कोई प्रावधान आपने नहीं किया है। ग्रीन मेन्योर कितने एकड़ में करेंगे और उनके बीज का क्या प्रबन्ध किया है। जो आपने नोट सर्कुलेट किया है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह से बीज के टार्गेट्स है। इसमें भी बहुत कमी है। तो आपके खाद, बीज और पानी के साधनों में कमी है। तो मैं महसूस करता हूं कि आपके जो एग्रीकल्चर के टार्गेट्स है वह पूरे नहीं हो पायेंगे और आपके प्रयास करने के बावजूद मैं महसूस करता हूं कि कोटा रियासत के इन्टीग्रेशन के बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की स्थापना हुई है और धीरे धीरे इसका विकास भी हो रहा है, इन्होने कई डाइरेक्शन्स में प्रयास किये हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन कोरे प्रयास करने से या प्रोग्राम बनाने से सक्सेसफुल नहीं होते। जो आपकी एग्जीक्यूटिव एजेन्सी है उसके ऊपर बहुत कुछ आपको डिपेण्ड करना पड़ता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं समझता हूं कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स साइल कन्ज़र्वेशन आफिसर्स या विलेज लेवल पर जो आफिसर्स हैं वे इतने ट्रेण्ड नहीं हैं कि वे आपके एग्रीकल्चर के प्रोग्राम को अच्छी तरह से चला सकें। अभी बहुत सी जगह इनके डिफेक्टिव डाइरेक्शन की वजह से काश्तकारों को आपके प्रोग्राम की तरफ से अरुचि होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपके जो एक्सटेन्शन ऑफिसर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं वह कम रखें लेकिन जो भी रखें वह प्रैक्टीकल जो काश्तकारों को डाइरेक्शन दे सकें और इस प्रकार के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रखते हैं तो आपका प्रोग्राम ज्यादा सुचारु रूप से चलेगा।

इसके एग्जाम्पल में मैं एक मिसाल देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जो आपने पोल्ट्री फार्म चलाए थे उसमें आपने जो भी प्रोग्राम रखे थे वे सब के सब अन-सक्सेसफुल रहे। पहले वर्ष तक पोल्ट्री फार्म का प्रोग्राम फेल रहा लेकिन अब आपने उसी प्रोग्राम को इन्टरेस्टेड कल्टीवेटर्स में, सिलेक्टेड आदमियों के द्वारा चलाए तो वही प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। जो पोस कार के आदमियों को आप लाए, जो इसमें रुचि रखते थे, जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जिनके पास टेकनीकल नोलेज थी, जिनके पास में इसके खास साधन थे, उनमें आपने यह अपना प्रोग्राम कन्सन्ट्रेट किया तो पोल्ट्री का प्रोग्राम बहुत सक्सेस-फुल रहा और राजस्थान के अन्दर अण्डों का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, अण्डों के प्रोडक्शन की हालत बहुत सुधर गई। तो यह एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास कायदे का स्टाफ हो, राइट डाइरेक्शन में काम किया जाय, मेहनत करने वाले कर्मचारी हों तो जिस तरह से आपका पोल्ट्री फार्म का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया उसी तरह से यह एग्रीकल्चर का काम भी सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि कल्टीवेटर्स में हर एक में एक टेंडेंसी होती है कि अगर उसके अपने खेत पर दो मण, चार मण की पैदावार भी बढ़ सकती है तो वह जरूर बढ़ाएगा। और अगर आप इस तरह के साधन देते हैं और आपके स्टाफ पर उसका पूरा भरोसा हो तो कोई वजह नहीं है कि

(श्री झुझारसिंह)

वह आपके द्वारा बताए गए डायरेक्शन पर नहीं चले। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें या तो आपके स्टाफ पर पूरी तरह से उनका भरोसा नहीं है, कल्टीवेटर्स का वे पूरा विश्वास प्राप्त नहीं कर सके हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और भी कई ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हमारे क्षेत्र के किसानों में विश्वास पैदा नहीं कर सके हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आप ट्रेंड और डेडिकेटेड स्टाफ लगायें ताकि उन्हें एग्रीकल्चर प्रोग्राम में थोड़ी मदद मिल सके।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस वर्ष कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में प्रयत्न किए, उसके बावजूद भी कृषि का उत्पादन विशेष तौर से खरीफ की फसल का उत्पादन काफी कम हुआ है। राज्य सरकार ने इस कमी का कारण यह बताया कि राज्य में वर्षा की कमी हुई है और उस वर्षा की कमी के कारण अनाज का उत्पादन कम हुआ है। अनाज का उत्पादन कम हो और उसके लिए कारण वर्षा की कमी बताया जावे, यह दोनों बातें आज के युग में बेमेल हैं। आज से यदि पन्द्रह, बीस वर्ष पहले यह बात कही जाती कि वर्षा नहीं हुई और इस कारण से अनाज का उत्पादन गिर गया तो बात कुछ समझ में आती। क्योंकि उस समय न तो आज के समान सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त थीं, न आज जितनी हमारे पास खाद्यान्न की व्यवस्था है उस प्रकार की व्यवस्था पहले थी।

(गणपूरक व प्रोगण-पूर्ति के पश्चात्)

तो जब इन चीजों का अभाव था उस समय हम यह अनुमान लगाकर चल सकते थे कि राज्य में कृषि का उत्पादन कम होगा, लेकिन आज करोड़ों रुपया हमने बड़े बड़े सिंचाई के बांधों पर खर्च किया है, लघु सिंचाई योजना पर खर्च किया है, मध्यम सिंचाई की योजनाओं पर खर्च किया है और इसी प्रकार से खाद, बीज, इम्पलीमेंट्स और खेतों की भूमि को अधिक उर्वरा बनाने की दृष्टि से काफी चीजों का उपयोग किया है। उस स्थिति में यदि अनाज के उत्पादन में कमी होती है तो यह इस बात का पहला सार्टिफिकेट है कि आज तक हमने अनाज के उत्पादन के सम्बन्ध में जितने भी प्रयत्न किए हैं वे पूर्णतया सफल नहीं हुए हैं। खरीफ की फसल में करीब दस लाख टन अनाज की कमी हो जाय और वर्षा के कारण से कमी हो जाय तो इसका तात्पर्य एक ही होगा कि हमारे पास चाहे जितने ही सिंचाई के साधन हों, हमारे पास चाहे जितना खाद हो, चाहे जितने बीज के साधन हों लेकिन यदि बरसात की कमी रहती है तो उस नेचुरल केलेमिटी का हम मुकाबला नहीं कर सकते। जिस राज्य में पन्द्रह वर्ष के डेवलपमेन्ट के बाद भी नेचुरल केलेमिटी का और विशेष तौर

(श्री भैरोंसिंह)

से अन्न उत्पादन के विषय में, मुकाबला करने की क्षमता पैदा नहीं हो तो वह राज्य इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हमने कृषि के क्षेत्र में कोई प्रगति की है, हमने कृषि के क्षेत्र में किसी प्रकार की उन्नति की है। राजा-महाराजा भी कह सकते थे और जनता को इस बात से प्रभावित कर सकते थे कि बरसात की कमी से अनाज का उत्पादन नहीं हुआ। जो राजा-महाराजाओं का आग्युमेंट था आज से बीस वर्ष पहले जो आग्युमेंट वे जनता के सामने देते थे यदि वही आग्युमेंट आज की सरकार इस आधुनिक युग में देती है तो यह सरकार की असफलता के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। मुझे इस बात का खेद है कि राजस्थान सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यह हो सकता है कि माननीय कृषि-मंत्रीजी स्वयं कृषक होने के नाते इन समस्याओं को समझते हों, लेकिन कृषकों की समस्याओं को समझने के बावजूद इन समस्याओं का समाधान वे नहीं कर सके, इसका कोई उपाय नहीं कर सके और इसको राइट डाइरेक्शन में नहीं ले जा सके तो यही कहना पड़ेगा कि वे इसको राइट तरीके से इम्पलीमेंट करने की क्षमता नहीं रखते और यही कारण है कि राजस्थान में पर कैपिटा यील्ड दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। और इसका कारण यह भी है कि पिछली वर्षा में बरसात की कमी रही और कुओं के पानी की सतह नीचे जा रही है। जमीन में जो नमी थी वह खत्म हो रही है, खाद की कमी हो रही है, इम्पलीमेंट्स मिलते नहीं हैं एग्रीकल्चरिस्ट की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह जमीन पर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इन सबका सम टोटल यह निकलता है कि पर एकड़ यील्ड दिन दिन गिरता जा रहा है और पर एकड़ में हमारा इन्टेंसिव फार्मिंग कम होता जा रहा है इस तरह से जो अनाज का उत्पादन राजस्थान में होता है वह भगवान के भरोसे हो रहेगा। जिस साल वर्षा अच्छी हो गई और उत्पादन बढ़ गया तो यह हमारी योजनाओं की सफलता है और जिस साल वर्षा नहीं हुई और उससे उत्पादन कम हुआ तो इसका दोष भगवान का, भगवान ने हम पर कुदृष्टि कर दी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप क्या सुधार चाहते है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं सरकार से यह चाहता हूं कि जो १८ वर्षों में सात अरब रुपया खर्च कर दिया तो वह कहां गया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उससे खेती की जमीन बढ़ी है।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा खेती तो पहले भी होती थी और आप कहते हैं कि खेती बढ़ी है तो केवल हल के नीचे ले लेना ही कोई बहुत बड़ी क्षमता की बात नहीं है। आज भी लाखों एकड़ भूमि पड़ी हुई है, आज भी आपके यहां भूमिहीन किसान लोग हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं होता है। मैं एक प्रश्न के रूप में सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले साल लैंड अलॉटमेंट का एक ड्राइव चलाया था। इस विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने यह मांग की थी कि जमीन का अलॉटमेंट किया जाय और उस पर लाखों एकड़ जमीन का डिस्ट्रिब्यूशन किया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पी० एल० ४८० की तरह से जमीन तो अमेरिका से नहीं आई·······

(श्री भैरोंसिंह)

यह कोई इंगलिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत ने गिफ्ट में नहीं दी जमीन। जमीन यही थी और भूमिहीन किसान भी यही थे। १५ वर्षों तक इन्तजार किया गया। तो क्या आप यह जमीन उनको पहले नहीं दे सकते थे। पहली योजना में देने में आपको क्या कोई शरम महसूस हो रही थी, या दूसरी योजना में देने में कोई बाधा आती थी, या तीसरी योजना में देने में कोई आपका स्वार्थ चला जाता था, आखिर क्या बात थी कि यह ड्राइव गये साल ही आपको चलाना पड़ा? यह जो इतने वर्षों तक बिना अलॉटमेंट पड़ी रही, तो यह क्रिमिनल वेस्ट किसके जिम्मे है?

क्यों नहीं जमीन अब तक आपने दी उनको, जो हुकूमत अलॉटमेन्ट नहीं कर सकती, वह हुकूमत लोगों का पेट नहीं भर सकती। तो क्या कर सकती है? कभी अमेरिका से भीख मांगेगी, कभी ब्रिटिश के आगे हाथ पसारेगी, कभी जापान से मिन्नतें करेगी, और कभी कनाडा और आस्ट्रेलिया के आगे अपनी हया और शरम खोकर बेइज्जत होकर भीख मांगेगी। इस तरह से भीख के टुकड़ों पर पाल कर यह सरकार स्वाभिमानी समाज नहीं, भिखमंगा समाज पैदा करेगी।

जिस राजस्थान में जमीन है, हल जोतने वाले किसान हैं, खाली अलॉटमेन्ट का सवाल है। उस अलॉटमेन्ट के सवाल को यह हुकूमत हल नहीं कर सकती, वह हुकूमत यह दावा नहीं कर सकती कि वह हमें स्वाभिमानी बना दे और अपने हाथ से पैदा करके अनाज खाकर जिन्दा रख सके। यह प्रश्न मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूं।

कृषि विभाग की रिपोर्ट देखी। सब आया गया। कोई उल्लेख नहीं कि कितनी प्रगति उसने की है, कितनी पैदावार बढ़ी है, कैसे बढ़ सकती है, क्या वह कर रही है, कुछ नहीं। एक काम का जरूर उसने बहुत शान से उल्लेख किया है। एक पैराग्राफ मैं सदन में उसका पढ़कर सुनाता हूं:–

"अंगूरों की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गेहूं, मक्का और ज्वार की खेती राजस्थान में मर गई। मर रही है, कमर तोड़ रही है। पर इसका लक्ष्य निर्धारित किया है कि १०० एकड़ में अंगूरों की खेती करने का लक्ष्य है। ६५ एकड़ में लगाई जा चुकी है। चार हजार रुपया प्रति एकड़ इसके लिये तकाबी लोन दिया जा रहा है। चार लाख रुपया वह देगी इसके लिये।"

हम कहते हैं मक्का खिलाओ, बाजरा खिलाओ, ज्वार खिलाओ, सरकार कहती है, अंगूर खाओ। अब ये दोनों बातें आपस में कैसे मेल खावें?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): अंगूर खट्टे हैं।

श्री भैरोंसिंह: खट्टे हैं इसमें दो राय नहीं। यह तरीका बड़ा ऊंचा है। मैं तो सिर्फ यह ध्यान में लाता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मक्का भी हो, अंगूर भी हो–दोनों हों, तो क्या हर्ज है? यह क्या बात हुई कहने की।

श्री भैरोंसिंह: यह बिल्कुल सही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अंगूरों की खेती में जितना ध्यान दिया गया, उतना मक्का, बाजरा, ज्वार की खेती में ध्यान दिया गया

(श्री भैरोंसिंह)

होता तो बाजरा, मक्का और ज्वार की खेती और पैदावार बहुत बढ़ जाती। हमें विदेशों के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती। अब अंगूर की खेती तो इसलिये है कि मन्त्री अंगूरों की खेती करते हैं। बाजरा, जौ की खेती करने में तो उनको शर्म आती है। बाजरा हम नहीं बोते, मक्का ज्वार नहीं बो सकते, क्योंकि राजस्थान का मुख्य मन्त्री है कृषि मन्त्री हैं; अंगूरों से नीचे की खेती करना शान के खिलाफ है, अंगूरों से नीचे क्या खेती करें?

प्रश्न एक पैदा होता है कि हमने खरीफ की फसल के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है सरकार ने सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म खोल रखा है और उस फार्म में, मैं यह नहीं कहता कि सीड के बारे में जानकारी या रिसर्च नहीं किया जाता। पर रिसर्च वर्क एक तरफ है और प्रेक्टिकल साइड एक तरफ है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जावें, अजमेर, सीकर, झूंझुनू के किसी गांव में चले जावें, गांव में एक मसहलत मशहूर है कि अमुक गांव की मक्का भी दी जावे तो अच्छा होगा, अमुक जिले की ज्वार का बीज दिया जावे तो अच्छा होगा, इससे पैदावार बढ़ेगी, अच्छी भी होगी। वहां अमुक-अमुक जगह बीज अच्छा होता है। अब आपका सीड फार्म है वह कब रिसर्च करेगा, कब वह पता लगायेगा कि कैसी फर्टीलिटी किस बीज के लिये कहां चाहिये, किस बीज के लिये कैसी फर्टीलिटी होनी चाहिये, कहां की जमीन में कौन सा बीज ठीक बैठेगा। पर एक बात आज साधारण सी है। उन क्षेत्रों के बीज लाकर आप हर इलाके को मुहैया करिये तो निश्चित रूप से पैदावार बढ़ेगी।

पर दुर्भाग्य की बात है, आज सरकार यह भी नहीं कर पा रही है। जब बीज बांटते हैं तो कहने को कह देते हैं फलां जगह का है, पर व्यापारी की दुकान पर जाकर जैसा मिलेगा खरीद लेंगे और उसे ही वितरित कर देंगे और कह देंगे कि यह गंगानगर से आ रहा है, कोटा और बारां की मण्डी से आ रहा है। इसका परिणाम है दिन ब दिन खेती की कमी होती जा रही है।

खाद की कमी है। एक लाख टन नाइट्रोजन देना चाहते हैं पर ३४ हजार टन देंगे। इसी प्रकार फोस्फेट में कमी आ गई। कह देते है हम क्या करें, कमी हो गई, पैदावार नहीं होती इसकी। इसलिये जितना हमें मिलेगा दे देंगे। मैं कहता हूँ कमी तो आ गई, पर आपने आदत क्यों बना दी पहले, पहले क्यों नहीं सोचा इसे? पहले तो बी० डी० ओ० कहते थे कि फूड तकाबी लेना है तो खाद भी लो किसानों ने लेना शुरू किया और काफी लेना जब शुरू किया तो हमारी सरकार ने कह दिया इस समय खाद की कमी है।

अब सरकार कह रही है कम्पोस्ट मैन्योर तैयार करो। अब कम्पोस्ट मैन्योर तैयार करा रही है इसके लिये लाखों की व्यवस्था की है। बड़े नगरों में कम्पोस्ट बनाने के लिए तीन लाख पचास हजार रुपया और दूसरे क्षेत्रों में ६ लाख ५२ हजार रुपया हड्डी का कम्पोस्ट बनाने के लिए ८० हजार रुपया सरकार खर्च करने जा रही है और इस प्रकार कम्पोस्ट मैन्योर की व्यवस्था कर रही है।

मेरा इस बारे में अनुभव है। पहले पंचायत समितियां ब्लाक समितियां कहलाती

(श्री भैरोंसिंह)

थीं, डवलपमेंट कौंसिल की जगह जिला परिषदें बनीं। तो उस समय से इस कम्पोस्ट मेन्योर की बात हमारे सुनने में आ रही है। मानें या न मानें गांवों में ग्राम पंचायतें काम करती हैं, आप और हम सब जानते हैं वे किस तरह से कम्पोस्ट तैयार करते हैं, किस प्रकार के खड्डे बनाते हैं, कैसे उनको भरते करते हैं। यह सब आपकी कागजी स्कीम है और इस पर यह जो कुछ खर्चा किया जा रहा है, वह बिल्कुल निरर्थक है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि आज के दिन वे राजस्थान की किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र में या नगरपालिका के क्षेत्र में जावें तो पता लग जावेगा कि किस तरह से आपकी योजनाएं चल रही हैं, जो खाद इकट्ठा आज भी गांवों में होता है वह वही तरीके से हो रहा है, जो वे आज दिन तक करते आये हैं आज भी आप गांवो में काठियावाड़ के इलाके में चले जावें, मींगणी का खाद का ढेर पड़ा रहता है, गोबर का ढेर पड़ा रहता है। लोगों की आदत बिगड़ती चली जा रही है। आज लोगों की आदत उसके ऊपले बनाकर जलाने की हो गई है। खाद मिलने वाला था, वह मिल नहीं रहा। रसायनिक खाद आपके पास ज्यादा नहीं, परम्परागत खाद इस तरह से जल रहा है बीज आप ठीक तरह से देते हैं नहीं, किसी और खाद का प्रबन्ध नहीं कर पाये, फिर कैसे कह सकते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है ?

मैं यह भी निवेदन करूंगा सेक्रेटेरियट में गड़बड़ी है, डाइरेक्टोरेट में भयंकर गड़बड़ी है। राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में इस कृषि प्रधान देश की रिक्वायरमेन्ट को मीट आउट करने की क्षमता कतई नहीं है।

चम्बल क्षेत्र में अन्न की लोगों की आदतें बनाई जा रही हैं। चावल पैदा करने की आदतें बना रहे हैं। एग्रीकल्चरल विभाग का काम था कि वह पहले प्रोस्पेक्टिग करता। चम्बल से पानी आने के बाद इस जमीन की क्या स्थिति होगी इसको देखना था। सीपेज होगा या नहीं, वाटर लोगिंग होगा या नहीं यह देखना था। पानी अगर इकट्ठा होता है तो वहां कैसी फसल बोनी चाहिए, कम होता है तो कौनसी फसल बोनी चाहिये यह एग्रीकल्चरल विभाग का काम था कि वह इन सबकी जानकारी लोगों को देता और किसानों को इन सबके लिए तैयार करता। इरिगेशन विभाग ने नहरें और छोटी कैनाल निकाल दी। पर किसानों में एक प्रेरणा पैदा करने का काम एग्रीकल्चर विभाग का था। एग्रीकल्चर विभाग हन्ड्रेड परसेन्ट इसमें फेल हुआ है। किसान को पता नहीं कि वह इस पानी का अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा उपयोग किस तरह से करे। वहां यह विभाग किसान को यह ज्ञान नहीं दे सका कि दो सालों के द्वारा चम्बल के पानी का किस तरह से उपयोग किया जावे कि एक बीघा में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके।

मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हित में मैं किसी अधिकारी का विरोध करने की गरज से नहीं कह रहा हूं। एक दिन दैव संयोग से चला गया मैं डाइरेक्टर कृषि के आफिस में। डाइरेक्टर साहब से बात की।

मैंने पूछा राजस्थान में रबी अभियान चल रहा है, तो इसमें कितनी अधिक भूमि अण्डर प्लो आ जावेगी।

[redacted]

(श्री भैरोंसिंह)

उत्तर मिला मुझे इसकी जानकारी नहीं।

फिर पूछा मैंने, जो रबी अभियान आपका चल रहा है बीज कहां कहां से कितना कितना देंगे ?

मुझे इसकी जानकारी नहीं है, वही उत्तर फिर मिला। राजस्थान में फर्टिलाइजर्स की कितनी कमी है। कितना आपके पास आने वाला है ?

मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

तो मैंने पूछा : आपको फिर जानकारी किस बात की है ? मुझे उस दिन सचमुच बड़ा खेद हुआ। डाइरेक्टर विभाग का प्रमुख और उसको ज्ञान नहीं इन बातों का। तो मेरी ओपीनियन भी निश्चित है कि यह कृषि विभाग सुधर नहीं सकता, कृषि मन्त्रीजी चाहे जितना काम कर लें कितना ही जोर लगा लें। वे समझते हैं इन चीजों को, जो खेती हाथ से किये हुये हैं, वे खेती की प्रोब्लम को जानते हैं। पर जो खुद कुछ नहीं किया हुआ हो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपकी योजना कुछ भी हो उनको एग्जीक्यूट ये नहीं कर सकते। ये इनइफीशियेन्ट है। आज कृषि का उत्पादन, यही कारण है, राजस्थान में गिर रहा है।

अब दूसरा प्रश्न आता है, अकाल का। यह बहुत बड़ी समस्या है और यह राजस्थान में हर साल खड़ी हो जाती है। अकाल भी इतने पड़ते हैं कि यह राजस्थान में आज एक स्थायी फीचर हो गया है।

४९–५० से आप इसकी हिस्ट्री ट्रेस आउट कर लें। ४९–५० में ८ हजार गांवों में अकाल पड़ा। ऊपर की संख्या मैं छोड़ देता हूँ। वैसे ८७६२ गांवों में उस साल अकाल पड़ा।

५०–५१ में ५ हजार।

५१–५२ में ७ हजार।

५२–५३ में ७ हजार।

५३–५४ में २८ हजार।

श्री नाथूराम मिर्धा : ३४ हजार तो कुल गांव ही हैं सारे राजस्थान में।

श्री भैरोंसिंह : ये सब आपके फिगर्स हैं। मेरा एक भी नहीं है। आपकी किताब से मैंने ये फिगर्स निकाले हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फिगर्स में गांव कैसे घटते-बढ़ते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ५४–५५ में २७२५। ५५-५६ में १३७९, ५६-५७ में १९५१, ५७-५८ में ६११२, ५८-५९ में १२६१, ५९-६० में अकाल नहीं पड़ा, ६०-६१ में ५०९६, ६१-६२ में ५०००, ६२-६३ में ८१०, ६३-६४ में ६४२२, ६४-६५ में ३२८५, ६५-६६ में ११९२६। इस प्रकार से अकाल पड़ा है ४९-५० से। सिवाय एक वर्ष को छोड़कर लगातार अकाल पड़ता आ रहा है। इसका मतलब यह होगा कि जैसे राजस्थान की सुरक्षा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट एसेन्शियल है उसी तरह राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के लिए अकाल विभाग एसेन्शियल है। इस प्रकार से यह अकाल पड़ता आ रहा है तो इसका परमानेन्ट बेसिस पर क्या किया ? परमानेन्ट बेसिस पर इन अकाल-ग्रस्त इलाकों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की है ?

Page No.102

(श्री भैरोंसिंह)

१९४७ में देश आजाद हुआ। उस समय से कांग्रेस की हुकूमत चली आ रही है। अब ६६ है। १९४७ में जिस तरह से लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि करते थे आज १८ वर्ष के बाद भी १९६६ में पानी के लिए लोग त्राहि-त्राहि करते हैं। १९४७ में यदि अकाल पड़ता तो ऊंटों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर पानी ले जाते थे और आज १९६६ में जब अकाल पड़ता है तो भी लोग गाड़ियों में टंकी में पानी ले जाते हैं। १९४७-४८ में अकाल पड़ता तो लोग माइग्रेट होकर अहमदाबाद की तरफ, गुजरात की तरफ और मध्य प्रदेश के इलाके में जाया करते थे और आज ६६ में जब अकाल पड़ता है तो लोग इसी प्रकार से माइग्रेट होते हैं। ४७-४८ में जिस प्रकार से लोग रिलीफ वर्क्स में भाग लेते थे आज भी उसी तरह से टेम्पोरेरी रिलीफ वर्क्स में भाग लेते हैं, तो कौनसा सुधार इन १८ वर्षों में कर दिया कि अकाल का मुकाबला करने की क्षमता राज्य सरकार और जनता में पैदा हो गई। अगर वर्षा न हो तो इस बात की चिन्ता नहीं कि राजस्थान का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा कि पानी के लिए कष्ट सहन करेगा, जो चारे के लिए किसी प्रकार का कष्ट सहन करेगा। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि ६३-६४ में अकाल पड़ा तो उस समय एक बहुत बड़ी पुस्तिका राजस्थान सरकार ने प्रकाशित कराई जिसमें ६ बातें तय की गईं थी कि अगर अकाल पड़ता है तो फाडर बैंक स्थापित किये जायें, आदि। कहां है वह फोडर बैंक? तीन रुपये की रियायती दर पर चारा दिया जायेगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। इस तरह की ६ बातें निश्चित रूप से तय की गईं थीं। बल्कि आज के दिनों में जबकि सरकार यह कहकर चल रही है कि ११ हजार गांवों में अकाल पड़ गया उस समय कोई व्यवस्था नहीं है। पुस्तक प्रकाशित की थी उस समय जिस समय ६४२२ गांवों में अकाल पड़ा था। राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने आज से ६-७ दिन पहले बोलते हुए इसी सदन में उन्होंने कहा था कि कुल मिलाकर ८ करोड़ का खर्चा होगा। जिस समय कम गांवों में अकाल पड़ा उस समय अधिक खर्चा हो गया और आज सरकार मानकर चलती है कि १११२६ गांवों में अकाल पड़ गया तो भी राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं लगी कि कोई अकाल की स्थिति को मालूम करती हो। यह मेरी जानकारी में नहीं आया कि लोगों में अभी तक चर्चा चली हो कि अकाल की क्या स्थिति है और क्या नहीं। न सरकार ने अभी तक कोई रिलीफ वर्क्स खोले, न कैम्प खोले, न इरिगेशन डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ, न पीने के पानी की व्यवस्था के लिये सरकारी अधिकारी ही एक्टिव हुए और न अकाल में चीप ग्रेन शौप्स ही खुलीं। जिस समय ६३-६४ में अकाल था उस समय हमको ६-७ हजार गांवों के लिए ५० हजार टन अमेरिकन गेहूं मिला था अकाल सहायता के रूप में, लेकिन ६५-६६ में सितम्बर-अक्टूबर में १४ हजार टन मिला। जिस समय केवल ७ हजार गांवों में अकाल था उस समय ५० हजार टन अमेरिकन व्हीट मिलता था, लेकिन जहां ११ हजार गांवों में अकाल पड़ा है तो हमें १४००० हजार टन मिला अक्टूबर में, १० हजार टन मिला नवम्बर में, १५ हजार टन मिला दिसम्बर में, २७ हजार टन मिला जनवरी में और ३८ हजार टन मिला है फरवरी में। यहां नाज की कमी है, पानी की

(श्री भैरोंसिंह)

भी कमी ईंधन की भी कमी है, यह भी कमी है, वह भी कमी है। मैं समझ नहीं पाया कि अकाल किस प्रकार से पड़ गया? चारे की व्यवस्था नहीं लेकिन लोगों में त्राहि नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं है लेकिन खाने की मांग नहीं कर रहे हैं, अकाल राहत कार्य नहीं हैं लेकिन वहां के लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इससे नतीजा यह निकलता है कि जनता का साहस धीरे-धीरे मुसीबतें सहन करते करते इतना पीड़ित हो गया जैसा कि आज टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दो आदमी भूख से मरे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : ७।

श्री भैरोंसिंह : अब वह स्थिति आ रही है। उन्होंने देख लिया है कि कोई सुनता तो नहीं तो जायें कहां, कोई सरकार किसी प्रकार का प्रबन्ध तो करती नहीं, ३० नवम्बर तक फेमीन कोड के अनुसार राजस्थान के अलग अलग जिलों से हर तहसील से अन्तिम रिपोर्ट आ जानी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि अन्तिम रिपोर्ट किस महीने तक पहुँची है, किस समय नोटिफिकेशन कराया है, किस समय रिलीफ वर्क्स चालू किये मरजी आये उस समय तो कलेक्टर रिपोर्ट भेजते हैं। उस कलेक्टर के भेजने के प्रश्न को लेकर हो सकता है कि माननीय राजस्व मंत्री और विकास सचिव में किसी प्रकार का झगड़ा हो जाये और माफी-नामा एक दूसरे को दिया जाय। एक-दूसरे को ताड़ना किसी प्रकार की दी जाये, ये सब बातें हो सकती हैं लेकिन परिणाम निकलता क्या है कि ३० नवम्बर तक अकाल के सम्बन्ध में फाइनल रिपोर्ट नहीं देते हैं। नहीं देते हैं वे भी नहीं और जिन्होंने दे दी है उनको इनाम नहीं। जिन्होंने नहीं दिया उनको सजा नहीं। तो हर आदमी इस स्थिति में चल रहा है कि सरकारी काम करें या न करें समय पर करें या न करें इसकी आवश्यकता नहीं है।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज ये सारी बातें क्यों हैं? क्यों न पानी की व्यवस्था की जा रही है? क्यों न रिलीफ वर्क्स के लिए काम किया जा रहा है? शायद सरकार कहे कि चारे की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं, नाज की कमी नहीं है, तो आपने कहा कि ५ लाख टन इकट्ठा करके किस जगह ५ लाख टन अनाज भेजा। अगर आपने नहीं भेजा तो ५ लाख मन घास, चार लाख का पानी और १,४४,००० निःशुल्क सहायता, यह सब कुछ प्रावधान आपने रखा, लेकिन आज क्या व्यवस्था है? किस जगह आप पानी पहुंचा रहे हैं? एक नाम बता दें कि जहां कि आप पानी पहुंचा रहे हो। मुझे बता दें अकाल के एरिया में मैं भी घूमा हूं। मुझे आप बता दें कि कहां पर आपने रिलीफ वर्क्स सेन्टर्स कायम किये हैं। जो लोग पीड़ित हैं, काम नहीं कर सकते हैं उनको किस प्रकार की ग्रेच्यूट्स रिलीफ दे रहे हैं। केवल अकाल की हवा बना दी है। क्यों बना दी अकाल की हवा? सरकार अपने खर्चों में कटौती नहीं कर सकती है और अकाल के नाम पर जनता पर टैक्स लगाना चाहती है। दोनों बातें नहीं चलेंगी। मैं गांवों में गया हूं। मुझे जानकारी है कि अकाल है। सरकार जानबूझकर कुछ भी कहे लेकिन जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें काम नहीं होता है। जैसलमेर के इलाकों में पिछले

(श्री भैरोंसिंह)

४ वर्ष से निरन्तर अकाल पड़ता आ रहा है। जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो जनता ही प्यासे नहीं मर गई, लेकिन जो आर० ए० सी० के सैनिक थे, जवान थे और सैनिक थे उनको भी पानी नहीं मिला, और पानी के अभाव में पाकिस्तान के मुकाबले में पस्त होना पड़ा। मैं समझता हूं कि राजस्थान की हुकूमत अकाल के नाम पर पीने के पानी की व्यवस्था करती तो पाकिस्तान के सामने झुकने का सवाल नहीं आता परन्तु पाकिस्तान को खदेड़कर हिन्दुस्तान की सीमा से निकाल देते।

मैं जैसलमेर के इलाके में घूमा हूं। वहां नाज नहीं, पानी नहीं पीने के लिए, लोग दूर दूर पड़े हुए हैं, अकाल की स्थिति भयंकर हो गई इतने में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ और पाकिस्तान के आक्रमण की बात को लेकर हमने भी खूब प्रचार किया और आपने भी किया कि दुनिया के सारे संकट को भुला दें। देश के ऊपर संकट आया है उसका मुकाबला किया जाय, लेकिन उस मुकाबले में देखा गया कि सरकार उनकी सहायता करने के काम को भूल गई। मैं सरकार से केटेगोरिकली पूछना चाहूंगा कि उस समय जो अकाल था वह ७००० गांवों में था और आज ११ हजार गांवों में है। आज वर्षा कम हुई है। उस समय वर्षा हुई थी उसके मुकाबले में तो रेनफाल के चार्ट की क्या कहें, पानी की कमी है, नाज की कमी है, चारे की कमी है, इन सारी स्थितियों के होते हुए भी जो काम ६३-६४ में किये गये थे वे काम आज क्यों नहीं किये गये? क्यों जनता के साथ में गड़बड़ की है? लोग पानी के लिए त्राहि त्राहि करते रहें, नाज के लिए कहते रहे तो क्यों नहीं चीप ग्रेन शाप्स खोलीं, क्यों नहीं फोडर डिपोज खोले क्यों नहीं चिकित्सा की व्यवस्था की, बेकारों को काम देने के लिए रोजगार की व्यवस्था की? कोई रोजगार नहीं। यह आज सारी स्थिति है। इस जनता का क्या होगा यह जनता ही जाने। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बातें इस तरह की हैं कि आखिर जो कुछ हम खर्च कर रहे हैं उसका भी कोई हिसाब है या नहीं, उसके लिए कोई व्यवस्था है या नहीं?

हमने नल-कूप खुदवाये हैं, लेकिन उन का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय ने यह क्यों कहा था इसका मुझे पता नहीं। वह भी जानते हैं और मैं भी वहां जाकर आया हूं उनका पूरा उपयोग होता नहीं है, इस प्रश्न को मानता नहीं हूं। मैं कहता हूं कि यह विवादास्पद मामला है।

लेकिन ऐसे प्रश्न के ऊपर विवाद किस बात का, यह स्पष्ट देखना चाहिए। नल कूपों में जितना पानी आता है उसका उपयोग होता है या नहीं, यह नहीं देखते।

इसके अतिरिक्त ६३-६४ में अकाल पड़ा उसमें हमने जो कुछ काम किया वह कितना वाजिब है इसके बारे में मैं दो तीन जगह का नमूना पेश करना चाहता हूं। माइग्रेशन आफिसर, नसीराबाद थे ६३-६४ में आपकी कांस्टीट्यूएन्सी में (ज्वालाप्रसादजी से) वहां पर ४९,९३१ रु० इस बात के देने पड़े कि जो घास ४५ रु० के भाव से थोड़े दिनों पहले खरीदा था उसी को हमने ६९ रु० में खरीदा इसलिए ४९,९१३ रु० ज्यादा देने पड़े। क्यों दिये, क्यों नहीं खरीदा गया, भाव कैसे बढ़-

(श्री भैरोंसिंह)

गया, इसकी कोई जांच नहीं की गई । १०,७६०) का घास आग में जल गया । क्यों जल गया किसकी गलती से जल गया इसकी जांच नहीं करवाई गई । और स्टोरेज में कमी हुई, सब से बड़ी बात यह थी कि १ लाख ४८ हजार रुपयों का घास कम आया । जो भी हमने डिपोज बनाये थे उनमें शोरटेज गया १ लाख ४८ हजार रुपयों का । १ लाख ४८ हजार रु० का शोरटेज और उसकी जांच नहीं ७,२८२ रुपयों की घास कम वसूल हुई, उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं । इस प्रकार की सारी चीजें एक माइग्रेशन आफिस में चलीं जिस में सारा टोटल दो लाख रुपयों का खर्चा बेकार गया । इसको गबन कह दीजिये मिस एप्रोप्रियेशन कह लीजिये, मिस यूज कह दीजिये । यह दो लाख रुपयोंका एक माइग्रेशन आफिसर के आफिस में हो गया । इससे आगे बढ़ें । अलग अलग जिलों में जायें । पाली जिले को ले लीजिये । गंगानगर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, इन सभी जिलों में अकाल का काम हुआ है उन सब की आडिट रिपोर्ट देखें तो कोई जिला नहीं होगा जिसमें लाखों रुपये का घोटाला नहीं हुआ हो । मैं पाली में जिले का उल्लेख करना चाहता हूं । वहां पर फेमिन सप्लाई का कान्ट्रेक्ट दिया गया, माइलेज चार्जेज का प्रश्न आया तो उसमें १६,००० रुपये का अधिक भुगतान कर दिया । वहां पर एक ऐसी सड़क बनादी जो रूल्स के हिसाब से बन नहीं सकती थी । पाली जिले में ६।। मील सड़क का पता नहीं कहां गई । उड़ गई, किसी की जेब में चली गई या किसी के मकान में घुस गई । इस साढ़े छो मील सड़क पर १० लाख रुपये खर्च हुए····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह जानकारी आप किस आधार पर दे रहे हे ?

श्री भैरोंसिंह : यह मैं बिल्कुल अधिकृत रूप से दे रहा हूं । मन्त्री महोदय इससे इनकार करदें तो मैं विवाद में नहीं पड़ूंगा । १० लाख रुपये ऐसे खर्च कर दिये जिसमें खर्च करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं था । इस प्रकार का खर्चा जो स्केयरसिटी कण्डीशन में नहीं आता हो वह खर्च कर दिया । इसके अलावा जो सेंक्शन हुई थी उसके अगेन्स्ट में २० लाख रुपये खर्च कर दिए । इसका मतलब यह हुआ कि पाली जिले में न तो कोई राज्य था, न फेमिन कोड था, न मुख्य मंत्री थे, न फाइनेन्स मिनिस्टर थे, न कृषि मंत्री थे, जो कुछ करने वाला था वह केवल कलेक्टर था और उसने अपनी मर्जी से एक्सेस खर्च कर दिया । सबसे ज्यादा चीज यह हुई कि वहां पर ४,६१३ मन घास कम वसूल हुई । ट्रान्सपोर्ट चारजेज का जो भुगतान करना था उसमें वेरीफिकेशन नहीं किया, कम चारा ट्रान्सपोर्ट किया और अधिक चारे के चार्जेज ठेकेदार को दे दिए । ट्रान्सपोर्टेशन के ठेकेदार को जो अधिक चार्जेज दे दिए उससे वापिस वसूल नहीं कर पाए । इस हिसाब से ४,७४५ मन घास बच गया । उस घास के डिपो की निगरानी के लिए ६८०) रु० माहवार के हिसाब से प्रति माह खर्च करना पड़ा । इस तरह से जो घास था वह निगरानी वालों की तनख्वाह में गया सरकार के ६ हजार रुपये निगरानी पर और खर्च करने पड़े । इससे तो अच्छा था वह घास जल जाता तो कोई बात नहीं थी इसकी निगरानी पर तो खर्चा नहीं करना पड़ता । इसका परिणाम यह हुआ कि जो बचत हो सकती थी·····

Page No.106

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां तो घास जल जाती तो आपको खुशी होती। नसीराबाद में घास जल गई उससे आपको खुशी नहीं हुई ?

श्री भैरोंसिंह : इन दोनों में बड़ा अन्तर है। यह घास जल जाती तो कोई बात नहीं थी। या तो आप इसको डिस्पोज ऑफ कर देते। यह पड़ी पड़ी सड़ गई। इसको पब्लिक को बांट देते तो पब्लिक भी खुश होती और आपको निगरानी पर २८०) रु० माहवार खर्च नहीं करने पड़ते। इससे तो जल गई होती तो भी अच्छा था। नसीराबाद में घास जल गई यह अच्छा नहीं हुआ। उसका इन्वेस्टीगेशन करना आवश्यक है क्यों जल गई, कैसे जल गई, किसकी गलती से जल गई।

बीकानेर में, उपाध्यक्ष महोदय, १०,००० रु० खादी ग्रामोद्योग विभाग को दिया गया इस बात के लिए कि गरीब औरतों को जो मसक्कत का काम नहीं कर सकती उनको चर्खा डिस्ट्रीब्यूट करें। खादी ग्रामोद्योग के हुकमरान राजस्थान में कहीं से आ जांय तो उनको खुदा के दूत माना जाता है। वे वहां पर पहुंच गये। उनको चर्खों के लिए रुपया दिया गया। उन्होंने चर्खे किसको दिए, किस प्रकार दिए, युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं लिए गए। चर्खे चल रहे होंगे लेकिन जिनके यहां चलने चाहिए उनके यहां नहीं। कागज के चर्खे चल रहे हैं, लकड़ी के नहीं। बीकानेर में घास जल गया १ लाख रुपये का। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रवृत्ति ऐसी है, घास कम आये तो आग लगा दो कौन कहेगा कि २० हजार मण कम आया। बस यह बता दो कि घास जल गया। तो बीकानेर में १ लाख रुपये का घास जल गया। जिस समय घास खरीदा गया उस समय टेन्डर्स इन्वाइट नहीं किये। जिनसे खरीदा वे ज्यादा पैसा एडवान्स के रूप में ले गये थे वह पैसा वापिस वसूल नहीं कर पाये और घास सप्लाई करने वालों ने घास की सप्लाई कम करदी। त्रिलोकचन्द नाम के व्यक्ति से ३७,०००) रुपये की बकाया है। जिन ठेकेदारों ने ठेका लिया था कि अमुक मात्रा में घास सप्लाई करेंगे और यदि नहीं करेंगे तो इतना रुपया प्रति मन जुर्माना देंगे। उन्होंने पूरा घास सप्लाई नहीं किया। कांट्रेक्ट के हिसाब से जो उन पर जुर्माना होना चाहिये वह २६ ४०५) रुपये का है वह वसूल नहीं हुआ और जितना घास कम सप्लाई किया उतना ही अधिक कीमत देकर खरीदना पड़ा उसका फर्क भी वसूल नहीं कर पाते। इससे लगता ऐसा है कि सरकार खर्चा करना तो जानती है लेकिन खर्चा किस प्रकार किया जाय इस पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं होने के कारण ये सब बातें होती है। मैं निवेदन करूंगा कि आखिर सरकार इन सब प्रश्नों को लेकर बैठ गई तो न तो अकाल व्यवस्था अच्छी तरह से होगी और न जिनको राहत दी जाती है उनको राहत मिलेगी और न उस जनता को लाभ होगा कर भार अकाल के नाम पर वहन करती है। आज जनता महसूस करती है कि उस पर करों का भार अधिक है। सरकार कर लगाती है अकाल के नाम पर और एक लाख रुपये का घोटाला होता है। यह पैसा आपके पास नहीं रहता, जनता के काम नहीं आता है और कुछ भ्रष्ट लोग हैं उनकी जेबों में चला जाता है।

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार अकाल का काम करती है, समितियां बनाती है लेकिन समितियां भी पैसे के ताकत पर न चलें तो काम अच्छी तरह से हो सकता है। अकाल के समय भ्रष्ट अधिकारी जिनको काम करने का मौका मिलता है वे समझते है कि अकाल हमारे लिये अच्छा आया, जनता के लिये अकाल है लेकिन हमारे लिये तो १८५७ की सी हालत है। १८५७ की हालत आज १९६६ में होती है। आप गंगानगर की ऑडिट रिपोर्ट को देखें, जोधपुर की ऑडिट रिपोर्ट को देखें, नागौर की ऑडिट रिपोर्ट को देखें तो आप को पता चल जायगा। जोधपुर में बाप तहसील में ६७ हजार की तकावी बांटी गई लेकिन उसकी फाइल नहीं मिली, ६७,०००) रुपये की तकावी की फायल का पता नहीं, डिमान्ड स्लिप्स कैसे इश्यू करें किससे वसूल करें, जांच की जा रही है कि किसने तकावी ली, कोई हां नहीं करता। जिस क्लर्क को जानकारी है उसका कमीशन है इसलिये वह नाम नहीं बताता। सरकार के रुपये गये।

आज ये चीजें जिस राज्य में चलती हों वह राज्य क्या अकाल की व्यवस्था करेगा? पिछली साल अकाल-व्यवस्था जिस प्रकार से की गई थी और उसमें जितना सहयोग जनता को देना चाहिए था वह जनता ने दिया, लेकिन वह सहयोग इस बात के लिए नहीं दिया था कि इस प्रकार अतिरिक्त खर्च होगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार अकाल को एक परमानेंट प्रोब्लम मानकर चले और परमानेन्ट प्रोब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है वह सोल्यूशन परमानेन्टली हमें अपने राजस्थान के अन्दर लागू करना चाहिए। यह ग्रेड के हिसाब से भी लिया जा सकता है, जैसे सबसे पहली प्रोब्लम राजस्थान में है वह पानी की है, तो एक साल राजस्थान की हुकूमत बाकी के सारे कामों से पैसा कम करके राजस्थान के अन्दर इस पानी प्रोब्लम को सदा के लिए सोल्व करने के लिए इस प्रकार की मशीनरी बनायें और फोर्थ फाइव ईयर प्लान का फर्स्ट ईयर इस बात के लिए ही हो कि राजस्थान की पानी की प्रोब्लम निश्चित रूप से सोल्व हो। इससे प्लान की सफलता भी लोगों के सामने नजर आएगी और जो प्रान्त के अन्दर खर्च होता है प्लान पर उसका भी उपयोग निश्चित रूप से होगा और १९६६ का वर्ष राजस्थान के इतिहास में इन शब्दों के साथ लिखा जायगा कि १९६६ का वर्ष फोर्थ फाईव ईयर प्लान का ऐसा पहला वर्ष है जिसके अन्दर राजस्थान की पानी की समस्या का पूर्णतया समाधान किया गया। तो एक साल पानी की समस्या को सोल्व करने के लिए हो, और दूसरा साल पानी के साथ साथ चारे की कमी को दूर करने के लिए हो कि चारा किस प्रकार बोया जाये, किस किन क्षेत्रों के अन्दर चारा बोया जाय, किस प्रकार के चारे का बीज प्रोवाइड किया जाय, चारे के बीज में किस प्रकार उन्नति कराई जाय।

आज भी पुरानी घास पर राजस्थान निर्भर करता है, वह घास की इतनी वर्षा हुई तो इतनी इतनी ऊंची हो गई और अगर पानी नहीं बरसा तो घास साफ। घास के विकास के लिए राजस्थान की सरकार ने क्या किया, घास के बीज प्रोवाइड करने के लिए क्या किया? गांवों में जो गोचर भूमि है उसमें खैर के पेड़ खड़े हैं, खेजड़ी खड़ी है।

Page No.108

(श्री भैरोंसिंह)

और झाड़ियां खड़ी हैं। आज हजारों और लाखों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है जिसमें आप घास उत्पादन करायें, ग्राम पंचायत की मार्फत घास का उत्पादन करायें, तहसील कमेटी के मार्फत उत्पादन करायें और अच्छा बीज घास का दें और कम्युनिटी के नाते उसका विकास करायें-तो घास की समस्या हल हो सकती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने आज तक घास के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं कि घास का विकास हो और हम निश्चित रूप से जानवरों के चारे की व्यवस्था करें। आज से तीन साल पहले फोडर बैंक के लिए कहा था। वह कहां गये? उन फोडर बैंक की व्यवस्था की जाय, नाम लास नो प्राफिट के बेसिस के ऊपर रन किया जाय और विकास विभाग की मार्फत चलाया जाय तो निश्चित रूप से इस दिशा में उत्थान सामने आयेगा और जब कभी भी अकाल की स्थिति हो जाय तो फोडर की उन बैंकों से व्यवस्था कर सकेंगे और इस प्रकार जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था हो जायगी, साथ ही पानी की भी व्यवस्था हो जायगी, और उनके साथ साथ बाकी के रोजगार की व्यवस्था भी हो—इसके लिए अकालग्रस्त क्षेत्रों में पर्मानेन्टली स्कीम खोल दें।

मेरा निवेदन है कि आज प्राथमिकता उन क्षेत्रों को आपको देनी चाहिए जो अकाल-ग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे जैसे जैसलमेर अकालग्रस्त क्षेत्र है, बाड़मेर अकालग्रस्त क्षेत्र है, बीकानेर अकालग्रस्त क्षेत्र है और नागौर जिले का भी क्षेत्र अकालग्रस्त है। इन सब हिस्सों के अन्दर आपको पर्मानेन्टली अकाल पीड़ितों के लिए पर्मानेन्टली स्कीम चालू करनी पड़ेगी। जिन गांवों में पानी की कमी है वहां पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और जिन गांवों में घास की कमी है वहां घास की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती आज यह है कि आज अकाल के नाम पर पर्मानेन्ट स्कीम्स हाथ में नहीं ली जाती इसका नतीजा यह है कि थोड़ी सी वर्षा में कमी हुई कि जयपुर में मंत्री मंडल की बैठक होना शुरू हुई। जुलाई में वर्षा नहीं हुई तो फिर मंत्री मंडल की बैठक हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस खत्म कर रहा हूं। तो इसलिए बैठक हुई कि अकाल पड़ने वाला है। फिर अगस्त में भी वर्षा नहीं हुई तो मंत्रीमंडल की बैठक हुई अकाल पड़ रहा है। इस तरह अगर सितम्बर के महीने में भी वर्षा नहीं हुई तो फिर हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं अकाल पड़ गया है और भारत सरकार के सामने जाकर राजस्थान की सरकार कहती है कि राजस्थान में अकाल पड़ गया है। भारत सरकार जब देखती है कि राजस्थान में अकाल पड़ रहा है तो दौड़े हुए अमरीका के पास पहुंची और कहा कि राजस्थान में अकाल पड़ गया है। अमरीका कहता है, "हम क्या करें?" तो कहते हैं कि चलो, राजस्थान चलो। वह राजस्थान आ गये और मंत्रियों के साथ बैठ कर सलाह-मशविरा करते हैं। राजस्थान के मंत्री अपनी कमियां बताते हैं और उनकी पूर्ति कराने की कोशिश करते हैं। तो यह नहीं कि अमरीका के लोग यहां मंत्रियों के साथ बैठ कर सलाह मशविरा करते हों, लेकिन यहां की पोल देख कर जाते हैं और महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान का काम पी. एल. ४८० के बिना नहीं चल सकता

(श्री भैरोंसिंह)

है क्योंकि यह कृषि के अन्दर उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फिर वे पी. एल. ४८० के साथ शर्त जोड़ते हैं कि पाकिस्तान के साथ समझौता करो, काश्मीर के मामले में समझौता करो। तो इस तरह से पोलिटिक्स इस पी. एल. ४८० के साथ जोड़ कर हिन्दुस्तान को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यह बुनियाद है कृषि उत्पादन की यह बुनियाद है कृषि व्यवस्था की इसके अन्तर्गत यदि हमने परिश्रम करना शुरू किया तो केवल एक समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे बल्कि और कई समस्यायें भी सदा के लिए जमींदोज हम कर देंगे। लेकिन वह आप नहीं कर पाये हैं आज तक, यह निश्चित बात है।

अब जवाब देने के लिए मंत्री महोदय खड़े हो जाते हैं, तो एक तो वे काफी अभ्यस्त हो गये हैं. उनको आंकड़े याद हो गये हैं, दुनिया भर के आंकड़े याद हो गये हैं—इतनी खरीफ की फसल हो गई, इतनी रबी की फसल हो गई; इतनी ग्वार आई, इतनी ज्वार आई व्यय इतना हुआ, इतना उत्पादन हुआ। यह भी देखते हैं कि इनके आंकड़ों को चैक करने का कोई साधन नहीं है। तो जो कुछ भी कह दिया, जो कुछ भी बोल गये—वह सही है क्योंकि उसको चैक कौन करेगा। तो सही-गलत कुछ भी कह दो—जो कुछ भी निकल जाय मुंह से। सो यहां वह बात करते हैं कि देश में उत्पादन में इतनी वृद्धि हो गई है, राजस्थान में इतने अनाज की पैदावार हो गई है। मैं भी देखता हूं कि राजस्थान का उत्पादन इतना बढ़ गया तो सब लोगों के पेट में पहुंच जायगा! लेकिन है क्या, बाजार में अनाज मिलता नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा सरकार को और खास तौर से कृषि मंत्री को निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सर्विस करने का आपको बहुत बड़ा अवसर मिला है. कृषि विभाग के माध्यम से आप राजस्थान की सेवा कर सकते हैं। राजस्थान की इस प्रोब्लम को आप सदा के लिए निर्मूल और नष्ट कर सकते हैं। यह काम आपके सामने है। इसलिए कृषि के विकास के अन्दर और जिन इलाकों में अकाल पड़ा है तत्काल उन इलाकों के अन्दर-राजस्थान में मुझे पता नहीं कि फेमिन रिलीफ कमेटीज बनी हैं या नहीं, राजस्थान में जिलेवार समितियां बनी हैं या नहीं—मुझे इसकी जानकारी नहीं है. इस बारे में मंत्री महोदय बतायेंगे, पिछली बार निश्चित रूप से इस बात को कहा गया था कि जिन इलाकों में अकाल पड़ेगा वहां जिलेवार फेमिन रिलीफ कमेटियां बनेंगे, लेकिन जिलेवार कमेटियां नहीं बनीं और फेमिन रिलीफ कमेटियां नहीं बनीं कई जगह बनी होंगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने गजट में नाम नहीं देखा, मैं गजट रोज पढ़ता हूं गजट में नाम आया नहीं हुए क्योंकि मैंने नहीं देखे। मेरी जानकारी में वहीं नहीं बनी हैं। और बनी हों तो मंत्री महोदय बतायेंगे। अब अकाल का समय खत्म होने वाला है लेकिन अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है—इसका मुझे दुःख है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप यह समझें कि अगले वर्ष इलेक्शन हो रहे हैं इसलिये वहां काम करना है, कहां नहीं—मैं समझता हूं कि मानवता के नाते इलेक्शन कोई महत्व नहीं रखता है, इलेक्शन में हार-जीत कोई महत्व नहीं रखती है और अगर कोई चीज महत्व रखती है तो वह यह कि जो लोग अकाल के कारण पीड़ित हैं उनको हर प्रकार से सहायता दी जाय, उनको रोजगार दिया जाय, उनके लिए

(श्री भैरोंसिंह)
पानी का प्रबन्ध किया जाय, उनके पशुओं के लिए चारे का प्रबन्ध किया जाय और खाने के लिए लोगों के अन्न का प्रबन्ध किया जाय। इन सब बातों का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल!

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : सोते हुए को जगा दिया। बड़े आनन्द से सो रहे थे।

श्री जेठमल बरवड़ : मेरा निवेदन है कि नागौर जिले के अन्दर अकाल है, उसके बारे में मेरे से पहले भी नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी बातें बताई। नागौर जिले के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है और तीन सालों से जो फेमिन के कामों में ढिलाई बरती गई है सरकार की तरफ से, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। पिछले साल लगातार मीटिंग होती रही, उसके बाद में आखिर दिन आया उस समय काम शुरू किया गया अकाल का काम। ऐसा हमारे यहां कोई काम नहीं हुआ है इस साल जब कि अकाल की मीटिंग, एक अकाल की मीटिंग बुलाई गई है नागौर जिले में और आज तक हमारे नागौर जिले के अन्दर एक भी पैसा अकाल के राहत कार्य में खर्च नहीं किया गया है। अभी साठ-सत्तर हजार रुपया हमारे नागौर जिले के लिए भेजा गया था। उसके लिए भी मुझे यह जानकारी मिली है, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह रुपया भी वापिस कलेक्टर ने सरेन्डर कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता, हमारे जिले के कलेक्टर या जिले के अधिकारी वहां नागौर जिले में काम करना चाहते हैं या नहीं। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह स्पष्ट घोषणा कर दे कि हम इस साल कोई काम नहीं करना चाहते.....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : समझने के लिए मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहां डिक्लेअर हुआ है अकाल उसके बाद सत्तर हजार लौटा दिया?

श्री जेठमल : जी हां। हमारे यहां अकाल चार सौ गांवों में डिक्लेअर हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : आपके यहां के मिनिस्टर हैं फिर पैसे की जरूरत क्या है?

श्री जेठमल : मिनिस्टर हैं वह तो मेहरबानी है।

तो साठ हजार रुपया बांटा गया था कमेटियों को वहां के लिए और उसके द्वारा तहसीलदारों को दे दिया गया था और यह लिस्ट भी दे दी थी कि इन इन कामों में खर्च होगा। लेकिन वह रुपया खर्च नहीं हुआ और क्योंकि ३० मार्च आने वाली है इसलिये कलेक्टर साहब ने यह रुपया सरकार के पास वापिस जमा करा दिया। क्या पता हमारे वित्त मंत्रीजी का काम हमारे कलेक्टर साहब कर रहे हों। तो एक बात मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि नागौर में सबसे बड़ी समस्या है वह पीने

(श्री जेठमल बरबड़)

के लिये पानी की है। इसके बारे में हमारे डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कहा है कि वहां पर पानी के लिये पूरा इन्तजाम किया जाना चाहिये चाहे वह ट्यूब वेल्स के द्वारा हो या हमारे यहां के कुओं को बोरिंग के द्वारा गहरा करवाया जा कर हो, पानी पीने के लिये जो समस्या है उसको दूर करना चाहिये। आज हमारे परबतसर तहसील में ऐसे गांव है, डीडवाना कॉन्स्टीट्यूएन्सी में इन गांवों के नाम मैं आपको बताता हूं : (१) रामशिया, (२) सरनावड़ा और (३) कीया। इन तीन गांवों के कुओं का पानी पीने से आज लोग कुबड़े हो जाते हैं और उनके दांत काले हो जाते हैं। इसके लिये सरकार ने वहां पर जांच भी करवाई है। अब सरकार उसके लिये क्या एक्शन लेगी यह सरकार को मालूम है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन गांवों के लोग हैं उनके पीने के पानी की समस्या है उस समस्या को हल किया जावे। अभी गच्छीपुरा में बोरिंग किया गया है वहां बहुत अच्छा मीठा पानी आ गया है इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह पानी वहां पर नलों द्वारा पहुँचाने का इन्तजाम होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अन्न की बहुत कमी है। बाहर से गेहूं आता है वहां हमारे यहां भेज दिया गया है। लेकिन एक किलो प्रति व्यक्ति गेहूँ एक माह के दिया जाता है उससे हमारे गांव के रहने वाले लोगों को पूरा नहीं पड़ता है। एक किलो एक महीने के गेहूं से काम नहीं चलता। एक किलो तो वे एक दिन में ही खा जाते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर गेहूं ज्यादा मात्रा में भेजा जावे और जो गांव सरकार की अकाल लिस्ट में नहीं आये हैं और वाकई में वहां पर अकाल है, जैसा हमारे डीडवाने से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जो गांव लिस्ट में नहीं आये हैं और वास्तव में जहा पर अकाल है, वहां पर भी अकालग्रसित गांवों में ज्यादा से ज्यादा अनाज भेजा जावे।

मुझे एक जानकारी मिली है कि भरतपुर, अलवर और गंगानगर में गेहूँ और चना पड़ा है। यदि उसको हमारे यहां पर सरकार पहुँचा दे या वहां से बिकाने का प्रबन्ध किया जावे तो बहुत अच्छा होगा।

एग्रीकल्चर पर भी मेरा कटौती का प्रस्ताव है। परबतसर में एक पी गांव के पास रघुनाथपुरा गांव है। यह पंचायत समिति में है। वहां पर पुष्कर के पहाड़ों का पानी बह कर पहुँचता है। रघुनाथपुरा में एक दो गांव ऐसे हैं जहां गन्ना पैदा होता है। मगर आज पहाड़ों से जो पानी आता है उससे वह जमीन बेरानी हो गई है। मिट्टी बहकर चली जाती है।

एक माननीय सदस्य : पानी और मिट्टी लाता है।

श्री जेठमल (बरबड़) : पानी के साथ रेत आती है और मिट्टी बह जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दूसरा मेरा प्रस्ताव है कुओं के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय। कुओं के लिये ज्यादा से ज्यादा धन-राशि परबतसर और मकराना में दी जावे ताकि वहां के किसानों को तकावी दे कर ज्यादा से ज्यादा कुओं की व्यवस्था

(श्री जेठमल बरवड़)

करें। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे नागौर जिले में इतने गहरे कुए हैं कि उन पर बीस तीस हजार रुपया लग जाता है। अभी सरकार ने मकराने में कुआ खुदवाया, उसमें काफी पैसा खर्च हो गया। अगर सरकार हजार, दो हजार रुपया देती है तो हजार दो हजार से कोई कुआ खुद नहीं पाता और पैसा भी बरबाद होता है।

इसलिये मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि मकराना और परबतसर समितियों को ज्यादा से ज्यादा कुए खुदवाने के लिये तकावी दी जावे ताकि वे कुओं को गहरा बना कर अपनी पैदावार को अच्छी तरह से बढ़ा सकें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि पर मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है: मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की कमी तथा बीज वितरण व्यवस्था पर चर्चा के लिये) अकाल की मांग पर सदन में विचार हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

राजस्थान में अकाल पड़ा, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार को जो कुछ गरीब अकालग्रस्त लोगों को सहायता देनी थी और उनको पहुंचानी थी वह नहीं पहुंचा सकी इस कारण ये गरीब अकाल पीड़ित लोगों ने दूसरे राज्यों में, राजस्थान से बाहर जाकर, मुसीबत के मारे मजदूरी और काम किए। राजस्थान सरकार ने कहा कि हमने अकाल सहायता के लिए कई काम खोले हैं लेकिन मैं नहीं कह सकता कि यहां पर कोई खास काम अकाल पीड़ितों के लिए खुला हो। अगर अकाल के काम खुले होते तो दिल्ली में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि राजस्थान का गरीब झोंपड़ी बांध कर काम करता दिखाई देता। मैंने दिल्ली में जा कर देखा है। सारे राजस्थान के लोग भरे पड़े हैं और हमारी सरकार यहां पर उनके लिए अकाल के काम खोलने में असमर्थ रही है। भूखे मरते हुए लोगों ने किसी भी काम को नहीं छोड़ा है जो काम मिला उस काम को किया है। दिल्ली ही नहीं वे मद्रास भी पहुंच गए हैं। मैं कुछ समय पूर्व मद्रास गया था वहां पर भी मालूम हुआ कि राजस्थान के कई आदमी मांगने खाने को आ गये हैं। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। मैं निवेदन करूं कि मद्रास एक ऐसा देश है जो पहले ही भूखा है। वहां पर भी भूखों में भूखे पहुंच गये। यह सब सरकार की कमजोरी के कारण है। जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक कोई भला नहीं होगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाल ग्रस्त में कौन लोग आते हैं। किसान तो आते हैं ही मगर उनके साथ-साथ नीचे का तबका और वे लोग जो किसानों को काम में हाथ बंटाते हैं वह भी ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनको काम यहां पर नहीं मिलने से बाहर जाना पड़ता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके लिये अकाल सहायता के कार्य तत्काल खोलने का प्रबन्ध किया जावे.

Page No.113

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

दूसरी बात जो मैं कहूंगा वह यह है कि हमारी राजस्थान सरकार कहती है कि हमारे राजस्थान में मवेशियों की सब से ज्यादा संख्या है और भेड़ों की संख्या तो हमारे यहां पर सब से ज्यादा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी कौनसी संख्या है। ये तो ज्यादा दूसरे राज्यों में रहते हैं। मैं यह कहूंगा कि ८० परसेन्ट मेरे खयाल से जानवर आपके यहां पर नहीं रहते होंगे। दूसरे राज्य में ले जाने वाले इन मवेशियों से इतना दुःख पाते हैं और अपने-अपने घरों को छोड़ कर परेशान होते हैं और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बसर करते हैं जिसका आप कोई अन्दाजा नहीं लगा सकते। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि जिस समय अकाल पड़ता है उस समय चारे और पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराई जाये ताकि वे लोग मारे मारे न फिरें।

इसके अलावा मैं जयपुर जिले के लिये निवेदन करूंगा कि जो गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं वहां पर सरकार की तरफ से कोई अकाल सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं नहीं समझता कि कब काम शुरू होगा। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि कई जगह थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। जयपुर जिले में जमवा रामगढ़ क्षेत्र, सारा का सारा बगैर सहायता के है। आपने उसमें थोड़ी बहुत भी सहायता का काम नहीं किया है जैसी सहायता उपलब्ध करानी चाहिये थी, वैसी नहीं हुई है। इसके अलावा जो कुछ कार्य, जैसे सड़कें, तालाबों का कार्य होना चाहिये और बहुत पहले शुरू होना चाहिये, नहीं हुआ है। अकाल के समय में जिस तरह से सड़कों और तालाबों को और कई प्रकार के कामों की सहूलियतें दे दें तो लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों का काम है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। दूसरी तरफ तालाबों से भी इस क्षेत्र को राहत पहुँचाना चाहिये। क्योंकि न यह सिंचन क्षेत्र है, न यहां बांधों का प्रबन्ध है, इसलिये मेरा निवेदन है कि अकाल सहायता के जरिये तालाब आदि बनवा कर ये साधन इस क्षेत्र को उपलब्ध कराये जाय।

अनाज की दुकानों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में किसानों को भी अनाज की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि और और लोगों को है। हमारे इस क्षेत्र के किसान और दूसरे गरीब लोग जयपुर आकर यहां से अनाज ले जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां हमारे इस क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानें खोली जायं।

घास के लिये मै यह निवेदन करना चाहूंगा कि घास का तो जयपुर शहर में ही इतना अभाव है कि कोई यहां मवेशी नहीं रख सकता। इसलिये जयपुर में भी सस्ते चारे की दुकानें सरकार को खोलनी चाहिए। हमारे जमवा रामगढ़ क्षेत्र में भी चारे का प्रबन्ध होना चाहिये।

दूसरा मेरा कट मोशन सरकार की कृषि उत्पादन सम्बन्धी असफल नीति के सम्बन्ध में है। मेरी यह मान्यता है कि कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार बिलकुल असफल रही है। कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में जो आंकड़े सरकार ने कृषि प्रगति विवरण

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

में दिये हैं उनसे यह अन्दाज नहीं लगाया जा सकता कि कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार ने किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा कदम उठाया हो, जिससे हमें यह मालूम हो कि आगे जाकर यह राज्य कृषि उत्पादन में आगे बढ़ सकेगा।

सब से पहले मैं आपके रासायनिक खाद के बारे में कहूं कि रासायनिक खाद के बारे में जो आंकड़े दिये हैं उनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रासायनिक खाद के सम्बन्ध में जो भी आप विचार करते हैं, जो भी लक्ष्य आप बनाते हैं, जितना रासायनिक खाद उपलब्ध कराने का निर्धारित करते हैं, उतना रासायनिक खाद आप दे नहीं सकते, हमेशा अपने लक्ष्यों से पीछे ही रहते हैं। यह स्पष्ट है कि आगे जाने वाला व्यक्ति अगर पीछे की तरफ जायगा तो कैसे सफलता मिल सकेगी, वह कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेगा। आपने ८० हजार टन सुपरसल्फेट का और ३० हजार टन नाइट्रोजन का लक्ष्य निर्धारित किया था। ये दोनों लक्ष्य आप पूरे नहीं कर पाये। ८० हजार सुपरसल्फेट की जगह आधा भी नहीं दे सके और ३० हजार की जगह चौथाई भी नहीं दे सके। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह आपकी खाद्य नीति है, इसको किस तरह से सफल बना कर अन्न संकट को दूर कर सकते हैं ?

दूसरी बात आपने यह कह कर टाल दी कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कीटाणुनाशक दवाइयां बनाने में हम कामयाब नहीं हो सके। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह की चीजों के बारे में नहीं बता सके कि इस तरह कीटाणुनाशक दवाइयां बना सकेंगे तो कैसे आप कृषि का उत्पादन बढ़ा सकेंगे ? आगे बढ़ने के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो खाद्य की समस्या को आप कैसे हल कर सकेंगे, कैसे कृषि उत्पादन बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे ?

अब एक दूसरी बात, जो कि बीज का वितरण किया गया उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। सरकार जो बीज उपलब्ध कराती है उसमें भी कामयाब नहीं हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार बीज उपलब्ध ही नहीं करा सकती, दूसरे, जो बीज दिया जाता है वह सही न देकर गलत बीज दिया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि बीज के लिये ऐसा बीज फार्मों के जरिये तैयार कराकर किसानों को देते हैं, वह भी आप नहीं करते। बाजार से खरीद कर किसानों को लाकर दे देते हैं। इसके लिये पंचायत समिति, आमेर का उदाहरण दूं कि इसमें जितना बीज गेहूं का दिया गया वह बारीक बीज था, बाकी चने का बीज तो बिलकुल ही गला हुआ दिया। किसानों ने मजबूर हो कर वह गला हुआ बीज लिया क्योंकि इसके सिवाय उनके पास ऐन वक्त और कोई चारा ही नहीं था। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी व्यवस्था हो, सही ढंग से हो। तभी कृषि उत्पादन बढ़ सकता है।

इसके अलावा खास जमवा रामगढ़ के लिये अर्ज करूंगा कि आपने कुओं में लगाने के लिये सैट्स दिये हैं। एक साल पहले सैट कुओं में लगा दिये गये, वहां बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है। तो उन गरीबों की यह फसल तो मारी ही गई है और ऊपर से कल आप उन्हें कहेंगे कि

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
हमने तुम्हारे लिये तकावी दी है, वह किश्त हुम दो, तो ये बेचारे कहां से आपकी किश्त चुकायेंगे।

दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा कि वे लोग खायेंगे क्या ? मैं खास तौर से कृषि मंत्रीजी से कहूंगा कि पंचायत समिति से उनको लोन दे दिये, उन्होंने सैट्स अपने कुओं में लगा लिये, उनको बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया, करीब ३० कुएं हैं, सबे की तरफ भी यही हाल है। कृषि मंत्री यह कहेंगे कि यह उनसे ताल्लुक रखने वाला मामला नहीं है पर मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि इस तरह कैसे आपकी कृषि नीति सफल हो सकेगी। जो पुराने साधन उन किसानों के पास थे, जिन लाव, चडस से वे अपनी खेती की सिंचाई कर सकते थे, उनके ये सारे साधन खत्म कर दिये हैं, अब वे लोग क्या तो खायेंगे और क्या कृषि उत्पादन बढ़ायेंगे ? इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं यही निवेदन करूंगा कि सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दे।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले कि मन्त्री महोदय बोलें, श्री मानधातासिंह एक स्पष्टीकरण देंगे।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, माननीय उपाध्यक्ष, मेरी अनुपस्थिति में मुझको पता लगा कि हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में मेरा उल्लेख किया था और वह उल्लेख राजस्थान पंचायत सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में किया। उसकी प्रति मेरे पास है। उन्होंने यह कहा कि मैंने पहले भी यह चार्ज लगाया था, मेरे पास ट्रू कॉपी है। मानधातासिंह पहले राजस्थान पंचायत सर्विस कमीशन के चेअरमेन थे, वहां इतना भ्रष्टाचार था कि बिना लिये दिये तो काम बनता ही नहीं था।

तो इसमे यह ध्वनि निकलती है कि भ्रष्टाचार जितना पंचायत सर्विस कमीशन में फैला है उसमें शायद मेरा भी हाथ था। केवल इस सम्बन्ध में मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि पंचायत सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार नहीं है। आज से शायद दो साल पूर्व नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जब मेरे सम्बन्ध में इस प्रकार की बात उठाई थी तो मैंने उनका स्पष्टीकरण किया था, उसी को फिर दोहराना चाहता हूं। एक ग्राम सेवक के तबादले के सिलसिले में कुछ माननीय सदस्य इन्ट्रेस्टेड थे, एक हिण्डौन से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे फागी से आने वाले माननीय सदस्य। तो ये दोनों माननीय सदस्य आये, उस समय मैं सेक्रेटरी था पंचायत-सर्विस कमीशन का....

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को गलतफहमी है। उस समय ये चेयरमेन नहीं थे तो इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मानधातासिंह : जो आपने कहा वह रेकार्ड में है और मेरे पास भी है। तो मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि ये दोनों मान-

(श्री मानधातासिंह)
नीय सदस्य मेरे पास एक ग्रामसेवक का तबादला कराने के लिये आये........

श्री श्रवणलाल : फिर दोहरा रहे हैं, मैंने चार्ज चेयरमैन पर लगाया है, आप चेयरमैन थे ही नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपको जरूरत क्या है स्पष्टीकरण देने की जबकि ये कह रहे हैं कि आप चेयरमैन थे ही नहीं, आप पर इन्होंने चार्ज नहीं लगाया।

श्री मानधातासिंह : ये माननीय सदस्य एक ग्राम सेवक का तबादला कराना चाहते थे। वह नहीं हो सकता था, चेयरमैन जो थे उन्होंने आॅर्डर दे दिया कि तबादला नहीं हो सकता, फिर भी सैक्रेटरी से मिलकर आॅर्डर कराना चाहते थे। तबादला नहीं हो सका इसलिये वे असंतुष्ट हो गये। माननीय सदस्यों का कहां तक फर्ज है कि इन्डिविजुअल्स के तबादले में इस प्रकार इन्ट्रेस्ट लें ? मैं यह नहीं कहता कि पंचायत सर्विस कमीशन में भ्रष्टाचार नहीं है, पर माननीय सदस्यों को भी यह शोभा नहीं देता कि इन्डिविज्युअल केसेज को लेकर जावें कि तबादला हो जावे और नहीं हो सके तो इस प्रकार का गलत प्रचार करें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष, आज तो टाइम बढ़ाना होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आज तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, टाइम बढ़ाना चाहिये।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! हमेशा साधारणतया जिस तरह समय देते हैं कटौती प्रस्तावों के नम्बर के हिसाब से, सब पार्टीज को समय दे दिया गया है। सब पार्टीज बोल चुकी हैं, जितने तथ्य आने चाहिये वे आ चुके हैं। दो मांगों पर कटौती प्रस्ताव हैं; दो मंत्री जवाब देंगे, तो यह आवश्यक है कि वे यथा समय प्रारम्भ कर सकें तभी पूरा जवाब दे सकेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्योंकि यह सारे राजस्थान के लोगों से ताल्लुक रखता है, आपसे प्रार्थना है कि सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री मानसिंह महार : हम तो ८ बजे तक बैठने के लिए भी तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ८ बजे तक चाहेंगे तो भी देखा जायगा, परन्तु........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब तक जवाब न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आवश्यकता होगी तो बढ़ाया जायगा लेकिन यदि यथा-समय सारी कार्यवाही हो सके तो क्या आपत्ति है ?

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

अगर सदन की मन्शा हो तो साढ़े चार बजे तक........

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पांच बजे तक।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब तक जवाब न हो जाय।

Page No.117

श्री नाथूराम मिर्धा : यह निश्चित किया जाय कि उत्तर किस समय शुरू होगा। आप साढ़े चार बजे कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं सदन की राय जानना चाहूंगा कि सरकारी पक्ष का जवाब कब प्रारम्भ होगा ?

कुछ माननीय सदस्य : पांच बजे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप १०–१० मिनट मुकर्रर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि उत्तर पांच बजे प्रारम्भ हो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साढ़े चार बजे।

श्री मानसिंह महार : पांच बजे मिनिमम है। हम तो सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आधा घंटे का समय निर्धारित कर दें और हरेक १०–१० मिनट ही बोले।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि आप सब की राय रहेगी कि दस मिनट से अधिक कोई न बोले और पौने पांच बजे....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजे के बाद जब तक मंत्रियों का जवाब न हो जाये, मांगें पास न हो जायं और आज की कार्यवाही समाप्त न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

(४ म.प.)

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि झुंझुनू जिले के जिन गांवों में लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है इन गांवों की लगान माफ करने हेतु सदन के कुछ माननीय सदस्यों को कुछ गलत फहमी हो सकती है इस बात की कि जहां लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है उनको तो फेमिन कोड के अनुसार वैसे ही लगान माफ करदी जायगी लेकिन मुझे स्पष्टीकरण करना है, वह यह कि "लगातार तीन से" मेरा अभिप्राय यह है कि झुंझुनू जिले के कुछ गांव १९६३–६४ में सरकार की ओर से अकालग्रस्त घोषित किए गए थे, १९६४-६५ में उनमें से काफी गांव हालांकि अकालग्रस्त घोषित नहीं किए गए थे लेकिन वहां पर फसल की खराबी ६–८ आने तक थी इसलिए उन गांवों को वह अपोर्चुनिटी अकालग्रस्त घोषित किए जाने की नहीं मिल सकी। उसके बाद १९६५–६६ में वही गांव फिर से अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा। तो इस संबंध में मैं निवेदन करता हूं कि जो गांव १९६३–६४, १९६४–६५ और १९६२–६३ में लगातार तीन सालों तक अकालग्रस्त रहे हैं, जहां पर आठ आने से कम फसल हुई है, ऐसे गांवों की लगान माफ कर देनी चाहिए।

वैसे हिन्दुस्तान में तो क्या सारे विश्व की ही इस प्रकार की कुछ ऐसी नीति रही है कि मेहनत करने वाले भूखों मरते हैं और शोषण करने वाले मौज करते हैं। किसान जो इतनी मेहनत करता है उससे वैसे भी न्याय के अनुसार लगान लिया जाना वाजिब नहीं है, लेकिन यदि वह फसल उसके लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाती है, यदि वह मेहनत के द्वारा अपने और अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता है तो उन लोगों से लगान की बात करना सामाजिक न्याय के विरुद्ध है और आर्थिक न्याय के विरुद्ध भी।

(श्रीमती सुमित्रा)

हमारी अकाल-सहायता उप-मंत्री इस बात को जानती हैं कि झुंझुनूं जिले में इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। झुंझुनूं तहसील के कुछ गांव तो इस प्रकार के हैं कि जहां पर नुकसान १६ आने से भी ज्यादा है। लोगों ने बीज बोये थे, मेहनत की थी उन बीजों का फल भी उनको नहीं मिल सका। ऐसी हालत में झुंझुनूं जिला परिषद् द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था और उसमें राज्य सरकार से निवेदन किया गया था कि वह झुंझुनूं जिले के जो गांव अकालग्रस्त घोषित किए गए हैं उन गांवों के किसानों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए और खास तौर से ऐसे बच्चों के लिए, जो छात्रावासों में रहते हैं, छात्रवृत्ति जैसी कोई योजना बनाएं। उसकी तरफ मैं मन्त्री महोदय का फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में यहां पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है, वह कृपया अवगत कराएं कि राज्य सरकार का निर्णय क्या है ?

इसके साथ साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि झुंझुनूं जिले में जिला परिषद् द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें राज्य सरकार से दरख्वास्त की गई थी कि जो सरकार अकाल सहायता के अन्दर कुछ सड़कें बनाती हैं, और इस तरह के अन्य जो निर्माण कार्य करवाते हैं, उनका मेरी दृष्टि से और किसानों की दृष्टि से बहुत उपयोग नहीं हो पाया है। कई बार बरसात हो जाती है, सड़कें जिस हालत में होती हैं वैसे ही पड़ी रहती हैं। आप जानते हैं कि वह रेगिस्तानी इलाका है ऐसी हालत में आवागमन की दृष्टि से उनका बहुत उपयोग नहीं हो पाता। मई के महीने में जब बहुत अधिक आंधियां चलती हैं तो धूल का सड़क पर कम से कम १०-१२ गज तक एक दूसरा टीला बन जाता है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए वहां की जिला परिषद् द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें राज्य सरकार से निवेदन किया गया था कि बनिस्बत इस प्रकार की सड़कों के काम को बहुत अधिक महत्व दें; वहां पर लोगों को छूट दी जाय कि यदि आप लोग खेतों के अन्दर कुआं खोदना चाहें तो उनको खोदने के लिए राज्य सरकार आपको तकावी के साथ एक हजार रुपया सहायता अनुदान भी देगी। इस प्रलोभन और सहायता से बहुत से किसान प्रेरित होकर जहां एक तरफ एक हजार की सहायता प्राप्त कर सकेंगे वहां पर साथ ही साथ वे, गरीब हरिजन लोग कुओं का काम पूरा करेंगे। इस तरह से वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति गंगानगर के मुकाबले की भी हो जायेगी।

इस समय मैं मानती हूं कि राहत कार्य उप मंत्री के सहयोग से और उसकी देखभाल से संतोषप्रद हालत में चल रहा है और वहां पर किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं हो रही है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी निवेदन है कि बनिस्बत इसके कि इस प्रकार के निर्माण कार्य इस अकाल सहायता विभाग से कराएं, मैं कुछ उस तरह की बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जिनकी तरफ वैसे ही फेमिन कोड के अनुसार जो आदमी सड़कों पर काम करने आते हैं, अगर उनको काम नहीं देते हैं तो भी घर बैठे प्रावधान है कि आप उन्हें पैसे दें लेकिन वह तो दूर रहा वह वैसे ही काम करने आता है। बच्चे हैं १२-१३-१४ साल के, ऐसे बच्चों को ओवरसीयर यह कह कर वापस करता है कि वह छोटा

(श्रीमती सुमित्रा)

है। आप उसको घर बैठे रोटी दें इससे तो अच्छा है कि वह कुछ परातें तो डालेगा, इससे उसकी हिम्मत बढ़ेगी।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन भी करती हूं कि अकाल सहायता के कामों के अन्दर जो कुछ हो रहा है उसके साथ जो जिले अकाल से बहुत प्रभावित हैं और जहां पर अकाल की बहुत छाया है, ऐसे जिलों के अन्दर कुओं पर बिजली देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और फिर अन्त में निवेदन करती हूं कि जो गांव लगातार तीन सालों से अकाल से प्रभावित हैं वहां किसान परेशान हैं उनकी हिम्मत और हौंसले को कायम रखने के लिए आपको कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष: श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सादूलपुर): मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक अकाल सहायता के सम्बन्ध में और दूसरा खेती-बाड़ी के सम्बंध में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: May I know whether names have been given by the party?

श्री उपाध्यक्ष: This knowledge will be kept secret.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: Why Secret. आपका न्याय?

श्री उपाध्यक्ष: आपको याद है, आपने कट मोशन दिया था नहीं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: दिया है।

श्री भैरोंसिंह: आखें नहीं पकड़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: वे ठहरती हो नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: रोज रोज वहां आकर अटक जाती हैं, इसलिये आज इधर-उधर फिर रही हैं।

श्री रावतराम: माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे दो कट मोशन्स हैं। एक अकाल सहायता के सम्बन्ध में और दूसरा खेती-बाड़ी के सम्बन्ध में।

माननीय उपाध्यक्षजी, अकाल सहायता के सम्बन्ध में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिये और यह एक जनरल शिकायत थी कि अभी तक काम काज नहीं हुए हैं, अनाज नहीं मिला है, कुछ अर्से में ये शिकायतें ठीक हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि काम धन्धा चालू नहीं हुआ हो, बहुत जगह काम चालू हुए हैं, लगान की छूट हुई है और सस्ते अनाज की दुकानें खुली हैं। लेकिन सवाल यह है कि अकाल की गम्भीरता को देखते हुए जिस मुस्तैदी के साथ एक्शन लेना चाहिये और वहां पर काम चालू करने के लिए सरकारी मशीनरी जो स्थानीय है उस पर दबाव डालने के लिये कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस तरफ दें, इस तरह की व्यवस्था हो तब समय पर काम मिल सकेगा और मजदूरी मिल सकेगी और यह मालूम भी पड़ेगा कि सरकार ने काम किया है। गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी होती है लेकिन वह

(श्री रावतराम)

जिलाधीशों के कार्यालयों में पड़ी रहती है और नीचे तक उसका कोई असर नहीं होता है। सुस्ती रहती है। यही एक कारण है।

उपाध्यक्षजी, आपके जरिये सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अकाल घोषित करने की सरकार की नीति है, वह नीति पटवारी से शुरू होती है। पटवारी गांव की गिरदावरी करता है कि जमाना है या अकाल है। वह खेतों में पहुंचता है और आंकड़े बनाता है। लेकिन आज पटवारी खेतों में नहीं जाता है, वहीं गांव में बैठे रह कर लोगों से पूछ लेता है। गिरदावरी गांव में बैठ कर निकाल लेता है और आंकड़े बना कर फिर भेज देता है। सरकार ने यह बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि सरपंच, गांव का मुखिया या पंच उस गिरदावरी पर दस्तखत न कर दे तो उसको दुरुस्त नहीं माना जाय। यह बात ठीक है। सरकार ने अच्छा किया। इससे बिगाड़ा नहीं होना चाहिये। उस के बावजूद भी हजारों जगहों से शिकायतें आती हैं पटवारी ने गिरदावरी खराब करदी। उसका कारण यह है कि पटवारी सरपंच के दस्तखत बना लेता है। वह दो तीन तरह की पैंसिलें रखता है। वह कच्ची पैंसिल से नोट करता है। जमाना कैसा ? बारह आना। गिरदावर के पास दूसरी पैन्सिल से नोट जाता है। तहसीलदार के पास पहुंचता है तो ५१ लिख देता है। और ५१ पैसा होते ही वह अकाल घोषित हो जाता है। राजस्व मंत्रीजी आपने सरपंच को अधिकार दिया है। पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार मिल कर करते हैं। इसलिये कि गांव वाले रोटी नहीं खिलाते। वहां से कुछ मिलता नहीं। गांव वालों से कहते हैं कि कुछ दो। उनको रोकने के लिये आपने यह व्यवस्था की, पटवारी सरपंच के दस्तखत करवायेगा और दस्तखत नहीं होंगे तो ठीक नहीं माना जायगा। तहसीलदार के पास आते हैं तो मेरा

(४.१५ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

सुझाव है कि सरपंच, तहसीलदार और गिरदावर इनकी जनरल मीटिंग बुलाई जाय कि इतना पैसा गिरदावरी का तुम्हारी तहसील में हुआ है। कोई शिकायत हो तो मौके पर जाने के लिये तहसीलदार तैयार है। इस तरह से करने से सब ठीक हो जायगा। न सरपंच को और न गिरदावर को ही शिकायत रहेगी। इस पर विचार करना चाहिये ताकि पटवारी और गिरदावर मिल कर जो धांधली करते है वह नहीं होगी और बन्द हो जावेगी। वरना तो जो पटवारी कहता है वही बात पक्की हो जाती है। फिर उसको मिटा नहीं सकते। आपको दरख्वास्तें दें या किसी को दें कोई फायदा नहीं होता। इसलिए इस तरह की व्यवस्था आपको कर देनी चाहिये।

दूसरा मेरा सुझाव है वह यह है कि आपके राहत के काम चलते हैं। रोड्स पर काम शुरू करते हैं और काम चल रहा है। मेरे जिले का मैं जिक्र करता हूं कि कई सड़कें ऐसी है कि जिनका नाम ही फेमीन रोड पड़ गया है। फेमीन आता है तो उनके ऊपर काम शुरू हो जाता है। कंकरी, पत्थर पड़ गया। बारिश आयी और बह गये। हर साल लाखों रुपया गवर्नमेंट का खर्च हो जाता है लेकिन आज उन सड़कों का नाम तक नहीं है। आप काम चलायें तो इतना तो होना चाहिये कि दूसरी दफा अकाल पड़े तो दूसरा काम

(श्री रावतराम)

मिले । अकाल पड़े तब ही उन सड़कों का काम हो यह नहीं होना चाहिये । जहां यह काम चालू कर रखे हैं वहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था कीजिये ताकि गैंग रह सके, अनाज, आटा, पानी मौके पर मिले । चाहे जितने मजदूर आजांय दो हजार तीन हजार । सब को काम मिलेगा । रोड्स निकाल रहे है उनको पक्का करते जाय, उन पर डामर करना चाहिये ताकि गवर्नमेंट का जो पैसा लगा है उसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिये । इन कामों को स्थायीत्व देने के लिये आपको नयी व्यवस्था करनी चाहिये । यह ठीक है कि दूर दूर गांव होते हैं, आ नहीं सकते ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जोड़ का काम कर दें । सड़कें ठीक ढंग से बनायें तो पिछला फेमीन आये तब तक तो कितनी ही राजस्थान में फेमीन के कारण भी सड़के नजर आयें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपका समय हो गया है ।

श्री रावतराम : अभी तो मैं बोला ही नहीं हूं पूरा । दस मिनिट नहीं हुए हैं ।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कर दें ।

श्री रावतराम : थोड़ा सा जिक्र रोड अलाइनमेन्ट के बारे में करना चाहता हूं । यह फेमीन एरिया में रहनी चाहिये । अलाइनमेन्ट की बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है । पी. डब्ल्यू. डी. इन्जीनियर्स अपने ढंग से गांव में जाकर निकाल देते हैं । हमारा यह भी लक्ष्य होना चाहिये कि कमेटी के अन्दर जिलाधीश, इन्जीनियर्स हों उनके द्वारा यह फैसला होना चाहिये कि इन २ रोड्स को किन २ गांवों में ले जाना है । उनका आगे जाकर लिंक तो होना चाहिये । आज एक सड़क को एक गांव में ले जाकर पटक दिया, दूसरा इन्जीनियर आया, उसने दूसरे गांव में ले जाकर पटक दिया । इस स्थिति को बन्द करना चाहिये ।

इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है चारे की व्यवस्था के बारे में । हमारे इलाके में चारे का बहुत बड़ा अभाव है इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था की जावे जिससे वहां के लोगों को पशुओं को खिलाने के लिए चारा मिल सके । उस तहसील में संवत् २०२० और २०२१ में अकाल था । उस समय इतनी सारी कड़बी इकट्ठी की गई थी, जो मैं समझता हूं कई हजार रुपये की थी, उसकी एक बागर लगी हुई थी । इस अगस्त महीने में जब अकाल की संभावनायें हो गई थीं फिर भी वहां रहने वाले रेवेन्यू कर्मचारियों ने उस कड़बी को नीलाम करवा दिया । जो हजारों की थी जिसको मामूली कीमत में कुछ बीस पचास या १०० रुपये में नीलाम करवा दिया । जब कि वर्षा नहीं हो रही थी हजारों किसानों को इसकी आवश्यकता होगी यह बात मालूम होते हुए भी उसको नीलाम क्यों करवा दिया, इसकी जांच की जानी चाहिये । आज वहां चार पांच और छः रुपया मन में भी कड़बी नहीं मिलती । अतः मेरा निवेदन है कि वहां चारे की उचित व्यवस्था की जाय ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

Page No.122

(श्री रावतराम)

मैं एक मिनिट मे ही समाप्त करता हूं।

अब मैं कुछ राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं वहां के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां भी अकाल है। वहां के लिए कुछ काम शुरू करने की मन्जूरी हुई थी राजगढ़ से सहाना रोड पर लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। वहां के साठ-सत्तर गावों में अकाल है दो महीने हो गये कोई काम नहीं चला।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

(श्री रावतराम बोलते रहे किन्तु सुना नहीं जा सका।)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल।

(श्री रावतराम फिर भी बोलते रहे और घंटी बजती रही। इसी समय श्री श्रवणलाल ने भी बोलना प्रारम्भ कर दिया।)

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : सभापति महोदय, आज की आकड़ों की सरकार आंकड़ों में पैदावार बढ़ा कर बताने वाली सरकार जितनी फसल की पैदावार बतलाती है, उस लिहाज से उनके आंकड़ों के हिसाब से कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। वास्तविक चीज को देखा जाय, इस असलियत को देखा जाय तो सिवाय आंकड़ों के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमारी सरकार ने ४० फार्म्स खोल रखे थे उनमें से एक भी फार्म को देखा जाय, जैसा जनलेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया, उसने सरकार को यह महसूस करा दिया है कि जितने फार्म्स हैं जो सरकार चला रही है उनमें से बीस फार्मों का निरीक्षण समिति ने किया। उन बीस फार्म्स में से करीब १५ फार्म ऐसे हैं जो सन् ५६ से लेकर ६४ तक कार्य कर रहे हैं। उनमें किसी में भी मुनाफा नहीं हो रहा है। सभी नुकसान में चल रहे हैं। उन फार्म्स के अन्दर १०४२ लाख का खर्चा हो चुका है। सन् ५६ से लेकर अबतक ये फार्म ८.४० लाख के नुकसान में चल रहे है। यह आंकड़े अपने आप में बताते है, कागजों में आप क्या दिखाते हैं और वास्तव में हैं क्या ?

सभापति महोदय, इस प्रकार एक नहीं अनेक मामले ऐसे हैं पंचायत समिति के अन्दर जो कृषि सहकारी समितियां हैं उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। इस बात के लिये ६१-६२ में ९०.९३ लाख की सहायता दी गई। कृषि पंचायत सहकारी समितियों के लिये जिसमें से केवल २.६३ लाख ही उपयोग में लिया गया है। पैसा मंजूर हो गया लेकिन काम में उसको नहीं लिया गया। १.५३ लाख का अनधिकृत उपयोग किया गया। आज हमारी सरकार द्वारा जो इस प्रकार की सहकारी समितियां बनायी जाती है उन समितियों का उपयोग होता नहीं। सरकार द्वारा लोन तो ले लिया जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता। जिन समितियों ने खाद बीज के पैसे हजारों की तादाद में ले रखे हैं इस बारे में मैंने एक प्रश्न भी किया था जिसका उत्तर दिया गया जिसके अनुसार कई सरपंचों और पंचों में खाद और बीज के पैसे बकाया है जिनको सरकार वसूल नहीं कर पाती हमारे किसान जो अपनी फसल को सही ढंग से तैयार नहीं कर पाता

(श्री श्रवणलाल)

है वह इसलिये कि उनको समय पर बीज नहीं मिलता खाद नहीं मिलता। जो समितियां खाद और बीज के वितरण का काम करती हैं उनमें पैसा बकाया होने के कारण उनको बीज और खाद नहीं मिल पाता इसलिए समय पर किसान को बीज नहीं मिलता है इससे फसल भी वह बो नहीं सकता।

इसके अलावा सभापति महोदय, किसी भी पंचायत समिति को उठाकर देख लीजिये जो तकावी मिलती है वह सरपंच अपने भाइयों को दिलाता है या अपने रिश्तेदार को दिलाता है। गरीब किसानों को इसके लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसको तकावी नहीं मिलती। बैलों के लिए जो तकावी मिलती है, पैसा मिलता है, वह पैसा मिलता है मालदार को जिसके पास पहले से बैलों की जोड़ी होती है, जिसके घर में पहले से बैल बंधे हुए होंगे उन्हीं को वह पैसा मिलेगा। गरीब किसान को वास्तविक रूप मे नहीं मिल पाता।

इसके साथ साथ हमारे जिले के अन्दर, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर अकाल की छाया पहले तक नहीं थी। आज से दो साल पहले वहां अकाल सुनने में नहीं आया करता था। लेकिन अब धीरे धीरे अकाल की छाया उधर भी फैलने लगी है। हमारे जिले में अकाल के राहत कार्य शुरू नही हुए हैं। गत साल भी अकाल था, वहां पर घास पैदा नहीं हुआ था इन जगहों पर भी आप रिलीफ के काम खोलिये।

जब इस साल के लिए कहा गया तो हमारी सरकार ने कुछ गांव कुछ तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित किया है। हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम उन्होंने कुछ सुनी तो सही। गत साल करौली क्षेत्र के अन्दर जानवरों के लिये घास न मिलने से पशुओं को चारे के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, सैकड़ों जानवर मर गये थे, पानी के अभाव में भी काफी पशु मर गए थे। वहां नहीं खाने के लिये अनाज की भी हाहाकार मची थी। जब सरकार से अनाज की मांग की गई तो कहा गया अनाज तो शहरवालों के लिए है गांव वाले तो अनाज पैदा करते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा गांव वालों के लिये खाद नहीं, बीज नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, फिर हमारी सरकार किस प्रकार कहती है कि राजस्थान का बजट गांवों की भलाई के लिये है? अगर गांव मरता है तो शहर मरता है। अगर गांव खुशहाल होता है या जिन्दा होता है तो शहर खुशहाल और जिन्दा होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो गांवों के लिए कोई सुविधा नही दी जाती है और दूसरी तरफ इस तरह की रूपरेखा बनाकर उनको खुश किया जाता है। मैं, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे सवाई-माधोपुर इलाके में जहां ऐसी कई तहसीलें हैं जो कि अकालग्रस्त घोषित की हैं तो वहां फेमिन रिलीफ वर्क्स हों वह जल्दी से जल्दी खोले जायें। मैंने सुना था कि वह रिलीफ वर्क्स खोलने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो वहां किसी प्रकार के कोई रिलीफ वर्क्स नहीं खोले हैं। वहां के लोग दूसरी जगह अपना पेट भरने

(श्री श्रवणलाल)
के लिए अपने बाल बच्चों को साथ लेकर बाहर जा रहे हैं। एक नहीं हजारों की संख्या में जा रहे हैं इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस इलाके के अन्दर भी इस प्रकार के रिलीफ वर्क्स खोले जायें।

यही नहीं, इसके साथ ही साथ आप ऐसा करिये कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने की सड़कें हैं बहुत खराब हो चुकी हैं और मेरा सुझाव है कि आप उन सड़कों पर कार्य करवाइये जिससे दोनों काम हो जायेंगे। एक तो रिलीफ वर्क्स भी खुल जायेंगे और दूसरी जो सड़कें मुद्दत से पड़ी हैं जिनके ऊपर काम नहीं हो रहा था उनके ऊपर भी काम हो जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो मैं, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा क वह सवाई-माधोपुर के अन्दर भी इस तरह के रिलीफ वर्क्स जल्दी से जल्दी खोलने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि हमें विरासत में दुर्भिक्ष अंग्रेजों से मिला। यह स्टेन्डिंग समस्या है। २ लाख आदमी बंगाल में इस बीमारी से तड़फ तड़फ कर मर गए। हमारे राज्य की स्थापना के बाद निश्चित रूप से बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारे हाथ में राज्य आने के बाद भी इस समस्या का सामना करने के लिए बराबर कांग्रेस की तरफ से कोशिश चल रही है। उस कोशिश के अन्दर यह फीवर आज से नहीं वर्षों से हमारे हिन्दुस्तान में रहा है, सैकड़ों वर्षों से रहा है। इसके साथ में यह कहा गया कि दुर्भिक्ष और कृषि, यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए एक के बारे में बात करें या दूसरे के बारे में, स्वयं दूसरे के बारे में बातचीत हो जाती है। मैं यह कह सकता हूं कि हमने हमेशा एलान किया कि हम इस दुर्भिक्ष रूपी दुश्मन से लड़ेंगे और गरीब को हमारे देश से मारकर भगायेंगे और देश को इससे उऋण करेंगे। वह प्रयत्न कोई २०, ३० साल में नहीं हो जाते हैं। जो नेशन वर्षों से इस बीमारी से तड़फ रहा हो उस सामाजिक अन्याय की वजह से विदेशियों से लड़कर आजादी जिस कांग्रेस ने दिलाई है उसके उससे भी ज्यादा दिल में दर्द है कि इस समस्या से कैसे उऋण हुआ जाये। हमारी समस्या विशेष रूप से राजस्थान में है कि हमारी स्कीम्स बिल्कुल सही हैं लेकिन इसके साथ यह कहना पड़ता है कि कुछ योग्य आफिसर्स भी हैं लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो हमारी पालिसीज को पूरी तरह से सफल नहीं होने देते बावजूद इसके कि दुर्भिक्ष के बारे में और दूसरे कृषि की बातों के बारे में सोचा जाये वे हमारी स्कीम्स को फेल करने में लगे हुए हैं।

तो मैं कहता हूं कि सरकार बराबर इसको ढंग से ठीक करने की स्थिति पैदा करे जिससे जो हमारे काम हैं, जो हम डिक्लेयर करते हैं उस डिक्लेरेशन को पूरी तरह से पूरा कर सकें और जो हमारे इरादे हैं उनको हम पूरी तरह से देख सकें कि वह पूरे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हो रहे हैं। मैं इस सिलसिले में, सभापति महोदय, इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछली साल अकाल के समय १९६३-६४ में बहुत अच्छे काम हुए, विदेशी आये, उन्होने कार्य किये, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि काम किये, सरकार ने रुपये लगाये, हर तरह से किसानों को मदद पहुंचाई अपने सीमित साधनों के द्वारा इन किसानों के लिए जो दर्द सरकार में था वह बराबर उन तक पहुंचा। लेकिन एक तरफ इसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता और एक के बाद एक चीज आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर यह आया है कि आज नसीराबाद के अन्दर, आज पाली के अन्दर, आज गंगानगर के अन्दर और बीकानेर के अन्दर घास जली उसके रुपयों का हिसाब नहीं, ऑडिट लाखों रुपये का जिस आदमी के हाथ में रुपया दिया वह हड़प करने वाले यहां पर तीन-तीन साल से उसी जगह पर बैठे रहें तो मैं कहता हूं कि एक जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। जिन लोगों ने पैसा खाया है और ऐसे पाप का पैसा खाया है कि जो आम लोगों की रियायत के लिए दिया जाता है, उन नौकरों ने अमानत में खयानत की है उनको सदन के सामने खड़ा किया जाये और सरकार से मांग करता हूं कि उनको सजा दी जाये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं फेमिन कोड के बारे में हो दावा करता हूं। सब कानून से चलें और हर आदमी डेमोक्रेसी की इज्जत बढ़ाये, लेकिन इस सरकार को क्या हक है कि दिनदहाड़े चाहे एलान के साथ यह फेमिन कोड को सबके सामने तोड़ रही है। मैं पूछ रहा हूं अभी की बात, तो गये तीन महीने से कहता हूं। मिनिस्टर के दिल में दर्द है, यह दावा करता हूं, लेकिन उनके बाद भी जो मजदूर वहां पर काम करते हैं उनको पैसा और उनकी महनत नहीं मिली। मैं कह कर थक गया, वे कोई को कह देते हैं कि पी. डब्लू. डी. में चला गया, कोई न कोई ऐसी बात कहते हैं कि पकड़ में ही नहीं आते। हमारे राजस्व मंत्री के हाथ में ऐसा तेल लगा हुआ है कि हर आदमी फिसल जाता है। मैं बराबर कह रहा हूं नसीराबाद में ३ साल से कहता आ रहा है, बराबर वहां की कन्डीशन्स खराब है लेकिन फेमिन कोड के माफिक काम शुरू नहीं हुए। वह सरकार के लिए उतना ही मान्य है जैसा कि ३०२ में आदमी पकड़ा जाता है और जिस तरह से आदमी का चालान होता है उसी तरह से सरकार का चालान होना चाहिए जो फेमिन का कानून है उसको तोड़ने के अन्दर। वह आपका कानून आज तक नहीं बदला। आपने उसमें १० मील का तो रखा है। कोई आदमी १० मील से चलकर आयेगा? १० मील आदमी काम करने जाये तो कैसे वहां से घर आयेगा, कैसे बच्चों को पढ़ायेगा कोई व्यवहारिक बात नहीं है।

हावा साहब, हवा को गए। पानी का पता नहीं और उनके इन्तजाम का पता नहीं, उनके पास औजार नहीं। जो लोग डिसएबल्ड हैं उनको पैसे नहीं बांटते। पिछली साल कई जगह लोगों को दिक्कतें आईं। लेकिन चुंडावत सम्माननीय सदस्या हैं उन्होंने कोई रास्ता नहीं देखा तो पिटीशन कमेटी को एक दरख्वास्त दे दी देवगढ़ के लिए। उस कमेटी ने क्या लिखा है कि यह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

एक बहुत गम्भीर मामला है पैसे नहीं देते। घास जल गई, लोगों के हिसाब नहीं। ऑडिट रिपोर्ट आ गई किसी ऑफिसर को कोई पूछने वाला नहीं है। किसी ऑफिसर को सजा नहीं दी जा सकती चाहे लाखों का घोटाला हो। लेकिन उस गरीब आदमी ने जिसने जुर्रत की उसके लिए पिटीशन कमेटी क्या कहती है। यह सारे राजस्थान में मजदूरी रही है आपने मजदूरी पे नहीं की है लेकिन मिसाल के लिए याचिका कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। उसमें यह लिखा है :

"अकाल की स्थिति में वहां के लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर काम देने के लिए राहत कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं और उन मजदूरों को वह न्यूनतम मजदूरी भी समय पर न मिले तो राहत कार्य प्रारम्भ करने की मूल भूमिका ही समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, प्रस्तुत विषय में तो राहत कार्य समाप्त भी हो चुका है और काफी अर्सा ऊपर से बीत चुका है और अब तक भी उन मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका है, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है; अतः इस पर विलम्ब के लिए जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उनका यह व्यवहार एक तरह से अमानवीय रहा है।"

यह पिटीशन कमेटी ने कहा। वह होशियारी की सम्माननीय सदस्या की। कोई दावा नहीं कर सकता, कोई लेबर कमेटी में नहीं जा सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

और इतने हजारों-हजारों किसानों ने जिन्होंने आपके फेमिन में काम किया ११ महीने, जहां ७ दिन का नियम है लेकिन आप ७ दिन में मजदूरी नहीं बटवाते। यह सरकार मजदूरी नहीं दे, काम करवाये और बड़े-बड़े किसान मिट्टी खोदने के लिए आते हैं उनको पैसा नहीं मिले, ११ महीने अजमेर के चारों तरफ हो जायें, काम १० मील में खुलें जहां ३ मील से ज्यादा नहीं खुलना चाहिए, लेकिन काम नहीं खुले, जहां काम खुले वहां मजदूर नहीं भेजें और पहले साल तो लाखों रुपयों की घास जल गई आज भी घास के डिपो हैं कहीं जल नहीं जायें।

ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर लाखों रुपयों का जिक्र ऑफिसर के बारे में आये और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकें। और उन्होंने एक नमूने के तौर पर मामला पिटीशन कमेटी के सामने रखा और पिटीशन कमेटी ने भी एक नमूने के तौर पर यह रखा कि जिन लोगों ने मजदूरी कमाई वह आज भी नाम ले रहे हैं कि राहत के कार्य में, अकाल के काम में मजदूरी की और वह मजदूरी सरकार नहीं देती है। सरकार ने कहा कि वह तो काम ही बन्द हो गया है। काम बन्द हो गया तो क्या हुआ, वह रुपया कहां गया? वह काम का मस्टर रोल कहां गया, रोल का पैसा सरकार ने मजदूरों के घर क्यों नहीं पहुंचाया? जिन लोगों ने मजदूरी की उनको आज तक भी रुपया नहीं पहुंचा यह एक बड़े दुःख की बात है और इसे बड़े दुःख के साथ कहता हूं कि इस अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मुतवातिर तीन साल से अकाल पड़ रहे हैं वहां पर कम से कम राहत कार्य तुरन्त खोलने की जरूरत है और जो काम खोले जावें वे दस-दस मील के एरिया में नहीं उनके पास

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

खुलने चाहिएं। आज उनके पास खोदने का सामान नहीं है, खोदने के औजार नही हैं जो फैमिन कोड के अन्दर आपको देने चाहिए। फैमिन कोड के अन्दर काम खोलने चाहिए, लेकिन आप काम नहीं खोलते हैं, आपने कानून को तोड़ा है। कानूनों को आपने बनाया है और उन्हीं आपके बनाए कानूनों का ही आप तोड़ रहे है तो यह लोगों की आशाओं पर तुषारापात है। आप कानून के माफिक काम खोलने के लिए सरकारी अफसरों को मजबूर करें।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : विरोधी पक्ष की तरफ से कोई नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री सभापति : आपकी पार्टी के छः सदस्य बोल चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : छः सदस्य बोल चुके हों तो क्या हुआ ? जब एक घण्टे का समय बढ़ाया है तो उसमें से हमारी पार्टी को भी मिलना चाहिए। अगर एक घण्टे का समय बढ़ाया है तो आधा घण्टा और बढ़ा दीजिए।

श्री सभापति : आपको भी समय मिल जाएगा।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : सभापति महोदय, दुर्भिक्ष पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव है। जिला झालावाड़ में करीब २४० गांवों में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है जिनमे से १४६ गांव मनोहर थाने के हैं, ४६ गांव बकानी के हैं, २६ गांव झालरापाटन के है और २० गांव पिड़ावा पंचायत समिति के है। अभी तक मैं यह नही समझ पाया हूं कि राज्य सरकार ने इस तरह की भी कोई कोशिश की हो जिससे उस इलाके में काम चालू हो जाय। वहां के कलेक्टर कुछ इस प्रकार से बातें करते हैं कि जैसे वे यह समझते ही नही कि वहां पर किसी प्रकार से काम करना चाहिये। मुझे अभी अभी मन्त्री महोदय का पत्र मिला कि वे वहा से जानकारी कर रहे हैं, उसके बाद अगर वहां पर काम चलाने होंगे तो वे काम चलायेंगे। मैं समझता हूं कि आप के यहां से तो कार्यवाही हो रही है लेकिन आपके अधिकारी वहां मौके पर बैठे हैं उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। इस वास्ते, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि जो कलेक्टर इस प्रकार से दिलचस्पी नहीं ले रहे हों तो उनको आप पूछें कि वे काम क्यों नही चालू कर रहे हैं ?

सभापति महोदय, दुर्भिक्ष की वजह से हमारे जिला झालावाड़ में पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहां चार नगरपालिकाएं हैं जिनमें से तीन नगरपालिकायें झालावाड़, झालरापाटन और सुनेल में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। पंचायत समिति पिड़ावा में भी पीने के पानी की कमी के गांवों की संख्या ८० है। जिनमें पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी की यहां पर तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं फरवरी के महीने में पंचायत समिति पिड़ावा के इलाके में गया। वहां के इलाके का दृश्य देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। वहां पर गेहूं की

(श्री गोविन्दसिंह)

फसल खड़ी हुई थी लेकिन पानी के अभाव में वह सूख रही है। वहां के काश्तकारों ने मांग की है कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए उन्हें तो ब्लास्टिंग मशीन मंगा दी जावे वे उसका पैसा दे देंगे। पर, सभापति महोदय, जो ब्लास्टिंग जो कम्प्रेसर दिया हुआ है उसकी जांच की जाय तो मालूम होगा कि मुश्किल से एक महीने में सात दिन काम करता है, बाकी दिन बेकार रहता है। इसलिए जिन काश्तकारों ने फसलें बो रखी हैं जिन्होंने बीज का पैसा खर्च किया है, उन काश्तकारों के लिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कम से कम आप इतनी व्यवस्था तो अवश्य करें कि जिनकी फसलें खड़ी हुई हैं वे सूखने नहीं पावें।

इसके साथ साथ कुछ मैं सुझाव आपको कृषि पर देना चाहता हूं और उसमें कहता हूं कि राज्य सरकार ने अपने अलग अलग तरीकों से सिंचाई के साधन बढ़ा कर उन्नत बीज देकर सिंचाई के साधन दे कर काश्तकारों को ज्यादा पैदावार बढ़ाने को बढ़ावा दिया है। अभी अभी कोटा और झालावाड़ जिले में जुआर को सघन खेती के प्रोग्राम में लिया गया है। जिला झालावाड़ में पंचायत समिति डग, पंचायत समिति पिड़ावा और झालरा पाटन ऐसी जगह हैं वहां पर कपास की खेती सदा से अधिक होती रही है, पर यह देख कर ताज्जुब होता है कि ज्यों ज्यों आपका तजुर्बा बढ़ता जा रहा है, आपकी दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, त्यों त्यों आपके जिला झालावाड़ में कपास की क्वालिटी खत्म होती जा रही है। आज कपास के प्रति काश्तकार का रुझान नहीं है। आपको उस जमीन का केमिकल एनेलेसिस करना चाहिए कि किस तरह से कपास की पैदावार और उसकी क्वालिटी बढ़ सकती है। भवानी मण्डी में सबसे अधिक कपास बिकने आती है वहां कपड़े की मील भी है, पर, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिला झालावाड़ की कपास की फसल खत्म होती जा रही है। राजस्थान सरकार को उस पर विचार करना चाहिये और इसका कारण जानना चाहिए।

पंचायत समिति पिड़ावा में मूंगफली की फसल बहुत अधिक होती है। वहां की मूंगफली में तेल का प्रतिशत अन्य जगह की मूंगफली से अधिक बैठता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति पिड़ावा को मूंगफली के सघन खेती के अन्तर्गत लें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जिला झालावाड़ में भी बगीचे लगाने का शौक बहुत बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हिन्दुस्तान के अन्दर नागपुर के बाद जिला झालावाड़ ही ऐसा स्थान है जहां से सबसे अधिक संतरे एक्सपोर्ट होते हैं। मेरा निवेदन करना इस सम्बन्ध में यह है कि लाखों पौधे काश्तकारों को बाहर से लाने पड़ते हैं तो सरकार को चाहिए कि वहां पर नर्सरी का प्रबन्ध कर पौधे वहां पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

गल्ला भी इस वक्त वहां पर बहुत अधिक खरीदा जा रहा है और बहुत सारा गल्ला रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसके लिए आप इन्तजाम करें। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि राजस्थान में हर जगह अकाल पड़ा हुआ है और अनाज की भारी कमी है लेकिन हमारे यहां पर

(श्री गोविन्दसिंह)

गल्ला इतना पड़ा हुआ है कि वह रिजेक्ट कर देने के कारण काफी मात्रा में इकट्ठा हो रहा है। इसलिए वहां के गल्ले को आप जल्दी से जल्दी बाहर भिजवाने की व्यवस्था करें। इससे काश्तकारों को जो गल्ला बोते हैं, गल्ला पैदा करने में प्रोत्साहन मिलेगा। अगर गल्ला वहां से बाहर नहीं भेजा गया और वह गल्ला रिजेक्ट कर दिया गया और वहीं पर पड़ा रह गया तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिला झालावाड़ के काश्तकार भविष्य में गल्ला नहीं बोयेंगे। इसलिए काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जितना गल्ला है उसको जल्दी से जल्दी भिजवाने का प्रबन्ध करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक ओर तो गल्ला पड़ा पड़ा सड़ जायगा और दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के अन्दर कई भाई भूख से मर जायेंगे। गल्ला हमारे पास इतना है कि एक जगह पाटन से ही वहां के व्यापारी एक हजार टन गल्ला देने को तैयार हैं। अगर आप प्रबंध करें तो बीस पच्चीस हजार टन गल्ला मिल सकता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसका जल्दी से जल्दी इन्तजाम करें।

अब मैं ज्यादा समय न लेकर मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं वे उन पर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग सदन के सामने है लेकिन क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं अधिक नहीं कह कर बहुत ही थोड़े में कुछ बातें रखूंगा।

सभापति महोदय, आज मेरी पार्टी से टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण मसला इस सदन के समक्ष रखा है। वह यह है कि टोंक जिले की टोकराबास पंचायत में ६ आदमी भूख से मरे हैं। इस बात के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह ६ आदमी, गवर्नमेंट की तरफ से जानकर उस इलाके की मदद नहीं की जाय, इस नीति को अपनाने से मरे हैं। सभापति महोदय मैं आपसे कहता हूं कि टोंक में एस. डी. ओ. हैं उनके पास किसी प्रकार की भी बात करने को कहा जाता है तो वह जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं इस पोइन्ट पर मैं, सभापति महोदय, स्ट्रेस डालना चाहूंगा कि वे जवाब देते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों ने इस जिले के बार एम. एल. ए. स्वतंत्र पार्टी के भेजे हैं, इसलिए आप महारानी जयपुर के पास जाइये, वे ही आपका काम करवायेंगी, या आपके एम. एल. ए. जो हैं उनके पास जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। इससे बढ़कर डेमोक्रेसी की हत्या करने का कोई तरीका नहीं है, सभापति महोदय, अगर इस सदन से तीन आदमी विरोधी पक्ष के और तीन आदमी उस पक्ष के मिलाकर उनका एक डेलीगेशन उस इलाके में ले जायं तो एक आदमी नहीं हजारों आदमियों से कहलाया जा सकता है कि यह उनका आम रवैया है। वह पिछले आम चुनावों से भी दो वर्ष पहले से टोंक में बिराजमान हैं और आज दिन तक उनके तबादले की व्यवस्था नहीं हुई है, क्योंकि वे इस प्रकार की बातें कहते हैं। वो यह कहते ही नहीं हैं इसको कार्यान्वित भी करते हैं। इस प्रकार की जहां शिकायत हो,

श्री मानसिंह महार)
उस एरिया की कुछ भी करने की बात कही जाती है तो वे इस चीज को मानते नहीं हैं। यही नहीं, सभापति महोदय, इस टोकरावास के सरपंच ने जब इस प्रकार की शिकायत सरकार के पास की तो टोंक के एस. डी. ओ ने सरपंच को टोंक में बुलाया और उस पर नाना प्रकार के दबाव डाले और उससे यह लिखवा लिया कि मैंने जो कुछ लिखा है वह गलत है। इससे अधिक डेमोक्रेसी की हत्या की बात नहीं हो सकती, सभापति महोदय, कि कोई आदमी जान से मर जाय और उसके लिए बात कही जाय तो उसका भी मुंह बंद किया जाय और जो कुछ वह कहना चाहता है उसको कहने नहीं दिया जाय और जो कुछ लिख दिया है उसको दबाव डालकर मना करा दिया जाय।

फेमीन के बारे में मुझे कुछ कहना था, लेकिन एक मिसाल सदन के सामने रखकर सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आप चिन्तन कीजिये, मनन कीजिये, विचार कीजिये। यह छोटी-मोटी बात नहीं है। यह कोई अंग्रेजों का राज्य नहीं है कि एक आदमी मर गया तो कोई बात नहीं। आज हमारा राज्य है और हमारे राज्य में इस प्रकार की बात अगर होती है तो उससे बढ़कर शर्म की बात नहीं।

इसके बाद मैं इस फेमीन के लिए एक ही शब्द कह सकता हूं कि यह फेमीन रिलीफ नहीं है वह तो फेमिली रिलीफ है। जो उप-मंत्री, मंत्री या उनके गुर्गे होते हैं वह अपने या अपने नौकरों के रिश्तेदारों को या अपने मित्रों को रिलीफ देते हैं। इस फेमीन रिलीफ से आम जनता को रिलीफ नहीं दी जाती है, और इसके लिए अभी कांग्रेस के पक्ष के एक मित्र ने बताया था कि एक पिटीशन कमेटी ने क्या रिमार्क दिये। फेमीन रिलीफ के जो मंत्री हैं वह बतायें जो अपने आपको बड़े ही जनता के लाडले कहते हैं, अपने दिमाग से खुद को खुदा मानकर चलते हैं। मैं पूछता हूं कि पिटीशन कमेटी ने इस इस प्रकार के रिमार्क दिये; ऐसे घातक रिमार्क दिये तो उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की? आप जनता के लाडले हैं, और अगर कोई और मंत्री नहीं करता तो मान लेते कि उन्होंने बेपरवाही करी, लेकिन आप इन चीजों की तरफ आंखें बन्द करते हैं तो हमें महसूस होता है कि दाल में काला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चेयरमेन महोदय, ३ मिनट ही हुए हैं।

अब मैं कृषि के ऊपर आता हूं। यह महकमा राजस्थान के डेवलपमेंट की बैक-बोन है। चेयरमेन महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। कहा जाता है कि इसने बहुत उन्नति की है। कृषि मंत्रीजी के जब जब जवाब होते हैं तो उनके जवाब, मैं आपसे निवेदन करूं कि बहुत ही ऐतिहासिक तथ्यों से भरे हुए होते हैं। वे बताते हैं कि हमने इतनी तकावी दे दी, हमने इतने बीज बांट दिये, हमने यह कर दिया, वह कर दिया। मैं उनकी सैद्धान्तिक बातों की दाद देता हूं, लेकिन उनकी भी एक मिसाल के तौर पर एक कागज का पुर्जा इस सदन की मेज पर रखूंगा और उनसे आशा करूंगा कि वे उसकी जांच करके और ऐप्रोप्रियेशन बिल जब तक आये तब तक इस सदन की मेज पर इस

(श्री मानसिंह महार)

पुर्जे का जवाब जरूर देंगे। जो उनकी डींग होती है कि कृषि विभाग यह कर रहा है, वह कर रहा है। उसका यह नमूना है। मेरे पास जो एक पुर्जा है वह मैं इस सदन की मेज पर रखूंगा। वह यह है, सभापति महोदय, कि तकावी का पैसा जाता है पंचायत समितियों में अनाप-शनाप। मैं आज इस दुविधा में था कि यह तकावी का पैसा जो जा रहा है इस पर आज बोलूं या कल सामुदायिक विकास पर बोलूं, लेकिन जब मैंने यह जो अलॉटमेंट का कागज देखा तो इसमें लिखा हुआ था कि इन तकावी को कृषि विभाग के पम्पिंग सेट की मदद से खर्च किया जायेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह सदन में देर से आने का कारण भी यही है। मैं पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में गया। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर इतना भाई-भतीजावाद हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आज मोटर लेकर वहां गया और मैंने जाकर इस बात की तलाश करना चाहा तो एक पुर्जा, जो कि मैं रखना चाहता हूं, वह मिला, वह यह है कि यह दो हजार रुपया तकावी का खुद प्रधान श्री भौंरीलाल जी को दिया गया....

श्री नाथूराम मिर्धा : तो क्या हो गया ?

श्री मानसिंह महार : सुन लें, बीच में उत्तर किये मत।

और किस प्रकार से दिया गया कि कृषि स्थायी समिति है उसके अन्दर प्रधान महोदय और विकास अधिकारी महोदय पूरे टाइम बैठे थे। यह प्रोसीडिंग में मौजूद है। वह पुर्जा भी आज मेरे हाथ नहीं लगा है। मैं एक दो दिन में लाकर सदन की मेज पर रखूंगा। प्रोसीडिंग यह है कि प्रधान जी और विकास अधिकारी आज थ्रू आउट दी मीटिंग विराजमान हैं। प्रधान जी को खुद को तकावी देने की बात है और उसके बाद खुद मीटिंग में जायें और बैठे रहें। सिकराय के प्रधान श्री मूलचन्द जी ने वहां के कुछ लोगों को उस मीटिंग में आकर तकावी अगर दिला दी तो इस पोइन्ट पर उनको सस्पेन्ड किया गया, शो काज नोटिस दिया गया। क्यों किया गया ? जो स्थायी समिति के सदस्य नहीं थे लेकिन वे सारी मीटिंग में विराजमान रहे और खुद को तकावी दो हजार की सेंक्शन कराने के लिए मौजूद थे। खुद को हो नहीं एक एडिशनल एजेन्डा जो मेरे पास मौजूद है। हमारे वहां के ए० ई० ओ० साहब आज ही दूसरा पुर्जा लेकर कलेक्टोरेट जयपुर में आये हैं अगर आपकी मर्जी चाहे तो यहां के डी० ई० ओ० जयपुर के हैं उनसे टेलीफोन करके पूछ लें कि दो-दो हजार की तकावी के और पुर्जे एक श्री भौंरीलाल जी के काका श्री चौथमल जी हरियाणा और दूसरे श्री भौंरीलाल जी के काका श्री बिरधीचन्द जी हरियाणा उनकी तकावी सेंक्शन करने के लिए जा रहे हैं। दो-दो वर्ष से जिन गांवों में बिजली लगाई तो गरीब किसान बिजली के लिये तड़फते फिर रहे हैं तकावी के लिए उनको नहीं दी, वे तकावी के हकदार नहीं हैं, सभापति महोदय, लेकिन श्री भौंरीलाल जी प्रधान हैं क्योंकि विकास अधिकारी उनके हुक्म का गुल्ला है, विकास अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, मुझे ए० ई० ओ० ने बताया कि हम क्या करें। स्टेंडिंग कमेटी के ऑर्डर हुए कि फलां कागज पेश करें और फलां का पेश करें और हो गया साहब जिनका होना था उनका हम क्या करें ? हमारी क्या गलती ?

(श्री मानसिंह महार)
तो मैं निवेदन करूंगा कि इन दो को तकावी देने की बात कहूं कि इनके बारे में तकावी पंचायत ने रिकमण्ड नहीं की, सरपंच ने रिकमण्ड नहीं किया इन चारों तकावियों को।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खत्म कर रहा हूं दो मिनिट में।

जो कि बहुत जरूरी है। इसके बावजूद भी प्रधान ने खुद ने ली और प्रधान के दो-दो काकाओं को ६ हजार की तकावी दी गई। ६ हजार की तकावी सारी पंचायत समिति को मिले और कृषि समिति के अध्यक्ष ने अपने गांव के एक आदमी को अकेले पम्पिंग सेट के लिए ५ हजार दे दिये। जब एक गांव में प्रधान और प्रधान के खुद के काकाओं को अगर ६ हजार रुपये दिला दे तो १७ हजार के बंटवारे में से ११ हजार खुद मालिक ही खा जाएं तो आप बताइये कि गरीबों की क्या हालत होगी? इसलिए यह कागज इस सदन की मेज पर रखता हूं। उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की प्रोसिडिंग कि पूरे टाइम प्रधान जी और विकास अधिकारी बिराजे और उनके केस डिस्कस, हुए इस बात के कागज मैं सामुदायिक विकास के दिन इस सदन की मेज पर रखूंगा··

एक माननीय सदस्य : इसको भी कल ही रख दें।

श्री मानसिंह महार : कल ही इसको भी रख दूंगा जैसी कि मेरे मित्र राय दे रहे हैं।

मैं मंत्रीजी से उम्मीद करूंगा कि इसकी जांच करायें और देखें कि आपकी तकावी किस प्रकार गलत तरीके से बांटी जा रही है। वह काइज भी मैं कल लाकर इस सदन की मेज पर रखूंगा।

कहने को बहुत बातें हैं, सभापति महोदय, मगर मैं डिटेल में न जाकर........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक-दो बात और कहूंगा।

इन तीनों तकावियों का कम से कम पेमेन्ट तो इमिजियेटली रोक दें। आज बी० डी० ओ० और प्रधानजी जयपुर पधारे हैं। यहां से ५० हजार रुपया लेकर जायेंगे और ६ हजार उनके दो काकाओं और खुद को मिल वाले हैं। वे तकावी को कल लेजाकर बांटेंगे। वे दोनों आये हैं। इन दोनों काकाओं की तकावी के लिए टैक्निकल एप्रूवल के लिए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकलचर ऑफिसर के पास आये हैं, इसलिए मैं खास तौर से मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि जवाब में यह आश्वासन तो दें कि जब तक जांच नहीं हो जायेगी तब तक प्रधान की खुद की तकावी के डिस्ट्रिब्यूशन पर रोक लगा दी जाय। अगर यह नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि इस राज्य में न्याय की उम्मीद नहीं है।

(५ म. प.)

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) : सभापति महोदय, एग्रीकल्चर के बारे में मेरा यह सुझाव है और मैं यह सोचता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका सीधा किसानों से कान्टेक्ट है। दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी सहायता मिलती है, लेकिन यह डिपार्टमेंट ऐसा है जिससे किसानों के सिवाय और कोई फायदा नहीं उठा सकते। मेरी यह मान्यता है कि गवर्नमेंट कभी यह नहीं सोचती होगी कि किसानों को फायदा

Page No.133

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

पहुंचे, किसानों की जमीन सुधारने की कोशिश नहीं करनी। किसानों को जो बीज सरकार बेचती है वह भी मंहगा बेचती है। २८ रु०, ३० रु० मण के हिसाब से बेचती है जबकि बाजार में सस्ता मिलता है। बीज के लिये अच्छा गेहूं नहीं लिया जाता, खराब लिया जाता है। मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर विभाग का सीधा जमीदारों से कान्टेक्ट रहता है। मैं आशा करता हूं कि इस विभाग के मिनिस्टर हैं वे भी किसान हैं........

श्री मानसिंह मज़ार : किसान काहे के हैं, वकील है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : खेती का जो डिपार्टमेंट है उस पर आप अवश्य गवज्जोह दें। खाने की जगह तो और भी बहुत हैं। पम्पिंग सैट्स खरीदने के लिये राजस्थान सरकार तकावी देती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस फर्म के पम्पिंग सेट्स को मान्यता दे रखी है वहीं से खरीदने पर पैसा दिया जाता है जो एप्रूव्ड है वही से खरीदना पड़ता है। मैं यह मानकर चलता कि यू. पी. और दूसरी जगह के सैट्स अच्छे नहीं होते, लेकिन मिनिस्टर की जेब में पैसे आयें या और किसी की जेब में पैसे आवें, उनको मंजूर कर देते हैं, बिना पैसों वालों को मंजूर नहीं करते है। यू. पी. का एंजिन अच्छा है; लेकिन उसको मंजूर नही किया जाता।. मैंने खुद ने एक एंजिन लिया है वह दो साल से चल रहा है। राजस्थान में जो एंजिन आते हैं उनकी कीमत डेढ़ हजार रुपया ज्यादा है। मिनिस्टर खुद रिश्वत लेते हैं। यदि नही लेते है तो दूसरे एंजिनों को भी खुला किया जाय, किसानों को छूट दी जाय कि चाहे जैसा एंजिन लगायें, उस पर से प्रतिबंध हटा दिया जाय। गवर्नमेंट की यह अच्छी नीति नही है। पंचायत समितियां बंधी हुई हैं। मेरे साथ आप चलिये, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या देते हैं। बी. डी. ओ. को अच्छे अच्छे माल खिलाये जाते हैं, प्रधान को माल खिलाये जाते हैं, वे दूकानदार मालदार बन कर बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूं, मेरे भी साथी हो सकते हैं जो यह सोचते हों कि यह अच्छा धंधा है। ट्रैक्टरों पर भी ब्लेक शुरू कर दिया है। खेती के नाम से ट्रैक्टर लेकर दूसरे काम में ले लेते हैं। उन ट्रैक्टरों पर कर हटाया जाय जो केवल खेती के काम आते हैं, जो कुली के काम आते हैं उन पर लगाया जाय। इनमें सरपंच खुद ब्लेक करते हैं, पंजाब में भेजते हैं। आप प्रूफ चाहें तो कानोता के सरपंच, हरिसिंहजी, ने ट्रैक्टर लिया साढ़े छ हजार में और पंजाब में उसको बेचा ७५००) रु० में। गवर्नमेंट होस्टल इसका अड्डा बना हुआ है। दो-तीन हजार का ब्लेक होता

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

है। मैं किसानों के बारे में बोल रहा हूं, ५ मिनिट ज्यादा ले लूं तो देना चाहिए।

श्री सभापति : आप दो मिनिट और बोल लें।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : इसी तरह से लोगों को कहा जाता है कि हमको कोटा ऊपर से देते हैं, राजस्थान के लिये एलॉट करके वे भेजते हैं। पैसा खाकर एलॉट कर देते हैं। मेरा निवेदन है कि एंजिनों पर से और ट्रैक्टरों पर से टैक्स हटाया जाय और एंजिनों के लिये छूट दी जाय कि जहां से चाहें खरीद सकते है। हरेक पार्टी आज खरीदने

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

जाती है तो पहले उससे शर्त कर लेंगे कि हमको इतना देना पड़ेगा। आप देखिये, आज उनके गुलछर्रे उड़ रहे हैं, हम जायें तो कोई दुकानदार बीड़ी तक पीने के लिये नहीं देता और उनके लिये किसी चीज की कमी नहीं। मिनिस्टर साहब के पास तक पैसा पहुंचता है। मेरे साथ कोई एम० एल० ए० चले मैं उनको बताऊंगा कि एम० आई० रोड पर बड़े-बड़े बिल्डिंग्ज बन गई हैं, उनमें ऐसी क्या खूबी थी जिनके बिल्डिंग बन गई। मैं निवेदन करूंगा कि आप इंजिनों पर से और ट्रैक्टरों पर से टैक्स हटादें। खेती एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसानों को फायदा देता है। आपका इंजीनियरिंग वर्कशाप बना है वहां से किसी किसान ने कुछ खरीदा है क्या? दूसरे सब लोग मालोमाल बन गये, लेकिन किसान नहीं बन पाये है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह किसान की बात है, थोड़ा समय और दीजिये। आप उदाहरण चाहे तो मैं एक-एक डिटेल बता सकता हूं। हाउस की एक कमेटी बनायें, उसमें प्रगतिशील किसानों को लीजिये जैसे आपके काक साहब, जो कुछ जाने नहीं। एग्रीकल्चर के लिये आप कर क्या रहे हैं। यह महकमा किसी किसान को दीजिये न। कुम्भारामजी किसान हैं, दूसरे बहुत से महकमे हैं उनको आप ले लें, इस डिपार्टमेंट को छोड़िये, मिर्धा साहब, और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं। एक दिन मिर्धा साहब आने वाला है जब २० परसेंट इधर बैठने वाले लोग ८० परसेंट लोगों की जगह पर बैठेंगे। आज ८० परसेंट लोग देखने लगे कि खेती में कोई फायदा नहीं है लेकिन डाके और चोरियों दूसरी चीजों में ज्यादा फायदा होता है। तकाबी मंजूर करावो तो आज किसानों को सही तकाबी नहीं मिलती है। आप मेरे साथ चले आओ जीप में, मेरे पास जीप है, आप गवर्नमेंट की गाड़ियों में जाते हैं तो टी० ए०, डी० ए० भी लेते हैं, मैं कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। आपको सारे राजस्थान की टूर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि किसानों को राहत नहीं मिलती है, आपके गुर्गों को मिलती है। मैं कभी नहीं चाहता कि अमुक पार्टी को मिले, अमुक को नहीं मिले लेकिन मैं चाहता हूं कि किसान को काफी पैसा मिले एग्रीकल्चर की उन्नति हो, जमीन की पैदावार बढ़े। आप सोचते होंगे कि किसान को सुख और फायदा पहुंचता है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किसान को आज सुख और फायदा नहीं मिल रहा है। ८० परसेंट पर आज २० परसेंट मौज करते हैं। लेकिन याद रखिये अब वह पहले वाला जमाना नहीं रहने वाला है आज २० परसेंट लोगों में से भी हम जैसे पड़ने लग गये हैं। आज आप किस पर एजिटेशन लगाते हैं? खिलाफ पार्टी के सरपंच ने थोड़ा सा खिलाफ काम कर दिया तो उसको हटा दो, क्योंकि खिलाफ पार्टी का है। आपने क्या आज तक किसी बड़े आफिसर को हटाया है? सुखाड़िया जी के राज्य में जो अच्छे अच्छे गबन कर गये, १ लाख का, ५० हजार का गबन कर गये उनका कुछ नहीं हुआ......

श्री मानसिंह महार (आमेर): कुम्भारामजी लाखों रुपये खा गये।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: उनके पास कोई टैक्निकल आदमी नहीं है यदि वह गलती करेंगे तो....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : इसलिये आप खेती के बारे में अच्छी तरह से सोचिये।

श्री सभापति : माननीय कृषि मंत्री जी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, आज इस सदन में अकाल सहायता व कृषि विभाग की दो मांगों के बारे में जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उन पर बहस चल रही है। सभापति महोदय, जैसा कि मैंने सदन में १८ तारीख को सिंचाई की मांग चल रही थी उस समय निवेदन किया था कि राजस्थान राज्य की तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ३७२ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और उनमें से १०२ करोड़ रुपये जैसा कि मैंने निवेदन किया था सिंचाई विभाग से जो सिंचाई की योजना है चाहे वह बड़ी योजनाएं हैं, चाहे मध्यम योजनाएं हैं चाहे इस विभाग से चलाई जाने वाली छोटी योजनाएं हों उन पर खर्च होगा। इस पर १०२ करोड़ रु० की धन राशि खर्च करने का यह परिणाम निकला कि राजस्थान में हमने २० लाख एकड़ भूमि सिंचाई की धरती को बढ़ाया। राज्य के दूसरे मद, जिसके बारे में आपने चर्चायें की बहुत अहमियत का मद है जिसके जरिये हम राजस्थान में कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। इस मद के नीचे इन तीन योजनाओं में २१॥ करोड़ की धन राशि खर्च हुई और पहली पंच वर्षीय योजना में हमने करीब ढाई करोड़ का प्रावधान इस मद में किया था और पहली योजना में करीब पौने दो करोड़ रुपये इस मद में खर्च हुए। दूसरी योजना में हमने इस मद में साढ़े चार करोड़ का प्रावधान ओरीजनल प्लान जिस समय बना था, उस समय किया था पर

(५.८ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक हमने इसमें खर्च को बढ़ाया और करीब सवा पांच करोड़ की योजनाओं को पूरा किया……

श्री मानसिंह महार : कुए में डाला।

श्री नाथूराम मिर्धा : तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू होने में इस मद में हमने साढ़े दस करोड़ का प्रावधान किया और मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, और सदन को जानकर खुशी होगी, कि हम इन योजनाओं को बढ़ाते हुए और इसकी इम्पोर्टेन्स को ध्यान में रखते हुए इस योजना के एण्ड तक करीब सवा चौदह करोड़ खर्च करेंगे……

श्री मानसिंह महार : रिजल्ट क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी मैं निवेदन करूंगा।

मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था जो कुछ हमारी योजनाओं की सीमाएं थीं इस योजना की मद की इम्पोर्टेन्स को ध्यान में रखते हुए……

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कुल योजनाओं पर कितना खर्च हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साढ़े इक्कीस करोड़ इस मद में।

श्री मानसिंह महार : ३० करोड़।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप मुझे कहने दीजिये। मैंने टोटल बता दिया है।

श्री भैरोंसिंह : २१ और ३१ का फर्क है कुल कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साढ़े इक्कीस करोड़।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : गलत आंकड़े नहीं देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी इसीलिए नोट करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार धन खर्च करने के बाद माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि परिणाम क्या निकला, वास्तव में जो परिणाम निकालना चाहते हैं वह निकाल सके या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इन योजनाओं की इस धनराशि का इनपुट्स कृषि में करने के बाद निश्चित रूप से इसका परिणाम निकला है और वह परिणाम हमारे इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन में रिफलेक्ट होता है। जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञान है, हम समय समय पर आपके सामने जो स्टेटिस्टिक्स आते हैं, सांख्यिकी विभाग के जरिये या भारत सरकार के जरिये अलग अलग प्रदेशों के कम्पेरीजन से जो कुछ उत्पादन के आंकड़े आते हैं उनसे आपको ज्ञान होगा कि राजस्थान में सन् १९५०-५१ में जो हमारे फर्स्ट प्लान फर्स्ट ईयर था, उसके पहले के सिर्फ खाद्यान्न के आंकड़े तो मुझे उपलब्ध हैं, सारे स्टेट के उत्पादन के आंकड़े, जो सदन में मैंने एक दो बार निवेदन किये थे कि १९५०-५१ में खाद्यान्न का उत्पादन राजस्थान में २९ लाख टन था। उसके बाद जो दूसरे उत्पादन हैं, जिनके पीछे हम चलते हैं, खास कर जो हमारी योजनाओं के अंग है तिलहन का उत्पादन बढ़ाना, कपास का उत्पादन बढ़ाना और शूगरकेन का उत्पादन बढ़ाना–इन तीनों मदों के मेरे पास १९५०-५१ के आंकड़े, जैसे २९ लाख टन खाद्यान्न के उपलब्ध हैं, वैसे नहीं हैं और १९५०-५१ के जो आंकड़े आपके सामने अभी पुस्तकों में हैं, मैं आपकी तुरन्त जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि ओइल सीड का उत्पादन राजस्थान का ७७ लाख टन था, उस समय कपास का उत्पादन ८९ लाख टन था, उस समय शूगरकेन का उत्पादन ५३ लाख टन गुड़, इन टर्म्स आफ गुड़, उस समय हमारा उत्पादन था। मैं अलग अलग सालों के उत्पादन के आंकड़ों में न जाकर खास तौर से एक १९६४-६५ और १९६१-६२ क्योंकि हमारे यहां १९६१-६२ जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस तृतीय पंच वर्षीय योजना के पांच सालों में से हमारे दो साल तो अकाल के वर्ष रहे हैं, एक साल अच्छे उत्पादन का वर्ष रहा है और एक साल मामूली उत्पादन का वर्ष रहा है, और इस अकाल के वर्ष के उत्पादन के आंकड़े अभी पूरे हमारे सामने नहीं आये हैं, पर जैसा कि मैंने सदन में कहा, जो कुछ भी हमारी फर्स्ट फोरकास्ट थी, या कुछ मामलों में सैकन्ड फोरकास्ट जो हमारे सामने आई है उसके हिसाब से इस साल अच्छा उत्पादन का साल नहीं है। इस साल में खाद्यान्न का उत्पादन ३८-३९ लाख टन के आस पास होगा.......

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

पहुंचे, किसानों की जमीन सुधारने की कोशिश नहीं करती। किसानों को जो बीज सरकार बेचती है वह भी मंहगा बेचती है। २८ रु०, ३० रु० मरण के हिसाब से बेचती है जबकि बाजार में सस्ता मिलता है। बीज के लिये अच्छा गेहूं नहीं लिया जाता, खराब लिया जाता है। मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर विभाग का सीधा जमींदारों से कान्टेक्ट रहता है। मैं आशा करता हूं कि इस विभाग के मिनिस्टर हैं वे भी किसान हैं........

श्री मानसिंह मझार : किसान काहे के हैं, वकील है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : खेती का जो डिपार्टमेंट है उस पर आप अवश्य तवज्जोह दें। खाने की जगह तो और भी बहुत हैं। पम्पिंग सैट्स खरीदने के लिये राजस्थान सरकार तकावी देती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस फर्म के पम्पिंग सेट्स को मान्यता दे रखी है वहीं से खरीदने पर पैसा दिया जाता है जो एप्रूव्ड है वहीं से खरीदना पड़ता है। मैं नहीं मानकर चलता कि यू. पी. और दूसरी जगह के सैट्स अच्छे नहीं होते, लेकिन मिनिस्टर की जेब में पैसे आयें या और किसी की जेब में पैसे आवें, उनको मंजूर कर देते हैं, बिना पैसों वालों को मंजूर नहीं करते है। यू. पी. का एंजिन अच्छा है; लेकिन उसको मंजूर नहीं किया जाता। मैंने खुद ने एक एंजिन लिया है वह दो साल से चल रहा है। राजस्थान में जो एंजिन आते है उनकी कीमत डेढ़ हजार रुपया ज्यादा है। मिनिस्टर खुद रिश्वत लेते हैं। यदि नहीं लेते है तो दूसरे एंजिनों को भी खुला किया जाय, किसानों को छूट दी जाय कि चाहे जैसा एंजिन लगावें, उस पर से प्रतिबंध हटा दिया जाय। गवर्नमेंट की यह अच्छी नीति नहीं है। पंचायत समितियां बंधी हुई हैं। मेरे साथ आप चलिये, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या देते हैं। बी. डी. ओ. को अच्छे अच्छे माल खिलाये जाते हैं, प्रधान को माल खिलाये जाते हैं, वे दुकानदार मालदार बन कर बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूं, मेरे भी साथी हो सकते हैं जो यह सोचते हों कि यह अच्छा धंधा है। ट्रैक्टरों पर भी ब्लैक शुरू कर दिया है। खेती के नाम से ट्रैक्टर लेकर दूसरे काम में ले लेते हैं। उन ट्रैक्टरों पर कर हटाया जाय जो केवल खेती के काम आते हैं, जो कुएं के काम आते हैं उन पर लगाया जाय। इतने सरपंच खुद ब्लैक करते हैं, पंजाब में भेजते हैं। आप प्रूफ चाहें तो कानोता के सरपंच, हरिसिंहजी, ने ट्रैक्टर लिया साढ़े छः हजार में और पंजाब में उसको बेचा ७५००) रु० में। गवर्नमेंट होस्टल इसका अड्डा बना हुआ है। दो-तीन हजार का ब्लैक होता

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

है। मैं किसानों के बारे में बोल रहा हूं, दो मिनिट ज्यादा ले लूं तो देना चाहिए।

श्री सभापति : आप दो मिनिट और बोल लें।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : इसी तरह से लोगों को कहा जाता है कि हमको कोटा ऊपर से देते हैं, राजस्थान के लिये एलॉट करके वे भेजते हैं। पैसा खाकर एलॉट कर देते हैं। मेरा निवेदन है कि एंजिनों पर से और ट्रैक्टरों पर से टैक्स हटाया जाय और एंजिनों के लिये छूट दी जाय कि जहां से चाहें खरीद सकते हैं। हरेक पार्टी आज खरीदने

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

जाती है तो पहले उससे शर्त कर लेंगे कि हमको इतना देना पड़ेगा। आप देखिये, आज उनके गुलछर्रे उड़ रहे हैं, हम जायें तो कोई दुकानदार बीड़ी तक पीने के लिये नहीं देता और उनके लिये किसी चीज की कमी नहीं। मिनिस्टर साहब के पास तक पैसा पहुंचता है। मेरे साथ कोई एम० एल० ए० चले मैं उनको बताऊंगा कि एम० आई० रोड पर बड़े बड़े बिल्डिंग्ज बन गई हैं, उनमें ऐसी क्या खूबी थी जिनके बिल्डिंग बन गई। मैं निवेदन करूंगा कि आप इंजिनों पर से और ट्रैक्टरों पर से टैक्स हटादें। खेती एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसानों को फायदा देता है। आपका इंजीनियरिंग वर्कशाप बना है वहां से किसी किसान ने कुछ खरीदा है क्या? दूसरे सब लोग मालोमाल बन गये, लेकिन किसान नहीं बन पाये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह किसान की बात है, थोड़ा समय और दीजिये। आप उदाहरण चाहे तो मैं एक-एक डिटेल बता सकता हूं। हाउस की एक कमेटी बनायें, उसमें प्रगतिशील किसानों को लीजिये जैसे आपके काक साहब, जो कुछ जाने नहीं। एग्रीकल्चर के लिये आप कर क्या रहे हैं। यह महकमा किसी किसान को दीजिये न। कुम्भारामजी किसान हैं, दूसरे बहुत से महकमे हैं उनको आप ले लें, इस डिपार्टमेंट को छोड़िये, मिर्धा साहब, और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं। एक दिन मिर्धा साहब आने वाला है जब २० परसेंट इधर बैठने वाले लोग ८० परसेंट लोगों की जगह पर बैठेंगे। आज ८० परसेंट लोग देखने लगे कि खेती में कोई फायदा नहीं है लेकिन डकैती और चोरियों दूसरी चीजों में ज्यादा फायदा होता है। तकावी मंजूर करावो तो आज किसानों को सही तकावी नहीं मिलती है। आप मेरे साथ चले आओ जीप में, मेरे पास जीप है, आप गवर्नमेंट की गाड़ियों में जाते हैं तो टी० ए०, डी० ए० भी लेते हैं, मैं कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। आपको सारे राजस्थान की टूर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि किसानों को राहत नहीं मिलती है, आपके गुर्गों को मिलती है। मैं कभी नहीं चाहता कि अमुक पार्टी को मिले, अमुक को नहीं मिले लेकिन मैं चाहता हूं कि किसान को काफी पैसा मिले एग्रीकल्चर की उन्नति हो, जमीन की पैदावार बढ़े। आप सोचते होंगे कि किसान को सुख और फायदा पहुंचता है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किसान को आज सुख और फायदा नहीं मिल रहा है। ८० परसेंट पर आज २० परसेंट मौज करते हैं। लेकिन याद रखिये अब वह पहले वाला जमाना नहीं रहने वाला है आज २० परसेंट लोगों में से भी हम जैसे पढ़ने लग गये हैं। आज आप किस पर एजिटेशन लगाते हैं? खिलाफ पार्टी के सरपंच ने थोड़ा सा खिलाफ काम कर दिया तो उसको हटा दो, क्योंकि खिलाफ पार्टी का है। आपने क्या आज तक किसी बड़े आफिसर को हटाया है? सुखाड़िया जी के राज्य में जो अच्छे अच्छे गबन कर गये, १ लाख का, ५० हजार का गबन कर गये, उनका कुछ नहीं हुआ.......

श्री मानसिंह महार (आमेर): कुम्भारामजी लाखों रुपये खा गये।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल: उनके पास कोई टेक्निकल आदमी नहीं है यदि वह गलती करेंगे तो....

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : इसलिये आप खेती के बारे में अच्छी तरह से सोचिये ।

श्री सभापति : माननीय कृषि मंत्री जी ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, आज इस सदन में अकाल सहायता व कृषि विभाग की दो मांगों के बारे में जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उन पर बहस चल रही है । सभापति महोदय, जैसा कि मैंने सदन में १८ तारीख को सिंचाई की मांग चल रही थी उस समय निवेदन किया था कि राजस्थान राज्य की तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ३७२ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और उनमें से १०२ करोड़ रुपये जैसा कि मैंने निवेदन किया था सिंचाई विभाग से जो सिंचाई की योजना है चाहे वह बड़ी योजनाएं हैं, चाहे मध्यम योजनाएं हैं चाहे इस विभाग से चलाई जाने वाली छोटी योजनाएं हों उन पर खर्च होगा । इस पर १०२ करोड़ रु० की धन राशि खर्च करने का यह परिणाम निकला कि राजस्थान में हमने २० लाख एकड़ भूमि सिंचाई की धरती को बढ़ाया । राज्य के दूसरे मद, जिसके बारे में आपने चर्चायें की बहुत अहमियत का मद है जिसके जरिये हम राजस्थान में कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं । इस मद के नीचे इन तीन योजनाओं में २१॥ करोड़ की धन राशि खर्च हुई और पहली पंच वर्षीय योजना में हमने करीब ढाई करोड़ का प्रावधान इस मद में किया था और पहली योजना में करीब पौने दो करोड़ रुपये इस मद में खर्च हुए । दूसरी योजना में हमने इस मद में साढ़े चार करोड़ का प्रावधान ओरीजनल प्लान जिस समय बना था, उस समय किया था पर

(५.८ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक हमने इसमें खर्च को बढ़ाया और करीब सवा पांच करोड़ की योजनाओं को पूरा किया······

श्री मानसिंह महार : कुए में डाला ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू होने में इस मद में हमने साढ़े दस करोड़ का प्रावधान किया और मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, और सदन को जानकर खुशी होगी, कि हम इन योजनाओं को बढ़ाते हुए और इसकी इम्पोर्टेन्स को ध्यान में रखते हुए इस योजना के एण्ड तक करीब सवा चौदह करोड़ खर्च करेंगे·······

श्री मानसिंह महार : रिजल्ट क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह भी मैं निवेदन करूंगा ।

मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था जो कुछ हमारी योजनाओं की सीमाएं थी इस योजना की मद की इम्पोर्टेन्स को ध्यान में रखते हुए·······

श्री नेतीसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कुल योजनाओं पर कितना खर्च हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साढ़े इक्कीस करोड़ इस मद में ।

श्री मानसिंह महार : ३० करोड़।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप मुझे कहने दीजिये। मैंने टोटल बता दिया है।

श्री भैरोंसिंह : २१ और ३१ का फर्क है कुल कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साढ़े इक्कीस करोड़।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : गलत आंकड़े नहीं देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी इसीलिए नोट करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार धन खर्च करने के बाद माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि परिणाम क्या निकला, वास्तव में जो परिणाम निकालना चाहते हैं वह निकाल सके या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इन योजनाओं की इस धनराशि का इनपुट्स कृषि में करने के बाद निश्चित रूप से इसका परिणाम निकला है और वह परिणाम हमारे इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन में रिफलेक्ट होता है। जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञान है, हम समय समय पर आपके सामने जो स्टेटिस्टिक्स आते हैं, सांख्यिकी विभाग के जरिये या भारत सरकार के जरिये अलग अलग प्रदेशों के कम्पेरीजन से जो कुछ उत्पादन के आंकड़े आते हैं उनसे आपको ज्ञान होगा कि राजस्थान में सन् १९५०-५१ में जो हमारे फर्स्ट प्लान फर्स्ट ईयर था, उसके पहले के सिर्फ खाद्यान्न के आंकड़े तो मुझे उपलब्ध हैं, सारे स्टेट के उत्पादन के आंकड़े, जो सदन में मैंने एक दो बार निवेदन किये थे कि १९५०-५१ में खाद्यान्न का उत्पादन राजस्थान में २९ लाख टन था। उसके बाद जो दूसरे उत्पादन हैं, जिनके पीछे हम चलते हैं, खास कर जो हमारी योजनाओं के अंग हैं तिलहन का उत्पादन बढ़ाना, कपास का उत्पादन बढ़ाना और शूगरकेन का उत्पादन बढ़ाना–इन तीनों मदों के मेरे पास १९५०-५१ के आंकड़े, जैसे २९ लाख टन खाद्यान्न के उपलब्ध हैं, वैसे नहीं हैं और १९५०-५१ के जो आंकड़े आपके सामने अभी पुस्तकों में हैं, मैं आपकी तुरन्त जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि ओइल सीड का उत्पादन राजस्थान का ७७ लाख टन था, उस समय कपास का उत्पादन ८९ लाख टन था, उस समय शूगरकेन का उत्पादन ५३ लाख टन गुड़, इन टर्म्स आफ गुड़, उस समय हमारा उत्पादन था। मैं अलग अलग सालों के उत्पादन के आंकड़ों में न जाकर खास तौर से एक १९६४-६५ और १९६१-६२ क्योंकि हमारे यहां १९६१-६२ जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस तृतीय पंच वर्षीय योजना के पांच सालों में से हमारे दो साल तो अकाल के वर्ष रहे हैं, एक साल अच्छे उत्पादन का वर्ष रहा है और एक साल मामूली उत्पादन का वर्ष रहा है, और इस अकाल के वर्ष के उत्पादन के आंकड़े अभी पूरे हमारे सामने नहीं आये हैं, पर जैसा कि मैंने सदन में कहा, जो कुछ भी हमारी फर्स्ट फोरकास्ट थी, या कुछ मामलों में सैकन्ड फोरकास्ट जो हमारे सामने आई है उसके हिसाब से इस साल अच्छा उत्पादन का साल नहीं है। इस साल में खाद्यान्न का उत्पादन ३८-३९ लाख टन के आस पास होगा.......

श्री भैरोंसिंह : कितना ? कितना ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ३८-३९ लाख टन जो हमारा अच्छा साल है, उत्पादन का जिस प्रकार का साल था तृतीय पंच-वर्षीय योजना का उसके कम्पेरिटेबिली जो बेस ईयर आपके सामने रखे हैं उसके मुकाबले में कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहूंगा। सन् १९६१-६२ का साल था, उस समय हमारे यहां फूड-ग्रेन्स का उत्पादन ५४.८० लाख टन था, आोइल सीड का उत्पादन १.५६ लाख टन का था और उस साल में काटन का उत्पादन १.६८ लाख टन बेल्स था और उस समय उस साल शूगरकेन इन टर्म्स आफ गुड़ ७८ लाख टन उत्पादन था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल है, और जैसा मैंने आप से निवेदन किया, उत्पादन के आंकड़े जो अलग अलग सालों में हमारे बढ़े हैं और जो कुछ एक साल के आपके सामने रखे उस तरह सब साल के आंकड़े हैं। आप यह देख कर ताज्जुबी करेंगे कि जो अकाल का साल था, १९६२-६३ का, मामूली अकाल मैं कहूंगा, बहुत बड़ा अकाल नहीं है, इस साल में तिलहन का उत्पादन ३.५८ लाख टन था, फूड ग्रेन का उत्पादन ४९ लाख टन था। आप देखेंगे कि मामूली अकाल के साल में तिलहन का उत्पादन जो पिछले साल हुआ है उसमें काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन में तरक्की हुई है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि हमारा राज्य अभी भी रेनफाल पर बहुत डिपेन्ड करता है। रेनफाल बहुत इम्पार्टेन्ट है........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह तो हम भी कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आजादी के पन्द्रह वर्ष के बाद भी यह दलील देना, जो राजाओं के वक्त में आज से बीस साल पहले देते थे तो उपयुक्त होता था, उपयुक्त नहीं है और वर्षा की अब कोई अह-मियत नहीं है। क्योंकि यह विज्ञान का युग है इसलिए कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का देना चाहिए था और अब हम वर्षा की बात न करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अटूट और बुनियादी सत्य है वह यह हमेशा कायम रहेगा—चाहे कितना ही विज्ञान का युग हो, चाहे कितना ही इनपुट करने की शक्ति के अन्दर हम आ जायं, चाहे कितनी ही गतिविधियां पर्सोनल्स ट्रेन्ड करके, इम्प्रूव करके उन लोगों का सम्पर्क किसानों से करवा कर करें—इन सब चीजों के बावजूद आज हिन्दुस्तान ही नहीं दुनियां के बहुत उन्नत देश, जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बरसात के ऊपर हमेशा निर्भर करते रहे हैं और आने वाले कई वर्ष साल तक और पीढ़ियों तक निर्भर करेंगे........

श्री मानसिंह महार : आप फोरिन कन्ट्री होकर आये है, इजराइल भी वर्षा के ऊपर निर्भर करता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको मैं जानता हूं कि क्यों फर्क होता है। लेकिन लम्बा विषय हो जायगा, वैसे मालूम तो है।

मैं सोचता हूं कि हम बरसात के ऊपर निर्भर करते हैं और बरसात की कमी ही इसका कारण है, इस सदन के माननीय सदस्य चाहे वे काश्तकार हों या नहीं हों—वे भी समझते हैं कि बरसात की कमी ही सारा कारण है। जो हमारे बने हुए डैम्स हैं, जो छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं, जो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कुए बने हुए हैं, उनमें सब में पानी कम होता है, दरियाओं में पानी कम होता है–तो नतीजा यह होता है कि जो हमारी पानी को स्टोर करने की व्यवस्था है, जितनी उनकी पानी को झेलने की क्षमता है, उतने भी वह नहीं भरते हैं। बावजूद इसके कि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया, बावजूद इसके जो हमारे गांधी सागर और भाखरा जैसे बांध हैं, जिसके ऊपर इतना रुपया खर्च हुआ है–इस भाखरा की क्षमता काफी बड़ी होते हुए भी जितना पानी उसमें समा सकता है उसका ६० प्रतिशत पानी भी भाखरा में नहीं आया है........

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेटीरियल वह भी गया था।

श्री मानसिंह महार : (अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : बैड प्लानिंग आप कह सकते हैं। आपके आर्ग्यूमेंट और दलील में रोक नही सकता। आप आर्ग्यूमेंट दीजिये और देते हैं हमेशा।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षा का बहुत बड़ा असर योजनाओं पर पड़ता है, कुओं में पानी कम होता है, तो आज राजस्थान में जितने भी कुए हैं उनमें पानी घट गया है, इसलिए लोग मांग करते हैं कि हमें ब्लास्टिंग मशीन चाहिए, होल बोर करने के लिए मशीन चाहिए। क्योंकि पानी नीचे चला गया है इसलिए उसको और नीचे लेवल पर ले लाये जाने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ते है, होल बोर करने पड़ते हैं। यह समस्या हमारे सामने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, माइनर इर्रीगेशन, सिंचाई की बहुत बातें मैं पहले कह चुका हूं, जो इस विभाग का भी अङ्ग है और जिसके ऊपर इन योजनाओं के अन्दर खास तौर से तृतीय पंच-वर्षीय योजना में काफी बड़ा, और जैसा मैंने कहा, योजना का पूरा इस मद का जितना खर्च है, जो प्रावधान किया था उसमें बढ़ाया है, उसमें माइनर इरिगेशन जैसी मद में यह विभाग कुछ खर्च करता है। इसमें पुराने कूओं को गहरा करने व नये कुओं का निर्माण करने व रहट आदि लगाने, पंम्पिंग सेट लगाने और उसके साथ-साथ छोटे-छोटे तालाबों को बनाना। इन योजना में हमारा शुरू-शुरू में विचार था और खर्च करने के लिए तय किया था कि ३२५ लाख रुपया इस मद में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सब–मद है खर्च करेंगे। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अकाल के कारण और तुरन्त परिणामों को लाने के लिए हमने उस मद पर विशेष जोर दिया और आपको खुशी होगी कि पहले पौने तीन करोड़ की बात सोची थी उसकी जगह हम ७ करोड़ रुपये खर्च करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा पंम्पिंग सेट्स फिट कराने, नये कुओं को खुदवाने व पुराने कुओं को गहरा करने, रहट लगाने––ये सब योजना के नीचे बनाने की बात पूरी होती है। सदन को यह जान-कर भी खुशी होगी कि जब ६५–६६ में अकाल का समय था, उसके लिये हम २ करोड़ १२ लाख रुपया एक मद मे खर्च करने जा रहे है। उसके परिणामस्वरूप कुओं को गहरा कराया है और हर पंचायत समिति में कहीं ४० कुए, कहीं ५० और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कहीं ६० नये कुए बना रही है और लोगों को तकावी देने के बारे में आप शिकायत कर रहे हैं कि तकावी-वितरण गलत हो रहा है। मैं आपसे यह कहूंगा कि जिन पंचायतों के पंचों का चुनाव जनता ने किया और पंचायत समिति का चुनाव पंचों ने किया और पंचायत समितियों के चुने हुए लोगों ने जिला परिषद् का चुनाव किया वे संस्थायें भी कुछ हमने दायरे और नियम के अनुसार ही काम करती हैं। रुपया पंचायत समितियों की रिक्वायरमेंट के अनुसार वितरण होता है। हमारे विभाग का काम है, अलग अलग पंचायत समितियों की रिक्वायरमेंट और पोटेन्शियल, इन सारी बातों की जानकारी रखते हुए राशि हमारे पास है उसको वितरण करें और योजनाओं को सफल बनाएं।

इसके अलावा जिस तरह से प्रधानजी और उनके रिश्तेदारों को लोन लेने के बारे में कहा गया और शिकायत की गई कि, प्रोडक्शन कमेटी में वे कैसे बैठ गये, जब उन्होंने खुद ने लोन लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था। मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि किस प्रॉयोरिटी के नम्बर पर उनका मामला था और आया वह प्रॉयोरिटी रखता था या नहीं; मगर इसलिये कि वह पंचायत समिति का प्रधान है और उसके रिश्तेदारों ने लोन के लिये अर्जी दी हो और इस वजह से उनको रुपया लोन का नहीं देना चाहिए, यह उचित नहीं होगा क्योंकि उन्होंने काश्तकार की हैसियत से अर्जी दी होगी। इसलिये इस बात को मैं प्राइमाफेसी गलत नहीं समझता कि उन्होंने प्रोडक्शन की बैठक में क्यों भाग लिया। क्यों बैठ गये, कैसे बैठ गये, यह कहना उचित नहीं है।

श्री मानसिंह महार : आपको मालूम हो गया कोई बात नहीं। आप तो उनको अन्धाधुन्ध पैसा देते जाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं मेरा काम है उतना करूंगा। मेरा दायरा है उसके अनुसार काम करूंगा।

श्री मानसिंह महार : मैंने यह आपके नोटिस के लिये रखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा मैंने निवेदन किया कि माइनर इरिगेशन वर्क्स के रूप में सरकार जितना करना चाहती थी और जितना करने का सोचा था उससे ज्यादा करने की कोशिश की है और उसके परिणाम भी अच्छे निकलेंगे।

एक माननीय सदस्य : इतना करने के बाद में भी आप खाद्य-स्थिति को नहीं सुधार सके।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह कहूंगा कि निश्चित तौर से इससे ज्यादा कुए तैयार होंगे और निश्चित तौर से सिंचित रकबे में बढ़ोतरी होगी और किसानों को आने वाले कुछ महीनों में अवश्य फायदा होगा।

श्री भैरोंसिंह : माइनर इरिगेशन से तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितना प्रोडक्शन बढ़ाने का एस्टीमेट आपका था आया वह बढ़ा या नहीं बढ़ा ? अगर नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, वह तो आप कम से कम बता दें।

Page No.144

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह कह सकता हूँ कि काम निश्चित रूप से ज्यादा हुआ है, इस पर रुपया भी ज्यादा खर्च हुआ है और उत्पादन भी ज्यादा हुआ होगा। मगर मैं यह नहीं कह सकता कि वह माइनर इर्रिगेशन से हुआ है या मेजर इर्रिगेशन से हुआ। यह सब शामिल हुआ है ?

श्री मानसिंह महार : रकबा कितना सिंचित होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मद के अलावा बीज, खाद, प्लान्ट, प्रोटेक्शन के मेजर्स और फूड डवलपमेंट स्कीम — ये चार चीजें दूसरे हैड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के नाम पर ही हम खर्च करते हैं। हमारे ओरिजिनल प्लान पर ५६६ लाख रुपया खर्च करने की योजना थी। हमने उसमें ज्यादा खर्च किया और अब उसमें ५८० लाख रुपया खर्च इस साल के अन्त तक होगा। इस मद में हम किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी खाद देने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी ऊपर जिन चार मुद्दों का जिक्र किया है उसके डिटेल्स मैं आपको कहूंगा। जहां तक बीजों का प्रश्न है, हमारे सदन के माननीय सदस्यों ने उसकी आलोचना की है और करते हैं। जहां तक इस विभाग से इसका सम्बन्ध है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

बीजों के प्रोग्राम के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले ही यह निश्चित था कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे बीजों से किसानों की जमीन को सेचुरेट करें। यह हमारा मेन दृष्टिकोण है। सबसे ज्यादा हमने गेहूं और उसके बाद जौ और मक्का की ओर, उसके बाद मैं हाइब्रिड प्रोग्राम की ओर ध्यान दिया है। जो हम लगाना चाहते हैं, जो हमारे पास नहीं है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में बीज सुधार के काम दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में शुरू हुआ और हमारे यहां पर इस पर रिसर्च में जो विभागों की शाखाओं में लोग काम करते हैं, जिनके तीन चार जगह राजस्थान में सेन्टर है, उन सेन्टरों पर एक जौ की और एक गेहूं की किस्म जो इवॉल्व की गई वह हिन्दुस्तान के दूसरे या तीसरे नम्बर पर आती है, जिसको आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं। गेहूं आर. एस. ३१ जो का नम्बर १७ सारे हिन्दुस्तान के लेबल पर माना गया है और यह भी माना गया है कि यह राजस्थान की बड़ी देन है। बीजों को मल्टीप्लाई किया है इसका एक तरीका है। हमारे यहां पर पंजाब का जिक्र आता है। मैं कहूँगा कि तीन प्रकार से यह होता है। एक तो सीड मल्टीप्लीकेशन है और दूसरा जो एक्सपेरिमेन्टल फार्म है जहां पर एक्सपेरिमेन्ट किया जाता है कि कितना बीज कितना खाद डाल कर कितना उत्पादन किया जा सकता है। उसको छोटे छोटे केरों में डालकर ट्रायल करना पड़ता है। और वैज्ञानिक तरीके से इस पर बहुत लेबर करनी पड़ती है और रिसर्च के अधिकारियों को अलग अलग काम पर पर्सनली समय लगा कर एक्सपेरिमेन्टों को वाच करना पड़ता है। इसलिये जो हमारे उत्पादन का तरीका है वह बहुत मंहगा है।

न्यूकलस सीड को हम रिसर्च से पैदा करते हैं एक्सपेरिमेन्टल फार्म पर हम इनको

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मल्टीप्लाइ करते हैं। तीसरा, हमारे मल्टी प्लाइड होते हैं वे लोगो को देते है और वे उसको प्राइवेट कल्टीवेटर्स को देते है। इसके अलावा कुछ प्लान्ट्स ऐसे हैं जो हमने पंचायत समितियों को सुपुर्द कर दिये, उसके बाद में बहुत सी पंचायत समितियों के पास में रिसोर्सेज की कमी थी, उसमें काम ठीक तरह से नहीं हो पाया और उनमें कमी रही। जो हमारे विभाग में फार्म्स थे उन में हमने पंचायत समितियों के मुकाबले में ज्यादा काम किये और उसमें भी रिसोर्सेज की कमी से जो पैदावार आनी चाहिये, जो इकोनामी बननी चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक नहीं बनी है। हम लगातार इस चेष्टा में है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीड्स जो पंचायत समितियों के हों चाहे गवर्नमेन्ट के हों, राजस्थान सरकार उसके लिये विशेष रूप से डिसीजन लिया है कि वह फार्म १०० एकड़ से कम नहीं होगा। दूसरे राज्यों के फार्म्स २०-२० एकड़ के बने हैं जो बहुत अनइकोनोमिक हैं। मैंने विभाग को कहा और उन्होंने इसको अपनाया।

श्री मानसिंह महार (आमेर): जरा बता दीजिये कि २५ एकड़ को अनइकोनोमिक होल्डिंग बताते हैं तो फिर ३० एकड़ पर सीलिंग कैसे लगाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप चाहेंगे तो पूरा विश्लेषण दूंगा। सुन लीजिये।

श्री मानसिंह महार : आपका मतलब आये तो अनइकोनोमिक होल्डिंग बता देते हैं और दूसरों का सवाल आये तो ३० एकड़ पर सीलिंग लगाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा हूं। १०० एकड़ के फार्म का डिसीजन लिया है, दूसरे यह है कि जहां तक बन पड़े हमको किसानों की लैंड एक्वायर नहीं करनी चाहिये। जो मार्जिनल लैंड्स मिली है, उनको हमने लिया है। उनमें सिंचाई की व्यवस्था, लैंड लेवलिंग की व्यवस्था, मकान बनाने की व्यवस्था, क्वार्टर आदि की व्यवस्था आदमियों को वहां एस्टेब्लिश करने की व्यवस्था यह सब हमें करना है। अभी तक जैसी व्यवस्था, होनी चाहिये वैसी व्यवस्था हम नहीं कर पाये हैं पर आने वाले चार वर्षों में जो फेन्सिंग, लैंड लेवलिंग की व्यवस्था न करना चाहते हैं आने वाले तीन चार वर्षों के बाद जब हमारी जड़ों के इन्वेस्टमेंट का काम, तरक्की करने का काम पूरा हो जायगा तो इन फार्म्स से पैदा होने वाला जो बीज है उसमें लगातार बढ़ोतरी होगी और आज जो इकोनोमिक रिटर्न्स हैं इनसे ज्यादा इकोनोमिक रिटर्न्स हम कर सकेंगे।

श्री मानसिंह महार : कब तक यह कर पायेंगे, यह तो बता दीजिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चौथी योजना के तीसरे साल तक।

श्री मानसिंह महार : फिर तो नहीं फरमायेंगे कि हम नहीं कर सके। हमको और समय दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आप छुट्टी पर मत चले जाना।

श्री मानसिंह महार : अब तो ये जा रहे हैं छुट्टी पर, इतना भी नहीं देखते कि अंगूरों का फार्म लगाया है।

Page No.146

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सरकारी कृषि सीड मल्टिप्लिकेशन के फार्म ने ९४-६५ में ७०५८० मन बीज उन्नत किस्म का पैदा किया और ६५-६६ में जो कि वर्षा की कमी का वर्ष है, फिर भी उन एरियाज में ७३०० मन उन्नत किस्म का बीज पैदा कर सकेंगे । वर्षा की कमी होते हुए भी पिछले साल से ज्यादा पैदा कर सकेंगे।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : एकरेज कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस समय पूरा निवेदन नहीं कर सकता ।

श्री मानसिंह महार : फिर क्या किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तो क्वान्टिटी बताई है, जो इस साल और पिछले साल तैयार किया।

बीज के संबंध में कहा गया कि बीज भी कम बांटते हैं, उन्नत किस्म का बीज नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य में उन्नत किस्म के बीज की ज्यादा मांग होती है तो यह संभव नहीं है कि सबको उन्नत किस्म का बीज दे दें । पर सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है कि उन्नत किस्म का और वह पूरा नहीं हो तो पे डिग्री या उन्नत किस्म का बीज दें तो मानवीय दृष्टिकोण से, उत्पादन में कमी न रहे इसलिये इस प्रकार के बीज के वितरण का बोझा सरकार ने लिया है, वह बीज सरकार देती है। अभी कहा गया कि व्यापारियों से बीज लिया, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, तो वे कोई पर्टीक्यूलर स्पेसिफिकेशन दें तो हम खुलासा करने में समर्थ होंगे । पर मैं इतना जरूर कह हूं कि हम जितना बीज लेते हैं, सरकारों के पास से लेते हैं, पंजाब सरकार से, दूसरी सरकारों से लेते हैं । सूरतगढ़ फार्म से भी लेते हैं। हां, जकराणा का बीज जो कि अलवर के इलाके के लिये मुफीद है वह भी किसानों से लेकर किसानों को देने की कोशिश करते हैं, व्यापारियों से नहीं लेते । मैं यह दावा नहीं करता कि जो किसानों को देते हैं, सभी उन्नत किस्म का बीज देते हैं, पर यह जरूर कहता हूं कि जो बीज किसानों को दिया जाता है, सब प्रकार से इतमीनान करके देते हैं कि वह बीज जर्मिनेट होगा, जो है ही नहीं, उससे तो अच्छा होगा ।

श्री मानसिंह महार : जयपुर से हजारों मन चना दिया पंचायत समितियों को । पंचायत समितियों से किसानों को दिया गया वह उगा ही नहीं····

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी बात सुनिये, मैंने कहा कि चने का उन्नत बीज देने का हमारे प्रोग्राम में नहीं है ।

श्री मानसिंह महार : बीदा हुआ चने का बीज क्यों दिया ? समितियों को मजबूरन किसानों को देना पड़ा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई मजबूरन नहीं दिया, चने का उन्नत बीज बांटने का हमारा प्रोग्राम नहीं है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (बमवारामगढ़): ऐसा बीज दिया कि बिल्कुल उगा ही नहीं····

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठ जाइये, मेरी बात सुनिये····

श्री मानसिंह महार : आप इस तरह डांटते हैं, "आप बैठिये" माननीय सदस्य सही

(श्री मानसिह महार)
बात नही कहेंगे क्या ? आप समझते क्या हैं ? हम भी आपको कह सकते हैं, बैठ जाइये । यह तरीका नहीं कि सदस्यों के साथ इस प्रकार व्यवहार करें ।

(शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, आयुर्वेद) : एक माननीय सदस्य इस तरह का व्यवहार करें, यह क्या उचित है ?

श्री मानसिह महार : बोलने का हमारा अधिकार है, हम मंत्री महोदय को कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्यों को यह विदित है कि कोई भी माननीय सदस्य भाषण करते हैं तो पहले उनको सुनकर बाद में कोई बात कहना आवश्यक हो तो कही जाय । बीच में बोलने से न इधर से जवाब ही आ पाता है, न इधर के माननीय सदस्य अपनी बात कह पाते हैं ।

श्री मानसिह महार : फिर बात कहने का समय ही कहां रहता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का दूसरा मेजर हैड जिसकी वजह से जमीन का सुधार किया जाता है, जिसे लैंड डवलपमेंट कहते हैं, इसमें हम दो प्रकार का प्रोग्राम काम में लेते हैं । एक तो किसानों को ट्रेक्टर्स आदि के लोन देते हैं ताकि किसान उनसे अपनी जमीन को सुधारे । दूसरे हम विभाग के जरिये सोइल कन्जर्वेशन का, लैंड डवलपमेंट का काम करते हैं, वह इसमें है । उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५० लाख के ऋण ट्रेक्टर्स के लिये देने का सोचा था, पर आपको और सदन को यह जानकर खुशी होगी कि हमने वह टार्गेट एक्सीड किया है ।

श्री मानसिह महार : इसमें खुशी काहे की, बिल्कुल खुशी नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इससे राजस्थान में ट्रेक्टर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और राजस्थान का किसान इन ट्रेक्टर्स के जरिये अपनी जमीन और अपने पड़ोसियों की जमीन को सुधारता है और सुधार रहा है ।

दूसरा सवाल सोइल कन्जर्वेशन का है । हमने जो इसका लक्ष्य रखा था, सोइल कन्जर्वेशन का इस सदन का बनाया हुआ कानून है, ७५ पर्सेन्ट केचमेंट एरियाज को ट्रीट करने की दृष्टि से हम इन योजनाओं को हाथ में लेते हैं । किसान को इसके लिए ७५ परसेंन्ट लोन और २५ पर्सेन्ट सब्सिडी देते हैं । जो हिली ट्राइबल एरियाज हैं, जहां जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार का काम है, जिस प्रकार के लोग हैं उनको उसी हिसाब से ७५ परसेंन्ट लोन और २५ पर्सेन्ट सब्सिडी देते हैं ।

तीसरी पंच वर्षीय योजना में इस प्रकार की गतिविधियों से राजस्थान की १.७८ लाख एकड़ जमीन को सुधारने का जो उद्देश्य रखा उसका जिम्मा हमने अपने हाथ में लिया था, इस सदन को खुशी होगी........

श्री मानसिह महार : कोई खुशी नहीं....

श्री नाथूराम मिर्धा : जो माननीय सदस्य कहते हैं कि इसके हैय और प्राप्तियों से

(श्री नाथूराम मिर्धा)
हमे संतोष नहीं है, उनको मैं यकीनन संतोष कराना चाहूंगा कि हमने १.७८ लाख एकड़ जमीन सुधारने के स्थान पर १.८० लाख एकड़ जमीन को सुधारा है।

श्री जुझार सिंह : सोइल कन्जर्वेशन का, गवर्नमेन्ट का जो गवर्नमेन्ट लैंड है उस पर क्या प्रोग्राम है ? यह तो जो लैंड होल्डर्स की जमीन है, उस पर देती है। गवर्नमेन्ट की लैंड है, उस पर साइल कन्जर्वेशन के प्रोग्राम में सरकार ने क्या किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह प्रोग्राम हमारे हाथ में नहीं है। हमने कुछ योजनायें प्रोजेक्ट्स की भारत सरकार को भेजी हैं, जब सैंक्शन मिलेगी तो उसको भी अपने हाथ में ले लेंगे। मैकेनीकल यूनिट पर हमारा प्रोपोजल करीब २५ लाख रुपये धनराशि का जा चुका है, पर जैसे आप जानते हैं, इस समय देश को फोरिन एक्सचेंज की कमी है इसलिए उस योजना को अभी भी भारत सरकार की योजनाओं के अंदर प्रायोरिटी है और जब भी सांस लेने का मौका मिलेगा, तो इस प्रकार के यूनिट्स राजस्थान कैनाल और चंबल की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए दो यूनिट्स चौथी योजना में मिलने की पूरी आशा है।

श्री मानसिंह महार : मर थोड़े ही गये हो, सांस तो ले रहे हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : अपनी बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने हमारे विभाग के अधिकारियों के बारे में जिक्र किया। यह सही है कि किन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाला इन्सान ही होता है। इन्सान की काम करने की शक्ति और लगन योजना के हरेक अंग में बहुत महत्व रखता है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे विभाग के डाइरेक्टर साहब के बारे में कुछ कहा। मैंने उनसे जानकारी की, वहां क्या क्या बातें हुई, डायरेक्टर साहब ने बताया कि एक दिन माननीय सदस्य आए थे और खास तौर से दांता रामगढ़ के पम्पिंग सेट्स की धनराशि कर्जे के रूप में वहां मिले, इस बारे में बात करने आए थे और उसके बाद में थोड़ी देर तक बैठकर मुझसे पूछा कि इस साल के उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तब मैंने उनसे कहा कि आंकड़े नहीं आए हैं और बिना आंकड़ों के जानकारी दे दूंगा तो नाराज होंगे।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): डाइरेक्टर को आंकड़े मालूम न हो तो किसको मालूम होंगे ? कितना बीज देंगे, कितनी खाद देंगे....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने यह पूछा था कि इस साल के अन्दर, खास तौर से खेती की बढ़ोतरी के लिए, रबी अभियान के लिए कितना बीज और खाद देंगे और कितनी माइनर इरिगेशन करेंगे, तब उन्होंने कहा की खाद की कमी है, जितना मांगा था उसमें से २४ हजार टन मिला था। बीज के बारे में उन्होंने कहा········

(विराम)

मुझे मालूम नहीं वह ऐसा कह रहे थे।

श्री भैरोंसिंह : मैंने आपको पत्र भी लिखा था उसी समय, मैंने उसमें लिखा था कि डाइरेक्टर एग्रीकल्चर के आफिस में गया उनकी बातें सुनकर दुःख हुआ है, अपने विभाग के सम्बन्ध में, एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में कोई स्टेटिस्टिक्स याद नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे वह पत्र नहीं मिला।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास जो रसीद है उस पर निश्चित दस्तखत हैं सेक्रेटेरिएट के।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास नहीं पहुँचा। पत्र मैंने नहीं देखा। लेकिन उनकी सारी कार्यक्षमता पर आप कह दें कि वे कुछ नहीं हैं, यह उनके साथ में.......

श्री भैरोंसिंह : अगर आप यह इन्टरप्रिटेशन लेते हैं कि उनको आंकड़ों की जानकारी नहीं है, इसलिए अयोग्य हैं तो वह ठीक नहीं है। मैंने पूछा था कि रबी के अभियान के सम्बन्ध में हम क्या करने वाले हैं, कितनी जमीन में सिंचाई करने वाले हैं, कितना ज्यादा बीज देने वाले हैं, यह जानकारी अगर नहीं हो डाइरेक्टर एग्रीकल्चर को, तो दुर्भाग्य की बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके बारे में इतना पूअर इम्प्रेशन बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। उनकी पर्सनल डाइनैमिक और काम करने की शक्ति.......

श्री भैरोंसिंह : आपसे अगर १९५१-५२ के आंकड़े भी पूछ लें तो चाहे गलत ही बतायें लेकिन बता तो अवश्य देंगे।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): हमारी दिक्कत यह है कि आप आंकड़े बताते हो और यह भी बताते हैं, कौन सही है कौन गलत है, हम क्या करें?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ पंचायत समितियों और बी. एल. डब्ल्यूज. के बारे में कहा गया है कि किसानों के पास नहीं जाते। सारे राजस्थान में कृषि विकास का काम ८-९ साल का काम है। हमने दो कालेजेज.......

श्री भैरोंसिंह : आपने आंकड़े सब बताये कि १९५१-५२ से लेकर कितनी जमीन में काश्त होती थी और आज कितनी जमीन.......

श्री नाथूराम मिर्धा : तुरन्त मांगेंगे तो फिर गलती रह जायगी, मैंने आपको बताया है...

श्री भैरोंसिंह : अन्दाजे से बतायें....

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में इस समय करीब ९५० लाख एकड़ धरती काबिले काश्त है उसमें से ६० परसेंट काश्त में आती है। जिस समय हमने राजस्थान में शुरू किया था तो २२५ लाख एकड़ काश्त होती थी, उसके बाद में वह बढ़ोतरी हुई है। मैंने एक दो बार कहा था कि पहली योजना के अन्दर करीब ३५ लाख एकड़ धरती की काश्त बढ़ी थी, और दूसरी में ५० लाख एकड़ काश्त बढ़ी थी तो इस लिए धरती के उत्पादन के आंकड़ों से ज्यादा काश्त होने की वजह से उत्पादन को बल मिला है। हम कहें कि हमारे इम्प्रूवड्स डालने से बढ़ी है, यह दावा मैंने कभी नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : इसका सब्स्टेंस यह हुआ कि १३५ करोड़ रुपये खर्च करने के बाद और ५० लाख एकड़ खेती बढ़ाने के बाद

(श्री भैरोंसिंह)

३० लाख एकड़ सिंचित भूमि बढ़ने के बाद राजस्थान में १९५१ में २९ लाख टन उत्पादन था और १९६५-६६ में ३८ लाख टन, मतलब ८-९ लाख टन, इतने करोड़ रुपये खर्च करने के बाद.........

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी दलील मैं समझ गया। अकाल पड़ जाय तो किसी का बस नहीं। आपकी एक दलील रहती है वह सही भी है कि राजस्थान का पर-एकड़ उत्पादन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, वह दूसरों के मुकाबले में काफी कम है। मैं इस बात को पहले भी स्वीकार कर चुका हूं क्योंकि राजस्थान में इरिगेटेड लैंड, टोटल कल्टीवेटेड ऐरिया का १४ परसेंट है पहले की योजनाओं को मिला कर १० परसेंट थी इसकी वजह से जहां इरिगेशन में परसेंटेज कम हुआ वहां खेती में एक इर्रेग्युलेरिटी भी हुई। इरिगेटेड एरिया चाहे गेहूं, चाहे चना हो, वहां पर-एकड़ कम रहेगा इसलिए इरिगेटेड और अनइरिगेटेड दोनों को मिला कर पर एकड़ से भाग देंगे तो ईल्ड कम रहेगी, इसमें बहुत ज्यादा इम्पुट्स डालने की जरूरत है। इम्पुट्स की कमी है। इम्पुट्स हमने सारे २१ करोड़ के डाले हैं अगर इसकी जगह १०० करोड़ का डालेंगे तो ४ गुना उत्पादन बढ़ जायगा.......

श्री भैरोंसिंह : अगर ४०० करोड़ का डालेंगे तो १६ गुना हो जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन के बारे में जैसा मैंने कहा गवर्नमेन्ट ने दो कॉलिजेज खोले है। वी. एल. डब्ल्यूज के स्कूल हैं उनमें लगातार सुधार की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल वायस मिलें, इसके लिये लगातार कोशिश करते हैं। कॉम्यूनिस्ट टाइप तो राज्य नहीं है कि अमुक को भरती करोगे और अमुक को नहीं। हमारे यहां पर जिस प्रकार की शिक्षा है, स्कूल हैं जिन लोगों के लिए, उनमें जो शिक्षा देते हैं उसके कारण उनमें रूरल वायस बने, काम करने की शक्ति पैदा हो। ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे सब ही बिल्कुल अच्छे हैं और सुधार की आवश्यकता नहीं है, सुधार की आवश्यकता मानते हुए भी हमारा यह प्रयास रहता है कि कॉलिजेज में और स्कूल में अच्छे फार्म्स कायम करके, उनमें इस प्रकार का वायस पैदा करें जिससे किसानों के साथ प्यार बढ़े, रूरल वायस बने, इन चीजों को ध्यान में रखकर कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी में न मोड न मोर्ड, न ऐसे दूसरे तरीके हैं। डेमोक्रेसी में लोगों के ऊपर प्यार से, समझाइश करके, उनकी इन कार्य-प्रणालियों में रुचि बढ़ाते हैं, परसुएशन करके रुचि पैदा करते हैं, ताकि वे गांवों में जाकर ज्यादा से ज्यादा सेवा करें।

एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि किसान इम्प्लीमेन्ट्स काम में नहीं ले रहे हैं। जो उनको इम्प्लीमेन्ट्स दिए जा रहे हैं वे जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन को बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह बड़ा प्रयत्न रहा है और है कि राज्य में किसान के खेती के यंत्र और उपकरणों में सुधार हो। हमने इस माने में सारे देश में एक पहल की है। हमने इस बात की पहल की है कि स्टेट सेक्टर में किसान के काम में आने वाले यंत्रों का उत्पादन हो। इसके लिए हमने एक वर्क-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

शॉप शुरू किया है । इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, सुधार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हमने इस वर्कशॉप को खोला है वह अपना कार्य कर रहा है । हम पांच-छः वर्कशॉप अलग अलग जिलों में कायम कर रहे हैं इन्डस्ट्रीज के द्वारा बनाए हुए सेन्टर्स हैं उनको भी हम ले रहे हैं । मशीनें बनायी हैं । किसानों के ट्रैक्टर्स, पंपिंग सेट्स, दूसरी दूसरी मशीनें जो उन्होंने लगायी हैं उनकी मेन्टीनेन्स नजदीक से नजदीक जगहों पर हो, वर्कशाप की यूनिट्स बनें और इम्प्लीमेन्ट्स का भी प्रदर्शन हो, इस प्रकार की व्यवस्था आपने भी प्रोत्साहित की होगी, विभाग ने भी उसको काम में लेने के लिए प्रोत्साहित किया । इस ओर किसानों की काफी रुचि बढ़ी है । हमने इसके लिए जो लक्ष्य बनाया था उसमें पीछे रह गए । नाइट्रोजनस फर्टीलाईजर का हमारा पिछले साल ६५ हजार टन प्राप्त करने का लक्ष्य था, लेकिन मिला हमको २४ हजार टन ही और काफी जोर लगाया तो ४७॥ हजार टन किया । फोस्फेटिक फर्टीलाइजर का भी बड़ी मुश्किल से १३ हजार टन मिला, रिक्वायरमेंट से बहुत कम । इस साल चिन्ता का विषय है । इस साल लक्ष्य रखा था ८० हजार टन फर्टलाईजर का । नाइट्रोजन का लक्ष्य था, एक लाख की भी क्षमता है लेने की, लेकिन मिला २८ हजार टन और बावजूद बैस्ट एफर्ट्स के ३५ परसेन्ट मिला और फोस्फेटिक फर्टीलाइजर की तो और भी बुरी हालत है, १५ परसेंट ही मिला । देश में खाद की कमी है । फर्टीलाइजर कारखाने बनाये जा रहे हैं । व्हाइट लाईम दीखता है, कोटा में प्राइवेट लाइसेंस मिला है और ६८ में चालू हो जायेगा । नाइट्रोजनस फर्टीलाइजर इस कारखाने में होगा । चूंकि यह हमारा कारखाना होगा, हमें अधिक मिलने की आशा है । देश को फोरिन एक्स्चेन्ज की डिफिकल्टी है, इस कारण यह स्थिति है ।

दूसरा बड़ा ओर्गेनाइजेशन, जो राजस्थान में एक अनोखा ओर्गेनाइजेशन है, इसके जरिये जो काम हो रहा है, किसानों की सेवा हो रही है उसके लिए सदन को गर्व होना चाहिए वह है ग्रन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड । ५४ में हमको भारत सरकार की टूटी फूटी मशीनें मिली । उसके बाद इसको विकास करने की कोशिश की और आज तक कुल मिलाकर ५० कम्प्रेशर्स हैं । फील्ड में ४०.४२ काम करते हैं । ७.८ कम्प्रेशर्स इतने पुराने हैं कि बावजूद काफी रिपेयर्स, मेन्टीनेंस करने के भी जितना आउट टर्न होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है । पार्ट्स इनके पुराने हो गए हैं, फोरिन एक्सचेन्ज के कारण पार्ट्स नहीं आ पाते हैं, इसलिये ये जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं । सदन ने थोड़े दिन पहले सप्लीमेन्टरी डिमान्ड पास की थी ४८ लाख की, उसमें से २५ लाख के कम्प्रेशर्स ५०, इस साल में प्राप्त कर लिए हैं । १७-१८ मर्सीडीज, ले-लैंड की मोटरें रिलीज होकर राजस्थान सरकार को मिल गई हैं । हाइयेस्ट लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि बकाया मोटरें जल्दी मिल जांय । पंचायत समिति में ट्रैक्टर्स और ट्रकों पर लैंड करके काम चलाया. एक-दो पंचायत समितियों ने व्यवस्था की है । जो इम्प्लीमेन्ट्स इस वर्कशॉप से बनाये गये हैं उनको आप देखिए, वे अच्छे और सस्ते हैं । जैसे मक्का को छीलने का यंत्र है । हारवेस्ट के समय किसान महीने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

महीने भर बैठा रहता है। पांच सौ रुपये का यह यंत्र है जो पांच सौ गांवों के मक्का को कुछ दिनों में ही छोल देगा। सीड रोल बनाया। अमेरिका के लोग आये। उन्होंने उसको देखा तो कहने लगे कि हमने दुनियां में कहीं ऐसा नहीं देखा है। यह एक प्रयास है। वर्क का आउट टर्न आने वाले साल में कम से कम एक करोड़ का हो और अच्छे यंत्र किसानों को मिलें यह हमारा प्रयास है। राजस्थान के वर्कशॉप की यह विशेषता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ या स्वयं अकेले जाकर इस वर्कशॉप को देखें इसमें बने यन्त्रों के डिजाइन, फिनिश, उपयोग आदि सारी चीजों को देख कर उनको खुशी ही होगी। यह राजस्थान स्टेट सेक्टर का काफी अच्छा एचीवमेंट है। इसमें काफी अच्छे योग्य इन्जीनियर हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सम्पूर्ण रूप से सब कुछ ठीक है। एक-दो शिकायतें हुई हैं। पकड़े भी गये हैं। लेकिन इसके जो सीनियर अधिकारी हैं जो इन्जीनियर हैं वे काफी काबिल और ईमानदार व्यक्ति हैं। अच्छे इन्जीनियर हैं और वर्कशॉप को डेवलप करने में उन्होंने काफी जोर लगाया है। इस वर्कशॉप को और डेवलप करने की कोशिश की जायेगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यहां हल, कुली और दांता हर काश्तकार के काम में आता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : महरबानी करके आप एक दफा इस वर्क शॉप को विजिट कर आयें। ये सारी चीजें वहां निर्माण कर रहे हैं। जिन औजारों की शिकायत कर रहे हैं वे इस वर्कशॉप के बनाये हुए नहीं हैं, बल्कि प्राइवेट फेब्रिकेटर्स काम करते हैं जिनको पहले पहले काम में लिया गया, उनकी डिफेक्ट्स हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का सेल्स टैक्स माफ करवा रखा है। हल पर माफ है, कोशी और दांता है उन पर अभी वसूल किया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये बातें तो फिर कहने की हैं। अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। सोचेंगे उस पर। अपना ही काम है।

तो मैं निवेदन कर रहा था। खाद के बारे में आपने कहा, दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा और खास कर जयपुर से आये माननीय सदस्य ने कहा कि लोगों की जांट तो लगा दी। राजस्थान में यह दो साल से स्थिति बनी है। पहले मिलता था तो काम में नहीं लेते थे। और वे कम्प्रेसर्स फील्ड के आर्डर भेज रहे हैं आने वाले चार-छः महीनों में, मैं समझता हूं आधे से ज्यादा कम्प्रेसर्स फील्ड में पहुंच जायेंगे। आज राजस्थान में ब्लास्टिंग की बहुत जरूरत है। वन-फोर्थ मांग को भी हम पूरी नहीं कर पाते। इससे काफी सुधार होने की गुंजाइश हो जायगी।

(६ म. प.)

श्री भैरोंसिंह : आप इनके रेट्स कम करिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं भी आपकी तरह कम करने के पक्ष में हूं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं जो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के रेट्स हैं अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के वे वही हैं जो आज से दस साल पहले थे। बावजूद मशीनों को मंहगाई के डीजल का खर्चा ज्यादा बढ़ गया, इतना होते हुए भी हमने रेट्स नहीं बढ़ाये। जो रेट्स हमारे है १० बाई १० फिट के ३८ रुपये हैं। प्राइवेट फर्म से आप यदि ड्रिलिंग इतना ही करायें, वे हमसे दुगुने रेट्स लेंगे। मार्केट रेट ज्यादा है हमसे।

श्री भैरोंसिंह : इतना तो जरूर कर दीजिये पत्थर और रेत में ड्रिलिंग करने के जो चार्जेज कोमन हैं वे तो अलग अलग कर दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : सैन्ड में भी ड्रिलिंग हुआ है जयपुर में भी ट्यूब वेल्स बने हैं। इतनी हम बारीकी में जायेंगे तो बोझा सैन्ड वालों पर कुछ कम होगा, उधर पत्थर वालों पर ज्यादा हो जायगा। इतनी बारीकी में जाकर फर्क करना उचित नहीं होगा, दूसरा यह विभाग हमारा कोमर्शियल लाइन पर चल रहा है, इसमें डेप्रीसिएशन चार्जेज लोगों की तनख्वाह आदि का बोझ किसानों पर ही जाकर पड़ेगा और पड़ता है। फिर भी हमारी जो रेट्स हैं वे प्राइवेट फर्म से ड्रिलिंग बोरिंग, पाइप, फिटिंग आदि के कम है। जब कि मार्केट हमारे से ड्योढ़े दुगुने तक है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ब्लास्टिंग की जो रेट्स हैं वे प्राइवेट में कम हैं, ड्रिलिंग का काम करने वाली कोई प्राइवेट फर्म राजस्थान में नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे जो रेट्स हैं वे जो दस साल पहले थे वही रेट्स रखे हैं। इस विभाग को कोमर्सियल रखते हुये भी रेट्स को वहीं पर रखा है, इसमें सबसिडी भी इनवोल्व्ड है। यह ओर्गेनाइजेशन एक महत्वपूर्ण ओर्गेनाइजेशन है। अब इसके लिए हमारे पास १०० कम्प्रेसर्स हो गये, १३ ड्रिलिंग रिग्ज थे, पांच छः रोटरी रिग्ज थे। इस साल में आपको सुन कर खुशी होगी रूबी करेन्सी में पोलेन्ड से १३ रिग्ज और मिल रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दिया गया है आशा है यह दो महीने में मिल जायेंगे।

कई बार ट्यूब वेल्स का जिक्र चलता है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार एक्सपेरीमेंटल ट्यूबवेल्स ओर्गेनाइजेशन का विभाग हमारे राजस्थान में काम कर रहा है। राजस्थान में विशेष योजना के अन्तर्गत २५० ट्यूब वेल्स खोदने की योजना स्वीकार की थी उस योजना के तहत, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि ई० टी० ओ० विभाग ने १९८ साइट्स पर काम किया है। उनमें से १३४ ट्यूब वेल्स कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं पांच हजार से बीस हजार गेलन पानी देने वाले ट्यूब वेल्स हैं वे पीने का पानी सप्लाई करते हैं। बीस हजार से ऊपर पानी देने वाले ट्यूब वेल्स सिंचाई की व्यवस्था के काम में आते हैं। यह हमारी खुश किस्मती है कि १९८ में से १४३ ट्यूब वेल्स कामयाब हो गये हैं। अनसक्सेसफुल और लोव्स के अलावा जो ट्यूब वेल्स कामयाब हुए हैं उनकी सूची जो अलग अलग इलाकों में है वह रखना चाहता हूं :

जैसलमेर जिले में	३०
बाड़मेर ,, ,,	१३

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जालोर ,, ,,	३१
जोधपुर ,, ,,	१
नागौर ,, ,,	७
चूरू ,, ,,	२०
बीकानेर ,, ,,	३२

इस प्रकार १३४ ट्यूब वेल्स डेजर्ट इलाके में जो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था बहुत कामयाबी के काम कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पांच हजार से बीस हजार की केपीसीटी वाले कितने हैं और इसके ऊपर के कितने हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी : जालौर वाला बीस के ऊपर और भी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है। अब मैं कुछ खास मुद्दों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा....

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : पाली जिले के बारे में जानकारी चाहता हूं....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तसल्ली रखिये आपको जानकारी फिर भी देता रहूंगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह कर रहा था कृषि के साथ में विद्युतिकरण को भी जोड़ा जाय। इसके लिए हम इन्टेन्सिव एरिया में पैकेज के रूप में प्रोग्राम ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने पिछले साल से इस प्रकार विद्युतिकरण से जोड़ने की कोशिश की। विद्युत् विभाग और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का समन्वय हो, इसलिए जहां जहां लाइन्स गई हैं वहां पर मार्च ६४ से इस प्रकार का विद्युतिकरण शुरू किया। शहरों के चारों तरफ जो कुएं हैं, १८०० कुओं में बिजली मार्च के एण्ड तक कर रहे हैं। ६५ के एण्ड तक २४०० कुओं में और इस साल के अन्त तक ३३०० कुओं में बिजली उतारेंगे। पिछले तीन सालों का जो पर्फोर्मेंस है, वहां जहां लाइन्स हैं हमारी तरफ से धन-राशि की व्यवस्था करके पम्पिंग सेट्स आदि लाइन्स देने में मदद करने, इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड द्वारा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन प्रोग्राम के तहत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के प्रोग्राम को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। ७५०० के कुओं में प्रोग्राम के तहत बिजली पहुँचा सकेंगे। अगले साल के अन्दर करेन्ट ईयर में इस प्रोग्राम की अहमियत को ध्यान में रख कर प्रोग्राम बनाये हैं पांच हजार कुओं में बिजली देने की; इस तरह से बारह हजार कुओं की संख्या बनती है।

श्री मानसिंह महार : इनको बोलते बोलते सवा घण्टा हो गया, हमको तो आप दस मिनिट से ज्यादा नहीं बोलने देते....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको पूरा सन्तोष नहीं दिलऊंगा तो अपने कर्तव्य से च्युत रहूंगा।

मैं आप से निवेदन कर रहा था राजस्थान में इस प्रकार से इन तीन सालों में १२ हजार कुओं में बिजली उतारने की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान में कुल कुओं की टोटल संख्या साढ़े पांच या पांच लाख के करीब हैं और भी नये बनते जा रहे हैं। इस अनुपात में जो विद्युतिकरण हम कर रहे हैं वह काफी कम है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कुओं का विद्युतिकरण करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है जिसको इस सदन को करनी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक निवेदन आपको करना चाहता हूं । जिन जिन कुओं में बिजली पहुँची है आप स्वयं भी शायद इस बात को जानते हैं कि उन कुओं में ट्रान्सफॉर्मर तो कम, वोल्टेज का कन्जम्शन अधिक होता है यानी कन्जम्प्शन अधिक वोल्टेज का होता है । उदयपुर घाटी और श्रीमाधोपुर बिजली दी है । लोगों ने बिजली लेली, कुओं के अन्दर पाइप फिट हो गए । कन्जम्प्शन आफ वोल्टेज अधिक होने से कुए सूख रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कमियां हैं और हो भी सकती हैं, इससे मैं इन्कार नहीं करता । वाल्टेज ज्यादा कंजम्प्शन होने से बिजली ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पाती । इस व्यवस्था के जो कारण हैं वे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, यह इन्सान का काम है । जो इन्सान इसमें काम करते हैं, वे किसानों के दर्द को समझें, दिल से समझें, इसके लिए हमारे पास मेजिक वैंड तो नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस बारे में सजेशन देना चाहता हूं । बिजली चाहे आप कितने ही गावों को दें, आप इन्टेन्सिव इलेक्ट्रिफिकेशन करें । जिस जगह जितना मेक्जीमम कंजम्प्शन हो, उतना जब तक उस गांव के लिए नहीं हो जाता तब तक आप आगे न दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट का यही प्रोग्राम है एग्रीकल्चर के लिए, विद्युत् विभाग को यही कहा है कि जहां एक दफा बिजली पहुंचाई जाये वहां अच्छा ट्रान्सफॉर्मर पूरी-पूरी बिजली की रिक्वायरमेन्ट के माफिक कुओं के लिए दिया जाये । पैकेज का प्रोग्राम है उसमें यही सलाह दी है कि चाहे बिजली को तेजी से नहीं फैलाये लेकिन वह दृष्टिकोण उनको बदलना चाहिये ।

मैं पॉवर कनेक्शन की बात कहने के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ रेगुलेटेड मार्केट के बारे में कहना चाहता हूं । हालांकि कटमोशन में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन सदन को सूचना देना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है····

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पॉवर के बारे में पूछना चाहता हूं । विद्युत् मंत्रीजी ने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए ३ परसेन्ट ही दे पाये हैं । और आपने कहा है कि १२ हजार कुओं को हम बिजली दे पायेंगे । तो हमें आशंका है कि एग्रीकल्चर के लिए आप बिजली दे पायेंगे या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर दे पायेंगे । दूसरों के लिए काटेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर को मिलेगी ।

श्री मोतीलाल चौधरी : इतने परसन्टेज में बिजली है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब है ।

श्री मानसिंह महार : पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को दस-दस मिनट दिये जायें और १। घंटा मंत्री जी को हो गया और मतलब की एक बात नहीं कही । फिर हमको क्लोजर मोशन मुव करना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा दुर्भाग्य है कि मै बात कर रहा हूं और मतलब की बात नही कर रहा हूं तो या तो मेरी अकल खराब है या फिर उनकी अकल खराब है ।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था रेगुलेटेड मार्केट के बारे में । रेगुलेटेड मार्केट के बारे में पिछली बार भी सदन में काफी जोर था । इससे किसानों का बहुत लाभ होता है । किसान को जो कटौती और बढ़ोत्तरी देनी होती है उसके जरिये किसान को जल्दी से जल्दी राहत मिलनी चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन को जानकर खुशी होगी कि मैंने पिछली दफा कहा था कि हमारे पास रेगुलेटेड मार्केट की संख्या ५६ है और अब वह संख्या बढ़कर ६६ हो गई है । राजस्थान में कुल मार्केट की संख्या १२१ है और इस साल के अंत तक १२१ के १२१ मार्केट ही रेगुलेटेड मार्केट कर दूंगा ।

कीटाणु नाशक दवाइयों के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । आखिर में मैं दो प्रोग्राम जिनके ऊपर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य मुझे काफी ओलम्भा देते हैं । वे कहते है कि हम तो मांगते हैं मक्का, ज्वार और कृषि मंत्री जी खिलाते हैं अंगूर····

श्री भैरोंसिंह : वह भी उपाध्यक्ष महोदय, अंगूर खिलाये होते तो भी कोई बात होती, लेकिन वे भी नहीं खिलाये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो भैरोंसिंह ऐसी बात करते हो ।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन कर रहा था कि अंगूरों का जो प्रोग्राम हमने राजस्थान में लिया है, राजस्थान के भविष्य की पोटेन्शियलिटी को ध्यान में रखते हुए और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनका आर्थिक दृष्टिकोण बदले और उनकी माली हालत सुधरें और सरकार के सहयोग से कुछ इस बारे में आगे बढ़ सकें, उनकी इकोनॉमिक कन्डीशन्स सुधारी जा सकें, इस बारे में हमें प्रयत्न करना चाहिए । राजस्थान में सौभाग्य से हमें अच्छा ग्राउन्ड मिला है, अच्छा बढ़ावा मिला है, अच्छी जमीन मिली है और इसकी बहुत ही पोटेन्शियलिटी है और ६५ एकड़ में जहां हमने इसको पिछली साल किया उसके परिणाम आप देख सकते हैं । मेरे खेत में नहीं तो किसानों के कई खेतों पर देख सकते हैं । उसमें आप भी हमारे पार्टनर बनिये, आप भी कुछ खेतों पर लगायें, उससे आपको भी लाभ होगा और उस इलाके के किसानों को भी लाभ होगा । मैं अब की गर्मियों में एक आध गुच्छा खिलाऊंगा और बहुत ही मेहनत करके हमने लगाये हैं ।

आपने घास की चर्चा की । मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं और आखिर मैं अपील करूंगा कि ये चीजें रिसर्च वाले, एग्रीकल्चर वाले, एक्सटेन्शन वाले तो करते ही हैं लेकिन हमें भी इसमें कोशिश करनी चाहिए । जिस घास का आपने कहा इरिगेटेड एरिया के अन्दर अगर हाई ब्रीड को आधा एकड़ में लगा दें तो १० जानवर रख सकते हैं । यह ४ महीने नहीं बढ़ती है और ८ महीने बढ़ती है, तो ४ महीने ओट्स और बरसीन घास में डाल दें और इसका बीज और जड़े

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमारे हर एग्रीकल्चर फार्म में और केटल ब्रीडिंग फार्म में मौजूद है और हम मुफ्त में देते हैं/उसके कोई पैसे नहीं लगते ....

श्री भैरोंसिंह : इसका पंचायत और समितियों में एक्सटेन्शन कराइये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इन पिछले दो तीन सालों में हाईब्रीड सैकड़ों एकड़ में लग रही है और इरिगेटेड एरिया में बड़ी कामयाब घास है । मैं कहता हूं कि सेवन का घास और जोधपुर का जो रिसर्च स्टेशन है, उसकी ४-५ उस इलाके में सैकड़ों मन की तादाद में पंचायत समितियों को दी है आप जानकारी कीजिए, उसके अच्छे परिणाम आये हैं । इन सारी चीजों को न तो विभाग के आॅफिसर्स कर सकते हैं, न अकेला मैं कर सकता हूं अगर सदन के माननीय सदस्य यहां बैठकर निर्णय करें कि हम जो पंचायत समितियों की, जिला परिषद् को, वितरण की और राजनैतिक दूसरी शिकायतें करते हैं सब माननीय सदस्य पंचायत समितियों के ऐसोशियेट मेम्बर्स हैं, जिला परिषद् के मेम्बर्स हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य तो यह है कि इन पंचायत समितियों और जिला परिषदों की जितनी मीटिंग्स अटेण्ड करनी चाहिए वह नहीं करते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपसे एक बात पूछना चाहता हूं । इस सदन से जो पास किया जाता है, पंचायत समितियो को देते हैं, हम अटेण्ड करें तो भी वहां पर मैनरीबल बात नहीं चलती है हम तो यह जानते हैं कि सुपरवीजन आप का होना चाहिए । जो आपका डिस्ट्रिक्ट का आॅफिसर है उसको उस पोटेंन्शियेलिटी के ऊपर रुपया उधार देते हैं और यह गलत चीज है कि मेजोरिटी और माइनोरिटी का केस बनाते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मेरा और मेरे आॅफिसर्स का काम है मैंने कन डिनाई किया है कि हम नहीं करते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो आपके आॅफिसर्स हैं वह देखकर बतायें कि उसकी रिकमन्डेशन के ऊपर डिसाइड करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारा कागज का पेटा भर कर ही काम होता है । लेकिन वह कितना सही या गलत करते हैं । मैं हर एक को कह दूं कि वह सही करता है तो अतिशयोक्ति होगी और जैसा आप कहते हैं कि सब गलत होता है तो उसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो रुपया हमसे पास कराके देते हैं उस पर सुपरवीजन है क्या आपका ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य आप मेहरबानी करके पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में जो प्रोग्राम्स हैं उसके प्रोडक्शन प्रोग्राम के इम्प्लीमेन्टेशन हैं उसकी बड़ी से बड़ी जानकारी करके अपने ज्ञान और नॉलेज का परिचय उन संस्थाओं को दें और उनको सही लाइन में गाइड करें, उनको अच्छी सलाह देने की कोशिश करें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में

(श्री नाथूराम मिर्धा)
आलू की खेती को हमने प्रोत्साहन दिया है। लास्ट ईयर २ हजार मन बीज आलू का कई इलाके में हमने दिया....

श्री मानसिंह महार : यह तो इस पोथी में है। उसको आप पढ़ कर ही सुना दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : पोथी तो आप जैसे समझदार हैं नहीं पढ़ सकते हैं। सभी पोढ़ी ही पढ़ सकते हैं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप मत लगाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान की किसान जनता सारी नहीं समझती। मेरी आवाज को शायद सुन ले; अखबारों से इस लिए कह रहा हूं।

अगली साल से व्यापक तौर से आलू के प्रोग्राम को लेकर क्योंकि यह एकड़ में ३००-४०० मन पूरा होता है उस तरह के आलू के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, उसके लिए बीज की व्यवस्था करेंगे और खाद को व्यवस्था करेंगे और मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने इलाके में आलू करें। अप्टूडेट वेराईटी का बीज हम लायेंगे। आप भी अपने इलाके में लोगों को समझाइये और आलू का उत्पादन बढ़ाइये। मैं समझता हूं कि इतनी बातें कहने के बाद सदन के माननीय सदस्यों को संतोष होगा कि जो कटौती के प्रस्ताव उन्होंने रखे हैं वे विड्रा करें और इस मांग को खुशी से पास करें और आगे के लिए कटिबद्ध हो जायें कि आगे के लिए करोड़ों रुपये हमको जुटाने हैं राजस्थान की कृषि को बढ़ाने के लिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, अकाल सहायता) : माननीय उपाध्यक्षजी, अकाल सहायता की मांग के सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने....

श्री मानसिंह महार : यह तो मंत्री को जवाब देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : कुम्भाराम जी जवाब क्यों नहीं देते हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप मेहरबानी करके सुनिए।

श्री भैरोंसिंह : आप भी बोलिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब मंत्री महोदय सदन में मौजूद हैं और एक महत्वपूर्ण डिबेट है तो कम से कम मंत्रीजी अपने विचार रख सकें तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सम्मिलित जिम्मेदारी है।

श्री मानसिंह महार : यह तो हम भी जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर एतराज क्या है?

श्री मानसिंह महार : जब मंत्रीजी हाउस में मौजूद हैं तो उनको ही जवाब देना चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप अगर बिराजेंगे तो मैं आपकी बातों का जवाब अच्छी तरह से दूंगी।

श्री भैरोंसिंह : यह हम नहीं कहते कि आप जवाब नहीं दे पायेंगी, यह मेरी शिकायत

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है। आप तो जवाब देंगी तो और भी अच्छा ही जवाब देंगी। लेकिन यहां प्रश्न हाउस के कन्वेंशन का है। मिनिस्टर की उपस्थिति में किसी डिबेट में डिप्टी मिनिस्टर को जवाब नहीं देना चाहिए। यह कन्वेंशन है कि डिबेट का जवाब मिनिस्टर ही देते हैं। इसमें वे ज्यादा अच्छा देंगे या बुरा देंगे यह प्रश्न नहीं है क्वेश्चन यह है। हाउस में कन्वेंशन डवलप करना चाहते हैं कि डिबेट का जवाब मिनिस्टर दें या डिप्टी मिनिस्टर दें। क्वेश्चन्स का जवाब डिप्टी मिनिस्टर दे सकते हैं लेकिन डिबेट का जवाब तो मिनिस्टर को ही देना चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसा बहुधा होता है....

श्री भैरोंसिंह : हम आपकी रूलिंग चाहते हैं इसमें। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। डिप्टी मिनिस्टर ने कभी डिबेट का जवाब नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट का जवाब भी दिया है।

श्री भैरोंसिंह : किसने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिभाऊजी थे तब आचार्यजी ने जवाब दिया था।

श्री भैरोंसिंह : हरिभाऊजी पांच मिनिट बोल कर यह कह गए कि मैंने पांच मिनिट बोल लिया है, अब चूंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए अब आचार्यजी बोलेंगे। इसी तरह से कुम्भारामजी भी अपने मुखारबिन्द से बोल दें कि मैं बोल नहीं सकता इसलिए कमलाजी जवाब देंगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : हरिभाऊजी ने ऐसा नहीं कहा था आप गलत कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा इस विषय में कि इसमें आशय केवल यही है कि जो कुछ भी कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों के द्वारा रखे जावें उनका जवाब सरकारी पक्ष से दिया जाय। सरकारी पक्ष में मंत्री भी हैं और उप-मंत्री भी हैं। यह उनके सोचने की बात है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसे माननीय सदस्यों के यहां पर विचार सुनें उससे स्पष्ट है कि राजस्थान में इस बार काफी क्षेत्र के अन्दर अकाल है और २६ जिलों में से २४ जिले अभावग्रस्त हैं। कुछ कुछ स्थानों पर तो पूरे जिले में ही अकाल है और किसी किसी में कुछ क्षेत्रों में अकाल है और जिन्हें अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इन बाकी के दो जिलों में अलवर और सिरोही जिले रहते हैं। तीसरा एक भरतपुर जिला है जिसे भी अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है लेकिन जो उस जिले में अभाव है वह अनावृष्टि की वजह से न होकर अतिवृष्टि की वजह से है। इसलिए अगर हम उसको इस कैटेगरी में नहीं लेवें तब भी २३ जिले इस प्रदेश के वर्तमान में अभाव के अन्दर हैं। इन २३ जिलों के ११,१२६ के करीब गांवों की ४५ लाख के करीब पोपुलेशन अभाव के अन्दर है। इस सारे इलाके को राहत देने के लिए कुछ फैसले पहले से मौजूद हैं और कुछ फैसले राज्य सरकार की तरफ से और भी किए गए हैं। इन फैसलों के जरिए से इन क्षेत्रों की जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाय और उन राहत कार्यों के जिनके जरिए कि उन...

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

राहत दी जाय उनका अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके इस दृष्टि से कुछ मुख्य २ फैसले किए गए हैं। जिनमें यह भी है कि सड़कों के कार्य किए जावें। सिंचाई के कार्य किए जावें और गांव के अन्दर के स्थानीय कार्य भी राहत कार्यों में लिए जावें लेकिन जो भी कार्य लिए जावें वे ज्यादातर योजना के कार्य हों तो उनका उपयोग आगामी प्रदेश के विकास में हो सके और जो कार्य पूरे किए जावें उनका प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी उपयोग किया जा सके। इसके साथ २ यह भी निश्चय किया गया कि इन योजनाओं के अन्तर्गत भी जो सिंचाई के कार्य हैं उनको प्राथमिकता दी जावे जिससे देश के अन्दर या प्रदेश के अन्दर जो खाद्यान्न की कमी है और जिसके कारण आम तौर पर दिक्कत महसूस की जाती है उसका हल भी निकाला जा सके, लोगों को रोजगार मिल सके और आने वाले समय में उत्पादन में भी ज्यादा से ज्यादा वृद्धि की जा सके।

इस प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखते हुए पी. डब्लू. डी. की तरफ से सड़कों की जो बीस साला योजना तैयार की गई उनके आधार पर सड़कों का कार्य हाथ में लिया जावे और सिंचाई विभाग की तरफ से जो कुछ योजना सर्वे कराके तैयार की गई है उनको हाथ में लिया जावे। आज जिन सड़कों के बाबत बहुत से राहत कार्य चलते हैं उनमें ज्यादातर सड़कें ऐसी हैं जो कि आने वाले समय में या तो नेशनल हाईवे का अङ्ग बनेगी या स्टेट हाईवे का अङ्ग बनने वाली हैं या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का अङ्ग बनेगी या महत्वपूर्ण विलेज रोड हैं उनका अङ्ग बनेंगी। इसके अलावा जो कुछ सड़कें ली गई हैं वे ऐसी हैं जो इन तीन चार कैटेगरीज में नहीं आती हैं और दूसरे कोई कार्य सिंचाई आदि के उपलब्ध नहीं हैं तो उनकी जगह इन सड़कों को लिया गया है। इस प्रकार से यह कोशिश की गई है कि जितने भी अभाव ग्रस्त घोषित हैं उनको राहत दी जाय, जो रोजगार मांगने वाले हैं वे बिना रोजगार के न रहें, इसकी पूरी २ व्यवस्था की जाय। जहां तक सिंचाई के कार्य का सवाल है, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें बांध बनाए जाने की सम्भावनाएं हैं और इस प्रकार की ४१ लाख के करीब के और सर्वेशुदा स्कीमों पर फैमिन डिपार्टमेंट के द्वारा कार्य करवाए जाने हैं जिसमें से नौ लाख के करीब तो सैंक्शन हो चुके हैं और उनके ऊपर काम भी चालू हैं। इसके अलावा १९३ लाख के करीब सर्वेशुदा विकास विभाग की तरफ से कराये जावेंगी जिन पर फैमिन लेबर को कार्य दिए जावेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रख कर चलना इसलिए जरूरी है कि हम चाहते हैं कि जो भी राहत कार्य चलाए जावें वे सारे योजनाओं के कार्यों पर चलें और उन कार्यों का सही उपयोग हो सके। जैसा कि बार बार माननीय सदस्य भी बोलते रहे हैं और केन्द्र की जो टीम आती है उनका भी बराबर यही तकाजा रहता रहा है कि योजना के कार्यों पर ही ज्यादातर जोर दिया जाय। उसको ध्यान में रखते हुए ही ये कार्य हाथ में लिए गए हैं।

इसके अलावा कुछ स्थानों पर सोइल कंजर्वेशन के कार्य किए जाने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है और एकाध जिले में एक्सपेरीमेंट के तौर पर उनको कुछ धनराशि ५०-५० परसेंट के बेसिस पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब तक ये कार्य शुरू नहीं हुए हैं, कब शुरू किए जा

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

सकेंगे और कितनी लेबर एम्पलाय हो सकेगी, यह अभी नहीं बता सकती लेकिन यह तीसरा आइटम उत्पादन के काम में सहयोग देने वाला है जिसके बारे में सेंट्रल असिस्टेंट्स टीम ने भी जोर दिया है और वह कार्य सोयल कंजर्वेशन का ही है जिसको भी राज्य सरकार ने अपने मद्देनजर रखा है। उसकी स्कीम तैयार होने के बाद जिन जिलों में यह काम लिया जा सकेगा उनके यहां शुरू किया जावेगा।

इन सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रखने के बाद में कुछ ऐसे भी वर्ग इन इलाकों में होते हैं जो राहत कार्यों में नहीं आते। उनके लिए राज्य सरकार ग्रेटुइटस रिलीफ देना चाहती हैं। पंचायत समितियों के जरिए यह तकाजा किया गया है कि इस तरह के लोग जो राहत कार्यों पर नहीं आ सकते, जो शारिरिक दृष्टि से दुर्बल हैं, या असमर्थ हैं, कमजोर हैं, बहुत बूढ़े हैं, जो इन कामों को नहीं कर सकते, उनको घर बैठे माहवारी १५) रुपया देने का राज्य सरकार ने विशेष इन्तजाम किया है और माननीय सदस्य जानते हैं कि वैसे भी ऐसे लोगों के लिए पहले से ही प्रबन्ध है लेकिन इस बार और अधिक तकाजा कर दिया गया है कि इस तरह के लोग रह नहीं पावें और ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में सहायता पहुंचाने का प्रबन्ध करें।

अकाल से सम्बन्धित जो दो मुख्य मुद्दे या तीन कहिए, एक अनाज का, एक चारे का और एक पानी का, ये तीन मुख्य मुद्दे आम तौर पर आते हैं। इन तीनों मुद्दों पर भी खास तौर से राज्य सरकार ने विचार किया है और आपके सामने जैसा खाद्य मंत्रीजी ने अभी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की खाद्य स्थिति बहुत तंग होने के बावजूद यह कोशिश कर रही है कि जो भी अभाव के इलाके हैं वहां पर राहत कार्यों पर आने वाले लोग अभाव के अन्दर आते हैं उन लोगों को कम से कम दिक्कत पड़े और जितना सम्भव हो सके उतना अधिक से अधिक धान वहां पर पहुंचाया जा सके इसके लिए कोशिश की जाय........

कुछ कोशिश इम्पोर्टेड व्हीट ज्यादा लाने की की गई। १० हजार से हम आज ४१ हजार पर पहुंचे हैं। जैसे जैसे मात्रा ज्यादा बढ़ी है वैसे वैसे आवश्यकतामन्द इलाके थे उनको ज्यादा से ज्यादा दिया गया है, खास तौर से जो अभावग्रस्त इलाके थे उनको जो उनका आम कोटा है उसके बाहर जाकर भी कुछ मदद करने का इन्तजाम किया गया है। अभी कुछ अर्से पहले यह भी पाबन्द किया गया है जिलाधीशों को कि जिन जिलों में राहत कार्यों पर लोग आते हैं उनको १० किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाय। १० किलो में से ७ किलो इम्पोर्टेड व्हीट और बाकी तीन किलो कोर्स ग्रेन है। अगर कोर्स ग्रेन नहीं हो तो इनको इम्पोर्टेड व्हीट पूरा दिया जाय, उनको पूरी मात्रा दी जाय और दूसरी तरफ से एडजस्टमेंट किया जाय। इम्पोर्टेड व्हीट का कोटा जब पहले कम था तो राज्य सरकार ने इस प्रदेश में से ही कुछ जिलों को कार्डन आफ करके यहीं से अनाज उपलब्ध किया था। इस संकट के समय को निकालने के लिए यथासंभव जितनी कोशिश की जा सकती थी वह की गई और आगे भी की जाती रहेगी।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

अनाज के बाबत ज्यादा कहने की यहां जरूरत नहीं है। अनाज की दुकानों के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार पेश किये हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं कि पिछले वक्त में कुछ सहकारी समितियों के जरिये, कुछ कमीशन के बेसिस पर दुकानें जगह जगह खोली गईं। शिकायतें की गईं कि कुछ समितियां नाज का कोटा उठाने में असमर्थ हैं या कुछ कमीशन बेसिस पर काम करने वाले लोग रजामन्द नहीं हैं। कमीशन के मामले को लेकर, कुछ बोरियों के मामलों को लेकर तो सीनियर ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया और कुछ रियायतों पर विचार किया गया है उससे उन लोगों को एन्करेजमेंट देकर काम कराने का फैसला हुआ। उसके बाद भी अगर कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहां ये दोनों एजेन्सियां वर्क नहीं कर रही हैं या नहीं करना चाहती तो फेमीन के इलाके में यह भी है कि ऐसे इलाकों में जो कुछ हो सकता है उनमें राज्य सरकार अपनी तरफ से इन्तजाम करके अनाज का प्रबन्ध करके लोगों को किसी हालत में अनाज होते हुए उपलब्ध न हो दुकानों की व्यवस्था के कारण, यह नहीं होगा यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आप डेफिनिट यह बता दें कि चीप ग्रेन शॉप्स कितनी खोली हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल: आप विराजिये, मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। इस व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार ने आदेश जारी किये हैं और इसके एडजीस्टमेंट के बारे में पाबन्द किया गया है। उनमें कहीं ढिलाई हो तो बकायदा करके देखभाल करके उसको चालू किया जाय। इसका पूरा इन्तजाम किया जायेगा। मैं नहीं कहती कि सारे जिलों में सारी जगह, सभी व्यवस्था समुचित तरह पूर्ण हो गई है। हो सकता है कि कमी हो. . . .

श्री भैरोंसिंह: मुझे माफ करें। मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में कितनी चीप ग्रेन शाप्स खोली हैं? जैसे आपने (कृषि मंत्री जी) जिलेवार आंकड़े बताये थे ट्यूबवेल के बारे में उसी तरह से बड़ी कृपा होगी आप बता दें कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में अमुक २ जिले में इतनी चीप ग्रेन शाप्स फेमीन स्केयरसिटी एरिया डिक्लेयर करने के बाद खोली हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा: करीब १५०० दुकानें।

श्री भैरोंसिंह: कहां?

श्री नाथूराम मिर्धा: हर एक जिले में। राजस्थान के सब जिलों में।

श्री भैरोंसिंह: ये तो आंकड़े आप वैसे ही दे रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: भैरोंसिंहजी, यह तो जानते हैं कि मैं आंकड़े वैसे ही देने वाला नहीं हूं। मैं खुद मालूम करके ध्यान रखकर देता हूं। अभी तक सब जिलों में फेमीन के एरियाज में १५०० दुकानें चल रही हैं। ५ हजार की पापुलेशन के ऊपर के जो टाउन्स थे उनमें पुराना डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था उसी हिसाब से जहां को है उन रूरल एरियाज में उन गावों के अन्दर बाकदा,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ज्वार और मक्का जो हम प्रोक्योर करते हैं और इम्पोर्टेड व्हीट उन गांवों के अन्दर डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए १५०० दुकानें खोली हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो १५०० दुकानें खोली हैं इनमें एक व्यक्ति को कितना मिलता है अनाज ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनमें इतने दिन जैसा कि मैंने कहा ७ किलो देते थे कोर्स ग्रेन पहले इम्पोर्टेड व्हीट की कमी थी तब २-३ किलो देते थे। अब हमारे पास इम्पोर्टेड व्हीट काफी है। इसलिए उन इलाकों में जहां रूरल इरिया में नार्मली लोग काम करते हैं ८ किलो का कर दिया है और जहां जो मजदूर काम करते हैं कैम्पस् के ऊपर उन मजदूरों को प्रति व्यक्ति १० किलो और उनके डिपेन्डेन्ट्स हैं उनके लिए ८ किलो।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरी जो ग्राम तकलीफ इस दौरान में होती है वह पीने के पानी की है। इसके बाबत में जैसा कि पिछले अकाल के समय ऐसा किया गया था। और अभी भी जिन इलाकों में इस बात की गुन्जाइश है कि रेलबार्न टैन्क्स से पानी पहुंचाया जा सकता है तो उन सब स्थानों पर रेलबार्न टैन्क्स से पानी पहुंचा रहे हैं। उसके बाबत पैसे की पूरी मात्रा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जहां रेलबोर्न टैंक्स नहीं जा सकते हैं वहां ट्रकबोर्न टैंक्स से पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। जहां पर ट्रकबोर्न टैंक्स नहीं जा सकते हैं और गाड़ियां जा सकती हैं तो उनके बारे में भी व्यवस्था है।

इसके अलावा जिन कुओं का पानी गहरा होगया है और मवेशी कमजोर हो गये हैं और जिनके मवेशी ऐसे हैं कि जो पानी खींच सकते हैं उन मवेशियों से उनको माहवारी इमदाद दी जाकर पानी खिंचवाने की व्यवस्था की जाती है।

जिन कुओं में पानी नीचे चला गया है उनको गहरा किये जाने के लिए विकास विभाग की तरफ से पैसा दिया गया है। कुछ फेमिन डिपार्टमेंट की तरफ से भी पैसा दिया गया है मैं नहीं कह सकती कि वह पैसा जितना दिया गया है वह पर्याप्त है और जितने कुओं को डीपन कराने की जरूरत थी वे सारा कुएं इस अर्से में डीपन हो सकेंगे और उनका उपयोग हमको मिल सकेगा, लेकिन फिर भी यथासंभव धनराशि इस मामले के लिए जुटाई जा सकती थी वह जुटाई गई है और सभी प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में जहां इस बात की जरूरत थी और जहां इस राशि का ज्यादे से ज्यादा सही उपयोग हो सकता था उन इलाकों में यह राशि दी गई है। कुछ इलाकों में और भी इस बारे में मांग है, उनके बारे में आगे कोशिश की जा रही है।

नये कुए खुदवाने के लिए भी विकास विभाग की तरफ से भी और फेमीन डिपार्टमेन्ट की तरफ से भी राशि दी गई है। उसके कारण कुछ नये कुए जैसा कि आपको माननीय कृषि मंत्रीजी ने बताया कि हर पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर जहां कि इस बात की गुंजाइश है कि ज्यादे से ज्यादा कुएं तैयार कराये जा सकते हैं जिससे पानी की समस्या कम से कम पेश हो सके, इसके बारे में राज्य सरकार ने काफी बड़ी तादाद में धन राशि पंचायत समितियों को

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

अलॉट की है और कुछ अकाल सहायता के मद से जिलाधीशों को इस प्रकार की राशि खास तौर से अभाव के इलाकों के लिए दी गई है इसके बारे में मैं यह नहीं कहती कि यह सब राशि पर्याप्त है और जितने इलाकों में कुएं खुदवाये जाने हैं और जितने पानी की व्यवस्था की जरूरत है वह इसके जरिये हो सकेगी लेकिन फिर भी जितनी गुन्जाइश है उतनी कोशिश की गई है भारत सरकार से लाने की या राज्य सरकार के दूसरे गैर-जरूरी मदों में से निकालने की।

एक माननीय सदस्या जो झुन्झनू से आई हैं उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी बातें पेश की कि हमने जिला परिषद् के अन्दर एक प्रस्ताव पास किया था कि जिस प्रकार सिंचाई के छोटे बान्धों के ऊपर लोगों को कार्य देने के बाबत राज्य सरकार काम खोलती है या जिस प्रकार से और किसी काम के लिए तकावी देती है उसी प्रकार से तकावी पंचायत समिति जिन कुओं को खोदने के लिए दे उनके अन्दर एक हजार की सबसिडी राज्य सरकार अगर दे तो इन अभाव के इलाकों में इस प्रकार का इन्तजाम हो सकता है कि लोग अपने पीने के पानी का इन्तजाम भी कर लेंगे और कष्ट के दिन भी निकाल देंगे। इस मामले को मैंने पेश किया हुआ है राज्य सरकार के सामने और इसके बारे में जैसा निर्णय होगा उसके बारे में आगे चर्चा की जा सकेगी। मैं अभी इसके बारे में कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं।

दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई पानी की समस्या के बारे में कि अभी कुछ इलाकों से पिछले महीने की १२-१३ तारीख को बीकानेर, चूरू, झुन्झुनू के जिलों में बरसात हुई है तो दो ढाई महीने के लिए वर्षा का पानी वहां के तालाबों में आया है, लेकिन उनको महीने डेढ़ महीने की राहत मिली है। बाकी इलाकों में यह स्थिति अभी से मौजूद है कि वहां पानी की किल्लत है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं कि जहां पानी के कुएं मौजूद हैं और वाटरवर्क्स भी मौजूद हैं, लेकिन पानी नहीं हैं इसलिए वाटर की सप्लाई नहीं हो सकती। इन सारे मामलों को राज्य सरकार के सामने जब पेश किया गया तो उसके बारे में उसका थॉरो एक्जामीनेशन करके उसका क्या इन्तजाम किया जा सकता है ऐसे इलाकों का, उस पर विचार हो रहा है और जल्दी ही उसके बारे में फैसला किया जा सकता है कि ऐसे इलाकों के बारे में पानी की क्या व्यवस्था की जा सकती है।

तीसरा जो मोटा मुद्दा है वह चारे का है। आम तौर पर चारे की दिक्कत होली के बाद में पेश होती है। अब की क्योंकि कुछ देर से खरीफ की फसल कटी और कुछ देर से सारे अकाल के काम शुरू हुए और इस हिसाब से कुछ इलाकों में पानी भी बरस गया था, कुछ इलाकों में चारे की मांग इतनी तेजी से नहीं थी जितनी बरसात नहीं होती तो हो सकती थी लेकिन फिर भी अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जहां वर्षा नहीं हुई उन इलाकों में अभी से चारे की पूर्ति के लिये विचार किया जा सकता है। इन इलाकों में जो घास मौजूद है चाहे फोरेस्ट के पास हो, चाहे पंचायत समितियों में और चाहे फेमिन डिपार्टमेण्ट में हो इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए उन तमाम जिलों के लिये

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

जिनमें अभी से जरूरत है, जहां चारा उपयोगी होगा कुछ इलाके कड़वी चाहते हैं कुछ में ज्वार चाहिये, घास के बारे में तकाजा है उन जिलों की मांग को अंकित कर लिया गया है और जो भी जरूरतमंद लोग मवेशियों के लिये घास लेंगे उनको दिया जायगा। घास के लिये तकावी की सहूलियत पहले से मोजूद है और राज्य सरकार ने सबसिडाइज्ड रेट पर १२) पर क्विन्टल के हिसाब से देने का फैसला किया है। यह सारा इन्तजाम देर से हुआ है लेकिन मैं समझती हूं चारे का जहां सावल है, कुछ इलाकों में १५ दिन पहले से तकाजा हुआ होगा लेकिन आम तौर पर इस समय तकाजा होता है। राज्य सरकार ने व्यवस्था करदी है, आयन्दा जरूरत पड़ेगी, की जायगी....

श्री भैरोंसिह : चारे के डिपोज नहीं खोले आपने अभी तक ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : चारे की जरूरत होगी, उस प्रकार खोल दिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिह : अभी तो नहीं खोले हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जरूरत होगी उस तरह से खोल दिये जायेंगे।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फोडर बैंक के बारे में बात कही थी। इस बारे में पिछली साल भी प्रयत्न किया गया था। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने चालू किया था उसकी तहत ५, ४ स्थानों पर कुछ फोडर बैंक्स् बनाये हुए हैं उनमें कुछ घास है लेकिन इतना घास इकट्ठा नहीं कर पाये हैं क्योंकि कन्टिन्युअसली अकाल पड़ने के कारण इतना नहीं जुटा पाये, लेकिन स्कीम है और जितना जुटा सकते हैं उतना इसमें जमा रखते हैं और जरूरत के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमें कुछ बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ेगी। अभी ६ लाख टन चारा हमारे पास मौजूद है। जिसमें से कुछ पुराना है। इसके अलावा एक-डेढ़ लाख टन बाहर से मंगाना पड़ेगा। ५-६ हजार मन यू. पी. से मंगाया था, ज्यादा नहीं मिल सका। ज्यादा से ज्यादा यदि मंगाने की जरूरत पड़ेगी तो गुजरात से मंगाया जा सकता है। पिछली दफा भी मंगाया था। इस संबंध में माननीय सदस्य को कुछ आपत्ति थी उसका भी जवाब साथ ही में देती जाऊं। उन्होंने कहा कि पिछले अकाल के समय नसीराबाद में घास खरीदी, वह पहले सस्ती खरीदी और बाद में ६९ के भाव से खरीदी गई उसमें घोटाला हुआ। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि उसमें घोटाला कुछ नहीं है। सवाल इतना ही था कि जो एक मुश्त खरीद लिया था अन्दाजा लगा कर कि इतनी जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार खरीद लिया, बाद में अचानक यह महसूस हुआ कि और चारे की जरूरत पड़ेगी इसलिये और खरीदा गया वह दरअसल में महंगा मिला क्योंकि समय दूसरा था इसलिये महंगे दामों से मिला। अन्तर का सवाल उठाया....

श्री भैरोंसिह : उसके लिये टेन्डर्स इन्वाइट किये थे या नहीं ?

श्रीमती कमलाबेनीवाल : टेन्डर्स इन्वाइट किये थे या नहीं, इस वक्त मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन जिस ढंग से ५४

Page No.166

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

रु० के भाव वाला खरीदा था उसी ढंग से १६ रु० के भाव का भी खरीदा गया उसमे घोटाले की गुंजाइश नहीं है। यह मैंने चारे के बारे में बताया। अब जो प्रबन्ध है उसको चलाने के लिये आपने और दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि सारे राहत कार्यों के लिये तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर क्या प्रबन्ध है, जिससे अन्य प्रतिनिधि अपने विचार रख सकें, देखभाल कर सकें। मैं जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर जिला राहत कमेटियां बनी हुई हैं, उनमें सभी अभावग्रस्त पंचायत समितियों के प्रधान हैं, जिलाधीश हैं, जिला प्रमुख है, एम. एल. एज. उसके मेम्बर हैं और जो भी डिपार्टमेन्ट्स कन्सर्निंग हैं, जैसे फोडर डिपार्टमेन्ट है, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. इरिगेशन आदि जो कंसर्न्ड विभाग हैं, उनके भी नुमाइन्दे इसमें हैं। इसी तरह तहसील लेवल पर एस. डी. ओ. उसके चेयरमेन हैं, बी. डी. ओ., प्रधान और दो सदस्य पंचायत समितियों द्वारा नोमिनेटेड और दो राज्य सरकार द्वारा नोमिनेटेड मेम्बर्स जो जिला स्तर पर भी होते हैं और तहसील स्तर पर भी होते हैं। ये समितियां अपने प्रस्ताव तैयार करके जिला राहत कमेटियों को देती है और जिला राहत कमेटियां एग्जामिन करके राज्य सरकार के सामने जिलाधीश के जरिये पेश करती हैं और सैंक्शन जारी होती हैं। इस बारे में मैं यह आश्वासन नहीं देना चाहती हूं कि सब जगह तहसील कमेटियां और जिला राहत कमेटियां पूर्ण सही रूप से कार्य कर रही हैं। कई जगह अच्छे ढंग से कर रही हैं और कई जगह जिलाधीशों ने अभी मीटिंग नहीं बुलाई है, कई जगह महीने भर पहले बुलाई और कई जगह तहसील कमेटियां अभी नहीं बुलाई। इस तरह हम सतर्क हैं, थोड़ी ढील है, उसको किस तरह ठीक किया जाय। इसके बाद भी आप, सभापति महोदया, सुझाव दे सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका सहयोग मिलेगा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप कलेक्टर्स से तो कह नहीं सकतीं, कलेक्टर आपकी बात मानते नहीं....

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप जरा विराजिये!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने धीरे से सरका दी, कलेक्टर मानते नहीं, कहीं मीटिंग बुलाई है, कहीं नहीं। कई कलेक्टर आपका कहना नहीं मानते, यह साफ-साफ कहिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप विराजिये! मैंने धीरे से कहा, आपने जोर से कहा। मैंने धीरे से कहा, मैं जानती हूं, समझती हूं कई जगह जिलाधीशों ने मीटिंग नहीं बुलाई, हमने उनको लिखा है, जवाब तलब किया है। आगे हमको जानकारी होगी उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। आप क्या चाहते हैं? अभी चार्जशीट नोटिस लगाकर पेश करूं तब संतोष होगा। जिस तरह की व्यवस्था हमारे हाथ-पांव हिलाने की हो उसी ढंग से चलते हैं, और इस जिस ढंग से जितनी कम तकलीफ लोगों को हो उस ढंग से चलने की कोशिश करते हैं। मैं यह कह रही थी कि अभी राज्य सरकार ने फैसला किया है....

श्री भैरोंसिंह : आपने इनको जवाब बहुत अच्छा दिया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य सरकार ने इन समितियों की बैठकों के बारे में फैसला किया है, इन समितियों की बैठक महीने में एक बार जरूर होगी। इस फैसले के बाद जो जिलाधीश इसे पाबन्दी के साथ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे उनके बारे में राज्य सरकार जरूर देखेगी। ऐसा नहीं कि हमको मालूम होते हुए हम दरगुजर करते हैं या कार्यवाही नहीं करेंगे....

श्री जयनारायण सालोविया (निवाई) : मीटिंग बुलाते नहीं हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य सरकार ने १४-३-६६ को यह फैसला किया है; पहले नहीं था कि कितने दिनों में मीटिंग बुलाई जाय। इसलिये लापरवाही कहां हुई है, फैसला होने के बाद जिलाधीशों के पास कार्यवाही पहुंचेगी, उसके बाद भी मीटिंग नहीं होगी तो जरूर एक्शन लेंगे।

इसके बाद माननीय सदस्यों ने बहुत से एतराज पेश किये हैं। हो सकता है, कुछ जिलों में काम शुरू नहीं हुआ, कुछ जिलों में काम शुरू होने के बाद भी व्यवस्था इतनी गति से नहीं है जितनी होनी चाहिये। कुछ जिलों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि अब तक प्रस्ताव नहीं आये जैसे जयपुर जिले से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां काम शुरू नहीं हुआ। मैं भी जानती हूं कि जिलाधीश ने मीटिंग नहीं बुलाई। इस महीने की ६ तारीख को जिला राहत कमेटी की पहली मीटिंग बुलाई और उसमें जो प्रस्ताव माननीय सदस्य लाये हैं, जो सुझाव तहसीलदारों से, पी० डब्ल्यू० डी० वालों से आये है वे अभी विभाग के पास पहुंचे नहीं हैं। प्रस्ताव पहुंचते ही हम काम चालू करने की कोशिश करेंगे। प्रस्ताव देर से आते हैं तो जल्दी मंगाने की कोशिश करेंगे।

नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके जिले में काम नहीं हुआ। नागौर जिले में पहली मीटिंग १७-२-६६ को हुई है। उसके पहले बराबर तकाजा करने के बावजूद भी वहां जिला राहत कमेटी की बैठक नहीं हुई और प्रस्ताव अभी तक नहीं आये हैं।

अभी दस दिन पहले नागौर जिले के प्रस्ताव पेश हुए हैं। उसके बाद उनको एग्जामिन करके १६-३-६६ को मंजूरियां निकाली हैं। अभी भी मंजूरियां निकलने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है–यह माननीय सदस्य की दलील है, वह सही है। हम कोशिश करेंगे कि अभी आने वाले सप्ताह के अन्दर अन्दर सब काम शुरू हो जाय और जिन लोगों को काम शुरू नहीं के कारण तकलीफ रही उनको अब तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े।

इसी तरह से झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां काम शुरू नहीं हुआ है। यह सही बात है कि हमने उनके यहां स्वीकृतियां भेजी हैं। बाकानी इलाके की स्वीकृति नहीं हुई है–यह चिट्ठी मिलने से पता लगा। ये स्वीकृतियां भेजी हैं, वे जारी होने के बाद भी काम चालू नहीं हुआ।

इसी तरह एक बात चूरू जिले के बारे में माननीय सदस्य ने कही। हमारे यहां

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
काम मंजूर हुए महीने दो महीने हो गये, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। यह सूचना पूरी तरह से सही नहीं है, चूरू जिले का कुछ काम जारी है और कुछ काम शुरू नहीं हुआ है।

यह सारी बात मैं इसलिए पेश करती हूं क्योंकि यह इतना बड़ा काम है और इतने बड़े पैमाने पर अकाल की छाया का सामना करने की व्यवस्था जमाने के लिए समय की जरूरत होती है। आप कह सकते हैं कि आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। हमने पहले से उसकी तैयारी करने में और जिन विभागों के जरिए राहत कार्य चालू किये जाने थे उन विभागों को सक्रिय करने में बहुत तकाजा किया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसे हमको विभिन्न एजेंसियों के जरिए और विभिन्न विभागों के जरिये इन कार्यों को सम्पादित कराना पड़ता है तो उसमें कहीं कमी भी रह जाती है। आम तौर से योजना..

श्री भैरोंसिंह : आपने यह तो बता दिया, समस्या तो बता दी और मैं आपको इसके लिए कान्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने हाउस के सामने सही पोजीशन रखी है। अब आप यह बता सकती हैं कि आपके आदेशानुसार टाइम के अन्दर राहत काम शुरू हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : बहुत जगह हुए हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं बीकानेर का बता सकती हूं, झुंझुनूं का बता सकती हूं और एक दो काम सीकर जिले में भी हुए हैं। कुछ काम चूरू जिले के अन्दर हुए हैं और अजमेर के अन्दर भी हुए हैं। भीलवाड़ा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इन टाइम नहीं हुए हैं अजमेर में – यह कह देता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपका कहना..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके पास रिपोर्ट है लेकिन आप गुमराह कर रही हैं।

(श्रीमती कमला बेनीवाल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

ऐसे नहीं चलेगा, कमला जी ! मैं आपको यह इन्फॉर्मेशन देता हूं, वैसे आपको सूचना है और अन्य माननीय सदस्यों को भी सूचना है कि फेमिन कोड को तोड़ा तो जरूर है, क्योंकि लास्ट डेट को कलेक्टर से रिटर्न नहीं आये हैं, टाइम पर फेमिन डिक्लेयर नहीं किया है, टाइम पर फेमिन वर्क्स चालू नहीं हुए हैं। कोड के हिसाब से देखें तो यह सब टाइम के अन्दर नहीं हुआ है। आपने सब बातें बड़े दिल से मानी हैं तो यह भी आप मानलें तो अच्छा हो।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं इसलिए मानने से मजबूर हूं....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कहीं तो इनकी हठधर्मी रहनी चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अजमेर जिले के लिए नियमित रूप से सबसे ज्यादा पांच लाख की स्वीकृति दी गई, और वह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद तीन लाख की स्वीकृतियां चार तारीख को मंजूर की हैं। मैं क्या यह समझूं कि जो काम चल रहे थे, जो काम पूर्ण हो गये और जिनकी धनराशि समाप्त हो गई–यह सारा का सारा फर्जी था। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने टाईम की बात पूछी है। टाइम पर आपके यहां तनख्वाह नहीं बंटी, यह मैंने शिकायत की है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप बैठिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : लोगों को टाइम पर पैसा नहीं मिलता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप बिराजिये। मैं टाइम की बात बताती हूं - टैस्ट वर्क चालू होते हैं, चालू होने का टाइम दिसम्बर है और जनवरी तक चालू हुए हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दिसम्बर में नहीं हुये हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप बिराजिये। उसके बाद जो नियमित काम आपके यहां सबसे ज्यादा चले और सबसे पहले पूर्ण हुये हैं और उनकी जगह दूसरे काम स्वीकृत हुये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह नहीं हुआ है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप बिराजिये।

(श्री मोतीलाल चौधरी के खड़े होने पर)

आपके यहां पर तो........

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपके यहां पर सबसे ज्यादा क्यों चले ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपके यहां मजूरी की दिक्कत नहीं है, आपके यहां तो एग्जीक्यूशन की दिक्कत है।

तो यह कहना कि इन जिलों में, जिनके मैंने नाम बताये, कोई काम नहीं हुआ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने यह नही कहा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं यह कहती हूं कि जहां जहां पर काम शुरू होने के लिए मैं कहती हूं, वहां टाइम पर शुरू हुए। हां, पूरे तौर पर पूरे अभावग्रस्त इलाकों में उचित व्यवस्था राहत कार्यों की हो गई है—यह मैं नहीं कहती। लेकिन इन जिलों में, जिनके नाम मैंने बताये हैं, इनमें टैस्ट कार्य चलाये हैं, नियमित कार्य शुरू हुए हैं। उसके बाद में काम पूरे होने के बाद में दूसरे सेंक्शन्ड काम चालू हुए हैं और आज भी काम चालू हैं। मैं आपकी यह बात स्वीकार करती हूं कि पेमेन्ट के बारे में काफी ढिलाई हुई है, काफी देरी हुई है और इसके कारण वहां के लोगों को दिक्कत हुई है। और पिछले चार-पांच दिन पहले तक बीस-बीस दिनों में पैसा मिला है। इसके लिए मैं आपको हाउस के अन्दर कहती हूं, लेकिन आयन्दा इस मामले में ढिलाई नहीं होगी, यह मैं आपको, कम से कम माननीय सदस्य को, अजमेर के लिए कह सकती हूं, जो इस बात को बड़े जोर से कहते हैं !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप सबके लिए कहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सारे राजस्थान में इस बात की पीड़ा है।

एक माननीय सदस्य : हमें भी मजबूरी उठानी पड़ती है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह व्यवस्था करने की बात है। इस व्यवस्था में जितनी कमी है वह नीचे से है कुछ लोगों की नासमझी से हो सकती है, कुछ जो फेमिन का काम चला पिछले वर्ष, उसके आधार पर हो सकती है। एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है वह यह है कि हम राहत-कार्य शुरू करते हैं, तो उस इलाके के माननीय सदस्य हैं, जो प्रधान हैं या प्रमुख कार्यकर्ता हैं वे यह सोचते हैं कि ये शायद डवलपमेंट वर्क्स हैं। इसलिए इधर भी काम हो जाना चाहिए, उधर भी काम हो जाना चाहिए। उसके अन्दर दिक्कत पड़ती है।

इस मामले को लेकर मैं बताना चाहती हूँ कि टोंक से आने वाले माननीय सदस्य एक बहुत बड़ी बात कह गये। उन्होंने बहुत गलत बात कही और उनको यह नहीं कहनी चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपकी खाम-ख्याली है, जब मौके पर....

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने आपकी बात सुनी है, अब आप शांतिपूर्वक मेरी बात सुनिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये तो सही।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं बताना चाहती हूं, आपने कहा कि नौ आदमी भूख से मर गए। कहा आपने ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं फिर कहता हूं....

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने कहा कि नौ आदमी भूख से मर गए, लेकिन आपने जो प्रार्थना-पत्र दिया उसमें कहा कि सात आदमी भूख से मरे हैं....

श्री राधाकृष्ण गोयल : दो आदमी के लिए पहले दे रखा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सुनने का धैर्य रखो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बीच में मत बोलिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्यों नहीं बोलें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं आपको समझाना चाहती हूं कि जितनी जानकारी आपको नहीं है उतनी जानकारी मुझे इस मामले की है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह भी यह कह कर कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : हमने सुन रखा है। ऐसी बात कह कर सदन को गुमराह करने की बात कहती हैं कि नौ आदमी नहीं मरे हैं जब कि दो आदमियों के लिए अलग से भेजा है।

(शोरगुल)

मैं आपको यह बता दूं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको आप यह कहकर उड़ा देना चाहती हैं। आपने एस० डी० ओ० को भेजा जानकारी करने के लिए.........

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह नसीराबाद से आने वाले सदस्य नहीं हैं जो यों बैठ जायं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : और यही नहीं, टोंक शहर में एक बुढिया मरी है ।

श्री मानसिंह महार : और भी कई मरे हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप क्या व्यवस्था करेंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सुनने का हौसला रखें ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैंने तीन तारीख को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा ।....

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : Please have patience to bear her.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक छोटी सी बात से घबरा गए ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं सारे सदन को इस वाकये से वाकिफ कराना चाहती हूं । ये जो टोकरावास के लोग हैं ये मेरे पास आज से दस पन्द्रह दिन पहले हाजिर हुए थे । और उन्होंने मुझे यह कहा कि "आपने दूनी से नगर रोड स्वीकृत की है, इस रोड को दूनी से नगर स्वीकृत न करके आंवां से नगर स्वीकृत कीजिये ।" मैंने पूछा क्यों ? तो कहा "इसलिए कि उस रोड पर हमारा गांव पड़ता है ।" मैंने कहा कि यह मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है और दूनी से नगर मिलाना चाहते हैं, उसमें आपका गांव भी आ जायगा । तो मेहरबानी करके ऐसा काम मत करिये–यह नगर और दूनी सड़क और दूनी और आवां सड़क–दोनों फेमिन कार्य के लिए मंजूर है । और टोकरावास दोनों सड़कों के बीच में है, एक सड़क से तीन मील दूर पड़ता है और दूसरी सड़क से चार मील दूर पड़ता है । मेरी समझ में नहीं आता है, जिनके पास से दो दो सड़कें निकलती हैं, और दूनी के अन्दर पर्याप्त अनाज की व्यवस्था है; अब वहां के लोग कैसे मर गये–इस बात का मुझे अहसास नहीं होता है । आपने कहा कि ये आदमी हैं, ये ये मर गये । इसके बारे में मैंने जिलाधीश से टेलीफोन पर बात की । उनको तकाजा किया कि अपनी रिपोर्ट भेजें । इन्होंने ऐसी रिपोर्ट भेजी कि ऐसा कोई वाकया इस गांव में नहीं गुजरा है और यह रिपोर्ट आपके उस एडजोर्नमेंट मोशन पर दी थी जो आपने पेश किया । वह रिपोर्ट ४-३-६६ को उस डिपार्टमेंट में भेजी थी, उसके बारे में मैं आपको जिक्र करती हूं । आपने जो भी आदमियों का जिक्र किया और जो उसमें सात आदमियों के नाम लिखे हैं– उसके बारे में इन्होंने कहा है–जनरली मैं जानता हूं और तहकीकात कराई है । कोई ऐसा वाकया नहीं गुजरा है । फिर भी यदि आप कहते हैं कि फलां आदमी मर गया तो मैं जांच करके रिपोर्ट पेश कर दूंगी । वैसे सब लोग जो मरते हैं वे भूख से नहीं मरते हैं, जिसकी मौत आ जाती है वह मरता है । लेकिन फेमिन के कारण, भूख के कारण मर गये हों–यह गलत बात है जो आपने हाउस में कही है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और गम्भीर प्रश्न यह है कि सरकार से इसी उत्तर की अपेक्षा थी, ये जो तथ्य है ....

(७ म.प.)

श्री भैरोंसिंह : एक बात यह बता दी जाय कि जिन मरने वाले आदमियों के नाम इन्होने ले लिये हैं वे जिन्दा तो नहीं हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इन्होने व्यक्तिशः नाम दिये हैं कि फलां आदमी मर गया, फलां औरत मर गई है, उसके बारे में मैंने कागज कलेक्टर को जांच के लिये भेज दिया हैं कि वे पूरी जांच करके रिपोर्ट दें कि ये आदमी मरे या नहीं मरे, मरे तो किस कारण से मरे, कब मरे। यह सब रिपोर्ट आ जायगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जब आपने एन्क्वायरी नहीं की है तो कैसे कहती हैं कि यह गलत है। पूरी एन्क्वायरी हुई नहीं रिपोर्ट आपके पास आई नहीं, बिना तथ्यों के आधार पर आप कहती हैं कि यह गलत है। ऐसे गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय को आपने एक रुटीन की तरह टाल दिया। आपके पास जांच की रिपोर्ट तक नहीं आई है और बिना किसी आधार के कह रही हैं कि यह गलत है तो क्या इसको मजाक समझ रखा है। मैंने ३-३-६६ को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये सरकार को सूचित कर दिया कि वहां पर इस तरह का अभाव है, आदमियों के भूखों मरने की संभावना है, वहां लोगों ने कन्द मूल, पत्ते खाना प्रारम्भ कर दिया है। ३ तारीख से जो उत्तर आया उसको सदन से छुपाया गया, सदन में जवाब नहीं दिया, यह भी इस बात का प्रमाण है कि सरकार उस स्थिति से डर रही है। शुक्रवार का कट मोशन, ५० नं० का मेरा कट मोशन है टोंक जिले के टोकराबास पंचायत के गावों में समय पर दुर्भिक्ष सहायता नहीं पहुँचाई जाने से भूख से नागरिकों के मरने के बारे में चर्चा के लिये। इस सम्बन्ध में भी आपने जानकारी नहीं की और आज सदन में कह दें कि टेलीफोन कर के मालूम कर रहे हैं। यह आपकी अकर्मण्यता का नमूना है। जब नाम आपको बता दिये कि टोकराबास मे भूख के कारण आदमी मर गये तो इसका जवाब इस तरह से रुटीन में देना चाहती हैं। बिना जांच रिपोर्ट आये, बिना किन्ही तथ्यों के आधार पर कलेक्टर को टेलीफोन करके जवाब दे रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भूख से लोग मर जायं और सरकार की ओर से इस तरह टालने की कोशिश की जाती है। जो जवाब देने वाले हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री राधाकृष्ण गोयल : दो आदमियों को मेरे साथ भेजिये, वहां जाकर जो लोग मर गये हैं उनके घर वालों से पूछेंगे, उनके पड़ोसियों से पूछेंगे, गांव वालों से पूछेंगे, यह भी तसल्ली करने को तैयार नहीं और कहते हैं कि कलेक्टर को जांच करके रिपोर्ट करने के लिए कागजात दे दिये हैं, जब रिपोर्ट ही आपके पास नहीं आई तो किस आधार पर बिना तथ्यों के ही कहती हैं कि यह गलत है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : एक छोटा सा प्रश्न है....

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरी बात सुन लें। मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया कि आपने जो खास तौर से पर्टीक्यूलर

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

नाम दिये हैं, उनकी जांच आज की आज तो हो नहीं सकती पर जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया था उसमें भी यह है कि गांव के लोग मर रहे हैं, कन्द मूल, फल खा रहे हैं, लोगों की भूख से मौतें हो रही हैं, उनकी जांच करवाई, उसके आधार पर निवेदन कर रही थी कि वहां कोई आदमी की मौत भूख के कारण नहीं हुई है। अब जो नाम दिये हैं कि ये लोग भूख से मर गये, उनकी तहकीकात करा के माननीय सदस्य को निवेदन किया जायगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह गलत कह रही हैं। एस० डी० ओ० वहां जांच करने गया और उसकी जांच से यह पाया गया कि भूख से मौतें हुई हैं, उसने लोगों को यह कह कर दबाया कि ऐसा मत कहो कि भूख से मौतें हुई हैं, तीन दिन तक एक आदमी को कलेक्टर के यहां रोक कर रखा गया और उसे दबाया गया कि वह यह नहीं कहे कि भूख से मौतें हुई हैं। पहले भूख से मरने वाले दो थे अब ७ और लोग भूख से मरे हैं, इस लिए ९ नाम दिये हैं। कलेक्टर टोंक से मेरी बात हुई थी उन्होंने आशंका प्रकट की थी कि हालात बहुत खराब हैं, भूख से मौत हो सकती है। और आप कहती हैं कि टेलीफोन से बात की और यह गलत बात है। वहां का सरपंच कहता था कि भूख से लोगों की मौतें हो गईं। जो एस. डी. ओ. वहां पर जांच करने गया, उसको किसी स्थानीय व्यक्ति ने नहीं कहा कि भूख से आदमी नहीं मरे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपको किसने कहा कि लोग भूख से मरे हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : सरपंच ने कहा है, जो लोग भूख से मर गये हैं, उनके घर वाले कहते हैं, उनके पड़ौसी कहते हैं कि भूख से मर गये हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कहां लिखा हुआ है आपके पास ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : आयन्दा व्यवस्था करना तो दूर रहा, जो तथ्य हैं, उनको छुपाना चाहती हैं और राजस्थान को डुबाना चाहती हैं। आपने तथ्यों की जांच नहीं की और बिना किसी जांच रिपोर्ट के सदन में कह रही हैं कि यह गलत है। आपको सदन में गलत बात कहने का अधिकार नहीं। इस तरह से सदन को गुमराह करना, सदन को धोखा देना ठीक नहीं है····

(शोर गुल, कुछ सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !!

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें····

(शोरगुल)

श्री राधाकृष्ण गोयल : जब जांच ही नहीं हुई, जांच की रिपोर्ट ही आपके पास नहीं आई, कोई तथ्य ही आपके पास नहीं हैं तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बिना किसी जांच के यह कह देना कि यह गलत है, कहां तक ठीक है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनको खुद को जानकारी नहीं है, इनके पास सरपंच के हाथ का लिखा हुआ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सदन की तसल्ली के लिए इतना बता दें कि जो जांच कराई है, उससे आपको यह मालूम हुआ है कि भूख से मृत्यु नहीं हुई तो यह तो बता दें कि जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मृत्यु का कारण क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने निवेदन किया कि जिस एडजोर्नमेंट मोशन का जिक्र किया, मैंने निवेदन किया कि उसकी जांच कराली गई है और जांच से यह पाया गया है कि भूख से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अब माननीय सदस्य ने व्यक्तिशः जिन लोगों के नाम आज पेश किये हैं उनके बारे में कागज जिलाधीश को दे दिये गये हैं और जिलाधीश को पाबन्द किया है कि वह जल्दी ही इसकी सारी रिपोर्ट दें। एडजोर्नमेन्ट के सब्जेक्ट मेटर में भी यह बात लिखी है कि लोग भूखों मर रहे हैं। मैंने कलेक्टर से बात की तो ऐसा मालूम हुआ कि कोई आदमी भूख से मर गया हो ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि उनको सरपंच ने कहा है कि वहां आदमी भूख से मर गये है, सरपंच महोदय उनके पास आये थे और उन्होंने उन्हें यह कहा। सरपंच महोदय से भी बात करने का प्रयत्न किया गया पर वे नहीं मिले।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सरपंच महोदय आपसे मिले थे, उन्होने आपसे कहा था कि वहां लोग भूख से मर गये, आपने उनसे कहा कि भूख से लोग मर गये ऐसा बात मत कहो। तो आपने जांच कराई क्या कि सरपंच झूठ बोल रहा है या जो कुछ उसने आपसे कहा वह सही है ?'

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो एडजोर्नमेंट मोशन में बात कही गई है, मैं उसकी बात कह रही हूं। और जो आप कह रहे हैं उसकी जांच कराने के बाद जो सामने आया वही मैं निवेदन कर रही हूं। अब जो व्यक्तिशः ६ आदमियों के नाम आज दिये हैं, उनके क्या पर्टीक्यूलर्स हैं उनकी जांच करके रिपोर्ट करने के लिये जिलाधीश को कागज दे दिये गये हैं, क्या पर्टीक्यूलर्स है, क्या असलियत है, वह आने के बाद ही बताया जा सकेगा। बाकी एक आदमी की भी वहां भूख से मौत नहीं हुई है, वह मैं कह सकती हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह बिल्कुल झूठ है, यह कहकर इस बात पर पर्दा डालना चाहती हैं, कोई जांच रिपोर्ट अभी तक आपके पास आई नहीं, फिर भी तथ्यहीन बात यह सदन में कह रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दो व्यक्ति विरोधी दल के और दो व्यक्ति उधर से वहां भेज दिये जावें, वे वहां जांच करके आ जावें कि इन्हीं दिनों में मरे या नहीं। भूख से वहां लोग मरे हैं, इस तथ्य को इस तरह से उड़ाना चाहती हैं। वहां एस० डी० ओ० सरपंच पर जोर डाल रहे हैं कि कह दो कि ये लोग भूख से नहीं मरे।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : मौके पर जाकर देखेंगे क्या ? क्या वहां मरी हुई लाशें पड़ी हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या इस तरह से मरे हुओं का पोस्टमॉर्टम कराया जाता है ?

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी तक तो ९ व्यक्ति मरे हैं, यही स्थिति रही और सरकार का यही रवैया रहा तो ९०० मरेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ९ व्यक्ति भूख से मर गये और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई; माननीय उपमन्त्री महोदया कह रही हैं कि अभी तक जांच हुई उसके आधार पर कोई मरा नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्हें सरपंच ने कहा था, अनाज की बड़ी कमी है, भूख से आदमी मरे हैं। वे आदमी जिन्दा हैं जिनके नाम माननीय सदस्यों ने दिये यह सूचना अभी तक सरकार के पास नहीं है। ऐसी दशा में बिना जांच किये इस बात से इन्कार भी नहीं किया जा सकता कि मरे नहीं हैं तो यह कैसे तय होगा। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि यह गांव कोई दूर नहीं है, पास ही है, राजस्थान विधान सभा के कुछ सदस्यों की और कुछ सरकारी अफसरों को वहां तुरन्त भेज कर जांच कराई जाय कि वहां आदमी मरे हैं या नहीं मरे हैं....

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके लिये राज्य सरकार मना नहीं कर रही है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : तुरन्त जांच कराई जाय, लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे यह नहीं कहें कि वहां आदमी भूख से मर गये।

(शोरगुल)

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ९ आदमी मर गये हैं, भूख से मर गये हैं, यह साबित हो जाता है तो यह राजस्थान सरकार के लिये कलंक की बात है, इसलिये राजस्थान सरकार हर चेष्टा करेगी कि कोई भूख से नहीं मरा, इस बात का कन्वेंसिंग करेगी। तो इस प्रकार के कन्वेंसिंग के पहले जांच कराई जाय तो सही बात सामने आयेगी। वर्ना एस० डी० ओ०, बी० डी० ओ० तो जाकर लोगों को यही कहेंगे कि भूख से कोई नहीं मरा। क्योंकि अगर यह साबित हो जाय कि वहां भूख से आदमी मर गये तो कलेक्टर की बर्खास्तगी तो निश्चित है। इसलिए अपने प्रयास से कोशिश करेगा कि भूख से मरने की बात गलत है। वह कम से कम अफवाह का कारण बना है कि भूख से लोगों की मृत्यु का भ्रम पैदा हुआ है वह दूर हो जायेगा। इसीलिए हाउस के सदस्य को भेज कर इसकी जांच कराई जाये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह भूख से मरने का खामोखाह दावा उठाया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरपंच की यही है। यह गांव भी शहर से ज्यादा दूर नहीं है। आप दावा करते हैं कि ९ आदमी भूख से मर गये। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने भूख हड़ताल की है और कह सकता हूं कि ३०-३० दिन तक भूखा रहने से भी व्यक्ति नहीं मरता है। लगातार भूख हड़ताल हमने की है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि यह एक आपका स्टन्ट है और यह गलत बात है कि ये भूख से मरे हैं। मैंने भूख हड़ताल की है और मैं ज्यादा जानता हूं। आप यों ही स्टन्ट बना रहे हैं। आपको अपनी जिम्मेवारी को महसूस करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : अपनी जिम्मेवारी को महसूस करने का यही तरीका है कि जनता को सन्तुष्ट कर दिया जावे कि यह बात गलत है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, टोंक जैसे शहर में बीच घण्टाघर में कलेक्टर के दफ्तर से ५० फर्लांग पर एक बुढ़िया और मरी है उसकी सूचना मिली है। उसको सरकारी कर्मचारियों ने दूर किया है, उसकी भी जांच करवाली जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): जो प्रश्न उठाया गया है, इस प्रकार के प्रश्न उठाने से पहले माननीय सदस्य भी पूरी जानकारी प्राप्त करके इस गांव के बारे में कुछ कहते तो बहतर होता। आपने सरपंच के कहने के आधार पर कहा, ऐसा मालूम होता है। लेकिन इतनी बात निश्चित है कि राजस्थान सरकार हमेशा इस बात को मान कर चली है कि किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया जावेगा और इसके बारे में मैं यह कहूंगा कि इससे भी भयंकर अकाल में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। जैसा यहां पर बताया गया कि उस गांव के पास में जब कि दूनी में अनाज उपलब्ध था, तर्क और बुद्धि से यह बात समझ में नहीं आती कि आज के जमाने में एक आदमी भूख से मर जावे....

श्री भैरोंसिंह : अशक्त आदमी मर सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई अशक्त आदमी या सशक्त आदमी हो। ९-९ आदमी भूख से मर जावें और वे काम पर भी नहीं जावें भूख एक ऐसी चीज है जो तीन मील में नहीं ५० मील में भी काम मिलता हो तो लोग वहां पर काम करने के लिये पहुंच जावेंगे। मगर भूख से नहीं मरेंगे। आज सरपंच इस बारे में कहने वाले हैं और दूसरे माननीय सदस्य भी कहने वाले हैं; मगर ऐसी स्थिति होती तो एक दिन की भूख काटने के बाद वे उनके पास पहुंच जाते या सरपंच के पास पहुंचे होते उससे पहले कि वे मरें। आज गांवों तक पंचों और सरपंचों का इन्तजाम है, आज कोई भी आदमी भूख से मर जावे और पंच और सरपंच तक आवाज नहीं पहुंचे और उसके जरिये आवाज हमारे पास नहीं पहुंचे, यह असंभव बात है। मैं समझता हूं कि यह बात पैनिक की वजह से या किसी और तरह से उठाई गई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कलेक्टर से जानकारी मालूम की जा रही है, आज आपने ९ व्यक्तियों के नाम दिये हैं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि मैंने उनसे कहा था कि सरपंच मौजूद है तो उनको मेरे पास बुला लिया जावे। सरपंच को लाने की उन्होंने कोशिश की, मगर सरपंच उनको मिला नहीं। माननीय सदस्य को जानकारी करने के बाद में मालूम होगा कि भूख से मृत्यु की घटना नहीं हो सकती है। हां, हो सकता है कि बीमारी की वजह से हो। यह जानकारी आने के बाद सदन में जानकारी आ जावेगी और माननीय सदस्य को फिर भी कोई असंतोष होगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : आप भी कहते हैं कि अभी तक जांच नहीं हुई और आपका अन्दाजा है, नहीं मरा भूख से। मगर मैं यह कहूंगा कि उस घटना से पैनिक क्रियेट हुआ है। आप भी अन्दाज से कहते हैं कि यह सब कल्पना है, किस आधार से कहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं दो आधारों से कहता हूं । एक तो, इस बात पर मैंने कलेक्टर से भी बात की है, उसने कहा है कि यह गलत बात है । इसके बाद भी जो बातें माननीय सदस्य ने कहीं उस पर मैंने कहा कि इमिजिएटली स्पॉट पर इसकी जानकारी करा कर भेजें ।

श्री भैरोंसिंह : आपको इस बात से क्या आपत्ति होगी कि सदन के सदस्य इसकी जानकारी के लिये चले जावें । राजस्थान में कोई कलेक्टर ऐसा नहीं है कि वह एक दफा ना कह दे और फिर हां करे । उसकी रिपोर्ट तो पहले उसने जो कहा है उसी के पक्ष में आवेगी । आप उसकी जांच कराने के लिये दो तीन कांग्रेसी सदस्यों को और दो तीन अपोजिशन के सदस्यों को भेज दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्यों को इसमें क्या ऐतराज हो सकता है कि उनकी रिपोर्ट आ जावे कि उनकी मृत्यु इससे हुई है । इसकी जानकारी एक बार आ जावे । मैं समझता हूं कि रिपोर्ट आने के बाद में शायद माननीय सदस्य भी इस बात को अनुभव करेंगे कि इस बात के पीछे जो यहां कही गई है कोई आधार नहीं है । We shall get the report. दो-तीन दिन में रिपोर्ट आ जावेगी ।

श्री दिग्विजयसिंह : कलेक्टर जब टेलीफोन पर डिनाई कर चुके हैं तो फिर उसके खिलाफ क्या रिपोर्ट आवेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर रिपोर्ट ठीक नहीं होगी तो we shall see further.

श्री मानसिंह महार : जब उनके इलाके के एम. एल. ए. कहते हैं वह झूंठ है क्या ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उन्होंने जाकर स्पॉट पर देखा है क्या ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : कलेक्टर वहां गया है क्या ?

श्री दिग्विजयसिंह : गांव में सरपंच बहुत ही रिलाएबल व्यक्ति माना जाता है। इसके पास इन्फोर्मेशन है । मैं कल ही आया हूं ।

श्री दौलतराम सारण : कौन सा सरपंच है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : छगनलाल एक्स आफिसर है । मैंने काल एटेन्शन नोटिस दिया वे गांव में पहुंचे । लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि किसी की मृत्यु हुई है ? गांव वाले इन्कार हो गये । उस समय सरपंच भी वहां पर पहुंचा और सरपंच ने कहा कि आप लोग कैसी बात कहते है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई । आपने लिखकर दिया है कि पंचायत में यहां पर भूख से मरा है । पहले कहा कि लिखकर दो । पहले इन्कार हुए, यह बात सही है । मैं कल ही जाकर आया हूं । मैं उस सरपंच से मिला हूं ।

(शोरगुल-व्यावधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !

श्री राधाकृष्ण गोयल : अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जांच करवा लें, एस. डी. ओ. की जांच तो एकपक्षीय जांच होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इस विषय में जिस प्रकार से माननीय चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है, शीघ्र ही सरकार इसकी जांच करा लेगी ।

Page No.178

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सरकार को सदन के सदस्यों में विश्वास नहीं वह सरकार क्या जांच कराएगी ?

श्री मानसिंह महार : अगर सरकार खर्चे से डरती है तो पैट्रोल का खर्चा मैं अपनी जेब से दूंगा ।

(सर्व श्री दौलतराम सारण, गिरधारीलाल व्यास आदि के एक साथ बोलने से अश्रव्य-शोरगुल)

रात को चले जावेंगे और सुबह वापिस चले आवेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (निरन्तर शोरगुल के बीच) आपने एक सरपंच के कहने से यहां प्रश्न रख दिया और इस सदन के सदस्यों को वहां तक ले जाकर यों ही चलाना चाहते हैं । सरपंच के भरोसे पर आप इतनी बड़ी बात यहां कहते हैं । आप चलिये । हम मान लेंगे, अगर सच्ची बात होगी । मगर यह सही नहीं है यह मैं आपको चैलेंज देता हूं ।

(शोरगुल)

यह गलत है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि ...

(शोरगुल–घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उपमंत्री !

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री स्वायत शासन) : टोंक के इलाके में कोई आदमी भूख से नहीं मर सकता । पानी पीकर भी एक महीना रह सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो भी अधिकारी हों कलेक्टर या एम० एल० एज० वे वहां जाकर देख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा सुझाव यह है कि वहां के स्थानीय एम० एल० एज० या जिस पर आपका भरोसा हो उनको भेज कर पता लगाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(शोरगुल–अनवरत घंटी)

श्री गिरधारीलाल व्यास : ये लोग समझते नहीं हैं । आपको [illegible] चाहिये, गलत बातें करते हो ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कोई तथ्य सामने रखा जाय तो आप मानें नहीं; ९ आदमी आपने मारे हैं, ९ और मारिए....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! (श्री राधाकृष्ण गोयल से) आप क्या चाहते हैं ?

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है । इस विषय पर....

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में और भी बहस हो सकती है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उप-मंत्री ने कहा यह गलत है, बिना पता लगाए....

(घंटी–व्यवधान)

Page No.179

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय समाप्त हो चुका है। यह कहा गया है कि इसकी इन्क्वायरी की जायगी और वह सदन के सामने आ जायगी।

(विराम)

Now I am putting the demands to vote,

श्री मानसिंह महार : इसका जवाब तो आने दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई जवाब नहीं आएगा। डिबेट कन्क्लूड हो गई।

श्री मानसिंह महार : On a point of order, Sir,.. ..

श्री उपाध्यक्ष : When the question is being put, there can be no point of order.

श्री भैरोंसिंह : जब तक डिबेट कन्क्लूड नहीं होगी तब तक क्वेश्चन पुट नहीं किया जा सकता।

श्री मानसिंह महार : उनको शील्ड करने के लिए आप फरमाएं कि डिमांड वोट पर रखी जायगी तो हमें मजबूर होकर सदन छोड़ना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : फाइनेन्शियल बिजनेस को आप कन्सल्ट करें।

श्री मानसिंह महार : आप इन्क्वायरी भी नहीं करने दें, हम इसका विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय उप मंत्री को सुन लें।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir. आपने अभी रूलिंग दी थी कि डिबेट कन्क्लूड हो गई। मैं समझता हूं कि वह गलत था, आपने ही स्वीकार किया है अपने मुंह से, इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने प्रथम तो कहा कि डिबेट कन्क्लूड हो गई और फाइनेन्शियल बिजनेस आप कन्सल्ट करें। फाइनेन्शियल बिजनेस के अदंर मैं आपको रूल कोट कर सकता हूं कि यथा समय कोई चीज समाप्त नहीं होती हो तो चेयर को अधिकार है कि उसको कट्-शोर्ट करके बिजनेस को वोट पर रखें. इस दृष्टि से मैंने कहा। फिर भी अगर माननीय सदस्यों की राय है कि उपमंत्री कुछ और कहना चाहती हैं तो वे कहें। मैं इसके लिए इजाजत दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : डिबेट कन्क्लूड करने के दो तरीके हैं या तो जो मेम्बर बोल रहा है वह कहे कि उसने भाषण समाप्त कर दिया या जिस समय वह बोल रहा हो तो आप कहें कि बोलना बंद कर दे, दोनों बातें नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : That is all right. I am all owing her to speak.

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब डिबेट कन्क्लूड नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : कन्क्लूड नहीं समझा जाय।

श्री भैरोंसिंह : जो कुछ आपने कहा कि डिबेट कन्क्लूड हो गई वह उचित नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप कहेंगे तो मैं

(श्री उपाध्यक्ष)
कार्यवाही को भी कन्सल्ट करूंगा और देखेंगे अगर आवश्यकता होगी तो····

श्री भैरोंसिंह : तो आपने कहा कि डिबेट कन्क्लूड हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है; फिर तो कन्क्लूड हो गई ।

श्री भैरोंसिंह : पहले आपने कहा कि डिबेट कन्क्लूड हो गई, फिर कहा कि नहीं हुई, तीसरी बार आप कहते है कि कन्क्लूड हो गई । तीनों बातों में से कौन सी सही है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में माननीय सदस्य जो रूलिंग लेना चाहते हैं मेरे शब्दों में, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मैंने कहा कि डिबेट कन्क्लूड हो गई तो यह आशय कहने का था कि फाइनेन्शियल बिजनेस के अनुसार अगर किसी कार्यवाही को यथा समय समाप्त करना हो तो आसन को अधिकार है कि वह डिबेट कन्क्लूड करा दे और जो मैंने कहा कि डिबेट कन्क्लूड हो गई, वह इस आशय से कहा जिस आशय से यह कहा जाता है कि हां पक्ष जीता । इसका मतलब इसके बीच में विरोध किया जाय तो उसमें यह माना जायगा जैसे रूल्स में भी है संभवतया "हां पक्ष जीता" लेकिन 'संभवतः' कहा नहीं जाता, वह हुआ है । उसके दरमियान कोई आब्जेक्शन कर सकता है । ठीक उसी प्रकार मैंने कहा डिबेट कन्क्लूड हो गई वह इस लिए कहा कि माननीय उप-मंत्री जी बैठ चुकी थीं । लेकिन उसके बावजूद जब माननीय सदस्यों ने यह चाहा कि और कुछ वे बोलें तो मैंने कहा बोल सकती हैं । उस समय अगर मैंने यह भी कहा कि डिबेट कन्क्लूड हो गई तो उसी प्रकार से कहा जैसे मैं यथा-समय कहता हूं कि "हां पक्ष जीता" ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हम समझ गए ।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट कन्क्लूड हो गई, This is my ruling.

श्री भैरोंसिंह : उनको बोलने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कहे अनुसार ही मैं कह रहा हूं····

(शोरगुल)

फिर आप कहेंगे कि·······

श्री भैरोंसिंह : नहीं कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आल राइट, मैं सोलम अन्डरटेकिंग लेना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : सोलम अन्डरटेकिंग है कि नहीं कहेंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of Order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I am on my ledge.

(शोरगुल)

Let me finish my sentence.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रोमिस लेकर कोई बात कहें कोई सोलम प्रोमिस लेकर सदन को हंसी न उड़ाएं । चार बार तो आप अपना फैसला पलट चुके ।

Page No.181

श्री मानसिंह महार : यह चेयर पर ब्लेम है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय····

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : हम ऐसी बात बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वे गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं हाउस में जो कुछ हुआ है, सबसे बुरा यह हुआ है कि कांग्रेस के सीनियर जिम्मेदार सदस्य ने चेयर पर एस्पर्शन किये हैं···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप दबाते हैं। मैं कहता हूं कि दोनों के साथ न्याय करना है। हमेशा एस्पर्शन कराके टाइम ले लें, सब कुछ होता है। हम भी समझते हैं। भले आदमी हैं दे दो, दे देते हैं। बर्दाश्त करते हैं। इस तरह की बात चेयर के साथ करते हैं। मैं अपील करूंगा कि यह सदन है····

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! सर्व प्रथम तो माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि चेयर के रूलिंग देते समय कोई पोइन्ट आफ ऑर्डर उठाकर बात कहे तो यह बिलकुल गलत चीज है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस स्थिति में जो कुछ मैंने कहा उसको मैंने एक्सप्लेन पूरी तरह कर दिया और सदन की मंशा सुप्रीम है और सदन चाहे और इसके बावजूद भी माननीय उप-मंत्री और कहना चाहें तो वह बात अलग है।

(हम नहीं सुनना चाहते, बहुत हुआ ऐसी आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष : Is it the sense of the House ?

कुछ माननीय सदस्य : Yes.

श्री मानसिंह महार : No, Sir

श्री राधाकृष्ण गोयल : No, Sir.

श्री भैरोंसिंह : हम कहते हैं डिबेट चले। वोट ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं वोट लेता हूं। क्या यह हाउस की मंशा है····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : क्षमा करें, किस बात के लिये वोट ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इस बात पर वोट लिये जाय कि ये यह कह रहे हैं कि उनको बोलने दिया जाय और माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं। वोट पर इसको पुट कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य चाहते हैं कि उप-मंत्री इस बारे में और कहें तो हमारी तरफ से कोई एतराज की बात नहीं है। वे सुनना चाहते हैं तो जरूर कहेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय उपाध्यक्ष जी..

श्री उपाध्यक्ष: Plese allow her to speek आपका कोई सुझाव नहीं माना जायगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, अकाल सहायता) : माननीय उपाध्यक्ष जी,

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
एक अन्य माननीय सदस्य ने राहत कार्यों के बारे में यह भी एक खास दिक्कत बताई....

श्री मानसिंह महार : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रोफ इन्फारमेशन, सर जो ९ आदमियों की मौत के बारे में हमने सुझाव दिया कि सदन की एक कमेटी बिठा कर उसको इमिजेटली टोंक भेजा जाय जो इसकी जांच करे, उसके लिए उप-मन्त्राणी जी क्या फरमाती हैं, वह बेटर रहेगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस बारे में अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और सारी स्थिति वे स्पष्ट कर चुके हैं। एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा था....

श्री मानसिंह महार : एडजोर्नमेंट मोशन से क्या मतलब है? स्पेसिफिक डिमाण्ड रख रहे हैं और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसको इनकार नहीं किया है। फिर उप-मन्त्राणी जी इस तरह की गलत बात कह कर सदन को गुमराह करें, यह कहां तक न्यायोचित है?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप गुमराह कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : हम कहां कर रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से तीन सदस्य तैयार होइये। हम जीपों का इन्तजाम करते हैं। पैट्रोल हम देते हैं, खर्चा हम देंगे। टी. ए. डी. ए. मत लीजिए। अभी चलिये और १२ बजे तक लौट आयेंगे।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : मरे हुए थे, उस समय माननीय सदस्य जा सकते थे। उस समय तो माननीय सदस्य गये नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आदमी गये थे।

श्री मानसिंह महार : हमको वहम है, उपाध्यक्ष महोदय। कलेक्टर और एस. डी. ओ. इस बात पर आमादा हैं कि इस मामले को दबाया जाय। इसके लिए सरपंच को दबाया जा रहा है। और लोगों को दबाया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे गम्भीर मसले पर अपोजिशन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि ९ आदमी मरे हैं, यह मामला कहां तक सही है और कहां तक गलत है, हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कुछ सरकारी पक्ष के और कुछ विरोधी दल के सदस्य चले जाएं और इसकी जांच कर के सदन को बताएं। इसके लिए सरकारी पक्ष सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और मानने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन से हर बात के लिए कहा जाता है कि सहयोग दें। किस बात का सहयोग चाहते हैं? मामूली सी बात है, आप जांच करवा रहे हैं। मन्त्री जी को भेज दीजिए, हाउस को रिपोर्ट दे देंगी कि आदमी मर गये हैं या नहीं। सरकार के सामने जब बातें रखी जाती हैं और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होती है तो आखिर हमसे किस बात का सहयोग चाहा जाता है? यदि सरकार ने इस बात पर जांच नहीं कराई और अपोजीशन की बात सुनने के लिए और मानने के लिए भी तैयार नहीं है तो इस बात का पब्लिक के अन्दर एक प्रकार का पैनिक फैलेगा कि इस प्रकार ९

Page No.183

(श्री भैरोंसिंह)

आदमी मर गये हैं, सारे हिन्दुस्तान में सरकार बदनाम होने वाली है, उसे यदि सरकार मानेगी और किसी को जांच के लिए भेजेगी तो बच सकती है। सीधा सा सवाल है। उसमें आपत्ति क्या है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा यह कहना है कि कोई शुबहा नहीं है कि यह बात उठी उसमें लेश मात्र भी सचाई लगती है। आग्रही बनिये, दुराग्रही मत बनिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप दुराग्रही बन रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मामला है और उस मामले में एक चीज आयी। मैं इसको अच्छा मानता हूं कि सम्माननीय सदस्य ने गुडफेथ में यह कहा। यह मानने के बाद स्थिति यह है कि प्राइमाफेसी कोई चीज उस हालत में बनती है तब जाना चाहिये। बिलकुल सही तौर पर कहता हूं कि इस सदन में यह इम्प्रेशन नहीं हुआ है कि प्राइमाफेसी यह केस है। उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि इसको प्राइमाफेसी बना दें, पूरी जांच होगी। अब प्राइमाफेसी नहीं और जन संघ के माननीय सदस्य इस पर जोर दे रहे हैं। वड़े इजिली फरमाते निकल गये। वे इन्सान हैं, और किसी में इन्सानियत है और सब झूठ बोलेंगे ऐसी बात नहीं। बार बार इस स्थिति को लाने की कोशिश करें, इससे एक गलत चीज पैदा होती है। मैं विश्वास करता हूं सदस्य होने के नाते कि स्वतन्त्र पार्टी आकर कह देगी जांच के बाद कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हम मान लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : एक काम करिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बराबर चीफ मिनिस्टर को लेकर उसी वक्त चले जायेंगे। वे आकर कह दें। वे अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। उसकी सड़क नहीं बनी थी। वहां पहुंचे तो एक आदमी ने कहा, पूछा, मैं नहीं कहता। फिर दस्तखत कर दिये। वह सड़क बननी चाहिये। कलक्टर को कोग्रोर्स कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि सीरियस बात हो तो उसको सीरियसली लें। इसको पोलिटिकल टिंज दे रहे हैं क्योंकि मन्त्री का ऊपर उल्लेख हुआ है। अभी जाकर देख आओ, रात को जाकर देख आओ....

आप यहां चौपड़ पर देख रहे हैं ११ रोज से लोग भूख-हड़ताल कर रहे हैं। इनमें से तो कोई नहीं मर रहा है। सरपंच नहीं बतलाता है, पंच हड़ताल डिक्लेअर करके लोगों की जिम्मेवारी ले रहे हैं। समय हो रहा है, एक घंटा क्या बढ़ाया ? हमारा पीछा छोड़ो, मर जायें।

श्री भैरोंसिंह : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि स्वतन्त्र पार्टी के चीफ व्हिप जाकर देखें, वे जो कुछ बता देंगे हाउस उसको स्वीकार कर लेगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य की बात सदन के नेता मुख्य मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं इनको निभेज का यदि वे समर्थन करते हैं तो वे अपने मुंह से यह घोषणा कर दें कि स्वतंत्र पार्टी के चीफ व्हिप जाकर जो भी बात कहेंगे उसको स्वीकार किया जायगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इसमें नेता महोदय को क्यों डालते हो ?

श्री भैरोंसिंह : आपकी सिन्सीयेरिटी के प्रति कुछ भी श्रद्धा है, आपने जो उनके प्रति सिन्सीयेरिटी शो की है उसके

(श्री भैरोंसिंह)

सहानुभूति है मुख्य मंत्री महोदय को, तो वे निश्चित रूप से कह देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे डिप्टी स्पीकर साहब नहीं है, लीडर हैं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, ये शब्द तो कार्यवाही से हटा दिये जाने चाहिये He is insulting the chair.

(शोरगुल, व्यवधान, मेजों की थपथपाहट–अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : सदन में डिप्टी स्पीकर सुप्रीम है, इसलिए माननीय सदस्य ने डिप्टी स्पीकर के प्रति जो शब्द कहे हैं वे निकाल दिये जांय।

(शोरगुल–अश्रव्य)

(श्री राधाकृष्ण गोयल बोलने खड़े हुए राज्य पक्ष की ओर से निरन्तर बाधायें–मेजें थपथपाना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा अनवरत घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री राधाकृष्ण गोयल : सरकार जांच करने के लिए तैयार नहीं, ९ आदमी भूख से मर जायं। विधान सभा के सदस्यों द्वारा जांच नहीं करवाई जाय। इस समय तो केवल ९ आदमी ही मरे हैं, मैं सरकार को बता देना चाहता हूं दस हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो मौत के मुंह में जा रहे हैं; इस पर भी सदन में मुख्य मंत्री उनकी जांच करवाने के लिए राजी नहीं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष जी, विरोधी पक्ष की तरफ से जो बात रखी जाती है, जो सही है, उसको भी माना नहीं जाता है, ऐसी हालत में सदन में हम एक मिनट भी बैठना नहीं चाहते। हम आपको मजबूर करेंगे। आप ऐसी बातों पर ध्यान दें। हम इसके प्रोटेस्ट में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री मानसिंह महार द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(अनवरत घंटी)

श्री राधाकृष्ण गोयल : ९ आदमियों की हत्या हो गई, वे भूख से मर गये; दस हजार आदमी ऐसे हैं जिनको एक समय भी खाना नहीं मिल रहा है। जब हम उनकी बातें रखते हैं तो मंत्री महोदय उनको टालते जाते हैं। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो तो हमारा सदन में बैठने से कोई फायदा नहीं है। मैं इसके प्रोटेस्ट में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राधाकृष्ण गोयल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : झूंठ बोलते हैं, बिल्कुल झूंठ बोलते हैं। इस तरह से आपको वोट नहीं मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५, २३,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,८२,२१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग संख्या १८ स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक २२ मार्च के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ७.४५ बजे दिनांक २२ मार्च १९६६ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

Page No.186

(समयाभाव के कारण समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

कॉमर्स के लेक्चरार्स की नियुक्ति

४०५. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष सरकार ने तेरह कॉमर्स लेक्चरार्स के विज्ञापन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा था ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इन्टरव्यू लेने से पूर्व, सरकार ने पुनः सोलह और कॉमर्स लेक्चरार्स के विज्ञापन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को निवेदन किया ?

(३) क्या यह सत्य है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा केवल तेरह लेक्चरार्स के लिए ही विज्ञापन किया तथा बाद के सोलह के लिये विज्ञापन नहीं दिया ?

(४) क्या यह सत्य है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दिनांक ८ फरवरी से १२ फरवरी, ६५ तक केवल तेरह स्थानों के लिये ही इन्टरव्यू लिये गये ?

(५) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने केवल तेरह व्यक्तियों की सूची ही चुन कर सरकार को भेजी ?

(६) क्या यह सत्य है कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से उपरोक्त विज्ञापन व इन्टरव्यू की सूची में से ही सात अन्य व्यक्तियों की सूची और मांगी है ? अगर हां, तो क्यों ? व क्या उपरोक्त कार्यवाही अवैधानिक नहीं है ?

उत्तर

(१) जी हां। यह सत्य है, १३ कॉमर्स लेक्चरार्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को ७-१०-६३ को मांग भेजी थी।

(२) जी हां, यह सत्य है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इन्टरव्यू लेने से पूर्व शिक्षा विभाग ने पुनः १६ कॉमर्स के लेक्चरार्स के पदों के लिए २-१-६४ को पब्लिक सर्विस कमीशन को मांग भेजी। इसके अतिरिक्त एक पद के लिए मार्च ६४ में भी मांग भेजी गयी थी।

(३) जी हां।

(४) राजस्थान लोक सेवा आयोग ने १३ पदों के लिये इन्टरव्यू के साथ-साथ ही ५० प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों का चयन करने के लिये भी इन्टरव्यू लिया।

(५) जी नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन ने शिक्षा विभाग को २० व्यक्तियों की सूची भेजी।

(६) १३ व्याख्याताओं के पूर्व अतिरिक्त व्याख्याताओं की मांग भेजी थी। अतः आयोग ने २० नाम भेजे। ये कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत हुई।

रेवाइन कल्टीवेशन योजना

४०६. श्री जुझारसिंह (पेचट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री जुझारसिंह)

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने चम्बल कमांड एरिया में बेकार बंजड़ जमीन को समतल बनाकर आबाद करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है और इससे कितनी जमीन उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है ?

(२) रेवाइन कल्टीवेशन की इस योजना से सरकार को कितनी आमदनी हो जाने की उम्मीद है ?

उत्तर

(१) उपनिवेशन विभाग द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मल्टीपर्पज हायर सेकेन्डरी स्कूल प्रतापगढ़ में पढ़ाई की व्यवस्था

४०७. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ के मल्टीपर्पज हायर सेकेन्डरी स्कूल में कमरों की कमी होने से स्कूल हमेशा दो शिफ्ट्स में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि स्कूल हमेशा दो शिफ्टों में चलाने से छात्रों को पढ़ने का समय पूरा नहीं मिलता है ? अगर हां, तो विद्यार्थियों को पूरे समय पढ़ाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि छात्रों को पढ़ने का समय कम मिलने से अक्सर विद्यार्थी कमजोर रहते हैं और वार्षिक रिजल्ट पर बुरा असर पड़ता है ? यदि हां, तो कमरों की कमी की पूर्ति हेतु कब तक उचित कदम उठाया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, सन् १९५५ से ।

(२) जी नहीं । अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था भी की जाती है ।

(३) जी नहीं, परीक्षा फल गत वर्ष से वृद्धि पर है । कमरों की कमी आर्थिक कठिनाई के कारण दूर नहीं हो सकी । अन्य स्कूलों के साथ यदि जनता ने सहयोग दिया तो इस पर भी विचार किया जायेगा ।

देहाती क्षेत्रों के अस्पतालों में बिजली के उपकरण

४०८. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार की यह नीति है कि जिन देहाती क्षेत्रों में बिजली पहुँच चुकी है, उनके अस्पतालों में बिजली से काम में लिए जाने वाले साधारण उपकरण जैसे रेफ्रीजेटर, हीटर आदि उपलब्ध कराये जायं ? यदि हां, तो इस सम्बन्धी सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

देहाती क्षेत्र में लगभग सभी २३२ पंचायत समितियों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की योजना है इन में से ६८ में यूनिसेफ द्वारा उपकरण दिये गये हैं । शेष केन्द्रों में ज्यों-ज्यों वे स्वालिफाइड होते जायंगे ये उपकरण उपलब्ध किये जाते रहेंगे ।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २१ मार्च, १६६६)

स्कंभ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३८६४	अन्तिम से ३	पेने	पीने
२८६६	६	श्री हुरल ल	श्री हुरलाल
३६०६	अन्तिम से १	श्री दमोदरलल	श्री दामोदरलाल
३६०७	२०	श्री मेरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
३६०६	शीर्ष	(श्रीमर्त	(श्रीमती
,,	३	उप मंत्री,	उप मंत्री,
३६११	शीर्ष	श्रीमती	(श्रीमती
३६१७	अन्तिम से १४	गवर्नमेंट	गवर्नमेंट
३६२०	,, ६	शाया	रुपया
३६२६	१०	(डीडवाना)	(डीडवाना)
३६३५	७	टीनन्ट्स	टीनेन्ट्स
३६४१	३,१३,१८ व १६	अनूसूचित	अनुसूचित
,,	१८	बेड्स	बेड्स
३६४२	१	विप्तृप्त	विस्तृत
३६४४	१४	टैक्नीकल	टैक्निकल
३६४७	१५	वालिकाओं	बालिकाओं
३६५०	अन्तिम से ११	सालेदिया	सालोदिया
३६५६	,, ३	सर्टीफाई	सर्टीफाई
३६५७	,, १२	श्री दामेदरलाल	श्री दामोदरलाल
३६५६	शीर्षक	नुपस्थित	अनुपस्थित
,,	३	ग्रामेद्योग	ग्रामोद्योग
,,	अन्तिम	····में	वर्ग में
३६६०	१	वल्लभगगर	वल्लभनगर
३६६१	६	चेबक	चेचक
,,	८	(वाडमेर)	(बाड़मेर)
,,	अन्तिम से ६	कदस	कदम
३६६२	शीर्षक	द्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	१५	सदन को	सदन को
,,	१८	कालेजों	कॉलिजों

२

१	२	३	४
३९६३	शीर्ष	(श्री सतीशक्न्द्र	(श्री·सतीशचन्द्र
३९६४	४	ब्लॉक में प्रचायत	ब्लॉक में पंचायत
,,	५	श्री जोधसिह	श्री जोधसिह
३९६६	शीर्षक	ताम्ररांकित	मतारांकित
३९७३	१४	विया	दिया
३९७७	१०	पालि	पाली
३९७९	शीर्षक	२ मार्च,	२१ मार्च,
३९७९	,,	२१ मांच	२१ मार्च
३९९२	अन्तिम से ३	दुभिक्ष	दुर्भिक्ष
,,	,, १	लिये	लिये
३९९४	शीर्षक	दुभिक्ष	दुर्भिक्ष
३९९५	स्कम्म	६९९५	३९९५
,,	अन्तिम से ६	श्री जयकृष्ण शर्मा :	श्री जयकृष्ण शर्मा
३९९९	,, ३	मधुर	माथुर
४००२	शीर्षक	सहाय ।	सहायता
४००३	८	संक्या	संख्या
४००६	४	करबाई	करवाई
४००१	१५	दुष्कल	दुष्काल
४०१७	अन्तिम से ६	टोंकरावास	टोकरावास
४०१८	१६	अवे	आवे
४०१९	१०	विल्कुल	बिल्कुल
,,	१६	वहीं	नहीं
४०२१	अन्तिम से ५,४	श्री तेजराम	श्री तेजाराम
४०२६	शीर्षक	कृष	कृषि
४०३३	शीर्षक	संख्दा	संख्या
४०३५	अन्तिम से १४	गवर्रमेंन्ट	गवर्नमेन्ट
४०३७	शीर्षक	माग	मांग
४०४२	,,	सहूयता	सहायता
,,	·४	चाहि	चाहिये
,,	७	प नी	पानी
४०४३	१०	में	मैं
,,	१८	कग से कम	कम से कम

१	२	३	४
४०४९	अन्तिम से ११	फर	फिर
४०५०	,, ४	५०: ६०: ७०	५०–६०–७०
४०५४	१८	श्री विजयपाल-कटारा: (डूंगरपुर–सु.)	श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर–सु) :
४०५९	अन्तिम से ९	बनिस्बत	बनिस्पत
४०६२	,, ६	कठिनई	कठिनाई
४०७०	१	नबो	निबो
४०७५	अन्तिम से १२	क्या	क्या
४०७८	,, ३	सिचित	सिंचित
४०८०	,, २०	हुसाब	हिसाब
४०८२	अन्तिम से १५	बढ़ा गया,	बढ़ गया,
,,	,, २	मोर	मोर
४०८४	१०	(गणपूरक घ ण्टी, गणपूर्ति के पश्चात्)	(गणपूरक घण्टी, गणपूर्ति के पश्चात्)
,,	२१	सार्टिफिकेट	सर्टिफिकेट
४०९१	३	हुमरे	हुमारे
,,	६	तैार	तैयार
४०९४	१४	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा:
४०९५	अन्तिम से ११	लि	लिए
,,	,, ५	फडर	फोडर
४०९६	,, ४	मिला	मिला
४०९७	११	व ले	वाले
४१०१	अन्तिम १६	पाली में जिले का	पाली जिले का
४१०३	,, १५	मसकात	मसकक्त
४१०९	११	स स्या	समस्या
४११०	अन्तिम से ६	इलेक्सन	इलेक्शन
४१११	,, ९	मालरि	मालरी
४११५	६	में	मैं
४१२१	२	हम	हमें
४१३६	अन्तिम से ११	समितिया	समितियां
४१३७	१८	बचे	बच्चे
४१३९	१५	मी	भी
४१४०	१	काग्रेस	कांग्रेस

१	२	३	४
४१४४	अन्तिम से ६	इसे	इसे मैं
४१५१	शीर्ष	श्री मानसिंह महार)	(श्री मानसिंह महार)
४१५५	अन्तिम	काइज	कागज
४१५७	शीर्षक	माग संख्या	मांग संख्या
४१५८	अन्तिम से १४	हुजर	हुजार
४१५९	,, ८	कुम्भाराम जो	कुम्भारामजी
४१६१	,, ३	खच	खर्च
४१६६	११	रहगा	रहेगा
४१६८	२	इर्रीगेशन	इर्रिगेशन
४१७१	१२	डवलपमेंट	डेवलपमेंट
४१७२	शीर्षक	दुमक्ष	दुर्भिक्ष
४१७४	३	लेंड	लैंड
४१७८	अन्तिम से १०	परसेन्ट	पर्सेन्ट
,,	,, १	है य	लक्ष्य
४१७९	१६	बा	जो
४१८०	६	कह	कहा
,,	अन्तिम से ८	अनियम	अभियान
४१८४	,, ९	महादय	महोदय
४१८६	१०	गर्ा	गर्व
४१८९	८	व	ये
४१९१	११	ि तने	कितने
४१९२	अन्तिम से १३	बिलऊंगा	दिलाऊंगा
,,	,, ७	साड़े	साढ़े
४१९५	७	मार्केट	मार्केट
४१९८	६	बो	बो
४१९९	७	पोड़ी	थोड़ी
४२०५	१८	बारिरिक	शारीरिक
,,	२६	ऐस	ऐसे
४२१०	१३	सारा	सारे
४२१३	२	कड़वी	कड़बी
,,	३	बार में	बारे में
,,	१२	सावल	सवाल
४२१४	अन्तिम	डंग	ढंग

१	२	३	४
२१८	अन्तिम से ६	बाकानी	बारानी
२२९	,, १२	मरेा । हैं,	मरे हैं,
४२३१	अन्तिम	ऐसा	ऐसी
४२३३	५	श्री ोरोंसिह	श्री भेरोंसिह
,,	२२	की	को
४२३४	१०	काई	कोई
,,	अन्तिम से १२	सरपंच श्री	सरपंच भी
४२३५	७	दफनर	दफ्तर
४२३६	अन्तिम से २	स	से
४२३७	१५	कांग्रसी	कांग्रेसी
४२४३	अन्तिम	मैंमे	मैंने
४२४४	अन्तिम से ८	ledes	legs
४२४९	शीर्षक	२१ १९६६–मार्च	२१ मार्च, १९६६—
४२५०	अन्तिम से ८	कहते हैं	करते हैं
,,	अन्तिम	उसके...........	उसके प्रति कुछ भी
४२५१	९	स्पीक	स्वीकर
२५५	१	कारण समय	कारण प्रश्न समय में
,,	अन्तिम से ४	की भेजी	को भेजी
	६	कठिना	कठिनाई